खण्ड–492, अंक–4
मंगलवार, 05 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(24 फरवरी, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–72
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण... ...	71–103
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	103–104
जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	104–105
कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत निर्मित दो दर्जन ओवर हेड वाटर टैंकों से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बरेली के ग्राम भजनई के थाना अलीगंज में रोडवेज बस से हुई श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री बदरी प्रसाद की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	106
प्रदेश में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के बेलदार पद पर बेलदार जाति के अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	106
जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	106–107
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज व इटवा में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	107
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
जनपद बस्ती में परिवहन निगम की बसों से क्षेत्र में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना..	108

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा की ग्राम सभा बोधी छपरा निवासी श्री बाढू कुशवाहा, मृतक किसान के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव में ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या 23 व 3 को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	109
जनपद जालौन अन्तर्गत पचनधा को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद पीलीभीत में नदियों के कारण हो रहे भूमि कटान की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	109–110
शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर चन्दौली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110
राज्य सम्पत्ति विभाग के जर्जर आवास संख्या 9/2, डालीबाग, लखनऊ की पूर्ण मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	110–111
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	111
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2013 को उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल की घोषणानुसार धन के प्राविधान का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	111–113
विधान सभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होने एवं बैठक के निर्णयों को प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	113–115
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–I एवं खण्ड–II वर्ष 2013–2014 व विनियोग लेखे वर्ष 2013–2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	115
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2– 1795/ग्यारह–9(86)–14–उ0 प्र0	116

अधि0–5–2008–आदेश–(123)–2014 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... ...

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2– 1796/ग्यारह–9(114)–12–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(124)–2014 (सदन के पटल पर रखी गयी) 116

विषय	पृष्ठ–संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2– 1797/ग्यारह–9(14)–97–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(125)–2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	116
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2– 1736/ग्यारह–9(11)–14–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(127)–2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	116
समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) की अधिसूचना संख्या–1761/ कनिप्र–26–3–2014–13(60)–2013 (सदन के पटल पर रखी गयी)	116–117
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 (दिनांक 14–11–2014 से 25–11–2014 तक) नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	117
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में गुगांवद एवं रिछोहा बन्धा को पक्का कराये जाने विषयक श्री राकेश गुर्जर आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	117
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैया में जर्जर एवं टूटी व गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरारी लाल कुशवाहा आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	117
जनपद आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर इण्टरलाक, सी0सी0 एवं नाला निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री अमरनाथ आदि निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	117
जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	118
जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल का	118

निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सिंह जसावत आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... ...

जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री राम किशन कुशवाहा निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... 118

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना किनारे बसे कतिपय ग्रामों की कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) बनाये जाने विषयक श्री चेतराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	118
जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा–खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 सेमरियावां से गुलरिहवां, छपिया माफी होते हुए ग्राम पंचायत सरसादपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मतीउलहक आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	118–119
जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 लोहरौली चौराहे से ग्राम पंचायत सिसवादखिली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री सहाबुद्दीन आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119
जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड बघौली में स्थित छाछापार से बधवा होते हुए नाऊडाड तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजेश चौधरी आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	119
जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 मुडाडीहा बेग से ग्राम पंचायत दरियाबाद सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री असगर अली आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	119
जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां पिपरा मार्ग पर पेट्रोल पम्प से ग्राम पंचायत कड़जा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वसीर अहमद आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	119–120
राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	120

उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम–निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 120–121

विषय **पृष्ठ–संख्या**

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ... 121–172

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें 172–175

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र स्थित पिपराइच चीनी मिल के बन्द हो जाने के कारण मजदूरों/किसानों में व्याप्त असंतोष के निदान हेतु चीनी मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजमती निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 175–176

जनपद इलाहाबाद में मेजा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित दुग्ध संघ के समितियों के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दुग्ध विकास मंत्री का वक्तव्य 176–177

सिम्भावली शुगर मिल द्वारा पूर्व एवं वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना कृषकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 177–178

जनपद मिर्जापुर के थाना मड़िहान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर बेलस्पन एनर्जी कम्पनी लि0 द्वारा बिना अनुमति के क्रय विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 178–179

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में क्षेत्रीय विकास निधि के प्रस्तावों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 179–180

जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी में भारी बाढ़ के कटान से नूरगंज मजरे कैथी के 13 लोगों के मुआवजा वितरित न कराये जाने के कारण किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई 180–182

सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...

जनपद आगरा में सुल्तानगंज में लगी पुलिया पर मीडियम माक्स बन्द पड़े होने के कारण जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 182–183

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा के 48 घण्टे पूर्व तक केन्द्रों का परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य... ... 183–184

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत मंगापुर–उदयपुर के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य 184–185

जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में घरेलू बिजली पंखा उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 185

नत्थियां 186–193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–335

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
26. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
37. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
45. आशीष यादव, श्री बदायूं
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
47. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
48. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
49. इकबाल, श्री बिजनौर
50. इकबाल महमूद, श्री संभल
51. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
52. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
53. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
54. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात

55. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
56. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
57. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
60. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
61. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
62. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
66. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
67. काली चरन सुमन, श्री आगरा
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश, श्री गाजीपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
78. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोरख पासवान, श्री बलिया
85. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
86. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जगपाल, श्री सहारनपुर
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
94. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
95. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
107. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
108. दलजीत सिंह, श्री बांदा
109. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
110. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
114. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज, श्री बाराबंकी

119. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
120. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
121. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
123. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
124. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
125. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
126. नारद राय, श्री बलिया
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
129. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
133. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
134. पीतमराम, श्री पीलीभीत
135. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
136. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
137. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
138. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
139. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
140. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
141. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
142. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
143. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
144. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
145. फेरन लाल, श्री ललितपुर
146. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
147. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
148. बदलू खां, श्री उन्नाव
149. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
150. बाबू खां, श्री हरदोई
151. बाबूलाल, श्री गोण्डा
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
154. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
157. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
158. बैजनाथ, श्री मऊ
159. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
160. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
161. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
162. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
163. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
164. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
165. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
166. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
167. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
168. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
169. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
170. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
171. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
172. महबूब अली, श्री अमरोहा
173. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
174. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
175. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
176. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
177. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
178. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
179. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
180. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
181. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
182. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
183. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
184. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर

185. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
186. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
187. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
188. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
189. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
190. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
191. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
192. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
193. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
194. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
198. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
199. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
200. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
201. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
202. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
203. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
204. रणजीत सुमन, श्री एटा
205. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
206. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
207. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
208. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
209. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
210. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
211. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
212. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
213. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
214. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
215. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
216. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
217. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
218. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
219. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
220. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
221. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
222. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
223. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
224. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
225. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
226. राधे श्याम, श्री अमेठी
227. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
228. राम करन आर्य, श्री बस्ती
229. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
230. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
231. राम गोविन्द, श्री बलिया
232. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
233. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
234. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
235. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
236. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
237. राम मगन, श्री बाराबंकी
238. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
239. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
240. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
241. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
242. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
243. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
244. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
246. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
247. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
248. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
249. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ

250. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
251. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
252. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
253. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
254. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
255. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
256. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
257. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
258. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
259. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
260. वहांब चौधरी, श्री गाजियाबाद
261. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
262. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
263. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
264. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
265. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
266. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
267. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
268. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
269. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
270. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
271. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
272. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
273. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
274. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
275. वीरपाल राठी, श्री बागपत
276. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
277. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
278. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
279. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
280. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
281. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
282. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
283. शाकिर अली, श्री देवरिया
284. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
285. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
286. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
287. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
288. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
289. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
290. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
291. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
292. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
293. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
294. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
295. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
296. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
297. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
298. संजय कपूर, श्री रामपुर
299. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
300. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
301. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
302. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
303. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
304. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
305. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
306. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
307. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
308. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
309. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
310. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
311. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर

312. सियाराम सागर, डा0 बरेली
313. सीमा, श्रीमती जौनपुर
314. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
315. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
316. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
317. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
318. सुधाकर, श्री मऊ
319. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
320. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
321. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
322. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
323. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
324. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
325. सुरेश राणा, श्री शामली
326. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
327. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
328. सुल्तान बेग, श्री बरेली
329. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
330. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
331. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
332. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
333. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
334. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
335. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, प्रश्नोत्तर

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर कक्षा–1 से 8 तक के प्राइवेट (निजी) स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2013–2014 में भर्ती किये गये छात्रों की संख्या की जानकारी

''1–श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री दलवीर सिंह तथा श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 5 व कक्षा 8 तक के प्राइवेट (निजी) स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अच्छी एजूकेशन प्राप्त कराने के उद्देश्य से 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का नियम प्रदेश में वर्ष 2012 से लागू है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना के अन्तर्गत कितने बच्चे लाभान्वित हुये तथा आगामी शिक्षा सत्र जो जुलाई, 2014 से प्रारम्भ होगा, में कितने छात्रों को लाभ पहुंचाने की योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन बच्चों की शिक्षा का वित्त पोषण किस योजना से होता है ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस–पड़ोस के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा की कुल सीट क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्राविधान शैक्षिक सत्र, 2013–14 से लागू है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 60 बच्चे इस योजना से लाभान्वित हुए तथा शिक्षा सत्र, 2014–15 में लक्ष्य समूह के अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने हेतु योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल लाभान्वित बच्चों की संख्या–108 है।

उक्त योजना के अधीन अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शिक्षा के निमित्त शुल्क की प्रतिपूर्ति पर आने वाला व्यय भार राज्य सरकार के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल पहले भी आया था, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक ओर उत्तर प्रदेश में 50 परसेण्ट से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए विवश हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है, उसमें गुणवत्ता का अभाव है। मान्यवर, एक ओर जहां 50 परसेण्ट से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में जाने के लिए विवश हैं, तो इतनी अच्छी योजना जिसमें निजी स्कूलों में उनकी संख्या के 25 प्रतिशत तक बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से वर्ष 2013–2014 में केवल 60 बच्चे लाभान्वित हुए और वर्ष 2014–2015 में केवल 108 बच्चे लाभान्वित हुए। नम्बर–दो मान्यवर, मान्यवर, एक शासनादेश इस सरकार ने निकाला है जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार इन स्कूलों में जो बच्चे प्रवेश पाना चाहते हैं उन्हें

बी0एस0ए0 से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि या तो उनके क्षेत्र में स्कूल नहीं है या स्कूल मानक के अनुरूप नहीं है। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस शासनादेश को निरस्त करके जो 25 प्रतिशत तक बच्चों को व्यवस्था दी गई है इस कानून में उसका लाभ उन 25 प्रतिशत बच्चों तक दिलवाने में सहायक होंगे ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन दो सवालों के जवाब माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें यह व्यवस्था है कि प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल और एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में नामांकन से जो बच्चे खाली हो जाते हैं जिनके घर के आस–पास स्कूल नहीं होंगे। ऐसे बच्चों के लिये पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करने की व्यवस्था है। हमारे हर 01 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल हैं और 03 किलोमीटर के अन्दर जूनियर हाई स्कूल स्थापित हैं। एडेड स्कूल भी हमारे इन्हीं स्कूलों के बीच में स्थापित हैं तो जितना नॉमिनेशन हो जाता है प्राइमरी, जूनियर या एडेड विद्यालयों में, इनसे जो खाली बच्चे हैं जिनके गांव के आसपास कोई स्कूल न हो ऐसे बच्चों के लिये हम प्राइवेट स्कूलो में 25 परसेण्ट नामांकन की व्यवस्था करते हैं। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य ने कही, जो जिम्मेदार नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता हैं। इस प्रदेश में और देश में पूंजीपति पोषक लोग जोर–शोर से इस प्रचार को कर रहे हैं, पूरे देश में और इस प्रदेश में खासकर के कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई ठीक नहीं होती है, सरकारी अस्पताल की दवाई ठीक नहीं होती है। सरकारी अस्पताल का डाक्टर अगर हास्पिटल में देखेगा तो ठीक नहीं देखेगा और सरकारी दवाई असर नहीं करती है। यह पूंजीपतियों के हौसले को बढ़ाने के लिये देश में एक कुतर्क चल रहा है। हमारे विद्यालयों में टीचर योग्य हैं। बी0ए0 हैं, एम0ए0 हैं, बी0एड0 हैं, एम0एड0 हैं, टी0ई0टी0 पास हैं, बी0टी0सी0 पास हैं। हमारे सब भवन बने हुये हैं, हमसे अधिक और हमसे अच्छे टीचर अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में हों तो आप इस बात को कहें। हम आपकी बात को मानने के लिये तैयार हैं। जहां तक यह बात कि 25 प्रतिशत वाले शासनादेश को निरस्त कर दें तो फिर हमने स्कूल क्यों खोले हैं। क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर हर एक किलोमीटर पर स्कूल खोले गये हैं, उनमें क्या होगा, क्या उनमें जानवर बॉधे जायेंगे, इन स्कूलों का क्या होगा ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से ही जानना चाहता हूं कि अगर हम सारे बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेज देते हैं इनके कहने के अनुसार तो हमारे प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और एडेड स्कूल में कौन पढ़ने जायेगा, उसमें कौन सी व्यवस्था लागू होगी ? इसीलिये हमने यह व्यवस्था लागू की है और यही व्यवस्था सही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर एक बात जोर से कही जाये और उसका परिणाम शून्य हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बात सही हो गई। मान्यवर, अभी

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मैंने उसको कोट भी किया था, एक संस्था 'असर' है, गैरसरकारी संगठन है उसमें एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट 2013–14 की आई है कि पॉचवीं के बच्चे जो सरकारी स्कूल में है उनका स्तर क्या है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष–

इसको तो आप बोल चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मान्यवर, अगर अच्छी पढ़ाई होती तो ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों से निकल कर, शहरों में रह कर बच्चों को पढ़ाने के लिये लोग अलग से व्यवस्था नहीं करते। मान्यवर, आजकल ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहां पर बेसिक इम्युनिटीज़ में जो शिक्षा है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वहां पर गुणवत्ता प्रॉपर नहीं है। माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार भी कर लेना चाहिये क्योंकि अगर स्वीकार करेंगे तभी कुछ आगे भी बढ़ेगा। खाली बहुत जोर से किसी बात को नकार देना पूंजीपतियों के आधार पर किसी बात को नकार देना, कह देना, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग शांत रहे। आप लोग क्यों बोल रहे हैं। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना की सार्थकता इसी बात से मालूम होती है कि एक वर्ष में पूरे प्रदेश में केवल 60 बच्चे और दूसरे वर्ष में जब बहुत ज्यादा प्रचार–प्रसार माननीय मंत्री जी ने किया तब 108 बच्चे, क्या यह परिणाम नहीं बताता माननीय मंत्री जी की गुणवत्ता का। आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे पास उत्तर भेजा है कि 13 स्कूल हमारे जर्जर हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि जो इसमें राइडर लगा है मान्यवर, इन 25 प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूल में जाने का जो राइडर लगा है। मान्यवर, क्या उस राइडर को 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिलाने के लिए वह राइडर हटाएंगे। मान्यवर, यह मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि उस राइडर की वजह से कोई व्यक्ति बी0एस0ए0 से सर्टिफिकेट ले नहीं पाता है कि हमारे स्कूल गुणवत्ता के अनुसार, मानक के अनुसार नहीं है इस राइडर की वजह से मान्यवर, इस योजना को ये सफल नहीं करवा पाये। मेरा कहना यह है कि जब एक व्यवस्था बनी है और उसकी आवश्यकता भी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह पूछ लिया कि राइडर हटाएंगे कि नहीं ? आप उनसे प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना जी हमारे मित्र भी हैं। अब धीरे से मैं बोल रहा हूं जो केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति बनी उसमें यह था कि अलाभित समूह के बच्चे को 25 प्रतिशत पब्लिक स्कूल में भर्ती करा लिया जाए। अलाभित समूह में कौन हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग अनुसूचित जनजाति सामाजिक तथा शारीरिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निराश्रित के बच्चे जो विकलांग श्रेणी में हो, एच0आई0वी0 तथा कैन्सर पीड़ित माता–पिता अभिभावक का दर्जा, निराश्रित, बेघर बच्चा। ऐसे ही बच्चों को 25 प्रतिशत पब्लिक स्कूल में जहां पर प्राइमरी, मिडिल और एडेड स्कूल न हो इन बच्चों को उस स्कूल में दाखिला कराया जाए तो इसीलिए बढ़िया से इसे हम लोगों ने कराया है। अखबारों में टीवी, में रेडियो, में प्रचार किया है इतने बच्चे आये हैं। अब हम खींच–खॉच के दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते और जो आप राइडर हटाने की बात कर रहे हैं। वह राइडर हटाने में हम असमर्थ हैं। वह राइडर नहीं हट सकता और जो नियमावली है उस नियमावली के अनुसार हम काम करेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, दो विद्वान साथियों के बीच में फंसा दिया आपने। माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं और हमारे खन्ना साहब भी बहुत विद्वान हैं। मेरा सवाल भी आपने इन्हीं के साथ कर दिया मेरा प्रश्न दूसरी तरह का है मैंने प्रश्न पूछा है कि जनपदवार कितने छात्रों को प्रवेश दिलाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को शत–प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ था, जो मुझे जवाब मिला है, वह बिल्कुल अलग है। मैंने पूछा कि जनपदवार कितने छात्र ऐसे हैं जिनका दाखिला कराया गया। मेरा सवाल अलग था इसको उसी में शामिल कर दिया गया है। चलिए अगर शामिल कर दिया गया है तो मैं इसी संदर्भ में दो–तीन बातें पूछना चाहता हूं। अभी माननीय खन्ना जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा था कि जो राइडर लगा है, जो प्रतिबन्ध लगा है उसे खत्म कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसे खत्म करना हमारे लिए संभव नहीं है। बात उनकी भी अपनी जगह पर सही है और बात इनकी भी अपनी जगह पर सही है, मेरा तीसरा सवाल इसके बीच में पैदा हो गया कि मैं चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ऐसे सभी स्कूलों को चिन्हित कर दें, जिनमें इस तरह के बच्चों का दाखिला किया जा सकता है। ये जो बच्चों को एन0ओ0सी0 वगैरह लेनी पड़ती है बी0एस0ए0 तथा अन्य से वे इससे बच जाएंगे। इस तरह के स्कूल आप निश्चित रूप से चयनित कर लें प्रदेश में या जिले में जिनमें ये प्रतिबन्ध न लगा हो, जिससे बच्चे आ करके उसमें दाखिला ले सकते हो।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

श्री दलवीर सिंह–

यह प्रश्न ही तो चल रहा है मेरा बीच में फंसा दिया है आपने मुझे। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने स्कूलों के खिलाफ, इस तरह के आपके आदेश का पालन न करने वाले, हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने वाले स्कूल कोई हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही माननीय मंत्री जी के माध्यम से सरकार के माध्यम से की गई। मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जिनमें कहा गया हो कि 25 प्रतिशत के हिसाब से अपने स्कूल में एडमिशन कराइये। दूसरे, जहां बच्चे उपलब्ध हैं वहां एडमिशन कर लिया, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो आनाकानी किया हो कि हम दाखिला नहीं करेंगे। इसलिए दाखिला लेने का सवाल नहीं है क्योंकि प्रत्येक बच्चे पर 450 रु0 की फीस उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। एक तरफ हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं फ्री में कापी किताब दे रहे हैं ड्रेस दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। मान्यवर, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यह निर्देश है उस निर्देश के अनुसार हम 25 प्रतिशत का कोटा हम लगभग पूरा कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है हम लगातार प्रयास में है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े। मान्यवर, जो आसरा की रिपोर्ट है यह वही लोग हैं जिनके बारे में पहले भी कहा है। मान्यवर, वह तो अपनी तरफ से सर्वे करते हैं हमसे पूछते भी नहीं हैं वह एन0जी0ओ0 हैं जो चाहते हैं कि सारी सरकारी मशीनरी फेल हो जाये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है। आपने कहा कि जो बच्चे वहां पर प्रवेश लेते हैं उनकी फीस का वहन सरकार करती है बच्चों को इससे लाभ मिलता है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी परिधि में सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0सी0 बोर्ड के विद्यार्थी भी आते हैं मान्यवर वह आपके इस आदेश को नहीं मानते हैं। मैंने भी अपने प्रयास किया है एडमिशन के लिये वह नहीं माने। क्या आप उन पर कोई अंकुश लगाने का काम करेंगे। आप क्या अपने अधिकारियों को डी0आई0ओ0एस0 या बी0एस0ए0 अथवा जिले में दूसरे आपके अधिकारी उपलब्ध हैं उनको सुपरविजन में लगायेंगे ताकि वह जाकर इन स्कूलों के बारे में भी जानकारी कर सकें। जो जिलों में इन स्कूलों के दाखिले के बारे में देख–रेख कर सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है डायरेक्ट देखरेख करने के लिये। लेकिन शिक्षा मंत्री होने के नाते चूंकि बराबर अभिभावकों की शिकायतें प्रकाश में आती हैं अखबारों में अभिभावकों के बयान पढ़ने को मिले हैं जिनमें पब्लिक स्कूल बहुत अधिक फीस अभिभावकों से ले रहा है। इसलिये हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि

आप लोग मीटिंग करिये और तय करिये कि आखिर में इतना भारी अन्तर क्यों फीस में। तो यह कमेटी हमारी बनी हुई है हमने बनाया है अपनी तरफ से जो सर्वे कर रही है कि इतना वह अभिभावकों से फीस क्यों ले रहा है चाहे सी0बी0एस0ई0 बोर्ड हो या आई0सी0एस0सी0 बोर्ड हो और चाहे हमारे मान्यता प्राप्त हाई स्कूल क्यों न हो। मैं इस पर सर्वे कराया हूं अधिकारियों को निर्देश दिया हूं। सरकार के अंतर्गत चलने वाली संस्थाओं को मजबूत करने की बात इस सदन में मान्यवर सुनिश्चित रूप से होनी चाहिये। मान्यवर इसी के तहत सभी सदन के माननीय सदस्यों को विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को राज्य सभा और लोक सभा के माननीय सांसदों को जिला पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों को ब्लाक प्रमुखों को प्रधानों को 2–2,3–3 बार हर सत्र में चिट्ठी लिखकर निवेदन करता हूं कि यह सरकारी संस्थान आपके संस्थान हैं इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है इसमें अच्छी पढ़ाई हो उसमें गुणवत्ता बढ़े इसके लिए हम सबका दायित्व है जिम्मेदारी है। मान्यवर, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इसके क्रम में विद्यालयों में गये भी हैं और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं कि जो गुरुजन स्कूल नहीं जाते थे वह स्कूल जाने लगे हैं। धीरे–धीरे पढ़ाने लगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन जैसा सहयोग कर रहा है शिक्षा के बारे में अगर करता रहा तो मैंने पिछले सत्र में भी कहा था इस सत्र में भी कह रहा हूं कि अगर सबका सहयोग रहा तो पब्लिक स्कूल बन्द होंगें और प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, 108 बच्चे लाभान्वित हुए इस सत्र में एक जिले में 2 बच्चे भी नहीं बढ़े मान्यवर, ऐसी योजना को, मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में इसकी संख्या बढ़े, इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे, यह गरीब बच्चों के लिए गरीब असेवित बच्चों के लिए योजना है इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या करेंगे ? मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दीजिए।

(श्री पूरन प्रकाश द्वारा प्रश्न पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

20 मिनट हो गया एक सवाल पर अब समय भी नहीं है, आप बैठिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय सदस्य, विधान मण्डल दल के नेता खन्ना जी ने जो प्रश्न किया हमारी मंशा वह स्पष्ट जान गये थे उसके बावजूद भी। मान्यवर, हमारी मंशा है कि प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में ऐसी बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था हो कि दूसरे स्कूल में पढ़ाने की कोई सोच भी न सके। जो यह कहते हैं कि 25 प्रतिशत करायें और हमारे स्कूल बन्द हो जाय तो बन्द होने से आपको क्या फायदा। आप हमारे स्कूल क्यों बन्द

कराना चाहते हैं इसमें 3 लाख 4 लाख टीचर रोजगार से लगे हुए हैं आप हमारे प्राथमिक स्कूलों को क्यों बन्द कराना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह हम नहीं चाहते हैं यह इन्टरप्रिटेशन गलत है, गलत है,गलत है, हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, यह तरीका ठीक नहीं है पहले मंत्री जी को बोल लेने दीजिए पीछे दादा जी क्या पूछ रहे हैं। यह आखिरी सवाल है 20 मिनट हो गया है इस सवाल पर।

श्री योगेश कुमार सिंह–

मान्यवर, असर के साथ एस0एच0एम0 की रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए बड़ा फर्क है दोनो में।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, यह सवाल मैंने पिछले सत्र में लगाया था। इसमें माननीय मंत्री जी की नीयत पर मुझे शक नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ विवशता का भी उल्लेख किया था कि जो ऐसे पब्लिक स्कूल हैं वह लेना नहीं चाहते जो अर्हतायें हैं उसमें निश्चित है कि जो वहां पढ़ाते हैं जिसको आपने एजीड क्लास कहा, पूंजीपति कह दिया तो उनके बच्चे निश्चित है कि कुछ ज्यादा देखने में भी सुन्दर होंगे, पढ़ने में भी सुन्दर होंगे, उनके ड्रेसेज भी सुन्दर होंगे तो आपने यह कहा माननीय मंत्री जी ने कि हम ऐसे बच्चों को दाखिला देने के लिए और अर्हताएं भी आपने बताई कि कौन अर्ह है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसे बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जो 450 रुपये का योगदान बताया क्या उसमें उन पब्लिक स्कूलों के स्टेण्डर्ड को मेन्टेन करने के लिए उन बच्चों के ड्रेस, जूता, मोजा आदि जितने भी उस स्टैण्डर्ड के मुताबिक आवश्यक है क्या उसको उपलब्ध कराते हैं और यदि कराते हैं तो उसमें कितना ब्यय होता है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय चौधरी साहब ने, एक तो जो आपने कहा कि बच्चे उसमें दाखिल नहीं होते हैं पब्लिक स्कूल में यह सही बात नहीं है हमने यह कहा था कि वह तो ढूंढ रहे हैं कि बच्चे हमको मिले मैंने यह कहा था। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को इसके तहत पब्लिक स्कूलों में हम भेजते हैं, उसमें यह शर्त है कि जो सुविधा वह अपने स्कूल के बच्चों को देते हैं वह सारी सुविधायें वह इन बच्चों को भी देंगे। जैसे पब्लिक स्कूल में ड्रेस हैं, टाई है और भी जो कुछ सुविधायें है, वह सभी इन सब बच्चों को वह देंगे। उनके लिए यह शर्त है कि वह जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस तरह से खेल खिलवाते हैं, वह सारी सुविधायें इन बच्चों को देंगे और इसमें कोई भेद नहीं करेंगे और मेरा कहना है कि वह दे भी रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए टी0ई0टी0 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में 72,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा माह नवम्बर, 2013 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश में अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए क्या सरकार टी0ई0टी0 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में 72,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में चार चरणों में काउन्सिलिंग के उपरान्त 72825 रिक्तियों के सापेक्ष जनपदवार नियुक्ति–पत्र निर्गत किये गये हैं जिसके क्रम में सम्प्रति 43651 प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। अवशेष रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति–पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 72825 रिक्तियों के सापेक्ष यह नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2011 से चल रही है। मान्यवर, पहली बार विज्ञापन वर्ष 2011 में हुआ और तब से लेकर आज तक, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि, 72825 के सापेक्ष केवल 43651 नियुक्तियां हो पाई हैं, जबकि दिनांक 22–11–2013 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जो निर्णय दिया था उसी से यह नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर से विज्ञापन किया गया और राज्य सरकार एस0एल0पी0 में सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसम्बर, 2014 को जो कांग्रेस नेतृत्व की यू0पी0ए0 सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में बनाया था, उस अधिकार को आम लोगों तक न पहुंचाने के लिए इनकी परिनिन्दा भी की और कड़ी चेतावनी दी कि आप इनकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति करिये। आपने जाकर अभी तक केवल 43651 नियुक्ति की, 21174 नियुक्तियां अभी भी बाकी हैं। सरकार की यह कार्य पद्धति शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, को इस तरह प्रतिष्ठापित करने की है ? अभी 03 फरवरी को यहां पर व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ। भाई राम गोविन्द जी भी उसी संघर्ष से आये हैं और वहां पर लाठियां चली, लड़कों को भगाया गया। आज भी लक्ष्मण झूला मैदान पर लड़के धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जबकि राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 03 लाख रिक्तियां होने की बात कहीं है। बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है जिस पर पूरा

शिक्षा का आधार खड़ा होता है। माननीय मंत्री जी से पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 29174 रिक्तियां अवशेष हैं वह उन पर कब तक नियुक्ति प्रदान कर देंगे और दूसरा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें कहा कि जो 03 लाख नियुक्तियां हैं उनको भी आप जल्दी से जल्दी भरिये, तो उसको आप कब तक पूरा करेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप बाद में अनुपूरक का अवसर देंगे तो वह हम बाद में पूछ लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि माननीय सदस्य भी जानते हैं और पूरा सदन भी जानता है कि यह नियुक्तियां प्रारम्भ से विवादित रही हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हमने नियुक्तियां करना प्राम्रभ किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अन्तरिम आदेश आया, फिर उसके बाद दूसरा अन्तरिम आदेश आ गया कि सामान्य का इतने प्रतिशत और पिछड़े तथा अनुसूचित जाति का इतने प्रतिशत अंक पाने वालों की नियुक्तियां कर ली जाये। लगभग सारी नियुक्तियां हो गई है, लेकिन उसमें कठिनाई यह है कि हर अभ्यर्थी ने पूरे प्रदेश में अप्लाई किया है। उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई है, तो आपको जो इतना कम दिखाई दे रहा है उसका कारण यह है कि एक–एक आदमी दो–दो, तीन–तीन जिलों में काउन्सिलिंग कराकर अपना अभ्यर्थन लिये हुये हैं और जब यह छंट जायेगा, तो चौथी काउन्सिलिंग कराकर पूरी भर्ती कर ली जायेगी। मान्यवर, 72825 की शत–प्रतिशत भर्ती जल्दी ही पूर्ण हो जाय। यह केवल गणित का खेल है क्योंकि जैसे अभ्यर्थी ने इलाहाबाद में एप्लाई किया, लखनऊ में भी किया, सीतापुर में भी कर दिया, हरदोई में भी कर दिया और नियुक्ति–पत्र चारों जगह से ले लिया, इसलिये वह संख्या अब कम होगी और धीरे–धीरे वह संख्या बढ़ जायेगी, जब एक जिले में वह ज्वाइन कर लेंगे तो तीन जिले की जगह खाली हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि एक–एक अभ्यर्थी ने 5–5, 10–10, 30–35 और कुछ ने तो पूरे प्रदेश के हर जिले में एप्लाई कर काउन्सिलिंग करा लिया तो काउन्सिलिंग तो हो गयी है और अब उसमें छंटाई हो रही है, अब जब एक जनपद में नौकरी पा गये तो जिसने कई जगह एप्लाई किया है, उसकी जगह खाली होगी, इसलिये समय लग रहा है, यह भर्ती जल्द से जल्द हो जायेगी और जो 29,835 की बात आपने कही है, यह इस प्रश्न में तो नहीं है लेकिन यह भी हमने गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला था, इसमें एक आदमी हाई कोर्ट चला गया और कहा कि यह प्रमोशन का पद है जबकि एक तरफ नई शिक्षा नीति में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है दूसरा प्रमोशन से पद भरने का भी प्रावधान है तो मामला हाई कोर्ट में है, वैसे हम सारी काउन्सिलिंग करा चुके हैं जिस दिन हाई कोर्ट से अनुमति मिल जायेगी, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक–एक अभ्यर्थी ने कई जगह आवेदन कर रखे हैं और इसलिये अभी पूरी संख्या नहीं हो पा रही है तो मान्यवर, कई–कई जगह एप्लाई करने के कारण ही आज मेरिट बहुत ज्यादा गई है यदि यह एक जगह नियुक्ति देने का आदेश प्रभावी ढंग से लागू कर दें तो मेरिट और कम हो जायेगी और जो कम मेरिट के लोग हैं जो टी0ई0टी0 में बैठे हैं, उनकी भी नियुक्ति हो जायेगी, इसको आप कब तक करा देंगे। दूसरी बात, यह कि जब 2011 में विज्ञापन हुआ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि विवादित हो गया फिर आपने दूसरे आधार पर एक और विज्ञापन किया इसमें भी लड़कों ने पूरे प्रदेश में एप्लाई किया और 500–500 रुपया इन लड़कों का हर जिले में लगा तो करोड़ों रुपया इस तरह विज्ञापन के माध्यम से पैसे इकठ्ठे हुये तो जब आप पहले विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां करा रहे हैं तो दूसरे विज्ञापन के आधार पर जो लोग विज्ञापन दिये हैं, उनका आवेदन शुल्क माननीय मंत्री जी क्या वापस करायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो दूसरे विज्ञापन में भरे थे, उनका पैसा वापस हो रहा है, नोटिस हो गयी है, सबको सूचना भी हो गयी है, जो पैसा वापस लेना चाहते हैं, वह ले रहे हैं।

प्रदेश में सरकारी सेवारत शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग सेन्टर एवं ट्यूशन केन्द्र चलाये जाने की शिकायत रोके जाने की ठोस कार्यवाही की मांग

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी सेवारत शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन एवं कोचिंग सेन्टर चलाने पर रोक होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा की कक्षाओं के निजी कोचिंग सेन्टर एवं ट्यूशन केन्द्र चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इनको रोकने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुपूरक पूछता हूं। जो यह उत्तर आया है उस उत्तर से शायद कोई भी सदस्य सहमत नहीं होगा। मेरा सीधा प्रश्न था कि माध्यमिक शिक्षा में 11वीं–12वीं कक्षा के जो सरकारी शिक्षक हैं वह निजी कोचिंग और ट्यूशन करते हैं और इसमें सरकार का उत्तर है, जी नहीं। यहां पूरा सदन बैठा है और दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं शायद ही कोई ऐसा जिला या कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें कि अध्यापक निजी कोचिंग या ट्यूशन न कर रहा हो, इतनी गंभीर बात पर इस

उत्तर से सरकार की गंभीरता प्रदर्शित होती है। मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि यह जो कोंचिंग का करोड़ों का अवैध व्यापार है जिसमें कि बच्चों को केवल इसलिये ट्यूशन पढ़नी पड़ती है कि 12वीं कक्षा में अगर 70 प्रतिशत मार्क्स उनके यदि लिखित परीक्षा के होते हैं तो 30 प्रतिशत मार्क्स उनको प्रैक्टिकल के भी मिलते हैं और यह जो प्रैक्टिकल के 30 नम्बर हैं, यही इस कोचिंग के करोड़ों रुपये के अवैध व्यापार की जड़ है इस तीस नम्बर की आस में अभिभावक और छात्र पूरे साल शिक्षक की गुलामी करता है। मैं मा0 मंत्री जी से सीधे–सीधे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जिला स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर जो निजी कोचिंग चला रहे हैं हर एक अध्यापक के घर पर सबेरे भीड़ लगी रहती है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो पूछते नहीं हैं सीधे भाषण देने लगते हैं।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, जो अध्यापक 70 हजार 60 हजार रुपए वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो सघन चेकिंग चलाकर क्या सरकार ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी ? दूसरा सवाल यह है कि मान्यवर, जब विद्यालयों में प्रैक्टिकल नहीं होते, लैब खुलती नहीं है तब इस 30 नम्बर के नाम पर लगातार कोचिंग का शिकंजा बनता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि लैब खुलें और प्रैक्टिकल कराये जाएं। लेकिन क्या सरकार प्रैक्टिकल के तीस नम्बर देने वाली व्यवस्था पर कोई ऐसा कानून या नियम या कोई ऐसा पक्ष सोचेगी जिससे कि छात्र अभिभावक इस 30 नम्बर की आस में निजी कोचिंग में जाने के लिए मजबूर न हों। क्योंकि 75 प्रतिशत मार्क्स आई0आई0टी0 एडवांस की परीक्षा।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका सवाल हो गया, अब आप बैठ जाएं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का सवाल है कि क्या आप सघन चेकिंग करा करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे और दूसरा सवाल है कि क्या 30 प्रतिशत को आप खत्म करेंगे, यह छोटा सा सवाल है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, दो मिनट का समय लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके मर्म में जाइये, आई0आई0टी0 एडवांस की जो परीक्षा है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं दूसरा सवाल ले लूंगा। अब आप मा0 मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि 75 प्रतिशत अगर इंटरमीडिएट में मार्क्स नहीं हैं तो वह आई0आई0टी0 एडवांस की परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। परसेंटेज का बैरियर लगा होने के कारण यह 30 नम्बर का जो प्रैक्टिकल है यह मजबूर

करता है अभिभावकों और छात्रों को शिक्षक के पास निजी ट्यूशन के लिए। आप कृपया मेरे इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे दीजिए।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विनियमन अध्यादेश–2002 की धारा–7 के तहत् इसमें बहुत से प्रावधान हैं। अगर कहीं कोई सरकारी टीचर या कर्मचारी कोचिंग सेंटर में संलिप्त पाये जाते हैं तो उन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना सीधे–सीधे लगाया जा सकता है। कोई भी शिक्षक या कर्मचारी कहीं भी कोचिंग सेंटर स्थापित नहीं करेगा, न ही कोई कोचिंग चलायेगा, न अनुश्रवण करेगा, न प्रबन्धन और अनुश्रवण करायेगा। यथास्थिति अध्यापक कर्मचारी के रूप में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारिश्रमिक या फीस स्वीकार नहीं करेगा। इस अध्यादेश में सीधा–सीधा यह आदेश है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, बीच–बीच में जांचें होती रहती हैं जैसी कि मा0 सदस्य की जिज्ञासा भी है उसके अनुरूप जांचें हुई हैं। सक्षम अधिकारी किसी भी कोचिंग स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं और कोचिंग केन्द्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसकी सक्षम अधिकारी के द्वारा अपेक्षा की जाए। इस धारा के अनुसार सक्षम अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो उसने निरीक्षण किया।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

ऐसे ही हैं क्या करें, आप भी ऐसे घुमायेंगे दोनों बराबर हैं। मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का सवाल सीधा है कि क्या जो कोचिंग अधिनियम बना था उसके अन्तर्गत जांच कराकर आप उन अध्यापकों के खिलाफ, जो कोचिंग चला रहे हैं क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दूसरा सवाल यह है कि 30 प्रतिशत जो प्रेक्टिकल के नम्बर हैं उसको समाप्त करेंगे। मा0 मंत्री जी, आप इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, अध्यापक या कर्मचारी, अध्यापक या कर्मचारी...

(भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि इसमें कर्मचारी से कोई मतलब ही नहीं है।)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, पहले आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

श्री महबूब अली–

चलिये, कर्मचारी छोड़ दीजिए, अध्यापक की ही बात करते हैं। अध्यापक को धारा–7 की उपधारा (1) में जो दण्ड का प्राविधान है उसके तहत सीधे 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य का जो प्रश्न है वह यह है कि जो अध्यापक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं क्या उसकी जांच कराकर इसके अंतर्गत कार्यवाई करेंगे ?

श्री महबूब अली–

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास विचाराधीन नहीं है, अगर कोई शिकायत होगी तो आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि पिछले वर्ष में क्या आपके पास पूरे प्रदेश में प्राइवेट ट्यूशन एवं कोचिंग सेण्टर चलाने की कितनी शिकायतें आयी हैं ? यह बता दें।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी है न ही इस तरह की कोई शिकायत हमारे विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का कहना है कि कोई शिकायत नहीं आयी है। आप शिकायत लिख करके दे दीजिए, माननीय मंत्री जी जॉच करा लेंगें और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई करा देंगे।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, इसकी पूरे प्रदेश में सघन जांच करायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

प्रदेश में अनुदानित बेसिक व जूनियर विद्यालयों में सरकारी खर्चे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की सरकार की योजना

'03–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदानित बेसिक व जूनियर विद्यालयों में सरकारी खर्चे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की तरफ इंगित करता है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे इसलिए मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि बायोमीट्रिक डिवाइस की व्यवस्था करा दें। मैंने एक दिन समाचार–पत्रों में पढ़ा कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे पर विचार हो रहा है इसलिए मैंने यह सवाल लगाया है। मान्यवर, हम भी चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे

क्योंकि गरीब लोग सीधे–सीधे वहां पर जा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सीधा–सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगायेंगे नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, सी0सी0टी0वी0 कैमरे से होता यह कि लोगों को पता चल जाता कि कैमरा लगा है तो वह पढ़ाते, कम से कम टीचर्स की उपस्थिति और उनकी जो 'वे आफ एजुकेशन' है वह पता चल जाता, बी0एस0ए0 को अपने कार्यालय में बैठे–बैठे पता चल जाता। मान्यवर, यह उद्देश्य है इस सवाल का। तो अगर सी0सी0टी0वी0 कैमरे नहीं लगायेंगें तो क्या बायोमीट्रिक डिवाइस प्रदेश के हर विद्यालय में लगायेंगे ताकि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

श्री रामगोबिन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी खन्ना जी का प्रश्न बहुत बढ़िया है। हम भी इस विषय में जब से सरकार ने हमको यह जिम्मेदारी दी है हम भी इस बात के लिए हमेशा चिन्तित रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जा सके। प्राथमिक शिक्षा में इतना भारी भरकम खर्च हो रहा है उसका इतना अच्छा फल नहीं मिल रहा है क्या उपाय किया जाय। अध्यक्ष जी आपको याद होगा कि मैंने पहले सत्र में भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की थी इसमें बहुत खर्चा आ रहा है। आपने केवल सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए पूछा है तो इसमें इतना खर्चा आ रहा है कि हमारे पास उतना संसाधन नहीं है। बायोमीट्रिक प्रणाली के बारे में आपने जो कहा उसमें भी इतना खर्चा आ रहा है मैं सब निकलवाकर दिखवा चुका हूं। इतना संसाधन भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आज ही मैंने अपने अधिकारियों से बायोमीट्रिक सिस्टम के बारे में पूछा है यह बजट पांच या छह हजार का है। हमने अधिकारियों से इस बारे में भी चर्चा की थी कि जब तक संसाधन उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक क्या हम जिस संसाधन से मिड–डे–मील की गुणवत्ता और संख्या की जांच कराते हैं कि किस स्कूल में कितने बच्चे खाना खाए उसी संस्था से हम टीचर्स की उपस्थिति प्राप्त करें वह संस्था प्रतिदिन टीचर्स की उपस्थिति हेडक्वार्टर को करे। हम इस पर घनघोर चिन्तन कर रहे हैं चाहे सी0सी0टी0वी0 कैमरा हो या बायोमीट्रिक प्रणाली हो चाहे मिड–डे–मील की परख हम करवाते हैं वह व्यवस्था हो हम आपकी बात से सहमत हैं सी0सी0टी0वी0 तो नहीं लेकिन निश्चित रूप में हम कोई न कोई योजना लागू करेंगे जिससे सत प्रतिशत टीचर्स की उपस्थिति रोज हेड क्वार्टर पर आए।

प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बाहर चिन्हित किये गये बच्चों की संख्या में आगरा जनपद की स्थिति की जानकारी तथा गैर सहायतित निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में समाज के आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को आधारभूत सुविधा मुहैय्या कराना

'4–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बाहर है तथा जनपद आगरा में यह स्थिति क्या है ? क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने हेतु अध्यापकों के रिक्त पदों को

शीघ्र भरते हुए आधारभूत सुविधा मुहैया कराये जाने तक समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये निजी स्कूलों में आरक्षित की गयी सीटों को शत–प्रतिशत भरे जाने की कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वर्ष 2014–15 में कराये गये हाउस होल्ड सर्वे में प्रदेश में कुल 40505 बच्चे विद्यालय से बाहर चिन्हित किये गये हैं तथा जनपद आगरा में 1706 बच्चे विद्यालय से बाहर चिन्हित किये गये हैं।

जी हां।

अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा गैर सहायतित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–1 में कक्षा की कुल सीट संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश के लिये अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को विनिर्दिष्ट कर परिभाषित किया जा चुका है।

अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को विनिर्दिष्ट करने के साथ–साथ आस–पास के पड़ोसी असहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उक्त बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–3087(1)/78–5–2012–29/09टी0सी0–11 दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

गैर सहायतित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने की स्थिति में फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासनादेश संख्या–538/79–6–2013 दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा की जा चुकी है।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/33577–926/2014–15 दिनांक 06 जनवरी, 2015 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को असेवित वार्डों का चिन्हांकन कर बच्चों के गैर सहायतित निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेशित कराने के विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा बेसिक शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामगोबिन्द चौधरी–

मान्यवर, बेसिक और माध्यमिक दोनों लोग अगल–बगल हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है दोनों एक दूसरे की मदद कर दिया करें। कभी कभी संकट आ जाता है।

(माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा आधा उत्तर पढ़े जाने पर)

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी आधा उत्तर पढ़ा है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

उत्तर का दूसरा पृष्ठ रह गया है मैं पूरा उत्तर पढ़े दे रहा हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है पूरे प्रदेश में 40,505 बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। यानि कि इतने बच्चे अभी भी शिक्षा के लिये स्कूलों में नहीं जा रहे हैं और केवल आगरा में यह सख्या 1706 है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हर साल यह सर्वे करवाया जाता है कि कितने बच्चे स्कूल मे नामांकन से वंचित रह गये। जो हम दिखलाये हैं प्रदेश में, आगरा में, इन बच्चों का नामिनेशन करवाया जा चुका है लेकिन चूंकि यह सर्वे हर साल होता है। यह हमारे विभाग का प्रयास है कि एक भी ऐसा बच्चा न हो जिसका नामांकन प्राथमिक स्कूल में न कराया जा सके। यह सतत् प्रक्रिया चालू है और कोई भी ऐसा बच्चा जो स्कूल न गया हो और उम्र बढ़ गई हो तो अगर उसकी उम्र कक्षा पांच की है तो उसका एडमीशन कक्षा 5 में कराकर के उसको पूरी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हम हर साल सर्वे करवाते हैं और जो भी इस तरह के बच्चे आते हैं, उनका हम एडमीशन करवाते हैं और उम्र के हिसाब से जिस कक्षा में होना चाहिए उसमें एडमीशन करवाते हैं और शिक्षा से सुसम्पन्न करवाते हैं। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं आप ही के बगल में कुशीनगर में, मुसहर जाति के लोग जो होते हैं जो आज यहां कल वहां रहते हैं। हमारे टीचर्स ने इनका सर्वे किया और उनके बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाया और जिलाधिकारी से बात करके जिलाधिकारी को उस स्कूल में ले गये। इस तरह से इनके बच्चों का नाम तो स्कूल में लिख गया और वह पढ़ने लगे उनके अभिभावकों को आवास मुहैय्या डी0एम0 के माध्यम से करा दिये गये। तो यह एक सतत् प्रक्रिया है। हर साल हम सर्वे करवाते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनका हम एडमीशन करवाकर उनको पढ़ाई करवाते हैं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 25 परसेन्ट वाले आदेश पर काफी बहस भी हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी सख्या बहुत कम है। एक साल में 5 एडमीशन हुए और दूसरे साल में 108 एडमीशन हुए। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई विशेष अभियान चलाकर यह जो 25 परसेन्ट का नियम है जो सरकार का, उसके अन्तर्गत प्रवेश दिलवाने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो बात आ गई है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जहां प्राइमरी, जूनियर स्कूल न हों और उसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले बच्चे, एड्स से पीड़ित माता–पिता के बच्चों, निशक्त बच्चों की ही व्यवस्था है। माननीय सदस्यों को लगता है कि इस 25 परसेन्ट में किसी भी वर्ग के बच्चों का एडमीशन करवा देना। ऐसा नहीं है। जो कैटेगिरी है उसी कैटेगिरी में 25 परसेन्ट उनको देना है। हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाये हुए हैं और इसका लाभ उस कैटेगिरी के हर बच्चे को मिलेगा।

प्रदेश में गो–वध को रोके जाने की सरकार की ठोस नीति

'05–श्री सतीश महाना–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो–वंश जाति के पशुओं का अवैध कटान होने के कारण उनकी संख्या लगातार कम होती चली जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ठोस नीति बनाकर गो–वंश का अवैध कटान करने वालों पर कड़ा कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी नहीं।

गो–वंशीय पशुओं की संख्या में कमी नहीं हो रही है अपितु पशु गणना के अनुसार वर्ष 2007 में 190.97 लाख गो–वंशीय पशु ये जो वर्ष 2012 में बढ़कर 205.66 लाख हो गये हैं।

प्रदेश में पूर्व से ही उ0 प्र0 गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 (यथा संशोधित) लागू है जिसके अन्तर्गत गो–वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। इस सम्बन्ध में कड़ाई से कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2015 द्वारा उ0 प्र0 गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के उल्लंघन में संलिप्तता के अपराधों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत लाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पिछले विधान सभा के सत्र में भी आया था लेकिन इस प्रश्न को दोबारा लगाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जब यह प्रश्न आया था उसके बाद से और ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आईं। मान्यवर इसमें जवाब में लिखा है कि वर्ष 2007 में 190.97 लाख गो–वंशीय पशु थे जो वर्ष 2012 में बढ़कर 205.66 लाख हो गये हैं। पांच साल की अवधि में ह्यूमेन पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी होगी गो–वंश की पॉपुलेशन कम बढ़ी होगी। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से गो–वंश का कटान हो रहा है। इसीलिए शायद पांच वर्ष में इसकी गणना की जाती होगी बाईचांस 2013–14 में गणना नहीं हुई होगी दो सालों के

अन्दर कमी आई होगी। क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इनके पास सूचना होगी कि 2013–14 में कितनी कमी गो–वंश में आई है या गो–वंश कितने बढ़े हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि विगत वर्ष में 2014 में गो–वध के अवैध कटान की कितनी एफ0आई0आर0 और कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, जहां तक गणना का सवाल है यह पांच वर्ष पर होती है तो 2017 में इसकी रिपोर्ट आएगी लेकिन आपने जो कहा कि पशुओं की कटान बड़े पैमाने पर हो रही है पशुओं की संख्या घट रही है। आपको जानकारी होगी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कामधेनू योजना चलाई जा रही है लगातार मीडिया, अखबारों में सब जगह और आप भी अपने क्षेत्र में जाते होंगे लगातार कामधेनू योजना की चर्चा होती है। माननीय अध्यक्ष जी 2012 के बाद मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि एक लाख लीटर एक्स्ट्रा दूध का लक्ष्य है और पांच लाख लीटर एक्स्ट्रा दूध का लक्ष्य 2017 तक का है। इस बार हमने 96 हजार लीटर दूध एक्स्ट्रा पैदा करना शुरू कर दिया यह टारगेट 2017 में बीस लाख लीटर का हो जाएगा। यह बड़ी उपलब्धि होगी। (मेंजें थपथपाई गईं) दूसरी चीज आपने कहा था कितने अपराध पंजीकृत हुए हैं तो यह सरकार 2012 में आई है तो पंजीकृत अपराध 3655 और अभियुक्तों की संख्या 8217 और जो पशु बचाए गए उनकी संख्या 42,528 है और 2013 में पंजीकृत अपराध 5012 और अभियुक्तों की संख्या 11346 और बचाए गए पशु 62 हजार 423 इसी तरह से 2014 में जो रिपोर्ट हमारे पास आई है 4400 अपराध कायम हुए और 8206 अभियुक्तों की संख्या है और बचाए गए पशु 41,126 हैं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर एक तरफ यह कह रहे हैं कि 8206 अभियुक्तों की संख्या है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने सब बता तो दिया है।

श्री सतीश महाना–

एक बात और पूछना चाहता हूं। मान्यवर, एक वर्ष में 3600 एक वर्ष में 5000 एक वर्ष में 4400 इस तरह से मुकदमें कायम हुए। इसका मतलब कहीं न कहीं अवैध कटान हो रहा है तभी तो मुकदमें पंजीकृत हुए हैं अगर अवैध कटान न होते तो मुकदमें पंजीकृत क्यों होते। दूसरी बात मान्यवर मैंने दूध के बारे में तो पूछा नहीं था और यह दूध के बारे में बता रहे थे। अगर मैं दूध के बारे में पूछूंगा कि कितना अवैध दूध बन रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह अलग बात है।

श्री सतीश महाना–

मैंने यह पूछा नहीं था अगर दूध की बात होगी तो मैं पूछूंगा कि कितना अवैध दूध बन रहा है कितना नकली दूध बन रहा है। माननीय अध्यक्ष जी,यह बात माननीय

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अवैध कटान भारी मात्रा में हो रहे हैं और तभी मुकदमें पंजीकृत हुए हैं। तभी लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। मान्यवर, एक–एक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत मैं हर हफ्ते उस पर कोट कर रहा हूं कानपुर के थाना चकेरी के अन्तर्गत एक हफ्ते में तीन–तीन बार सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की कटान होती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या मा0 मंत्री जी ऐसे लोग जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाई गई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देंगे ताकि यह संदेश जाए कि अगले साल कुछ कम कटान हो।

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, पहला जो इन्होंने कहा कि दूध के बारे में मंत्री जी ने बता दिया जो आपकी चिन्ता थी कि यदि आप इस सदन में बोल रहे हैं तो यह पूरे प्रदेश और पूरे देश की चिन्ता है। जो कटान के विषय में आपने कहा कि गौ की संख्या घट रही है। इसलिये मैंने इनको बताया कि आप चिन्ता मत करिये। आगे बड़े पैमाने पर हम उत्तर प्रदेश के बाहर से पशु ला रहे हैं इससे पशुओं की संख्या बढ़ रही है और ये सारे आंकड़े मेरे पास हैं। इसीलिये दूध पर मैंने बोल दिया अन्यथा इस पर बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। दूसरा आपने कहा कि इस सम्बन्ध में कड़ा कानून लागू करेंगे। अगर हमारा कानून कड़ा न होता और हम कार्रवाई न करते तो इतने अपराध कहां से पंजीकृत होते और इतने लोगों को हम कैसे मुल्जिम बना पाते और इसके साथ–साथ इस सदन में मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ गैंगेस्टर तक की कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

प्रदेश में 12वीं तक संचालित निजी स्कूल की बढ़ाई जा रही फीस का अंकुश लगाकर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग

'06–श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रविन्द्र भड़ाना तथा डा0 अरुण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 12वीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

शासनादेश संख्या–1719/15–7–2009–10 (107)/2006, दिनांक 29 जून, 2009 द्वारा प्रदेश में स्थित आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) में फीस निर्धारण एवं नियमन की व्यवस्था की गयी है, किन्तु उक्त शासनादेश को कतिपय विद्यालयों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती देकर स्थगित करा लिया गया है। सम्प्रति प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मैंने आई0सी0एस0ई0 और सी0बी0एस0ई0 के बारे में जानकारी नहीं ली थी और यह कि मा0

उच्च न्यायालय में विषय विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जो प्राईवेट तथा प्रबन्ध समिति स्कूल वाले लोग उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्ट गए हैं के संबंध में क्या सरकार की ओर से कोई प्रयास किया गया है। दूसरा यह कि निजी स्कूलों में जो बारहवीं तक की फीस है वह प्रत्येक स्कूल में समान रूप से निर्धारित हो। क्या मा0 मंत्री जी इस संबंध में कोई कानून बनाएंगे ?

श्री महबूब अली–

मान्यवर, फीस निर्धारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है और उस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दे दिया गया है। सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, लेकिन वह अंतरिम आदेश है जो अभी तक चल रहा है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह विषय केवल माध्यमिक शिक्षा का नहीं है। मेरा प्रश्न है कि जो निजी और प्राईवेट स्कूल हैं उसका इस प्रकार से बाजारीकरण कर दिया गया है तो शुरू से अर्थात प्री–नर्सरी और नर्सरी से लेकर माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में भी पूरी तरह से धांधली व्याप्त है। प्रत्येक निजी स्कूल में मनमानी फीस अभिवावकों पर थोप दी जाती है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। अभिवावकों से अनाप–शनाप फीस ली जाती है। एडमिशन के नाम पर लूट है और केवल निजी स्कूल ही नहीं जो मेडिकल और पैरामेडिकल हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तात्पर्य केवल माध्यमिक शिक्षा से नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि जो निजी विद्यालय हैं और जो निजी विद्यालय उत्तर प्रदेश के अन्दर लूट मचा रहे हैं, आखिर इनको लूट मचाने की छूट किस प्रकार से दी जा सकती है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर, मेडिकल और पैरा मेडिकल में जो लूट हो रही है। मान्यवर, एम0बी0बी0एस0 में मेरठ स्थित सुभारती में इतनी अधिक फीस ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह उससे सम्बन्धित नहीं है, उसके लिए दूसरा चिकित्सा शिक्षा विभाग है और यह माध्यमिक शिक्षा विभाग है।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

अध्यक्ष जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह निजी विद्यालय हैं, अगर इनसे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ति नहीं हो रही है, शिक्षा देना आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे जो गरीब और निर्धन लोग हैं, व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनके बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिल सके, सीट बढ़ाने का या कालेजेज खोलने का सरकार प्रयत्न करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल और उसका जवाब पढ़ लीजिए। इसमें पूछा गया है कि प्रदेश में 12वीं तक संचालित होने वाले निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? इससे सम्बन्धित आप प्रश्न पूछिए।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरे प्रश्न को इस दूसरे प्रश्न में जोड़ दिया गया है, मेरा प्रश्न थोड़ा भिन्न था। मेरा प्रश्न न तो केवल बेसिक से जुड़ा है, न माध्यमिक से और न उच्च शिक्षा से। मान्यवर, इन शिक्षा माफियाओं ने उत्तर प्रदेश के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय सदस्य, आप बैठिए, मैं आपकी बात समझ गया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी चिन्ता पूरे शिक्षा विभाग से है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा अर्थात् पूरे शिक्षा विभाग से है। इसके पहले भी मैंने मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी के सवाल पर जवाब दिया था कि मैंने खुद अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल के लोग अभिभावकों से इतना ज्यादा फीस ले रहे हैं, पहले तो वह बड़ी खुशी से वहां पढ़ाते थे कि चलो हमारा लड़का बढ़िया से पढ़ जायेगा, लेकिन वहां टीचर तो योग्य हैं नहीं, टीचर तो योग्य हमारे में हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने निर्देश दिया है और माननीय सदस्य के इस प्रश्न के बाद हम माध्यमिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री बैठ करके विचार करेंगे, इनका कहना सही भी है कि शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया है। इस पर रोक लगाने का भरसक हम लोग प्रयास करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि इस पर रोक लगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, उत्तर आ गया।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की वर्ष 2015 की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने हेतु प्रभावी नीति

'07–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यू0पी0 बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने हेतु कोई प्रभावी नीति बनाकर आगामी वर्ष 2015 में होने वाली परीक्षा में लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की वर्ष 2015 की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने हेतु प्रभावी नीति बनायी गयी है, इस सम्बन्ध में जनपदों में तैनात अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाये जाने तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत किये गये हैं, उक्त के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को केन्द्र की सीमा के भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते

हुए परीक्षाओं के सुचारु निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिये मण्डलवार सचल दल का गठन भी किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न सं0–7

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि विगत अनेक वर्षों से यह परीक्षा का सेण्टर जो है, वह एक इन्डस्ट्री का रूप लेती जा रही है और पढ़ाना–लिखाना कम और अपना सेण्टर चाहे जो चिन्हित हो गया हो या ब्लैक लिस्टेड हो गया हो, पूरी गणित शिक्षा विभाग से मिल–मिला करके और किसी भी प्रकार से सेण्टर बनवा लिया जाए और आज भी यह धन्धा चालू है। अध्यक्ष जी भूमिका में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार की मंशा है किसी भी सरकार की कि अच्छी गुणवत्ता हो जो पढ़ने–लिखने वाले लड़के हों वो योग्य निकलें वो आगे भी जा सके लेकिन इस धंधे ने पूरे शिक्षा जगत को चौपट कर दिया है और अगर मा0 मंत्री जी यह कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है सब दुरूस्त है तो इसका प्रमाण प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और जितने भी मीडिया है वह सब चीख–चीख के कह रहे हैं कि किस प्रकार नकल हो रही है तो मेरा आशय था कि इन सब चीजों को रोकने के लिए क्या कोई और प्रभावी व्यवस्था जो प्रभावी थी उससे ईतर आप व्यवस्था करने जा रहे हैं जैसा कि अभी सुरेश खन्ना जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष–

अब आपने जो प्रश्न पूछा इन्होंने सारी प्रणाली पढ़ कर आपको सुना दी अब और क्या नई प्रणाली आपको बताएं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर मैं कहीं स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूं तो आप कृपया स्पष्ट कर दें। मेरा आशय यह है कि जो भी आपकी प्रणाली लागू है उससे यह नकल विहीन होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो क्या इससे ईतर इस बार समाजवादी सरकार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं उन्होंने कोई अपने प्रयास से ऐसी विधि का ईजाद किया है और उसे लागू किया है कि ऐसे उद्योग चलाने वालों पर रोक लगे और जो लड़के पढ़ें वहीं पास हों।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी क्या आपने जो प्रणाली बताई है क्या इससे ईतर भी कोई और प्रणाली लायेंगे कि जिससे नकल न हो सके। यही आपका मूल प्रश्न है।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर–शराबे की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(शोर–शराबे के मध्य)

श्री महबूब अली–

मान्यवर पहले इतने सालों की अपेक्षा इतनी सख्त कार्यवाही इसमें की गई है। नकल तो नहीं हो रही है यह तो पूरा प्रदेश जानता है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिए पहले इनका उत्तर सुन लें। बताइए मंत्री जी।

(शोर शराबा जारी रहा)

श्री महबूब अली–

मान्यवर पहली सरकारों की अपेक्षा इसमें सख्त कार्यवाही की गई है। मा0 सदस्य यह सही है कि आप उम्र से भी और अनुभव से भी ज्यादा है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नकल एक ऐसी बीमारी है जो हमारा लक्ष्य है हमारी सरकार का लक्ष्य है आज का नौजवान जो कल का हिन्दुस्तान है कल का हिन्दुस्तान तब अच्छा हो सकता है जब आज का नौजवान पढ़े और पठन–पाठन के माध्यम से पाठशालाओं में पढ़े। इसलिए आप अपने–आप महसूस करते होंगे कि इस साल नकल पर बेपनाह सख्ती की गई है। इसमें सारे डी0एम0 और अधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिये गये हैं। इसमें बड़े पैमाने पर कार्यवाही भी की गई है। इसके अलावा स्टेटिंग आफिसर भी लगाये गये हैं। जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें एक स्टेटिंग अफसर लगातार तीन घण्टे बैठेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर शराबा उत्पन्न हो गया। शोर शराबे के मध्य)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह तय कर लिया है कि सरकार के मंत्रि–मण्डल के सदस्यों के अलावा उनके परिवार के अलावा कोई और नकल नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बात कहां ले जा रहे हो। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है। नकल कराने वाले पकड़े भी जा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का बयान समाचार–पत्रों में पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। 112 केन्द्रों के निर्धारण को लेकर। मा0 मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक बयान दिया है कि 112 केन्द्र ऐसे निर्धारित हो गये जो नहीं होने चाहिए थे। मा0 मुख्य मंत्री के निर्देश पर सीधे प्रमुख सचिव ने यह निर्धारित कर दिया है मैं नहीं जानता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि वह 112 परीक्षा केन्द्र कौन से है।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न का उत्तर यह कहां से लाये होंगे। इस सवाल में वह सूचना कहां होगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

यह सीधे नकल का सवाल है। मा0 अध्यक्ष जी, आपको संरक्षण देना चाहिए। मा0 मंत्री जी को यह बताना चाहिए कि वह कौन से केन्द्र है। बोलिये ना।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर उत्पन्न हो गया। शोर शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप शांति स्थापित करिये। आप शांत रहे। अब बैठ जायें। मैं खड़ा हूं तो बैठ तो जाओ। देखिये आपने सवाल पूछा जो इससे सम्बन्धित है उसका आप जवाब ले लीजिये। मूल प्रश्न है जैसे दादा ने कहा कि आपने प्रक्रिया अपनायी इससे अलग कोई प्रक्रिया है और आप इससे अलग पूछ रहे हैं कि 112 सेन्टर हैं उसमें तो सूचना होगी नहीं। नहीं आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सवाल इन्हीं का है।

श्री अध्यक्ष–

अब चलिये, मा0 दलवीर सिंह जी आप पूछिये तो। भई आप सब हल्ला करेंगे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न ही अप्रासंगिक है। आप प्रश्न पढ़ें। अगले वर्ष 2015 लिखा है। यह सवाल ही अप्रासंगिक है। आप प्रश्न पढ़ें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं अप्रसांगिक नहीं है। वह सही है। लिखा है 2015 तो 2015 का बोर्ड परीक्षा हो रहा है। उसी में वह सही है। दादा, अखिलेश जी बैठ जायें।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इसी में अतारांकित प्रश्न संख्या–21 है।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था के प्रश्न में उठाइये न।

श्री दलवीर सिंह–

व्यवस्था के प्रश्न में ही उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी कहां, अभी बजट पेश हो जाये उसके बाद उठाइये। अब आप बैठ जाइये।

श्री दलवीर सिंह–

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013–14 की बोर्ड परीक्षा के फार्मों में गड़बड़ी हुयी। 10 करोड़ रुपये की हेरा–फेरी हुयी।

(शोर–शराबा जारी)

श्री अध्यक्ष–

यह क्या है, इससे सम्बन्धित सवाल नहीं है ना।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(शोर के मध्य)

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में 10 करोड़ की हेरा–फेरी हुई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपको और मा0 मंत्री जी को एक साथ बैठा कर वार्ता करा देंगे, आप लोग बात कर लीजिएगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं देने दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

पूछ लीजिए, अगर उत्तर देना चाहते हैं तो दें, किसी ने उत्तर देने से रोका नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में आने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीट पर बैठ जांय, आज बजट का दिन है, परम्परा मत तोड़िये। यह अच्छी बात नहीं है। अब बजट पेश होने जा रहा है, टाईम हो गया है। बजट हो जाने दीजिए।

प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की रोक के लिये ठोस कार्य योजना तथा उस पर अमल किया जाना

'08–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की दर देश के सापेक्ष क्या है ? कुपोषण को दूर करने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या उस योजना का ग्रामीण स्तर तक सरकार के मानकानुसार पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005–06 में करवाये गये नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे ख्छथ्थै-3, के अनुसार 05 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण की दर राष्ट्रीय स्तर पर 43 प्रतिशत तथा प्रदेश स्तर पर 42.4 प्रतिशत है।

जी हां। प्रदेश में बच्चों के कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान के लिये राज्य सरकार द्वारा ''राज्य पोषण मिशन'' का गठन किया गया है, जो कार्यशील है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न उच्च स्तरीय समितियां गठित की गयी है। तथा मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन की तैनाती की गयी है। राज्य पोषण मिशन का विजन डाक्यूमेंट एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें वेबसाइट ीजजचरूध्प्पबके नचूमइण्वतहधीपदकपध्तंरलं.चवेंदी.जउस पर उपलब्ध है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

अभी मा0 मुख्य मंत्री जी आये नहीं हैं, तब तक अगला प्रश्न श्री सुरेश राणा जी का है, इसको ले लेते हैं।

(मा0 मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य मा0 मुख्य मंत्री के सदन में आगमन पर मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

अब 12.20 हो गया है, प्रश्नों का समय समाप्त।

'09–श्री सुरेश राणा

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु चालू की गई कामधेनु योजना प्रारम्भ होने से वर्ष 2012 से अब तक बढ़ा दुग्ध का उत्पादन की जानकारी जिलेवार इकाइयों को स्थापित कराने की मांग

'10–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये कौन–कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं ? क्या यह सही है कि दूध बढ़ाने के लिये कामधेनु योजना का प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 2012 से अब तक प्रदेश में शुरू योजनान्तर्गत कुल कितनी डेयरियों की स्थापना की गयी एवं उससे कितना दुग्ध उत्पादन बढ़ा ? क्या सरकार जिलावार स्थापित इकाइयों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न योजनायें संचालित है :–

1–कृत्रिम गर्भाधान की योजना।

2–पशु/भैसों में अनुर्वरता बांझपन निवारण की योजना।

3–कामधेनु एवं मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना।

जी हां। 100 दुधारू (गाय/भैंस) पशुओं की कामधेनु डेयरी इकाइयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना का प्रारम्भ माह जून, 2013 में किया गया एवं 50 दुधारू (गाय/भैंस) पशुओं की मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की ब्याज मुक्त ऋण योजना का प्रारम्भ माह नवम्बर, 2013 में किया गया।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

31 मार्च, 2015 तक प्रदेश में 425 कामधेनु डेयरी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। 31 जनवरी, 2015 तक 81 इकाइयां क्रियाशील हो गई हैं जिनसे प्रतिदिन लगभग 50500 लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन हो रहा है।

31 मार्च, 2015 तक प्रदेश में मिनी कामधेनु डेयरी योजना की 2500 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। 31 जनवरी, 2015 तक 174 मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयां क्रियाशील हो गई हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 46000 लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन हो रहा है।

जिलावार सूचना संलग्न है।[४]

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में तृतीय–लिंगीय (थर्ड जेण्डर) बच्चों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना

'11–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में तृतीय–लिंगीय (थर्ड जेण्डर) बच्चों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो उक्त के अनुपालन में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 जून, 2014 द्वारा संदर्भगत विषय पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं,

---

† ¼nsf[k;s uRFkh ^d* vkxs i`"B 186&189 ij½

जिसके अनुपालन में प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त यथोचित आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की सरकार की योजना

'12–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

जी हां।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं एवं इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामों में सरकार द्वारा पेयजल हेतु सोलर पम्प लगाने व उन ग्रामों के चयन हेतु सरकार की योजना की जानकारी

'13–श्री पंकज गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामों में सरकार द्वारा पेयजल हेतु सोलर पम्प लगाने व उन ग्रामों के चयन हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10000 से अधिक आबादी वाले ग्राम, गुणता प्रभावित ग्राम एवं जनसहभागिता प्रदान करने वाले ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्थापना हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

उक्त प्राथमिकता के अन्तर्गत प्रस्तावित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित ग्रामों में विद्युत उपलब्ध नहीं होने अथवा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में वहां सोलर ऊर्जा आधारित पम्पिंग प्लान्ट लगाये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प पर सोलर ऊर्जा आधारित पम्पिंग प्लान्ट लगाये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थित दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने विषयक

01–श्री मनीष असीजा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थित दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

02–डा0 अरुण कुमार–

खदिनांक 23–2–2015 को अता0प्र0सं0–99 द्वारा उत्तरित,

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम–बेल्तुला में पुरानी 2 कि0मी0 झील को जलकुम्भी से मुक्त कराकर साफ–सफाई करना

03–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम–बेल्तुला में पुरानी 2 कि0मी0 झील जो ग्राम समाज की है जिसमें हजारों जानवर नहाते व पानी पीते हैं तथा मौसम के अनुसार जल पहाड़ी चिड़िया प्रवास करती है, की सफाई न होने से कुम्भी नामक पत्तों से तालाब घिर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनरेगा के अन्तर्गत उक्त तालाब की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी नहीं।

मनरेगा योजनान्तर्गत झील के घास की सफाई का कार्य अनुमन्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दैनिक पारिश्रमिक रुपये 120.00 से मंहगाई को देखते हुए और बढ़ाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

04–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी–2–701/दस–2010–301/ 85–टी0सी0, दिनांक 26–08–10 के तहत प्रदेश में दैनिक वेतन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जा रहे दैनिक पारिश्रमिक रुपये 120.00 को बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत बढ़ाये जाने विषयक डा0 रीता बहुगुणा जोशी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19–06–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1/2015/जी–2–23/दस–2015–301/85टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा समूह 'ख' के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर रु0 120/– प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 170/– प्रतिदिन कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जल निगम फिरोजाबाद की वित्तीय वर्ष 2007–2008 व 2008–2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल टंकियों के निर्माण कराये जाने की जानकारी

05–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जल निगम फिरोजाबाद की वित्तीय वर्ष 2007–2008 व 2008–2009 में ग्राम प्रधान पेयजल योजना के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 पेयजल टंकियों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं स्थलों की संख्या का विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। ग्राम प्रधान पेयजल योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की 126 बस्तियों में 163 स्थलों पर टी0टी0एस0पी0 टंकियों के निर्माण हेतु धनराशि रु0 962.72 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त 163 नग टी0टी0एस0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 टंकियों के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में जल निगम फिरोजाबाद को ग्राम विकास विभाग को दी गई धनराशि के अनुसार लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची की जानकारी

06–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में जल निगम फिरोजाबाद को ग्राम विकास विभाग द्वारा 1704 नवीन हैण्डपम्प लगाने हेतु धनराशि दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जल निगम द्वारा उक्त हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनके स्थलों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में ग्राम विकास विभाग द्वारा कुल 1704 नग नवीन हैण्डपम्पों हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से जल निगम फिरोजाबाद को 1534 नग नवीन हैण्डपम्पों एवं यू0पी0 स्टेट एग्रो फिरोजाबाद को 170 नग नवीन हैण्डपम्पों हेतु धनराशि दी गयी थी।

जी हां। जल निगम फिरोजाबाद को सौंपे गये समस्त 1534 नग नवीन हैण्डपम्प जल निगम द्वारा अधिष्ठापित करा दिये गये हैं।

जी हां।

स्थलों की सूची माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया के गांव टोडूपुरा एवं सराय जाजो में टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत लगी पानी की टंकी खराब, ठीक कराने की मांग

07–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैंया के गांव टोडूपुरा एवं सराय जाजो में टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत लगी पानी की टंकी विगत दो वर्षों से खराब है जिससे क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों को ठीक कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

अस्थाई रूप से खराब 05 टी0टी0एस0पी0 दिनांक 31–03–2015 तक तथा 01 स्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को दिनांक 15–04–2015 तक ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड सैया में प्राथमिक विद्यालय पीलू की शाला ग्राम पंचायत मुखरई में खराब हैण्डपम्प को ठीक कराने की मांग

08–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के वि0ख0–सैया में प्राथमिक विद्यालय पीलू की शाला ग्राम पंचायत मुखरई में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प विगत 1 वर्ष से खराब होने के कारण बच्चों को पीने की पानी की काफी गंभीर समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2013 एवं 2014 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या, टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण में वंचितों को भी उपलब्ध कराने विषयक

09–श्री सतीश महाना–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 एवं 2014 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं की कुल कितनी संख्या है एवं इनमें से कितनों को टैबलेट एवं लैपटॉप वितरित किया गया है ? क्या वंचित छात्र–छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैबलेट एवं लैपटॉप उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट
2013	28,86,379	23,62,262
2014	28,90,695	28,10,992

वर्ष 2013 में लैपटाप का वितरण नहीं किया गया। वर्ष 2012 में अवशेष बचे लैपटाप में से वर्ष 2014 में हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्र/छात्राओं को लैपटाप वितरित कर सम्मानित किया जा रहा है।

जनपद कासगंज की विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहनपुर कस्बा में राजकीय विद्यालय खोले जाने की मांग

10–श्री ममतेश शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर जनपद कासगंज के अन्तर्गत मोहनपुर कस्बा में राजकीय विद्यालय न होने के कारण वहां

के छात्र–छात्राओं को काफी दूरी पर पढ़ाई करने जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में राजकीय विद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आलापुर की विभिन्न तहसीलों में फुटकर व थोक विक्रेता स्टाम्प विक्रेताओं को लाइसेन्स देने में आरक्षण का ध्यान दिया जाना

11–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर की विभिन्न तहसीलों में कितने फुटकर व थोक स्टाम्प विक्रेताओं को लाइसेंस तहसीलवार किन–किन लोगों को दिया गया है ? क्या उसमें मानक के अनुसार आरक्षण को पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो आरक्षण का ध्यान रखते हुए आरक्षित वर्ग के लोगों को थोक व फुटकर स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जनपद अम्बेडकर नगर की विभिन्न तहसीलों में स्टाम्प विक्रेताओं की संख्या निम्नवत् है :–

तहसील अकबरपुर–70

तहसील टाण्डा–21

तहसील जलालपुर–49

तहसील आलापुर–21

तहसील भीटी–23

उक्त तहसीलों में कुल 184 व्यक्तियों को लाइसेन्स दिया गया है।

आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कासगंज, ग्राम पंचायत–नवाबगंज में नगला खार में कच्चे नाले को पक्का कराये जाने की मांग

12–श्री ममतेश शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद–कासगंज के अन्तर्गत ग्राम नगला खार, ग्राम पं0 नबाबगंज, वि0ख0–सहावर का गंदा कच्चा नाला होने तथा पानी का निकास सही न होने के कारण गंदा पानी इक्टठा होता रहता है जिससे वहां रहने वाले क्षेत्रीय लोगों को अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले को पक्का कराकर पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

ग्राम पंचायत–नवाबगंज में नगला खार के नाम से मजरा है, जिसमें नाला होने के कारण थोड़ा पानी भर जाता है। बीमारी के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव तरबगंज, गोण्डा में सहायक अध्यापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में सचिव, बेसिक शिक्षा को ने0वि0 दल का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव तरबगंज, गोण्डा में सहायक अध्यापकों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र 1162/ने0वि0द0/2014, 13–11–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रकरण की जांच वित्त नियंत्रक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव तरबगंज, गोण्डा में सहायक अध्यापक एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों के सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

14–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनगांव तरबगंज, गोण्डा में सहायक अध्यापक एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों के सेवानिवृत्तिक लाभों एवं पेंशन तथा देयक भुगतानों के अवरूद्धीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 05482354, दिनांक 22–07–2014, पत्रांक पी0जी0 05482354,/लो0शि0 पर दर्ज उन्हें

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

प्रकरण की जांच वित्त नियंत्रक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0सी0डी0एफ0 के नियंत्रण में चल रहे पराग दूध एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रदेश में विस्तार करने की योजना की जानकारी

15–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0सी0डी0एफ0 के नियंत्रण में चल रहे पराग दूध एवं दूध उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और पूरे प्रदेश में उसका विस्तार करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास विभाग मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

जी हां।

पी0सी0डी0एफ0 के नियंत्रण में कार्यरत 59 दुग्ध संघों द्वारा प्रतिष्ठित पराग ब्रान्ड नेम के अन्तर्गत निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु ग्रामीण अंचल में स्थित दुग्ध सहकारी समितियों से उपार्जित दुग्ध की गुणवत्ता, दुग्धशाला स्तर पर हाईजनिक अवस्था में इसके प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों के उत्पादन एवं पैकिंग में सुधार हेतु निम्न मुख्य कार्य किये गये हैं :–

1–समितियों पर दुग्ध परीक्षण हेतु आधुनिक उपकरण जैसे ए0एम0सी0यू0/डी0पी0एम0सी0यू0 एवं अपमिश्रण जांच हेतु स्ट्रिप/किट तथा उपार्जित दुग्ध की गुणवत्ता मेन्टेन करने हेतु दुग्ध को शीघ्रातिशीघ्र ठंडा करने हेतु बल्क मिल्क कूलर की व्यवस्था की गयी है।

2–दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार हेतु बी0आई0एस0 मानकों के अन्तर्गत आई0एस0ओ0 प्रमाणित पशु आहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित पराग पशु आहार दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

3–नये खाद्य अधिनियम ''खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006'' के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप हाईजनिक अवस्था में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के प्रसंस्करण एवं पैकिंग हेतु विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता से दुग्धशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

4–नये खाद्य अधिनियम ''खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006'' के अन्तर्गत निर्धारित मानकों पर अनुपालन कर समस्त दुग्ध संघों द्वारा खाद्य लाइसेन्स प्राप्त कर ही दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है।

5–निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु दुग्ध संघ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, वाराणसी एवं पराग डेरी, नोएडा को आई0एस0ओ0 लाइसेन्स प्राप्त कराये जाने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

6–समस्त दुग्ध संघ स्तर पर निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के उद्देश्य से आवश्यक गुणवत्ता जांच करने हेतु प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकृत किया गया है।

7–उपभोक्ताओं में पराग दुग्ध उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से एगमार्क लाइसेन्स के अन्तर्गत टेबल बटर तथा बी0आई0एस0 लाइसेन्स के अन्तर्गत स्किम्ड मिल्क पाउडर/मिल्क पाउडर का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति को रोकने की प्रभावी कार्यवाही

16–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 इलाहाबाद की परीक्षाओं को नकल विहीन सम्पन्न कराये जाने एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति के निर्मूलन हेतु सतत् प्रतिबद्ध है, जिसके लिये शासन स्तर से विभिन्न शासनादेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका अनुपालन दृढ़ता से किया जा रहा है।

17–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

खदिनांक 19–02–2015 को अता0प्र0सं0–78 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था करने की मांग

18–श्री सुरेश राणा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के जू0 हाई स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जू0 हाई स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

प्रदेश में वर्ष 2013–14 के डायस डाटा के अनुसार 597 जूनियर हाई स्कूलों में बालिकाओं के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र–नूरपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पेयजल की व्यवस्था विषयक

19–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र–नूरपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब से शुरू किया जायेगा ? क्या सरकार पेयजल के गंभीर संकट को दूर करने के लिए पेयजल पाईप लाईन योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित 02 ग्रामीण पेयजल योजनाओं (1) ताजपुर ग्राम पेयजल योजना एवं (2) मकसूदपुर ग्राम पेयजल योजना का अनुरक्षण उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है एवं 08 ग्रामीण योजनाओं का अनुरक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुण्डाखुर्द (गुणता प्रभावित) ग्राम पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है। 04 ग्रामीण योजनाएं क्रमशः जुझेला, मुत्सेपुर, पूरनपुर नगला एवं काजमपुर ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में 3199 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनसे ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

शासन की नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम गुणता प्रभावित ग्राम एवं जनसहभागिता प्रदान करने वाले ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिड–डे मील मानक के अनुरूप उपलब्ध न कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही किया जाना

20–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिड–डे मील के वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में कितने नमूने लिए गये एवं इनमें से कितने नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मानक के अनुरूप मिड–डे मील उपलब्ध न कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में मिड–डे मील के 701 नमूने लिये गये, जिनमें से 30 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये।

जनपद बदायूं में मानक के अनुरूप मिड–डे मील उपलब्ध न कराने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत के विरुद्ध जिलाधिकारी स्तर से वसूली की कार्यवाही की गयी।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में संस्था के भुगतान में 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए संस्था का अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया।

जनपद–हरदोई में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा संस्था के विरुद्ध मा0 सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–अलीगढ़ में वर्ष 2013–14 की बोर्ड परीक्षा के फार्मों की गड़बड़ी की जांच हेतु गठित समिति की जांच आख्या के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

21–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2014 के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–45 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में वर्ष 2013–14 की बोर्ड परीक्षा के फार्मों की गड़बड़ी की जांच हेतु गठित समिति की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जनपद–अलीगढ़ में वर्ष 2013–14 की बोर्ड परीक्षा के फार्मों की गड़बड़ी की जांच हेतु श्री त्रियुग नाथ, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रगति पर है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा के विकास खण्ड–भरथना व कुअरा के ग्राम–हाजीपुर व विरोधी के निवासीगणों को बी0पी0एल0 2002 सूची में चयनित लाभार्थियों को आवास हेतु धन उपलब्ध कराना

22–श्री तसलीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इटावा के विकास खण्ड–भरथना व कुअरा के ग्राम–हाजीपुर व विरोधी के निवासीगणों का प्रार्थना–पत्र दि0 23–09–14 व दि0 05–12–14 जो बी0पी0एल 2002 सूची में चयनित लाभार्थियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लाभार्थियों को इन्दिरा आवास/लोहिया आवास के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

1–ग्राम हाजीपुर विकास खण्ड भरथना, जनपद इटावा के निवासी श्री करन सिंह के पिता श्री दर्शन सिंह का नाम बी0पी0एल0 सूची–2002 में आई0डी0 क्रमांक–8311 पर दर्ज है जिनके पास पक्का मकान है उन्हीं के साथ ही श्री करन सिंह रहते हैं, आवास के लिये अपात्र हैं। श्री दिनेश कुमार, गिर्राज किशोर व श्री अवधेश सगे भाई हैं जिनके पिता श्री शिवदयाल का नाम बी0पी0एल0 सूची–2002 में आई0डी0 क्रमांक–8276 पर दर्ज है। जिनके पास पक्का मकान है उसी में तीनों भाई रह रहे हैं, अतः आवास के लिये अपात्र हैं।

2–श्री महेश्वरी पुत्र श्री सुखवासी लाल निवासी ग्राम बिरौधी का नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है और इनका पक्का मकान भी है, जो अपात्र हैं। श्री कुलदीप पुत्र श्री कुबेर शंकर निवासी ग्राम बिरौधी का नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है। श्री कुबेर शंकर का नाम बी0पी0एल0 सूची–2002 में आई0डी0 क्रमांक–17246 पर दर्ज है, इन्हें वर्ष 2003–04 में इन्दिरा आवास दिया जा चुका है। अतः यह इन्दिरा आवास के अपात्र हैं।

उपरोक्त ग्रामों में लोहिया ग्रामीण आवास नहीं दिये जा सकते हैं। लोहिया आवास केवल लोहिया ग्रामों में ही दिये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त ग्राम लोहिया ग्राम नहीं है।

जनपद–अलीगढ़ के विकास खण्ड–जवां के अन्तर्गत ग्राम–सूरजपुर में पात्रता सूची में चयनित लाभार्थियों को इन्दिरा आवास/लोहिया आवास के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना

23–श्री तसलीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के विकास खण्ड–जवां के अन्तर्गत ग्राम–सूरजपुर में दिनांक 19–08–2013 को पात्रता सूची में

चयनित लाभार्थियों को इन्दिरा आवास/लोहिया आवास के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड जवां के अन्तर्गत ग्राम सूरजपुर में दिनांक 14–3–2013 को ग्राम पंचायत सूरजपुर की खुली बैठक बुलाई गई थी जिसमें लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 06 लाभार्थियों का चयन किया गया था किन्तु सूरजपुर ग्राम लोहिया ग्राम चयनित न होने के फलस्वरूप आवास निर्माण हेतु धनराशि नहीं दी गई। साथ ही साथ सूची में दर्शाये गये लाभार्थियों के नाम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गई स्थाई पात्रता सूची में नाम न होने के फलस्वरूप इन्झिरा आवास योजना के अन्तर्गत भी लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद–औरेया के विकास खण्ड–अजीतमल के ग्राम–उम्मेद का पुरवा के निवासीगणों का प्रार्थना–पत्र इन्दिरा/लोहिया आवास निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री तसलीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–औरेया के विकास खण्ड–अजीतमल के ग्राम–उम्मेद का पुरवा के निवासीगणों का प्रार्थना–पत्र दिनांक 15–12–14 जो बी0पी0एल0 2002 सूची में चयनित लाभार्थियों को आवास दिये जाने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो लाभार्थियों को इन्दिरा आवास/लोहिया आवास के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद औरेया के विकास खण्ड अजीतमल के ग्राम–उम्मेद का पुरवा नाम का कोई ग्राम नहीं है। ग्राम उम्मेद का पुरवा विकास खण्ड औरैया की ग्राम पंचायत उद्यमपुर का मजरा है।

ग्राम पंचायत उद्यमपुर के मजरा उम्मेद का पुरवा के निवासीगणों का प्रार्थना–पत्र दिनांक 15–12–2014 बी0पी0एल0 सूची में चयनित लाभार्थियों को आवास दिये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित 05 आवेदकों में से श्रीमती कमला पत्नी श्री ईश्वर दयाल को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में आवास आवंटित किया जा चुका है। शेष 04 आवेदकों में से श्रीमती रामदेवी एवं चन्द्रपाल पति–पत्नी हैं इनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित न होने के कारण इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा शासन द्वारा लोहिया आवास केवल डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित लोहिया ग्रामों में ही आवंटित किये जा रहे हैं। ऐसी दशा में श्रीमती रामदेवी पत्नी चन्द्रपाल को आवास आवंटित करना

सम्भव नहीं है। सरोज पत्नी बलराम एवं शिवपाल पुत्र बलराम का पक्का आवास निर्मित होने के कारण योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।

जनपद–फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास विभाग में केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किये जाने विषयक जानकारी

25–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जल निगम फिरोजाबाद को वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, एवं 2013–14 में ग्राम प्रधान पेयजल योजना के अन्तर्गत टी0टी0एस0पी0 पेयजल टंकियों के निर्माण के लिए कितनी–कितनी धनराशि दी गयी और उनके स्थानों की संख्या तथा नाम क्या हैं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त से टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं। ग्राम प्रधान पेयजल योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

ग्राम्य विकास विभाग में केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, एवं 2013–14 में योजनावार, वर्षवार स्वीकृत धनराशि एवं स्थानों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाते हुए निर्मित की गयी टी0टी0एस0पी0 के स्थलों की सूची मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–

टी0टी0एस0पी0 योजना का नाम	खण्ड को प्राप्त धनराशि का विवरण वर्षवार					स्थानों की संख्या
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	
1	2	3	4	5	6	7
126 बस्ती	213.94	534.84	–	–	–	163
130 बस्ती	–	–	410.15	147.65	262.50	130
106 बस्ती	–	–	551.63	100.74	–	106
46 बस्ती	–	–	145.13	52.245	92.885	46
55 बस्ती	–	–	173.53	62.47	111.05	55
62 बस्ती	–	–	195.61	70.42	125.19	62
17 बस्ती	–	147.54	–	22.81	–	24
102 बस्ती	–	–	123.94	592.25	–	102
64 बस्ती	–	–	77.77	371.60	–	64

योग :	**213.94**	**682.38**	**1677.76**	**1420.185**	**591.625**	**752**

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत संस्कृत अध्यापकों को त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला वेतनमान

26–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत संस्कृत अध्यापकों को त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला वेतनमान अब नहीं दिया जा रहा है ? संस्कृत अध्यापकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्कृत अध्यापकों के समस्त देयकों (वेतन) का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जी नहीं, अन्य अध्यापकों की भांति त्रिभाषा (संस्कृत) अध्यापकों के वेतन का भुगतान भी सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से वहन किये जाने की व्यवस्था विहित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विशेष अपील संख्या–1287/2009 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्रीमती अनीता त्यागी में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09–08–2010 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1518/79–6–2010, दिनांक 07–10–2010 द्वारा त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत एक त्रिभाषा शिक्षक के वेतन भुगतान हेतु अनुदान देने की नीति को समाप्त कर दिया गया है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में जल निगम/यू0पी0 स्टेट एग्रो बहराइच द्वारा अधिष्ठापित किये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रि–बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में जल निगम/यू0पी0 स्टेट एग्रो बहराइच द्वारा अधिष्ठापित किये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रि–बोरिंग कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी जनपद–बहराइच को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5 नं0 232936/6944 तथा सं0 क–5 नं0 232926/6948, दिनांक 18–06–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुदानित व सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को प्रति वर्ष कोर्स की किताबें दिये जाने में किया गया खर्च का विवरण

28–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदानित व सरकारी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों को कितने–कितने रुपये की प्रति वर्ष कोर्स की किताबें अनुमन्य हैं तथा वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु आवंटित धन से प्रति बच्चा कितना–कितना धन इस पर खर्च किया गया तथा इस अवधि में भारत सरकार से कितना–कितना धन मिला ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भारत सरकार से किताबों के मद में मिली संपूर्ण धनराशि की किताबें क्रय करके बच्चों को बांट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

अनुदानित व सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को 150 रुपये तथा अनुदानित व सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के बच्चों के लिये 250 रुपये की प्रतिवर्ष कोर्स की किताबें अनुमन्य हैं।

वर्ष 2013–14 में आवंटित धन से प्रति बच्चा खर्च किया गया धन निम्नवत् है :–

कक्षा–1 रु0 40.16

कक्षा–2 रु0 52.52

कक्षा–3 रु0 74.64

कक्षा–4 रु0 100.64

कक्षा–5 रु0 106.80

कक्षा–6 रु0 193.50

कक्षा–7 रु0 164.89

कक्षा–8 रु0 174.68

वर्ष 2014–15 में आवंटित धन से प्रति बच्चा खर्च किया गया धन निम्नवत् है :–

कक्षा–1 रु0 42.13

कक्षा–2 रु0 55.10

कक्षा–3 रु0 88.12

कक्षा–4 रु0 114.89

कक्षा–5 रु0 123.63

कक्षा–6 रु0 194.37

कक्षा–7 रु0 153.51

कक्षा–8 रु0 172.02

भारत सरकार से वर्ष 2013–14 में रु0 25202.26 लाख एवं 2014–15 में रु0 19946.804 लाख धनराशि प्राप्त हुई।

भारत सरकार से किताबों के मद में मिली सम्पूर्ण धनराशि के अन्तर्गत वास्तविक व्यय के आधार पर किताबें क्रय करके बच्चों को बांट दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धता में स्थापित माध्यमिक विद्यालय कुल्हीपुर फर्जी छात्रों की संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति, ड्रेस, किताब और मिड–डे मील के धन का भुगतान का प्रकरण/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

29–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धता में स्थापित माध्यमिक विद्यालय कुल्हीपुर में विगत कई वर्षों से विद्यालय में एक भी छात्र न होने के बावजूद फर्जी छात्र संख्या दिखकर छात्रवृत्ति, ड्रेस, किताब और मिड–डे मील के धन का भुगतान किया जा रहा था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर विद्यालय के दोषियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, विकास खण्ड–सदर, विकास खण्ड–सड़वा चन्द्रिका के कई ग्राम–सभाओं में खारे पानी तथा जल स्तर के कारण खराब पड़े हैण्डपम्पों की स्थिति को देखते हुए पेयजल हेतु टंकी की स्थापना करने विषयक

30–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विकास खण्ड–लक्ष्मणपुर, विकास खण्ड–सदर, विकास खण्ड–सड़वा चन्द्रिका के कई ग्राम–सभाओं में खारे पानी और अति निम्न जल स्तर की वजह से इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प की पाइप जंग लगने से कुछ महीनों में ही खराब हो जाती है ? जिससे उक्त ग्राम–सभाओं में घोर पेयजल संकट है ? क्या सरकार ऐसी ग्राम–सभाओं को चिहिन्त

कराकर पेयजल हेतु पेयजल टंकी स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में कराये गये सर्वे में जनपद की 524 बस्तियां गुणता प्रभावित घोषित की गई थीं। विकास खण्ड लक्ष्मणपुर, सदर एवं सण्डवा चन्द्रिका जो कि डार्क जोन में आते हैं व इनमें भू–गर्भ जल का स्तर काफी नीचे है, में उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर खारे पानी से दूषित बस्तियों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	खारे पानी से दूषित बस्तियों की संख्या
1	सण्डवा चन्द्रिका	01
2	सदर	02
3	लक्ष्मणपुर	00

यद्यपि कि उपरोक्त बस्तियों में पेयजल आपूर्ति हेतु निर्धारित मानकानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं परन्तु खारे पानी की अधिकता होने पर इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों में जंग लग जाता है। अतः उपरोक्त तीनों बस्तियों में खारे पानी की समस्या के स्थाई समाधान हेतु पाइप पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त 03 बस्तियों की स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 01 पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति चालू करा दी गयी है, अवशेष 02 बस्तियों की पेयजल योजनाएं वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्त तक पूर्ण कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम सभा सुदामा, तह0 इगलास में स्वच्छ पेयजल योजनान्तर्गत टंकी निर्माण की सरकार की योजना की जानकारी

31–श्री त्रिलोकीराम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के ग्राम सभा सुदामा तह0 इगलास में स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा टंकी निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

मार्च, 2017 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण रोगों से बचने हेतु स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना

32–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण ग्रामीण जनता अनेकों प्रकार के रोगों का शिकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के आर्सेनिक प्रभावित 05 विकास खण्डों की 165 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना अथवा अत्यधिक गहरे इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में लाभार्थियों को स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने के कारण अपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु भुगतान की मांग

33–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण इन्दिरा आवासों की सूची उपलब्ध कराते हुये उन्हें पूर्ण कराने हेतु दूसरी किश्त भी जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 2011–12 में 12194 एवं 2012–13 में 8720 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए थे, स्वीकृत सभी आवासों पर द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। कोई भी आवास द्वितीय किश्त न मिलने के कारण अपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में लघु सिंचाई योजना का लाभ किसानों को दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

34–डा0 अरूण कुमार–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में लघु सिंचाई योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2014–15 में किसानों को दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–270508 दिनांक 19–09–2014 अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी हां।

वर्ष 2014–15 सितम्बर, 2014 तक जनपद बरेली में कुल 855 निःशुल्क बोरिंग कराई गई, जिसकी विकास खण्डवार सूची सहायक अभियन्ता, बरेली के पत्रांक सं0–1076/ल0सिं0/कार्य0/ नि0बो0/सूची/14–15, दिनांक 18–10–2014 द्वारा मा0 विधायक जी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अकोला घड़ी हरदयाल, सहारा नानपुरा पचगाई खेड़ा कुण्डौल, खाल खलौआ आदि गांवों में खारे पानी की समस्या के कारण पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने विषयक

35–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अकोला घड़ी हरदयाल, सहारा नानपुरा पचगाई खेड़ा कुण्डौल, खाल खलौआ मनकेड़ा सिकन्दरपुर गांवों में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में लोगों के पीने योग्य पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ग्राम–अकोला घड़ी हरदयाल की पेयजल योजना की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है। सहारा पेयजल योजना ग्राम सभा को हस्तगत है, इस योजना के नलकूप के पम्पिंग प्लान्ट के पार्ट्स की चोरी होने के कारण योजना बन्द है, किन्तु ग्राम में स्थापित टी0टी0एस0पी0 एवं हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नानपुर की योजना में नलकूप से सीधे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पचगाई खेड़ा में टी0टी0एस0पी0 और हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजलापूर्ति की जा रही है। कुण्डौल हेतु पेयजल योजना 1979–80 में निर्मित की गयी थी जिसके एक नलकूप से पेयजलापूर्ति की जा रही है तथा योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है। ग्राम खाल तथा खलौआ में टी0टी0एस0पी0 और हैण्डपम्प द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम मनकेड़ा और

सिकन्दरपुर में पेयजल योजना से आंशिक जलापूर्ति तथा टी0टी0एस0पी0 व हैण्डपम्प से जलापूर्ति हो रही है।

उपरोक्तानुसार योजना का पुनर्गठन कर माह मार्च, 2016 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

36–श्री काली चरन सुमन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल व पेयजल सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल व पेयजल की व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बरौली अहीर, विचपुरी एवं अकोला में कुल 297 प्राथमिक विद्यालयों में से 268 में बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध है तथा 29 में बाउण्ड्रीवाल नहीं है, जबकि 123 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 100 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल उपलब्ध है तथा 23 में बाउण्ड्रीवाल नहीं है।

इस क्षेत्र के 20 प्राथमिक एवं 21 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है परन्तु पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रकार सभी विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है।

सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2015–16 में भारत सरकार से बाउण्ड्रीवाल एवं पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत सरकार से उपरोक्त की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खेरागढ़ में विकास खण्ड जगनेर, ग्राम पंचायत रिछोहा के गांव तुर्कपुरा में पीने के पानी की बड़ी टंकी की व्यवस्था हेतु पानी की टंकी की स्थापना कराया जाना

37–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खेरागढ़ में वि0ख0–जगनेर ग्राम पंचायत रिछोहा के गांव तुर्कपुरा में पीने के पानी की बड़ी टंकी की बोरिंग फेल होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे गांव के लोगों को पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकी की जांच कराकर टंकी से जलापूर्ति कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं, नलकूप अस्थाई रूप से खराब है। ग्राम में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की जा रही है।

जी हां।

माह जून, 2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण पूर्ण कराये बिना भुगतान की जांच कराकर अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाना

38–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वर्ष 2013–14, 2014–15 में लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण पूर्ण कराये बिना ही भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

जी नहीं। जनपद सोनभद्र के वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 24–24 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित ग्रामों में से वर्ष 2013–14 में 21 तथा वर्ष 2014–15 में 06 ग्रामों में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य पूर्ण कराया गया है जिसके सापेक्ष ही धनराशि का भुगतान किया गया है।

वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में चयनित ग्रामों में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। अतः उक्त कार्यों की जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है। वर्ष 2013–14 में 03 एवं वर्ष 2014–15 में 18 अवशेष चयनित ग्रामों में निर्माण कार्य धनराशि की उपलब्धता पर पूर्ण कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के सिरौली–अलीगंज–रम्पुरा मार्ग जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कराया गया, निर्माण के तुरन्त बाद खराब हो जाने की जांच कराकर ठीक कराने की मांग

39–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के सिरौली–अलीगंज–रम्पुरा मार्ग जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कराया गया था, निर्माण के तुरन्त बाद खराब हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्नगत सिरौली–अलीगंज–रम्पुरा मार्ग (कुल लम्बाई 40.10 कि0मी0) का उच्चीकरण निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–6 व 7 में कराया गया था। मार्ग का निर्माण वर्ष 2009–2011 के मध्य पूर्ण कराया गया है। निर्माण/उच्चीकरण के दौरान मार्ग की गुणवत्ता का निरीक्षण विभिन्न तिथियों दिनांक 19–09–2008, दिनांक 23–06–2009, दिनांक 17–07–2009, दिनांक 24–12–2009, दिनांक 28–03–2010, दिनांक 13–03–2011 तथा दिनांक 12–03–2013 को स्टेट क्वालिटी मानीटर्स तथा नेशनल क्वालिटी मानीटर्स द्वारा किया गया है और उनके द्वारा निरीक्षणों में प्रश्नगत मार्ग की अधोमानक गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

मार्ग की गुणवत्ता का निरीक्षण राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी मानीटर्स तथा प्रदेश स्तर के स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा किया जा चुका है और गुणवत्ता विषयक कोई प्रतिकूल टिप्पणी न होने के कारण पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने की सरकार की योजना

40–श्री मनीष असीजा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मेरठ दक्षिण के गगोल गांव में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

41–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण के गगोल गांव में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु सरकार ने जिला पशु चिकित्साधिकारी मेरठ को संस्तुति दी है तथा ग्राम सभा ने जगह भी उपलब्ध करा दी है ? यदि हां, तो यहां पशु चिकित्सालय कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय मानक पूर्ण न होने के कारण।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था जनपदवार कराये जाने की जानकारी

42–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2012 के पहले मंगलवार को पूछे गये प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0–155 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था जनपदवार करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

1–सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचारी मद में भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है जो भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमित धनराशि के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप में लागू किया गया है।

2–75 जनपदों में यह योजना लागू है तथा जनपदों में से प्राप्त सूचना के अनुसार कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम से आच्छादित 7828 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 670 कम्प्यूटर अक्रियाशील हैं, 1261 कम्प्यूटर अन्यत्र स्थानों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत लगे हैं तथा 162 कम्प्यूटर चोरी हो गये हैं जिसके लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

3–उपरोक्तानुसार अन्यत्र स्थानों पर लगे कम्प्यूटरों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित कराने तथा अक्रियाशील कम्प्यूटरों को यथा सम्भव क्रियाशील कराने एवं उपरोक्त विवरण को अद्यावधिक एवं सत्यापित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने के लिये जनपदों को निर्देशित किया गया है।

4–कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों से कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद तहसील रूदौली कस्बा सैदपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कराये जाने का प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

43–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील रूदौली कस्बा सैदपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कराये जाने का प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर में दर्ज सं0 पी0जी0 10545762 सी0एम0/वि0को0/एम0/पीजी–10545762/ 2014 दिनांक 19–11–2014 प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 05–01–2015 द्वारा निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय को उक्त पत्र में उल्लिखित स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में महानिदेशक द्वारा महाप्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आपातकाल में मीसा में निरुद्ध रहे राजनैतिक बन्दियों को प्रदेश सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी माने जाने के कारण सम्मान पेंशन राशि बढ़ाये जाने पर सरकार का विचार

44–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में मीसा में निरुद्ध रहे राजनैतिक बन्दियों को, जिन्हें प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी माना हैं, की सम्मान पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

जी हां।

आपातकालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत निरुद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को वर्तमान में दी जा रही मासिक सम्मान राशि में वृद्धि करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ऐसे आवास विहीन गरीब लोगों को आवास देने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

45–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले ऐसे आवास विहीन गरीब लोग जो बी0पी0एल0 एवं लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं है, को आवास देने हेतु सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन गरीब परिवारों हेतु वर्तमान में दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्दिरा आवास योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश/25 प्रतिशत राज्यांश) एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजना। इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास विहीन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी0पी0एल0) परिवार हैं उन सभी को स्थायी प्रतीक्षा सूची में

सम्मिलित कर प्राथमिकता के अनुसार सभी ग्रामों में आवास आवंटन की व्यवस्था है। इसी प्रकार लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत प्रथमतः समग्र गांवों को संतृप्त कर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार अन्य गांवों को भी आवास आवंटन की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी सहित प्रदेश में स्थित राजकीय महिला इण्टर कालेजों में जहां शौचालय नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हैं, में शौचालयों का निर्माण/मरम्मत कराया जाना

46–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी सहित प्रदेश में स्थित राजकीय महिला इण्टर कालेजों में जहां शौचालय नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हैं, में शौचालयों का निर्माण/मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ई0डी0पी0 संवर्ग का प्रथम स्तर एवं आशुलिपिक संवर्ग स्तर प्रथम का वेतनमान विसंगति का प्रकरण ई0डी0पी0 संवर्ग का ग्रेट पे बढ़ाकर विषमता दूर करने की मांग

47–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ई0डी0पी0 संवर्ग का प्रथम स्तर (डाटा इन्ट्री आपरेटर ग्रेड–ए) एवं आशुलिपिक संवर्ग स्तर प्रथम का वेतनमान पंचम वेतनामन में एक समान था, किन्तु षष्टम् वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार आशुलिपिक ग्रेड–ए संवर्ग का ग्रेड पे–2800/–एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर ग्रेड–ए का ग्रेड पे–2400/– कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि ई0डी0पी0 संवर्ग की प्राविधिक अर्हताएं भी आशुलिपिक संवर्ग से उच्चतर है ? यदि हां, तो क्या सरकार ई0डी0पी0 संवर्ग का ग्रेड पे बढ़कर 2800/–करके विषमता दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

दोनों संवर्गों की अर्हतायें उनके कार्य एवं दायित्व के अनुसार निर्धारित की गयी हैं। ई0डी0पी0 संवर्ग की अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी0ओ0ई0 'ओ' स्तर प्रमाण–पत्र के साथ इण्टरमीडिएट तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी में क्रमशः 25/40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति

निर्धारित है, जबकि प्रथम स्तर के आशुलिपिक पद की अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट निर्धारित है तथा कम्प्यूटर में सी0सी0सी0 का प्रमाण–पत्र निर्धारित है। उक्त दोनों संवर्गों की अर्हताएं आपस में तुलनीय नहीं हैं।

जी नहीं।

ई0डी0पी0 संवर्ग में वेतनमान का निर्धारण भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर किया गया है। अतः आपसी सापेक्षता के आधार पर वेतनमान निर्धारण का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में दैनिक वेतन के समूह ग एवं समूह घ कर्मचारियों को दिये जा रहे दैनिक पारिश्रमिक बढ़ाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (सामान्य अनुभाग–2, के शासनादेश संख्या–जी0–2–701/दस–2010–301/85– टी0सी0 दिनांक 26–08–2010 के तहत प्रदेश में दैनिक वेतन के समूह ग एव समूह घ कर्मचारियों को दिये जा रहे दैनिक पारिश्रमिक रुपये–120.00 एवं 140.00 को बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत बढ़ाये जाने विषयक डा0 रीता बहुगुणा जोशी–सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19–06–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1/2015/जी–2–23/दस–2015–301/85 टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2015 द्वारा समूह ग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर रु0 140/– प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 200/– प्रतिदिन तथा समूह घ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दर रु0 120/– प्रतिदिन से बढ़ाकर रु0 170/– प्रतिदिन कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत स्थित ग्रामों के पशुओं में खुरपका, मुहपका रोगों के कारण हो रही मौतों को रोकने की सरकार की योजना

49–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0–निगोही के अन्तर्गत स्थित ग्रामों के पशुओं में खुरपका, मुहपका रोगों से पशुओं की अत्याधिक मौते हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुओं में फैले उक्त रोगों की रोकथाम हेतु कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं।

खुरपका–मुहपका रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत कटिया बुजुर्ग से करनापुर तक कच्चे मार्ग का निर्माण कराने विषयक

50–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के वि0 ख0 सिधौली के अन्तर्गत कटिया बुजुर्ग से करनापुर तक कच्चे मार्ग का सरकार निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत कटिया बुजुर्ग से करनापुर तक कच्चे मार्ग का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009–10 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तेरा द्वारा कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत न्याय पंचायतवार पशुओं की बीमारी को रोकने हेतु चिकित्सालयों का निर्माण कराने विषयक

51–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0–निगोही के अन्तर्गत न्याय पंचायतवार पशुओं की बीमारी को रोकने हेतु सरकार पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

पशु चिकित्सालय का निर्माण पशु संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। न्याय पंचायतवार पशु चिकित्सालय के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया द्वारा क्रय की गयी भूमि के स्टाम्प शुल्क भुगतान में हुई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया द्वारा क्रय की गयी भूमि के स्टाम्प शुल्क भुगतान में हुई अनियमितता की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/क–5नं0–196905/182/13, दिनांक 24–04–2013 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

प्रकरण में स्टाम्प कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व जनपद बहराइच द्वारा जांचोपरान्त स्टाम्प शुल्क की कमी नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक जवां के ग्राम नगला भूरे खां नगला कोठी, नाई नगला एवं हिम्मतपुर में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने सम्बन्धी

53–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक जवां के ग्राम नगला भूरे खां नगला कोठी, नाई नगला एवं हिम्मतपुर में प्राथमिक स्कूल नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्कूल स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

ग्राम नगला भूरे खां एवं नगला कोठी, विकास खण्ड धनीपुर में तथा ग्राम नाई नगला एवं हिम्मतपुर विकास खण्ड जवां में अवस्थित है।

ग्राम नगला भूरे खां (मजरा छिड़ावली) ब्लाक धनीपुर एवं ग्राम हिम्मतपुर, ब्लाक जवां में वर्ष 2011–12 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये परन्तु ग्राम सभा की निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण इन विद्यालयों का स्थल परितर्वन अन्य असेवित बस्ती में किया गया है। भूमि उपलब्ध न होने के कारण इन दोनों ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है।

ग्राम नगला नाई विकास खण्ड जवां की निकटतम प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ी विकास खण्ड जवयां से दूरी 800 मीटर, आबादी लगभग 250 एवं नगला कोठी विकास खण्ड धनीपुर की निकटतम प्राथमिक विद्यालय नगला ठेकेदार, विकास खण्ड धनीपुर से दूरी 650 मीटर, आबादी लगभग 250 है, जबकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एवं राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु निकटतम प्राथमिक विद्यालय से 1.00 कि0मी0 एवं ग्राम की न्यूनतम 300 की आबादी का मानक निर्धारित है। अतः उक्त दोनों ग्राम मानकानुसार निकटतम प्राथमिक विद्यालय से सेवित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया, विकास खण्ड रेवती के ग्राम भोपालपुर, दतहा, छपरासारी, वशिष्टनगर एवं गोपालनगर गावों में से किसी गांव में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की नीति

54–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड रेवती के ग्राम भोपालपुर, दतहा, छपरासारी, वशिष्टनगर एवं गोपालनगर गावों में से किसी एक गांव में बच्चों के पठन–पाठन हेतु राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महबूब अली–

नये राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई नियमित योजना विभाग में प्रचलित नहीं है। सम्प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार हाई स्कूल खोले जाने की व्यवस्था है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज बैरिया के भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि से कार्य को पूरा कराया जाना

55–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज बैरिया के भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का कितना उपयोग अब तक भवन निर्माण हेतु हो चुका है, कितना शेष है ? क्या यह सही है कि उक्त भवन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महबूब अली–

रु0 31.09 लाख की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। रु0 50.00 लाख की धनराशि शेष है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार पूरे प्रदेश के बेराजगार नवयुवकों को प्रशिक्षित करने का जनपदवार विवरण

56–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये प्रदेश में कौशल विकास मिशन योजना आरम्भ की गयी है ? यदि हां, तो इस योजना से अब तक सरकार द्वारा जिलेवार कितने बेरोजगार नवयुवकों को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा पूरे प्रदेश में दिनांक 09–02–2015 तक कुल 130205 बेरोजगार नवयुवकों को प्रवेशित/प्रशिक्षित किया गया है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न[*] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में ग्राम अलीगंज खटेटा ग्राम शिवपुरी तक का मार्ग को ठीक कराने तथा सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

57–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रम्पुरा से अलीगंज सिरौली, जनपद बरेली मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? यदि हां, तो पी0डब्ल्यू0डी0 बरेली द्वारा मरम्मत का अधिकारियों के द्वारा निर्देश देने के बाद भी ग्राम अलीगंज खटेटा ग्राम शिवपुरी तक का मार्ग ठीक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराते हुये सम्बन्धित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण कार्य हेतु फेज–6 व 7 में स्वीकृत किया गया था। मार्ग का निर्माण वर्ष 2009–2011 के मध्य पूर्ण कराया गया है।

जनपद बरेली में प्रश्नगत मार्ग ''ग्राम रम्पुरा से अलीगंज सिरौली सम्पर्क मार्ग'' (कुल लम्बाई 40.10 कि0मी0) का उच्चीकरण मार्ग की कुल लम्बाई को 5 भागों में विभाजित कर कराया गया है, जिसमें ग्राम अलीगंज खटेटा ग्राम शिवपुरी तक का भाग (कुल लम्बाई 20.00 कि0मी0) भी सम्मिलित है। उक्त भाग का कार्य 02 पैकेजों (पैकेज संख्या यू0पी0 1446, लम्बाई 10.00 किमी0, चैनेज 15.00–24.00 कि0मी0 तथा पैकेज संख्या यू0पी0–1449 लम्बाई 10.00 किमी0, चैनेज 25.00–34.00 कि0मी0) में पूर्ण कराया गया है। पैकेज संख्या–यू0पी0–1446 से सम्बन्धित ठेकेदार मै0 शैलेश कन्स्ट्रक्शन 26/ए, नारायण नगर, एटा द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उक्त मार्ग खण्ड के रख–रखाव में अपेक्षित रुचि न लेने के कारण मार्ग का उक्त भाग (चैनेज 15.00–24.00 कि0मी0) क्षतिग्रस्त हो गया है। पैकेज संख्या–यू0पी0–1449 से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग के अवशेष भाग (चैनेज 25.00–34.00 कि0मी0) का नियमित अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत रख–रखाव किया जा रहा है।

पैकेज संख्या–यू0पी0–1446 से सम्बन्धित ठेकेदार की जमानत धनराशि दिनांक 12–11–2014 को मार्ग के अनुरक्षण कार्य में अपेक्षित रुचि न लेने के कारण जब्त कर

---

[*] ¼nsf[k;s uRFkh ^[k* vkxs i`"B 190&192 ijA½

ली गयी है तथा पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों से ठेकेदार को दिनांक 02–05–2014 से ही डिबार किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोहिया आवासों की चयन प्रक्रिया की जानकारी तथा बी0पी0एल0 कार्डधारकों को लोहिया आवास उपलब्ध कराया जाना

58–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोहिया आवासों की चयन प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी बी0पी0एल0 कार्डधारकों हेतु लोहिया आवास बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। प्रदेश में लोहिया आवासों के चयन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–107/38–4–2013–05 (बजट)/2012, दिनांक 20–2–2013 जारी किया गया है। जिसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार जो आवास विहीन हैं व जिनका नाम बी0पी0एल0 सर्वे 2002 में सूचीबद्ध न होने के कारण वे इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं हैं एवं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु0 36000/– की सीमा तक है, उन्हें क्रमशः चिन्हित करते हुए आरोही क्रम (सबसे कम वार्षिक आय वाले आवास विहीन पात्र व्यक्ति से प्रारम्भ करते हुए आय के बढ़ते क्रम में) से लाभान्वित किये जाने हेतु लोहिया ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है।

शासनादेश दिनांक 20–02–2013 के प्रस्तर–6 के अनुसार आवासों का आवंटन प्रथमतः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अधीन चयनित ग्रामों में किया जाता है। यदि उक्त सभी ग्रामों को संतृप्त करने के बाद भी आवंटन योग्य आवास अवशेष हों तो अन्य ग्रामों का निर्धारण फार्मूले के अनुसार किया जाता है। वर्तमान में उपलब्ध धनराशि केवल लोहिया समग्र ग्रामों को संतृप्त करने के लिये उपलब्ध है। अतः प्रदेश के समस्त बी0पी0एल0 कार्ड धारकों हेतु लोहिया आवास बनवाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में ब्लाकवार खराब पड़े इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों का रि–बोर कराया जाना

59–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में ब्लाकवार खराब इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों को क्या सरकार रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रत्येक विकास खण्डवार 100–100 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों को रि–बोर कराने का लक्ष्य रखा गया है। विधान सभा नूरपुर में विकास खण्ड नूरपुर पूर्ण रूप से एवं विकास खण्ड अल्हेपुर, जलीलपुर एवं बूढ़नपुर के कुछ ग्राम आते हैं। विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में लगभग 200 नग इण्डिया मार्क–प्प हैण्डपम्पों के रि–बोर हेतु लक्ष्य निर्धारित है जिनमें से 140 नग हैण्डपम्प का रि–बोर कार्य कराया जा चुका है तथा अवशेष हैण्डपम्पों के रि–बोर हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त के अतिरिक्त शेष बचे रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों का रि–बोर कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही अन्तर्गत पीने योग्य जल की समस्या देखते हुए क्षेत्र में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्थापित कराने विषयक

60–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही अन्तर्गत पीने योग्य जल की भीषण समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीने योग्य जल हेतु उक्त क्षेत्र में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील आंवला में वर्ष 2009–10 में पी0एम0जी0 एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित रम्पुरा–सिरौली मार्ग गारण्टी समय में खराब होने के कारण मरम्मत कराने का प्रकरण

61–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंवला तहसील, जनपद बरेली में 2009–10 में पी0एम0जी0 एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत निर्मित रम्पुरा–सिरौली मार्ग जो गारण्टी समय में ही खराब हो गया है ? यदि हां, तो सरकार खराब सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रश्नगत रम्पुरा–सिरौली मार्ग जिसका जनपद बरेली की तहसील आंवला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फेज–6 व 7 के अन्तर्गत उच्चीकरण कराया गया था,

की कुल लम्बाई 40.10 कि0मी0 है। मार्ग का निर्माण वर्ष 2009–2011 के मध्य पूर्ण कराया गया है।

मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण इसका कार्य 05 पैकेजों में कुल लम्बाई को विभाजित करते हुए निम्न विवरण के अनुसार कराया गया है :–

(1) पैकेज संख्या–यू0पी0–1444 (चैनेज 0.00 से 7.00 कि0मी0)

(2) पैकेज संख्या–यू0पी0–1445 (चैनेज 8.00 से 14.00 कि0मी0 तक)

(3) पैकेज संख्या–यू0पी0–1446 (चैनेज 15.00 से 24.00 कि0मी0 तक)

(4) पैकेज संख्या–यू0पी0–1449 (चैनेज 25.00 से 34.00 कि0मी0 तक)

(5) पैकेज संख्या–यू0पी0–1450 (चैनेज 35.00 से 40.00 कि0मी0 तक)

पैकेज संख्या–यू0पी0–1444 तथा यू0पी0–1445 की पांच वर्ष की अनुरक्षण पूर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें क्रमशः दिनांक 23–01–2015 तथा 14–01–2015 को लोक निर्माण विभाग को आगे अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित किया जा चुका है। पैकेज संख्या–यू0पी0–1449 से प्रभावित लम्बाई वर्तमान में पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उसका अनुरक्षण कराया जा रहा है तथा कार्य की दशा सन्तोषजनक है। पैकेज संख्या–यू0पी0–1446 (चैनेज 15.00 से 24.00 कि0मी0) तथा यू0पी0–1450 (चैनेज 35.00 से 41.00 कि0मी0) से सम्बन्धित मार्ग खण्ड (लम्बाई 10.00+6.10त्र16.10 कि0मी0) सम्बन्धित ठेकेदारों के अनुरक्षण कार्य न कराये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

जी हां।

पैकेज संख्या–यू0पी0–1446 एवं यू0पी0–1450 से सम्बन्धित ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली गयी है और उक्त मार्ग खण्डों के अनुरक्षण हेतु पुनः आगणन तैयार कर लिया गया है। जिनकी स्वीकृति के उपरान्त मार्ग की क्षतिग्रस्तता की कार्यवाही ठीक कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया को वर्ष 2013–14 व 2014–15 में बोरिंग व पम्पसेट आदि मद स्वीकृत धनराशि की जानकारी तथा अपात्र का पात्र दिखाकर किये गये दुरुपयोग की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाना

62–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया को वर्ष 2013–14 व 2014–15 में कितनी धनराशि फ्री बोरिंग व पम्पसेट आदि मद में स्वीकृत हुई है तथा उसका उपयोग ब्लाक वार कहां–कहां पर खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त मद में बड़े पैमाने पर मिले धनराशि का सही रूप से सदुपयोग नहीं किया गया है और अपात्रों को पात्र दिखाकर उक्त

योजना का लाभ दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पात्र लोगों को उक्त योजना का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज किशोर सिंह–

जनपद बलिया में वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामान्य वर्ग के कृषकों हेतु रु0 36.35 लाख एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों हेतु रु0 20.21 लाख कुल रु0 56.56 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष सामान्य वर्ग के कृषकों की 517 बोरिंग एवं अनुसूचित जाति के कृषकों की 207 बोरिंग विभिन्न विकास खण्डों में कराई गई है। जिस पर प्राप्त धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014–15 में सामान्य वर्ग के कृषकों हेतु रु0 40.48 लाख एवं अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु रु0 17.55 लाख कुल रु0 58.03 लाख धनराशि प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2015 तक सामान्य वर्ग के कृषकों की 419 बोरिंग एवं अनुसूचित जाति के कृषकों की 127 बोरिंग विभिन्न विकास खण्डों में कराई गई, जिसमें सामान्य वर्ग के कृषकों पर रु0 28.40 लाख एवं अनुसूचित जाति के कृषकों पर रु0 10.80 लाख कुल रु0 39.20 लाख व्यय किया जा रहा है। विकास खण्डवार की गयी बोरिंग का विवरण संलग्न† है।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान किये जाने विषयक

63–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में विकलांग बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालयों के छात्रों को चिन्हित किया गया है और यह सुविधा छात्रों को कब से प्राप्त होने लगेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां। प्रदेश के सभी राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के सभी राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को चिन्हित कर सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2012–13 में त्रिभाषा संस्कृत, अंग्रेजी व उर्दू की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रकरण

† ¼nsf[k;s uRFkh ^x* vkxs i`"B 193 ij½

64–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 2012–13 में त्रिभाषा संस्कृत, अंग्रेजी व उर्दू की शिक्षक पात्रता परीक्षा करायी गयी थी जिसमें बी0टी0सी0 तथा मोउल्लिम प्रशिक्षितों को जो टी0ई0टी0 उत्तीर्ण कर लिये थे, में से सरकार द्वारा उर्दू मोउल्लिम प्रशिक्षितों को नियुक्तियां दे दी गयी ? यदि हां, तो सरकार बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बैठे संस्कृत/अंग्रेजी भाषा टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करने वालों को उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में कब तक नियुक्तियां देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति हेतु बी0टी0सी0, उर्दू बी0टी0सी0, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। संस्कृत/अंग्रेजी भाषा हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल भाषा शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। सम्प्रति जिसकी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी के ग्राम मौहम्मदी की पेयजल योजना से ग्राम पहाड़पुर व रतीगयी में दी जाने वाली पेयजल सप्लाई चालू किया जाना

65–श्री राकेश बाबू–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी के ग्राम मौहम्मदी की पेयजल योजना से ग्राम पहाड़पुर व रतीगयी में दी जाने वाली पेयजल सप्लाई बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल सप्लाई चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

पेयजल योजना 28 वर्ष पुरानी है, जिसका पुनर्गठन कार्य प्रगति पर है।

माह दिसम्बर, 2016 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर द्वारा लिखित रूप से हरदोई जनपद में तैनात डी0टी0ओ0 द्वारा की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

66–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती, जनपद कुशीनगर द्वारा लिखित रूप से हरदोई जनपद में तैनात डी0टी0ओ0 द्वारा की जा रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच किये जाने विषयक दिनांक 8–1–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

डा0 पूर्णमासी देहाती मा0 विधायक जनपद कुशीनगर का हरदोई जनपद में तैनात डी0टी0ओ0 द्वारा की जा रही अनियिमतता एवं भ्रष्टाचार की जांच किये जाने विषयक पत्र दिनांक 08–01–2015 वित्त विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। डी0टी0ओ0 उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा का पद नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिसैरी भांड, विकास खण्ड बरौली अहीर में स्थित प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण

67–श्री काली चरन सुमन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिसैरी भांड, विकास खण्ड बरौली अहीर में स्थित प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी न होने के कारण छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिसैरी भांड, विकास खण्ड बरौली अहीर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी पूर्व से निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर, विकास खण्ड बरौली अहीर स्थित प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी का बनाय जाना

68–श्री काली चरन सुमन–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर, विकास खण्ड बरौली अहीर में स्थित प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर, विकास खण्ड बरौली अहीर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल नहीं है।

सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2015–16 में बाउण्ड्रीवाल का प्रस्ताव रखा जा रहा है। भारत सरकार से बाउन्ड्रीवाल हेतु स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त बाउन्ड्रीवाल बनवायी जा सकेगी।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर मिनानी, घड़ी हरलाल नानपुर एवं सहारा गांवों में खारे पानी की समस्या की निजात हेतु पीने योग्य पानी की व्यवस्था कराने की मांग

69–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आगरा की ग्राम पंचायत अकोला, रामनगर मिनानी, घड़ी हरलाल नानपुर एवं सहारा गांवों में खारे पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीने योग्य पानी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

- ग्राम पंचायत अकोला की पुनर्गठन पेयजल योजना की निविदा स्वीकृत की जा चुकी है।
- ग्राम रामनगर पिनानी में टी0टी0एस0पी0 व हैण्डपम्प द्वारा पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है।
- ग्राम गढ़ हरदयाल अकोला की पुनर्गठन पेयजल योजना के अन्तर्गत आता है, जिसकी निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।
- नानपुर की योजना में नलकूप से सीधे पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
- सहारा पेयजल योजना ग्राम सभा को हस्तगत है परन्तु नलकूप के पम्पिंग प्लान्ट के पार्ट्स चोरी होने के कारण योजना बन्द है। टी0टी0एस0पी0 के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार योजनाएं पुनर्गठित कर माह मार्च, 2016 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर में जल स्तर गिर जाने के कारण जनता को पेयजल सुविधा की गम्भीर समस्या देखते हुए इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगाने की मांग

70–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर में जल स्तर गिर जाने के कारण जनता को पीने के पानी के गंभीर

संकट से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 1000 इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

विधान सभा क्षेत्र तिलहर का औसत जल स्तर 07 मीटर है, जो सामान्य है। निर्धारित मानक 150 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प की दर से विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम पेयजल से संतृप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रा0पा0/जू0हा0 स्कूल में अध्यापकों के अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण विगत वर्षों की भांति किये जाने की सरकार का विचार

71–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रा0पा0/जू0हा0 स्कूल में अध्यापकों के अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण विगत वर्षों की भांति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

सम्प्रति प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक एवं 15,000 सहायक अध्यापकों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित/विज्ञान के सहायक अध्यापकों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण जनपदों में आगणन रिक्तियों के प्रति सम्पादित किये जाते हैं। उपर्युक्त स्थिति में जबकि चयन/नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, जनपदों में रिक्तियों की स्थिति सम्प्रति स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त चयन/नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न होने तथा जनपदों में रिक्ति की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात् अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

72–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

73–श्री अनीसुर्ररहमान–

खदिनांक 23–02–2015 को अता0प्र0सं0–123 द्वारा उत्तरित,

आगरा जनपद के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ककरारी, विकास खण्ड बरौली अहीर में लगी पानी की टंकी खराब होने से जलापूर्ति की समस्या

74–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ककरारी, विकास खण्ड बरौली अहीर में लगी पानी की

बड़ी टंकी से जलापूर्ति न होने के कारण गांव के लोगों को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकी से जलापूर्ति सुचारु रूप से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

योजना से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला आनन्दी (टपरा) विकास खण्ड बिचपुरी में लगी टी0टी0एस0पी0 टंकियों को ठीक कराकर जलापूर्ति की व्यवस्था कराया जाना

75–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला आनन्दी (टपरा) विकास खण्ड बिचपुरी में टी0टी0एस0पी0 की तीन टंकियां लगी है जो काफी समय से खराब है जिससे लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 की टंकियों को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

अस्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को दिनांक 15–03–2015 तक तथा स्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ठीक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कलाल खेरिया (प्रजापति) विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 की टंकी खराब होने से जलापूर्ति की समस्या

76–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कलाल खेरिया (प्रजापति बस्ती) विकास खण्ड बरौली अहीर में टी0टी0एस0पी0 की टंकी लगी हुई है जो काफी समय से खराब है जिससे लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्थाई रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 को धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ठीक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र ग्राम व विकास खण्ड बरौली अहीर में लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू कराया जाना

77–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम व विकास खण्ड बरौली अहीर में दिनेश कुमार के घर के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी समय से खराब है जिससे नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

दिनांक 15–03–2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचशील कालोनी, दौरेठा विकास खण्ड बिचपुरी में सामुदायिक केन्द्र में लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू कराया जाना

78–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचशील कालोनी, दौरेठा विकास खण्ड बिचपुरी में सामुदायिक केन्द्र की टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी समय से खराब है जिससे नागरिकों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

दिनांक 15–03–2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर स्थित राजेसुल्तानपुर, कालिका माई के स्थान पर पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूरा कराया जाना

79–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर स्थित राजेसुल्तानपुर, कालिका माई के स्थान पर पशु चिकित्सालय का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं।

भूमि को पशुपालन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भूमि विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित होने के उपरान्त।

जनपद–बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम–मोतियारी का पुरवा–पड़मई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

80–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा के विकास खण्ड–महुआ के ग्राम–मोतियारी का पुरवा–पडमई सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बांदा के विकास खण्ड महुवा के ग्राम मोतियारी का पुरवा–पड़मई सम्पर्क मार्ग का निर्माण किसी भी फेज में नहीं कराया गया है तथा भविष्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के जैन इण्टर कालेज (अल्पसंख्यक अनुदानित संस्था) बुलन्दशहर में स्वीकृत रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

81–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के जैन इण्टर कालेज (अल्पसंख्यक अनुदानित संस्था) बुलन्दशहर में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5–661365, दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

विषयगत मामले में ही संस्था प्रबन्धक द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–51656/2014 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23–9–2014 के अनुपालन में संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल के स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

भारत सरकार के विशेष अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति/संविदा पर रखने के निर्देश हैं। तद्नुसार विशेष अध्यापकों की तैनाती संविदा पर की गई। सर्व शिक्षा अभियान में कोई स्थायी संवर्ग नहीं है। अतः विशेष अध्यापकों को समायोजित करने विषयक कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2004–2005 से दृष्टिहीन, मूकबधिर, मानसिक मंद एवं अन्य विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की भांति समायोजित किया जाना

82–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004–05 से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दृष्टिहीन, मूकबधिर, मानसिक मंद एवं अन्य विकलांग) की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों (इटीनरेंट/रिसोर्श टीचर्स) की नियुक्ति नियत मानदेय पर की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त विशेष शिक्षकों (इटीनरेंट/रिसोर्श टीचर्स) को शिक्षा मित्रों की भांति समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2005–06 में प्रथम बार इटीनरेंट/रिसोर्स टीचर्स (विशेष शिक्षक) का चयन संविदा पर रु0 6000/– प्रतिमाह नियत मानदेय पर तैनात किया गया था। वर्तमान में इनको रु0 10,000/– प्रतिमाह नियत मानदेय दिया जा रहा है।

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर, सदर, सड़वा चन्द्रिका एवं मान्धाता में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

83–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर, सदर, सड़वाचन्द्रिका एवं मान्धाता में ग्राउन्ड वाटर बहुत दूषित एवं खारा है जिसमें फ्लोराइड जैसे कई हानिकारक तत्वों की अधिकता होने के कारण लोगों में गम्भीर बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे दूषित पेयजल वाले क्षेत्रों को चिन्हित कराके उक्त क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में कराये गये सर्वे में जनपद की 524 बस्तियां गुणता प्रभावित घोषित की गई थी। विकास खण्ड लक्ष्मणपुर, सदर, सड़वा चन्द्रिका एवं मान्धाता जो कि डार्क जोन में आते हैं व इनमें भू–गर्भ जल का स्तर काफी नीचे है, में उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर पेयजल में खारापन एवं फ्लोराइड से दूषित बस्तियों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	खारे पानी से दूषित बस्तियों की संख्या	फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों की संख्या
1	2	3	4
1	सड़वा चन्द्रिका	01	02
2	सदर	02	01
3	लक्ष्मणपुर	00	00
4	मान्धाता	03	12

उपरोक्त बस्तियों में दूषित पेयजल से बीमारी के सम्बन्ध में कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2016–17 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

मा0 वित्त मंत्री, मा0 मुख्य मंत्री, अपना बजट भाषण प्रस्तुत करें।

ख12.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अखिलेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2015–2016 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर,

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह बजट सिर्फ सरकारी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा भर नहीं है बल्कि यह बजट हमारी समाजवादी सरकार के मूल्यों और प्रतिबद्धताओं का आईना है और यह प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।

मान्यवर,

मैं इस गरिमामय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरुआत के वर्षों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता यह थी कि हमने जनता से चुनाव के पूर्व जो वायदे किये थे, वह पूरे किये जायें। आप जानते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के लोगों की कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा है और इस सदन के सहयोग से पिछले वर्षों के बजट के माध्यम से हमने अधिकांश वायदों को पूरा किया है। सरकार की यह कोशिश रही है कि जहां एक ओर प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाया जाये वहीं दूसरी ओर यह सुनिश्चित किया जाये कि इस विकास का लाभ समाज के अन्तिम छोर के उस व्यक्ति को मिले जिसके प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है।

मान्यवर,

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन वर्षों में प्रदेश की विकास दर न केवल देश की विकास दर से अधिक रही है बल्कि हम ऐसे तमाम निर्णयों को लागू करने और कार्यक्रमों को चलाने में सफल रहे हैं जिसका लाभ सीधे समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों–जनजातियों के लोगों को मिला है। यह और भी संतोष का विषय है कि ऐसा करते वक्त हमने प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को बनाये रखा है और जनता पर करों का कोई बोझ नहीं बढ़ाया है।

मान्यवर,

आप जानते हैं कि मेरी सरकार ने हर वर्ष पारदर्शिता के साथ विकास का एजेण्डा जनता के सामने रखा है और हर वर्ष निर्धारित विकास एजेण्डा के हिसाब से कार्य होता रहा है। वर्ष 2015–2016 में भी विकास एजेण्डा में तीन मुख्य सूत्र रखे गये हैं :– पहला, सहभागी विकास ताकि जहां एक अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाकर प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाया जा सके वहीं दूसरी ओर उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग– किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को मिल सके, दूसरा, योजना और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीनतम तकनीकों का प्रयोग, तथा तीसरा, प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन।

मान्यवर,

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि आजकल व्यवहारिक बात–चीत में जो इन्क्लूसिव व एक्वीटेबल ग्रोथ या सस्टेनबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है, वही हम समाजवादियों का मूल दर्शन शुरू से रहा है। प्रस्तावित बजट में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि समाज के गरीब एंव पिछड़े तबके के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से उत्पादक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर विशेष बल दिया गया है जिससे विकास को गति मिल सके। इसके साथ ही, समाज के पिछड़े तबके के लोगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों का अंश लगभग 30 प्रतिशत है जबकि हमारे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इन व्यवसायों पर आजीविका के लिये निर्भर है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि खेती किसानी को सृदृढ़ किया जाना हमारे आर्थिक विकास के लिये अति आवश्यक है। किसानों के चौतरफा विकास एवं कल्याण हेतु यह आवश्यक है कि खेती किसानी से सम्बन्धित व्यवसायों पर अधिक बल दिया जाय और इसी सन्दर्भ में हमारी सरकार ने वर्ष 2015–16 को ''किसान वर्ष'' के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों की कल्याणकारी योजनायें चलाना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना उन्नत किसानों के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ाने पर जोर दिया गया है जिससे विभिन्न फसलों को उत्पादकता में वृद्धि हो एवं कृषि क्षेत्र का विविधीकरण हो सके। किसी क्षेत्र विशेष या किसी योजना विशेष के लिये यदि कोई किसान या गांव आगे आते हैं तो सरकार उनको बढ़ावा देगी।

लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों यथा–समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं आदि के अन्तर्गत किये जाने वाली धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

समाज में आये दिन ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं जिनमें निजी वित्तीय कम्पनियां छोटे निवेशकों की जमा पूंजी लेकर उन्हें धोखा देकर गायब हो जाती हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा शीघ्र एक कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है जिससे प्रदेश के छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किया जा सके, जिसके लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ–साथ तकनीकी रूप से सक्षम और शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन, सर्विस डिलीवरी और गवर्नेन्स को और अधिक पारदर्शी एवं बेहतर बनाये जाने के लिये हमारी सरकार

कुशल और स्वच्छ तकनीक का प्रयोग किये जाने और उसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये कटिबद्ध है और इसके लिये बजट में विभिन्न योजनाओं में समुचित प्रावधान किये गये हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिये एक नई कार्य संस्कृति का सृजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां व भुगतान हेतु ई–प्राप्ति तथा ई–भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है तथा प्रशासकीय विभागों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिये अधिकारों का प्रतिनिधायन एक सीमा तक किया गया है जिससे वित्तीय स्वीकृतियां वर्ष के प्रारम्भ में ही उनके स्तर से जारी की जा सकें और योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से हो सके, जिसका लाभ योजनाओं की लागत बढ़ाये बिना समयान्तर्गत जनता को मिल सके।

मान्यवर,

पिछले वर्ष जून में इसी सदन में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि बजट में समाज के हर वर्ग के लिये आशा और प्रतिबद्धता का संदेश है। मैंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक नई और महत्वाकांक्षी योजनायें आरम्भ की हैं। प्रदेश के किसानों, गरीबों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के विकास एवं कल्याण के साथ–साथ प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने, बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और विस्तार तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित किये गये जिनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं संक्षेप में इनका उल्लेख करना चाहूंगा।

मान्यवर,

हमारी सरकार का मानना है कि कोई भी देश और प्रदेश आज के युग में बेहतरीन और आधुनिक अवस्थापना के बिना तेजी से विकास नहीं कर सकता। आम आदमी के बेहतर जीवन के लिये, उद्योग–धन्धों की बेहतरी और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाया जाये। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग से मेरी सरकार ने लखनऊ–आगरा प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बनाने का कार्य धरातल पर आरम्भ कर दिया है। इसके बन जाने से न केवल पूरे क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे बल्कि औद्योगिक विकास के साथ–साथ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इस एक्सप्रेस–वे के बन जाने से एन0सी0आर0 क्षेत्र का विकास मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगेगा। प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य चल रहा है, सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया जा रहा है तथा पहली बार प्रदेश के चार शहरों में मेट्रो की व्यवस्था कराये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लखनऊ में मेट्रो का कार्य जमीन पर होते हुए कोई भी देख सकता है।

मान्यवर,

हमारी सरकार द्वारा सड़क और पुलों की व्यवस्था के साथ–साथ विद्युत अवस्थापना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य दिये गये हैं और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण इत्यादि सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्र को 22 से 24 घण्टे विद्युत सप्लाई की जा सके। प्रदेश में करीब 1188 करोड़ की लागत से रिकार्ड 209 नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। परम्परागत ऊर्जा के साथ–साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किये गये हैं। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत विशेषकर बुन्देलखण्ड में कई सौर ऊर्जा प्लान्ट क्रियाशील किये जा रहे हैं।

प्रदेश में अवस्थापना में सुधार और सकारात्मक औद्योगिक माहौल बनाये जाने की वजह से पूंजी निवेश होने लगा है और निजी क्षेत्र की बड़ी–बड़ी कम्पनियां जैसे–सैमसंग, इन्फोसिस, एच0सी0एल0, टाईम्स ग्रुप, एज्योर ग्रुप, रिलायंस, अमूल इत्यादि प्रदेश में निवेश करने को तत्पर हुईं हैं। हमें आशा और विश्वास है कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें बेहतर जीवन मिल पायेगा। हमारी सरकार ने इसी प्रकार के कार्यक्रमों की वजह से प्रदेश की विकास दर, देश की विकास दर से अधिक रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर इसी दिशा में, इसी कर्मठता से कार्य करते रहे तो प्रदेश की विकास दर और अधिक बढ़ सकती है।

मान्यवर,

हमारा मानना है कि विकास की तीव्र गति तभी मायने रखती है जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से परम्परागत रूप से वंचित गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, छात्रों, मजदूरों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को मिले।

मान्यवर,

मैंने इसी सदन में समाजवादी पेंशन योजना के लिये बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने देश के इस सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर दिया है जिससे 40 लाख गरीब परिवारों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस आकार का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देश की किसी भी सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है जिससे लाखों लोगों को सरकार की सहायता सीधे और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई हो। इस योजना के माध्यम से न केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है बल्कि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अनुप्रेरित भी किया जा रहा है जो कि एक अनूठा प्रयास है। इस तरीके से यह योजना आकार और प्रकार दोनों तरह से एक अभिनव योजना है।

मान्यवर,

आप जानते हैं कि मेरी सरकार हमेशा से किसानों एवं ग्रामीणों के हितों के लिये प्रतिबद्ध रही है। हमने ऐतिहासिक निर्णय लेकर पूरे प्रदेश में मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई एवं मुफ्त दवाई की व्यवस्था लागू की है। हमारी सरकार की यह कोशिश रही है कि

किसानों को खाद, बीज और नई से नई तकनीक समय से उपलब्ध हो सके। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिये सरकार ने न केवल न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्त किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाया है बल्कि उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद् के माध्यम से किसान बाजारों और मण्डी स्थलों का निर्माण भी कराया जा रहा है।

कृषि भूमि बन्धक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन नीलामी से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7,57,000 किसानों का 1779 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दामों में कमी से उत्पन्न विषम परिस्थिति के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित को देखते हुए सहायता दी जा रही है जिससे गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान सम्भव हो रहा है।

मान्यवर,

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के हित के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि बाजार में चीनी के दामों में स्थायित्व आये। मैंने इस बारे में मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है क्योंकि ऐसे नीति निर्धारण केवल केन्द्र सरकार ही कर सकती है।

मान्यवर,

शिक्षकों की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही है जिससे शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हो रहा था। आप सभी अवगत हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और बिना उचित शिक्षा प्राप्त किये हुए सही रोजगार और व्यवसाय प्राप्त नहीं होता है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप 18,127 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है। 15 हजार बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। प्राथमिक विद्यालयों के लिये 72,825 बी0एड0, टी0ई0टी0 अर्हताधारी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसमें लगभग 52,000 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु 29,334 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रदेश में कार्यरत 1,65,306 शिक्षा मित्रों में से प्रथम चरण में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 58,903 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में लगभग 92,000 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6,645 रिक्त पदों तथा अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 1,652 पदों पर भर्ती की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं की आर्थिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए नियत संविदा राशि 21,600 रुपये पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया।

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराधों की विवेचना को सुदृढ़ करने के लिये पुलिस बल की आवश्यकता होती है जिसके दृष्टिगत 35,500 पुलिस कान्सटेबल, 4033 पी0ए0सी0 कान्स्टेबल, 2077 फायर मैन, 3698 उप निरीक्षक तथा 312 प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्यवाही चल रही है।

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी भर्तियां कराई जा रही हैं जिससे एक और सुशासन सुनिश्चित होगा तथा वहीं दूसरी ओर रोजगार में वृद्धि होगी।

मान्यवर,

प्रदेश का विकास तभी संभव है जब अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष से सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने के तमाम प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किये गये हैं। परन्तु हमने हर मौके पर तत्परता से कार्य किया और सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सफलता प्राप्त की। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी सरकार किसी भी स्थिति में असामाजिकतत्वों को प्रदेश का माहौल खराब करने की अनुमति नहीं देगी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास और उनके संवैधानिक हितों की रक्षा के साथ–साथ उनकी अशिक्षा और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प है।

मान्यवर,

हमारा मानना है कि किसी समाज का भविष्य उनके युवाओं और छात्रों में निहित होता है और हम उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। जहां हमने एक ओर युवाओं के लिये सरकारी नौकरी का रास्ता खोला है वहीं कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें बड़ी–बड़ी कम्पनियों का योगदान लिया जा रहा है।

आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये टोल फ्री नम्बर 108 और 102 के माध्यम से आपातकालीन मोबाइल वैनों का संचालन 24 घण्टे निःशुल्क किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी अवगत हैं।

मान्यवर,

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के विकास और कल्याण के लिये जो भी नये कार्यक्रम चलाये हैं। इनके लिये संसाधनों की व्यवस्था राजय सरकार द्वारा अपने स्रोतों से की गई है। हमें आशा है कि प्रदेश के विकास में केन्द्र सरकार और प्रदेश से चुने गये सांसदों का पूरा सहयोग मिल सकेगा।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

कृषि और किसान

वर्ष 2013–2014 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत आंकलित हुई है, जो देश की विकास दर 4.7 प्रतिशत से अधिक है।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश और देश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि कृषि को बढ़ावा न दिया जाय और देश में तब तक खुशहाली नहीं आ सकती जब तक किसान खुशहाल न हो। इस सन्दर्भ में जैसा मैं पहले कह चुका हूं वर्ष 2015–2016 को ''किसान वर्ष'' घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

हमारे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिये निर्भर कृषि पर है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कृषि और किसान की हमारे लिये क्या महत्ता है।

कृषि शिक्षा पाये हुए युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये एवं किसानों को कृषि निवेश तथा अन्य उपयोगी सामग्री निकट स्थानों पर उपलब्ध कराने के लिये एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके अन्तर्गत इन युवाओं द्वारा किसानों के लिये ''वन स्टॉप शॉप'' स्थापित किये जायेंगे, जिसका नाम ''एग्री जंक्शन'' होगा। इस हेतु बैंक से लिये जाने वाले ऋण के ब्याज पर राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में ऐसे 1000 एग्री जंक्शन स्थापित किये जायेंगे।

बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिये संकर बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ रुपये, प्रमाणित बीजों पर अनुदान हेतु 81 करोड़ रुपये तथा रासायनिक खादों के अग्रिम भण्डारण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सिंचाई से सम्बन्धित प्रदेश सरकार की घोषित नीति के अन्तर्गत किसानों को मुफ्त सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें 200 करोड़ रुपये की माफी के लिये बजट व्यवस्था की गई है।

किसानों के निजी नलकूपों का तत्काल ऊर्जीकरण कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सांसाधनों की व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2015 तक सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण शत प्रतिशत हो जायेगा और वित्तीय वर्ष 2015–2016 में ऊर्जीकरण का आवेदन प्राप्त होते ही तत्काल ऊर्जीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा कृषि क्षेत्र को कम से कम 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने फीडर सेपरेशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये लगभग 7000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है।

लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परिवहन सेवा के माध्यम से किसान सस्ती दरों पर अपने गांव से ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय जा सकेंगे और बाजारों तक अपने उत्पाद को भी सुगमतापूर्वक ले जा सकेंगे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं कृषि नीति, 2013 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2015–2016 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 626.64 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन

उत्पादन का लक्ष्य 13.03 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तिलहन उत्पादन को बढ़ाने हेतु सहायता अनुदान के रूप में लगभग 3.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2015–2016 में 63.10 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें खरीफ की फसलों के लिये 11लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 52.10 लाख कुन्तल का वितरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–2016 में 778 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ खातेदार–सहखातेदार कृषकों जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो, के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। कृषक दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत बीमा आवरण राशि अधिकतम 5 लाख रुपये है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

किसानों के द्वारा कड़ी मेहनत से अपनी फसलों को उगाया जाता है और सरकार का यह फर्ज बनता है कि उनको उपज का सही मूल्य मिले। इसके लिये रबी विपणन वर्ष 2014–2015 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूं खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं के क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा गेहूं की खरीद हेतु प्रदेश में 5045 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

खरीफ वर्ष 2014–2015 में धान की खरीद के लिये प्रदेश में 2386 क्रय केन्द्र खोले गये हैं। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। भूमि सेना योजना हेतु 114 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

कृषि विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना तथा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में 02 नये छात्रावासों की स्थापना की जा रही है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे प्रदेश में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को बढ़ावा मिले।

गन्ना की फसल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है। गन्ना किसानों का हित संवर्द्धन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीनी के भावों में लगातार गिरावट आने के बावजूद सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा की है। गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1152 करोड़ रुपये तथा गन्ना समितियों को सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति हेतु 442 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

हमने गन्ना किसानों के प्रशिक्षण के लिये चीन और इण्डोनेशिया के भ्रमण का आयोजन कराया।

गन्ना क्षेत्र के विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा उत्तम कोटि के गन्ना बीज परिवर्तन का एक बृहद् कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे गन्ने की उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी में हो रही वृद्धि के परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं।

वर्ष 1975–76 में स्थापित तथा 2007–08 से बन्द सहकारी चीनी मिल संठियांव के स्थान पर 3500 टीसीडी क्षमता की नई चीनी तिल, को–जनरेशन एवं आसवनी प्लांट की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे वहां के गन्ना किसान समृद्ध हो सकें और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो।

बागवानी विकास के लिये वर्ष 2015–2016 में विभिन्न फलों यथा–आम, अमरूद, लीची, आंवला, टिशू, कल्चर केला, बेर, बेल तथा नीबू वर्गीय फलों के नवीन उद्यानों का रोपण, गुणवत्तापरक पौधों के उत्पादन हेतु माडल एवं छोटी पौधशालाओं की स्थापना, सब्जी एवं आलू के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, फूलों में गुलाब, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा एवं गेंदा की खेती, मसालों में लहसुन, अदरक, मिर्च एवं हल्दी की खेती, औषधीय एवं सुगन्ध पौधों का क्षेत्र विस्तार आदि कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि तथा विपणन व निर्यात को प्रोत्साहन, गुणवत्तायुक्त आलू बीज का उत्पादन एवं उनका वितरण कराये जाने के उद्देश्य से आलू विकास नीति, 2014 लागू है।

उत्तर प्रदेश सोलिड लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना 29 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 1206 करोड़ रुपये है। परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार हेतु 1.30 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान परियोजना के कार्यकलापों के लिये 168 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 15000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित है जिससे परियोजना जनपदों के लगभग 45,000 किसानों की आय में वृद्धि होगी।

किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 04 जनपदों–लखनऊ, इटावा, मैनपुरी व झांसी में ''किसान बाजार'' की योजना के अन्तर्गत झांसी में किसान बाजार का निर्माण पूरा हो चुका है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है। लखनऊ व इटावा में किसान बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये बहराइच, बिजनौर, मथुरा, बरेली तथा बस्ती जनपदों में 06 नवीन मण्डियों का निर्माण कराया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में एक–एक विशिष्ट मण्डी स्थल का निर्माण लगभग 434 करोड़ रुपये से कराया जा रहा है।

फल–सब्जी के लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादकों को कृषि उत्पाद के सही दाम मिलें इसके लिये उन्हें 5 मण्डियों यथा–कन्नौज, बहराइच, कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना के अन्तर्गत इन उत्पादों के परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

दुग्ध उत्पादकों की सुविधा हेतु जनपद गाजीपुर से वाराणसी तक दुग्ध उत्पादकों के निःशुल्क परिवहन हेतु दो बसें चलाई जा रही हैं।

सहकारिता

कृषि उत्पादकता को बनाये रखने और उसके आधुनिकीकरण के लिये पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये आवश्यक है कि किसानों को ऋण की सुविधा आसानी से प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से सरकार ने 16 गैर–लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्राप्त कराकर ऋण वितरण का कार्य बजट प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट में 610 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा वर्ष 2015–2016 में 1029 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण बैंक समितियों (पैक्स) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि विविधीकरण

फसल एवं कृषिकर्म में उत्पादकता में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि कृषि के साथ–साथ कृषि आधारित अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जाय जिन्हें किसान आसानी से अपना सकें और उनकी आमदनी बढ़ सके।

दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की अपार सम्भावनायें हैं। दुग्ध विकास योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

कामधेनु योजना हेतु बजट में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

''ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु अवस्थापना सुविधा'' योजनान्तर्गत बल्क मिल्क कूलर एवं ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट के लिये लगभग 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

पशुपालन गरीब व किसान की जीविका का मुख्य आधार है। इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक आय के पूरक के रूप में भूमिका है। पशुपालन के विकास की दर 12 से 15 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति, 2013 के अन्तर्गत ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिंग की 10 इकाईयां तथा कॉमर्शियल लेयर्स फार्मिंग की 90 इकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है जिससे लगभग 302 करोड़ अण्डे तथा 1,91,700 कुन्टल मांस प्रति वर्ष प्रदेश में ही उत्पादित हो सकेगा।

प्रदेश में पशुओं की मृत्यु से होने वाली आर्थिक हानि से पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 39 जनपदों में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसे वर्ष 2015–2016 में पूरे प्रदेश में चलाया जाना प्रस्तावित है।

मत्स्य

कृषि हेतु अनुपयुक्त 200 हेक्टेयर जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों के सामाजिक संरक्षणा हेतु 2 लाख समिति के सदस्यों/ सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जायेगा।

लोहिया आवासों की भांति 750 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश का विकास सीधे तौर पर गांवों के विकास से जुड़ा है। इसके लिये गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ–साथ गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करेन और ग्रामीण जनता के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण और उच्चीकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 2,617 करोड रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु बजट में 106 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 के लिये 2100 राजस्व ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन और इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु 550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के लिये 1,500 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् के माध्यम से हडको से ऋण लेकर योजना को संचालित किया जाना है।

इन्दिरा आवास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 3,033 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु लगभग 1,900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की लागत 10,000 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये की गई है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 1,533 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट आधार पर शौचालयों के साथ–साथ स्नानगृहों के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में विकास कार्यों के लिये क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आय–व्ययक में 773 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना हेतु 756 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिलाओं के लिये

हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण व उनके उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के लिये विशेष रूप से कतिपय योजनायें बजट में शामिल की गई हैं जिनमें से कुछ मुख्य योजनाओं का विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सम्मान कोष का गठन किया गया है। इसके लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में पहली बार वीमेन पॉवर लाईन–1090 की ऐतिहासिक शुरुआत की गई। अब प्रदेश में प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाईन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसी महिलायें/बालिकायें जो जघन्य अपराध से पीड़ित हैं, को आर्थिक क्षतिपूर्ति/स्वास्थ्य राहत देने और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य राहत देने के उद्देश्य से 11 जनपदों में ''आशा ज्योति केन्द्र'' की स्थापना हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की ऐसी छात्राओं, जो उच्च शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, के लिये कन्या विद्याधन योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना हेतु 637 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु ''फार्म मशीनरी बैंक'' की स्थापना के लिये महिलाओं के क्रियाशील स्वयंसेवी समूहों को वरीयता दिये जाने की योजना है। इससे कृषि में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के माध्यम से उनका सशक्तिकरण सम्भव हो सकेगा।

विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा उनके लिये हास्टल बनाये जाने हेतु 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

आधुनिकीकरण की योजनायें

जनसाधारण को बेहतर से बेहतर सुविधायें मिले इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नवीनतम् और श्रेष्ठ तकनीकों का प्रयोग किया जाय। विभिन्न सेक्टर्स में राज्य सरकार द्वारा आधुनिकीकरण की कुछ महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा–

शहरों में विद्युत वितरण लाईनें जो अभी खम्भों से जुड़ी हैं, को अण्डरग्राउण्ड किये जाने की योजना तैयार की गई है क्योंकि अण्डरग्राउण्ड केबलिंग न केवल अधिक सुरक्षित है, अपितु इससे बिजली की चोरी भी रोकी जा सकती है। इस योजना के लिये बजट में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

तीस हजार से अधिक आबादी वाले 168 शहरी क्षेत्रों में ऑन–लाईन बिलिंग की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा को ऑन–लाईन किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इलेक्ट्रानिक्स सुविधा केन्द्रों के माध्यम से बिल जमा करने की सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्राप्तियों को इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा जमा कराये जाने के लिये ''ई–रिसीट'' की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ई–पेमेन्ट की व्यवस्था जो पूर्व से लागू थी, अब और सुदृढ़ हो गई है।

पेंशनरों की सुविधा के लिये ऑन लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली पायलट आधार पर दो जनपदों में शुरू की गई है। इसमें पेंशन के कागजात ऑन लाईन भेजे जायेंगे और पेंशन भुगतान आदेश भी ऑन लाईन जारी किये जायेंगे। वृद्ध पेंशनरों द्वारा लाईफ सर्टिफिकेट बायोमीट्रिक मशीन के द्वारा घर बैठे अथवा साईबर कैफे से इण्टरनेट के माध्यम से दिया जा सकेगा और इसके लिये उन्हें कोषागार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 के प्रथम चरण में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 सिटी) का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। मेरठ, आगरा और कानपुर में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट आधार पर राज्य के 06 जिलों में यथा–गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में लागू की गई थी। अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा लेखपालों को ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे वे अभिलेखों और सूचनाओं को ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर सुगमता से भेज सकेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है। अब भू–मानचित्रों और कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के राजस्व रिकार्ड रूप का डिजिटाइजेशन कराया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच, लखनऊ की पत्रावलियों के डिजिटाईजेशन हेतु 65 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बीमा योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी मुहैय्या कराने के प्रयोजन से ''संवेदन बीमा हेल्प लाईन'' प्रारम्भ की जा रही है इसमें काल सेन्टर के साथ–साथ एक वेब साईट भी प्रारम्भ की जायेगी जिसके माध्यम से बीमा दावों के निस्तारण में सुविधा हो सकेगी।

प्रदेश के बड़े महानगरों के प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में लखनऊ महागनर में 70 प्रमुख चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जा रहे हैं।

अपराधिक घटनाओं की सूचना फोन द्वारा पुलिस को दिये जाने की डायल 100 सिस्टम व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके लागू हो जाने पर प्रदेश में कहीं से भी 100 नम्बर डायल कर आपराधिक घटनाओं की सूचना पुलिस को दी जा सकेगी और पुलिस द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

कारागारों के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण में प्रदेश के 07 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों की स्थापना कराई गई है। इसके अतिरिक्त 25 कारागारों में ब्राडबैण्ड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट क्रियाशील हैं जिसके द्वारा बन्दियों की पेशी कराई जा रही है। द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जेलों में निरुद्ध गैंगस्टरों द्वारा जेल से ही अंजाम दी जा रही वारदातों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जेलों में जैमर लगवाये जाने की योजना है जिसके लिये 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर–108 की एम्बुलेंस समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की जनता के मध्य बढ़ती लोकप्रियता एंव उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए 168 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंसों के क्रय के लिये 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 102 प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को घर से चिकित्सालय ले जाने एवं वापस लाने के लिये है। इस सेवा का उपयोग आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से

दूसरी चिकित्सा इकाई तक लाभार्थियों को ले जाने के लिये भी किया जाता है। इस योजना से अब तक लगभग 16 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अवस्थापना योजनायें

बिजली

अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में बिजली की मांग के सापेक्ष बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है और उपलब्ध बिजली के वितरण के लिये ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का विकास किया जाना है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिये बिजली की वर्तमान लगभग 10000 मेगावाट की उपलब्धता बढ़ाकर अक्टूबर, 2016 तक 21000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने तथा अन्य विद्युत उत्पादकों से पॉवर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों में को–जेनरेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत वितरण को सुदृढ़ किये जाने हेतु लगभग 550 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बनाने होंगे। इसके साथ ही 33 के0वी0, 11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं एल0टी0 लाइनों का निर्माण करना होगा। इस कार्य पर लगभग 6000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगभग 1,73,000 गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण जिसकी लागत लगभग 11,900 करोड़ रुपये है, पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा वर्ष 2015–2016 में एक लाख गांवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करना लक्षित है।

ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये 14,504 करोड़ रुपये तथा अनुरक्षण हेतु 11,260 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 25,764 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लोक निर्माण

- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख–रखाव एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं तथा भवन कार्यों हेतु 12,181 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला और अन्य सड़कों के अनुरक्षण के लिये 3005 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत 370 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2015–2016 में जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु 1,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2015–2016 में 80 दीर्घ सेतुओं एवं 20 रेलवे उपरिगामी सेतुओं इस प्रकार कुल 100 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों का एक कोर रोड नेटवर्क चिन्हित किया गया है जिस पर विशेष ध्यान देते हुए सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण हेतु 712 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ऐसे राजमार्गों जो अभी भी सिंगल लेन/डेढ़ लेन के हैं, उनके चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 675 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों, जिन पर यातायात घनत्व अधिक है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2358 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
- भारत–नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्गों के लिये 370 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 253 करोड़ रुपये तथा बुन्दलेखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

- शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव व जाम की समस्या को देखते हुए लखनऊ में शारदा सहायक पोषक नहर पर फैजाबाद मार्ग से गोसाईगंज–मोहनलालगंज मार्ग तक 06 लेन सड़क निर्माण की परियोजना हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधा हेतु 73,997 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणाली विकसित है। प्रदेश में पहली बार दोनों फसलों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ मशीनों द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है।
- वर्ष 2014–2015 खरीफ 1422 फसली हेतु परिकल्पित 9772 टेलों के सापेक्ष 9682 नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 9364 टेलों पर पानी पहुंचाया गया। रबी 1422 फसली में परिकल्पित टेलों की संख्या 10183 के सापेक्ष 10040 टेलों पर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो अब तक सर्वाधिक है।

- डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना के लिये 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई

- निःशुल्क बोरिंग योजना के लिये 36 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्यम गहरे नलकूप योजना के लिये 76 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गहरी बोरिंग योजना के लिये 13 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास

- इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलीवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु बजट में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- नया सवेरा नगर विकास योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु बजट में 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास की जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी हेतु 249 करोड़ रुपये, नगरीय पेजयल कार्यक्रम के लिये 354 करोड़ रुपये तथा नगरीय सड़क सुधार योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण हेतु 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- ''सबके लिये आवास योजना'' के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2014 तक 3578 भू–खण्डों का विकास/भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 20,868 भू–खण्डों/भवनों का निर्माण/ विकास कार्य जारी है।

पर्यावरण संरक्षण

हमारा यह दायित्व है कि विकास के साथ–साथ भावी पीढ़ियों के लिये स्वस्थ एवं जीवन्त पर्यावरण मुहैया करायें, एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करायें जिसमें शुद्ध हवा और पानी सहजता से सुलभ हो। पर्यावरण के संरक्षण हेतु हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ प्रयासों का विवरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।

- प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के प्रयोग से बचाने के लिये लघु एवं सीमान्त किसानों को अनुदान पर 6000 सोलर फोटोवोल्टैइक पम्पों का वितरण किया जायेगा जिसके लिये 126 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा नदी के किनारे स्थित 26 नगरों में लगभग 7000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये 359 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के लिये 75 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के सन्तुलित एवं सुनियोजित विकास तथा समाज के समस्त वर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार विकसित भूमि, आवास, रोजगार के अवसर एवं स्वास्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति, 2014 जारी की गई है।
- ''राजीव आवास'' योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों को स्लममुक्त करने की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना के लिये 38 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- बुन्देलखण्ड में 20 मेगावॉट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना के लिये लगभग 66 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिये बत्ती, पंखा एवं अन्य घरेलू उपकरण चलाये जाने हेतु सोलर पॉवर पैक उपलब्ध कराने के लिये 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में एक किलोवाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जायेंगे जिससे इन विद्यालयों में बिजली, पंखे और शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सके।
- स्वच्छ भारत मिशन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की लागत 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की गई है तथा योजना के लिये 1533 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों के लिये बैटरी चालित रिक्शा किये जाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ के गोमती नदी को साफ सुथरा तथा आस–पास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिये गोमती नदी का चैनेलाइजेशन किया जायेगा जिसके लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
- पर्यावरण के सुधार हेतु वैकल्पिक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान समय में पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में को–जेनरेशन के माध्यम से बिजली का उद्घाटन किया जा रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा नीति बनाई गई है जिससे चीनी मिलों में अधिक से अधिक कोजेन प्लाण्ट लग सकें।
- नगरीय क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा सीवेज ट्रीटमेंट की योजनायें संचालित हैं। पी0पी0पी0 मोड पर वर्ष 2015–2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट येाजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- जलवायु परिवर्तन (क्लाईमेट चेंज) जैसी बहुआयामी समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण'' का गठन किया गया है।
- शहर में आने–जाने के लिये साईकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा और लखनऊ में साईकिल ट्रैक्स का निर्माण कराया जा रहा है। इसके उपरान्त अन्य शहरों में भी साईकिल ट्रैक्स का निर्माण कराया जायेगा।
- राजकीय बालक, बालिका इण्टर कालेजों में क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

विश्व स्तरीय अवस्थापना

- लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा 04 महानगरों आगरा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ में भी मेट्रो संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

- गाजियाबाद शहर में 1,838 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर लम्बी मेट्रो रेल विस्तार परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- लखनऊ में 50,000 हजार दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है जिसकी कुल अनुमानित लागत 360 करोड़ हैं
- लखनऊ में ही साइकिल प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये विश्वस्तरीय 8 साइकिल ट्रैक्स का वेलोड्रम एवं साइकिलिंग अकादमी स्थापित की जायेगी जिसकी लागत लगभग 168 करोड़ रुपये होगी।
- कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम को 33 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बनाया जायेगा जिससे वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किये जा सकेंगे।
- जनपद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान जिसकी लागत लगभग 854 करोड़ रुपये होगी, का शिलान्यास हो चुका है। इसके लिये 100 एकड़ भूमि की व्यवस्था चक गंजरिया फार्म में की गई है तथा 111 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जनपद कन्नौज में भी कैंसर रोग संस्थान के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
- जनेश्वर मिश्र पार्क जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन है। इसमें लंदन आई की तर्ज पर एक वृहद् फेरिस व्हील लखनऊ आई की स्थापना भी कराई जा रही है।
- लखनऊ में कैंसर संस्थान, पुलिस मुख्यालय तथा डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी के भवनों को सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जायेगा।
- माननीय उच्च न्यायालय के गोमती नगर, लखनऊ में भवन निर्माणाधीन है। इसमें अवध और विशेषकर लखनऊ के आर्कीटेक्चर की पिछली शताब्दी में जो शैली विकसित हुई है, उसी की अगली कड़ी के रूप में इसकी वास्तु की शैली को रखा गया है। भवन निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सचिवालय के नये एनेक्सी भवन को विश्व स्तरीय स्थापत्य मानकों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। इसके लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- विधान सभा भवन के पुनरुद्धार (रेस्टोरेशन) के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- गाजियाबाद में देश के सबसे लम्बे 6 लेन–एलीवेटेड राजमार्ग का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा जिससे दिल्ली से मेरठ तथा उसके आगे का यातायात सुगम हो जायेगा।

अन्य योजनायें एवं कार्यक्रम

- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत झांसी, ललितपुरा, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा तथा चित्रकूट में सूखा राहत के लिये मल्टी सेक्टोरल एप्रोच के आधार पर क्षेत्र में सूखे की समस्या के निदान हेतु जल प्रबन्धन, सिंचाई सुविधाओं एवं पेयजल कार्य पैकेज के रूप में कराये जा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हेतु औद्यानिक विकास, दुग्ध विकास तथा पशुधन एवं कृषि विपणन के कार्यक्रमों को भी लिया गया है। वर्ष 2015–2016 के लिये 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- हम मानते हैं कि खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश, देश एवं विश्व में खेलों में अपनी पहचान बना सके। खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बजट में 289 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उच्च स्तरीय कोच हमारे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये मिल सकें, इसके लिये उनकी संविदा राशि 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है और खिलाड़ियों का डायट भत्ता बढ़ाकर 250 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन कर दिया गया है।
- प्रदेश में पहली बार कलाकारों की कलाकृतियों का सही मूल्य दिलाने हेतु ललित कला अकादमी में खुली नीलामी की व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

- समाजवादी पेंशन योजना का आच्छादन वर्तमान वर्ष की तुलना में 5 लाख से बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 45 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु बजट में 2727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिये 1613 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 43 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

- मीसा/डी0आई0आर0/राजनैतिक बन्दियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रितों की पेंशन बढ़ाकर 8,811 से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णिय लिया गया है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। योजना के लिये 420 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से आम आदमी बीमा योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य पात्र हैं।
- अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिये मात्राकृत किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिये लगभग 2776 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत विकलांग जन को पेंशन दिये जाने हेतु 324 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अवशेष निर्माण कार्यों हेतु लगभग 60 करोड़ रुपये तथा विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना हेतु लगभग 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- स्कूल जाने वाले बच्चों में डिस्लेक्सिया व अटेंशन डेफीसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।
- ''आसरा योजना'' के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे लगभग 8,000 आवासहीन परिवार लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- वाराणसी के पॉवरलूम बुनकरों हेतु सौर ऊर्जा से संचालित इनवर्टर हेतु 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- सामग्री आपूर्ति हेतु यूपिका पर बुनकरों के बकाये के भुगतान के लिये बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

शिक्षा

- अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 723 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 1092 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिये 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- मदरसा/मकतब आधुनिकीकरण योजना के संचालनार्थ 285 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 146 नये आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- मेरिट आधारित लैपटॉप वितरण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

- ''सर्वशिक्षा अभियान'' में लगभग 9,977 करोड़ रुपये एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु लगभग 1,696 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मानकों के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं चहारदीवारी की व्यवस्था की जायेगी।
- 7,000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण तथा 20,000 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 1463 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें 100 माडल स्कूलों की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपये, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण एवं रख–रखाव के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है।
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये तथा अवस्थापना सुविधाओं के लिये 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में 26 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में 11 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। यह प्रयास है कि माह जुलाई, 2016 से इनमें पठन्–पाठन् प्रारम्भ किया जा सके।
- विगत वर्षों में 13 राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुए थे जिनके अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर शीघ्र पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। उक्त प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 50 राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध हो जायेंगे। इस हेतु 7 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 134 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 78 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के रेस्टोरेशन के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में वर्तमान में दो तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं तथा हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उसे तकनीकी विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत देवीपाटन और बस्ती मण्डलों में एक–एक नये राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश के छात्रों का कौशल विकास कर रोजगार के बेहतर अवसर मुहैय्या कराये जाने के उद्देश्य से उन्नाव में स्किल डेवलपमेंट एवं डिजाइन संस्थान की स्थापना की जायेगी।
- जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज और जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में नये पॉलीटेक्निक की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
- जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बांदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी एवं सोनभद्र में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण किया जा रहा है।
- निजी निवेश का बढ़ावा दिये जाने हेतु पी0पी0पी0 माडल पर जनपद लखनऊ में चक गंजरिया में एक आई0आई0आई0टी0 (प्प्ज्) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका निर्माण प्रारम्भ हो गया है।

- प्रदेश की 79 संस्थाओं को कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर के रूप में पंजीकृत कराया गया है। यह संस्थायें अल्प शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अल्पकालीन तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर रही हैं जिससे युवा रोजगार के अवसरों के साथ–साथ स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलम्बी बन सकेंगे।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिये प्रदेश के असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित 40 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दृष्टिगत सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जायेगा।

निवेश वातावरण और औद्योगिक विकास

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये जून, 2014 में नई दिल्ली में ''निवेशक सम्मेलन'' आयोजित किया गया था जो कि अत्यन्त सफल रहा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 लागू की गई है। निवेश का अनुकूल माहौल पैदा होने लगा है और उसके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हो गये हैं। प्रदेश में उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है तथा इसी क्रम में ''निवेश मित्र योजना'' तथा ''औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली'' प्रारम्भ की गई है।

- प्रदेश के मूल अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार द्वारा एन0आर0आई0 विभाग का गठन किया गया है। अप्रवासी भारतीयों को एक नवीन वेब साइट के माध्यम से प्रदेश के विकास हेतु उठाये जा रहे कदमों की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी और प्रदेश में पूंजीनिवेश के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
- 1483 किलोमीटर लम्बे दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र तथा मेरठ मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं।
- कानपुर (ट्रांस गंगा परियोजना) में नई ग्रीन फील्ड एकीकृत टाउनशिप विकसित की जा रही है। 2100 एकड़ से अधिक की भूमि पर स्मार्ट सिटी के रूप में टाउनशिप विकसित किये जाने की योजना बनाई गई है।
- नैनी (जनपद इलाहाबाद) में नई ग्रीन फील्ड एकीकृत टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस एकीकृत टाउनशिप में 40 एकड़ क्षेत्रफल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना एवं 10 एकड़ क्षेत्रफल में आई0टी0 पार्क विकसित किया जायेगा।

- प्रदेश में चमड़ा उद्योग के और अधिक विकास हेतु 750 एकड़ भूमि पर सण्डीला (हरदोई) तथा रमाईपुर (कानपुर) में 2000 करोड़ के निवेश से 2 लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है।
- मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3000 ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित होंगी जिससे लगभग 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- पॉवरलूम बुनकरों को अनुदानित दर पर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कृषकों की भांति पॉवरलूम बुनकरों को एक निर्धारित दर पर विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। इस प्रयोजन हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वस्त्र उद्योग नीति, 2014 के अनुरूप वस्त्र उद्योग एवं स्पिनिंग से सम्बन्धित उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग के विकास के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2014 प्रख्यापित की गई है। यमुना एक्सप्रेस वे तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में एक–एक इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई0एम0सी0) की स्थापना प्रस्तावित है।
- भदोही में कारपेट बाजार हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कानून व्यवस्था

पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से हाईटेक कण्ट्रोल रूम की स्थापना की पहल की गई है। जनपद कानपुर नगर व लखनऊ में अत्याधुनिक कण्ट्रोल रूम शुरू हो चुका है। जनपद गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में अत्याधुनिक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जनपद वाराणसी एवं आगरा में भी अत्याधुनिक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में सिटी सर्विलांस सिस्टम लागू किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं आदि की सूचना देने हेतु टोल फ्री ट्रैफिक हेल्प लाईन के लिये टेलीफोन नम्बर 1073 स्थापित किया गया है। प्रदेश के मुख्य महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली लागू की जा रही है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम द्वारा प्रथम चरण में लगभग 4290 आवासों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

जनपद सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा जनपद कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, बरेली तथा आजमगढ़ में जिला कारागार का निर्माण प्रगति पर है।

चिकित्सा शिक्षा

मेडिकल कालेज, सहारनपुर में वाह्य रोगी तथा अन्तः रोगी विभागों को संचालित किया जा चुका है। मेडिकल कालेज, बांदा में भी वाह्य रोगी सेवायें प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। जनपद जौनपुर तथा बदायूं में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जनपद कन्नौज में हृदय रोग संस्थान तथा कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है।

जनपद चन्दौली में मेडिकल कालेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बाल रोग सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का निर्णिय लिया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ और डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय कर एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 150 अतिरिक्त सीटों पर शिक्षण कार्य किया जायेगा।

राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण उनकी अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर 60 वर्ष से 65 वर्ष की गई है तथा भर्ती की अधिकतम आयु की निर्धारित 40 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में पूर्व में मरीजों को 03 दिन दिन की औषधियों का वितरण किया जाता था परन्तु वर्तमान में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की औषधियां मरीजों को वितरित की जा रही हैं तथा विशेष परिस्थितियों में मरीजों को 15 दिन की औषधियां प्रदान की जा रही हैं। समस्त मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है। बी0पी0एल0 कार्ड धारकों का समस्त उपचार एवं परीक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे एवं पैथालॉजी जांचों की सुविधा निःशुल्क कर दी गई है तथा भर्ती शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दवाओं के लिये लगभग 587 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में उपकरणों के क्रय हेतु 225 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 394 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

जिन मण्डल मुख्यालयों में मेडिकल कालेज उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय प्रस्तावित हैं यथा बरेली, मुरादाबाद एवं देवीपाटन। इस मद में 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ के डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये 194 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक चिकित्सालय में स्वतंत्र विद्युत फीडर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक प्रदेश में 80 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर का निर्माण कराया जा चुका है तथा 46 राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 5840 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सरकारी डाक्टरों का पलायन रोकने के लिये उनकी सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उनके वेतनमानों में स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने हेतु शर्तों को काफी उदार बनाया गया है। जिसका असर यह होगा कि इस संवर्ग में स्थायित्व की भावना आयेगी और डाक्टरों में पलायन पर रोक लग सकेगी तथा इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।

वन एवं पर्यटन

वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.82 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीलीभीत टाईगर रिजर्व एवं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यानों का उच्चीकरण, नवाबगंज व लाख बहोसी, पक्षी

विहारों का विकास, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास, इटावा में लॉयन सफारी व बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र की स्थापना एवं वन संसाधनों का उपयोग करते हुए ईको टूरिज्म विकसित करते हुए जन साधारण को पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये राज्य में ईको पर्यटन नीति तैयार की गई है।

आगरा, लखनऊ, वाराणसी को सम्मिलित करते हुए ''हैरिटेज आर्क'' की परिकल्पना की गई है और हमारी सरकार इन शहरों के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन व पर्यटक उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी तांकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। हम पर्यटन को जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगरा शहर में मेरी सरकार द्वारा ''मेरा आगरा अभियान'' का सफल आयोजन भी किया गया है।

''मैत्रेय परियोजना'' को प्रभावी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास हो सकेगा और इससे क्षेत्र में आर्थिक प्रगति आ सकेगी।

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 02 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों–आगरा–बृज कारीडोर तथा बौद्ध परिपथ के पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं उच्चीकरण किया जा चुका है।

कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रमुख स्थलों को वायु–सेवा से जोड़ने हेतु वायु सेवा नीति घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा को इस सेवा से जोड़ा जायेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैरिटेज सम्पत्तियों को होटलों में परिवर्तित करने के लिये हैरिटेज पर्यटन नीति लागू की गई है। बुद्धिस्ट सर्किट तथा बुन्देलखण्ड सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

न्याय

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के गोमतीनगर में निर्माणाधीन नवीन भवन के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 300 करोड़ रुपये धनराशि प्रस्तावित है।

अधिवक्ताओं के लिये

- अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का सबसे बडा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में वाणिज्य कर से बावन हजार छः सौ तिहत्तर करोड़ रुपये (52,673 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से सत्रह हजार पांच सौ करोड़ रुपये (17,500 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 20.7 प्रतिशत अधिक है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से चौदह हजार आठ सौ छत्तीस करोड़ रुपये (14,836 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 16.6 प्रतिशत अधिक है।

वाहन कर

वाहन कर से चार हजार छः सौ अट्ठावन करोड़ रुपये (4,658 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 17.9 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

- प्रस्तुत बजट का आकार तीन लाख दो हजार छः सौ सतासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (302687.32 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2014–2015 के बजट के सापेक्ष 10.2 प्रतिशत अधिक है।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2014–2015 की अपेक्षा लगभग 13.5 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।

- बजट में नौ हजार तीन सौ अट्ठासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये (9388.79 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

राजकोषीय परिदृष्य

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य लगातार राजस्व बचत की स्थिति में है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 27.5 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि राज्य लगातार राजकोषीय स्थायित्व बनाये रखने में सफल रहा है।

प्राप्तियां

- वर्ष 2015–2016 में दो लाख छियान्वे हजार सात सौ तेईस करोड़ पच्चीस लाख रुपये (296723.25 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में दो लाख उन्चास हजार आठ सौ अस्सी करोड़ तेईस लाख रुपये (249880.23 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा छियालिस हजार आठ सौ तैंसालिस करोड़ दो लाख रुपये (46843.02 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौवालिस करोड़ ग्यारह लाख रुपये (178644.11 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश छियासी हजार सात सौ उन्तीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये (86729.11 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय तीन लाख दो हजार छः सौ सत्तासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (302687.23 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में दो लाख पन्द्रह हजार सात सौ छप्पन करोड़ अट्ठारह लाख रुपये (215756.18 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा छियासी हजार नौ सौ इकत्तीस करोड़ चौदह लाख रुपये (186931.14 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।
- आयोजनागत पक्ष के व्यय के लिये एक लाख छः हजार सात सौ बीस करोड़ बयालिस लाख रुपये (106720.42 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2015–2016 में चौंतीस हजार एक सौ चौबीस करोड़ पांच लाख रुपये (34124.05 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में इकतीस लाख पांच हजार उन्सठ करोड़ अस्सी लाख रुपये (31559.80 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् पांच हजार नौ सौ चौंसठ करोड़ सात लाख रुपये (5964.07 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

लोक लेखे से छः हजार पचपन करोड़ रुपये (6055 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2015–2016 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम नब्बे करोड़ तिरानवे लाख रुपये (90.93 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2015–2016 में प्रारम्भिक शेष चार हजार छः सौ तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये (4693.53 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष चार हजार सात सौ चौरासी करोड़ छियालिस लाख रुपये (4784.46 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में मिलकर काम करें और सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कदम से कदम मिलाकर काम करेगी।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2015–2016 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

ख्12.20, आय–व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आय–व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना दे रहा हूं।

कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2015–2016 का आय–व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः–

''हॉ'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, एवं मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ एवं बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर एवं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद एवं कासगंज, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली एवं पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई एवं उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर एवं फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर जिलों के समस्त सदस्यगण और ''नहीं'' सभाकक्ष में नामनिर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

बजट साहित्य वितरित कर दिया जाय।

(बजट साहित्य वितरित किया गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प और लोहिया आवास, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था पिछली बार कि यह बजट के समय देखेंगे। मान्यवर, मैं पूरा बजट साहित्य 67 पेज का सुनता रहा, मैं सोचता रहा कि शायद अगले पन्ने पर कुछ हो, तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मा0 विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प वगैरह कुछ देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तुति से मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़ा लम्बा–चौड़ा बजट प्रस्तुत किया और बैठे–बैठे मैंने दो लाईन की कविता लिख दी –

''रकम तो जबरदस्त है, बजट अस्त–व्यस्त है,
योजनाएं सभी पस्त हैं, व्यवस्थायें सभी ध्वस्त हैं,
खजाना सफाचट्ट है, अखिलेश सरकार मदमस्त है,
प्रदेश की जनता त्रस्त है, बजट से यह स्पष्ट है।''

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')–

आप पूरी तरह से मस्त हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह शब्दों का मकड़जाल है।

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष बेहाल है, यह नहीं कहा। जैसे आपने कविता जोड़ा वैसे ही मैने भी दो शब्द जोड़ दिया, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लक्षण बड़ा खराब हैं, नेता विरोधी दल तो बजट भाषण सुनते–सुनते कवि हो गये, अब आगे उनका क्या होगा।

ख01.40, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–02–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गईः–

पहली सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत निर्मित दो दर्जन ओवर हैड वाटर टैंकों से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के ग्राम भजनई के थाना अलीगंज में रोडवेज बस से हुई श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री बदरी प्रसाद की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की प्रदेश में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के बेलदार पद पर बेलदार जाति के अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज व इटवा में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना पं0 सुदेश शर्मा की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती में परिवहन निगम की बसों से क्षेत्र में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा की ग्राम सभा बोधी छपरा निवासी श्री बाढू कुशवाहा, मृतक किसान के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव में ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या 23 व 3 को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

13वीं सूचना श्री सन्तराम कुशवाहा की जनपद जालौन अन्तर्गत पचनधा को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

14वीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में नदियों के कारण हो रहे भूमि कटान की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है।

15वीं सूचना श्री सुशील सिंह की शहीरा हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

16वीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की राज्य सम्पत्ति विभाग के जर्जर आवास संख्या–9/2, डालीबाग, लखनऊ की पूर्ण मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं–

श्री गेंदालाल चौधरी, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री दलजीत सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री राजीव गुम्बर, श्री विजय बहादुर यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री बैजनाथ पासवान, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय, श्री सुभाष पासी, श्री पूरन प्रकाश, श्री प्रदीप चौधरी, श्री गुटियारी लाल दुवेश, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री नीरज कुशवाहा मौर्य, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री कालीचरण सुमन, श्री अमरपाल शर्मा, श्री प्रदीप माथुर, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री राजनारायण सिंह बुधौलिया, श्री उमेश पाण्डेय, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री रामहेत भारती, श्री रोशन लाल वर्मा, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी न बनने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहां पर मण्डी न होने के कारण कृषकों को अपनी पैदावार की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है, जिससे कृषकों को बहुत नुकसान हो रहा है। यहां पर मण्डी निर्माण कराने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा यहां पर सिंचाई विभाग की भूमि मण्डी समिति बनाने के लिये चयनित कर ली गयी है तथा उप मण्डी निर्माण के लिये मण्डी समिति द्वारा सिंचाई विभाग को एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपये का भुगतान लगभग दो वर्ष पूर्व कर दिया गया है। मगर अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा मण्डी समिति को भूमि हस्तान्तरित नहीं हुई है। जिससे मण्डी समिति निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है, जिससे किसानों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। कृषक हित में यहां पर उपमण्डी का अविलम्ब निर्माण होना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत निर्मित दो दर्जन ओवर हैड वाटर टैंकों से पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई–

ख्आदरणीय सदन, कानपुर नगर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां पर पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है। जनता पानी के लिये त्राहि–त्राहि कर रही है। वहीं दूसरी और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत महानगर में लगभग दो दर्जन ओवरहैड टैंकों का निर्माण करोड़ों रुपये की लागत से कराया गया था। परन्तु बनने के दो वर्ष बाद भी अभी तक उनसे पानी की सप्लाई प्रारम्भ नहीं हो सकी है। विभागीय अधिकारियों से पूछे जाने पर कहा जाता है कि इनका निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है जिस कारण से इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इससे एक ओर जहां सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है वहीं दूसरी ओर जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो एक गम्भीर प्रकरण है। विभाग के रवैये से स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत निर्मित लगभग दो दर्जन ओवर हैड वाटर टैंकों से पेयजल आपूर्ति कराये जाने तथा मानकों के विपरीत टैंकों का निर्माण कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली के अन्तर्गत गांव बाबरी से भंदौड़ा, थानाभवन से कच्ची गढ़ी, हरड़ से नोजल, शामली से जलालपुर, गढ़ीपुख्ता से पुरमाफी तक के मार्ग बेहद जर्जर हालत में हैं। हजारों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों इन सड़कों को लेकर जनता द्वारा बड़ा आन्दोलन किया गया लेकिन इन सड़कों का पुनर्निर्माण न होने के कारण जनता में लगातार आक्रोश बना हुआ है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त समस्त मार्गों को बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली के ग्राम भजनई के थाना अलीगंज में रोडवेज बस से हुई श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री बदरी प्रसाद की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय, श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद निवासी ग्राम भजनई, थाना अलीगंज, तहसील आंवला, जनपद बरेली के पुत्र खेतल की मृत्यु दिनांक 30–08–2013 को रोडवेज बस की टक्कर होने से हो गयी। यह लड़का ही इनके परिवार का सहारा था।

अपर जिलाधिकारी नगर बरेली ने 19 दिसम्बर, 2013 को पत्रांक–479/15–यू0आई0 (2013–2014) जे0ए0–4 प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन कार्यालय अनुभाग–4 लखनऊ को प्रेषित है। इस पत्र में मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 25 हजार रुपया आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की है जो बहुत कम है। जान की कोई कीमत नहीं होती फिर भी इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैं शासन से 5 लाख रुपये धनराशि दिये जाने की मांग करता हूं।

अतः अनुरोध है कि अविलम्ब मा0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करायेंगे ताकि परिवार का सहारा बन सके।,

प्रदेश में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के बेलदार पद पर बेलदार जाति के अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अलगू प्रसाद चौहान–

ख्महोदय, आपको अवगत कराना है कि अति लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूं कि बेलदार जो अनुसूचित जाति में आते हैं मिट्टी की खुदाई का कार्य करते हैं और सिंचाई एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग में

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

बैकलाग भर्ती में बेलदार पद आरक्षित होता है। जबकि अब बेलदार पद की जगह किसी भी जाति के भर्ती हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बेलदार जाति (चौहान) को सिंचाई एवं पी0डब्लू0डी0 विभाग में बेलदार पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य किया जाय। ऐसी स्थिति पूरे क्षेत्र/प्रदेश की जनता द्वारा बार–बार मांग की जा रही है कि हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। जिससे हमारे/जनता की परिवार आये दिन भुखमरी के कगार पर रहती है और नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, यह प्रकरण पूरे प्रदेश का है और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अतः आपसे इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पूरे प्रकरण पर आरक्षण नीति किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं। जिससे गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके।,

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर में फायर ब्रिगेड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (आलापुर) जनपद अम्बेडकर नगर के थाना आलापुर, राजेसुल्तानपुर, जहांगीरगंज में फायर ब्रिगेड की सुविधा न होने के कारण गर्मियों में काफी धन–जन की हानि आग लगने के कारण हो जाती है। मेरे द्वारा बार–बार आग से बचाने के लिये फायर ब्रिगेड की व्यवस्था उक्त थानों में कराये जाने की मांग की जाती रही है। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र है और गर्मी के दिनों में फसलें आदि जलकर नष्ट हो जाती हैं।

अतः आपसे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त थानों पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज व इटवा में पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल युसुफ मलिक–

ख्मान्यवर, आपको उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि विकास खण्ड डुमरियागंज व भनवापुर के अन्तर्गत च्डळैल् सड़क क्रमशः डुमरियागंज से विथरिया व विथरिया से चन्द्र दीप घाट और भड़रिया से बढ़नी चाफा तक डुमरियागंज मिश्रौलिया–पिरैला मार्ग एवं बांसी डुमरियागंज मार्ग तथा भनवापुर ब्लाक शहर से चिताही तक एवं चिताही से सिंगारजोत तक जो आधे–अधूरी में है तथा कुछ सड़कें पूर्ण होने के बाद मानक व गुणवत्ता ठीक न होने के कारण खराब हो गयी है क्योंकि गिट्टी डालने

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

के समय गिट्टी की कुटाई ठीक तरह से नहीं हुआ है और पानी भी प्रचुर मात्रा में नहीं डाला गया है जिससे सड़क उजड़ रही है यह गम्भीर मामला है जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस उपरोक्त प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिससे उक्त सम्पर्क मार्गों को समय से ठीक हो सके।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

पं0 सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो चुकी हैं। उक्त सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। जिससे क्षेत्र वासियों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। इस मार्ग पर हाई–वे की तरह अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मार्ग को अविलम्ब मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

1–त्योड़ी–13 बिस्वा में इदरीश के मकान से तलहटा तक लगभग 3 कि0मी0,

2–भदौला से त्योड़ी तक लगभग 2 कि0मी0,

3–मोदीनगर से तलहटा तक लगभग 7 कि0मी0,

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती में परिवहन निगम की बसों से क्षेत्र में व्याप्त जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर में परिवहन निगम का बस स्टेशन होने के बावजूद भी बस स्टेशन के अन्दर बसें न खड़ी कर बाहर सड़क पर ही बसों को खड़ी कर देते जिससे शहर में जाम लग जाता है। जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, कभी–कभी पूरा दिन जाम लग जाता है, इस विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों को पत्राचार एवं वार्तालाप के माध्यम से कई बार अवगत कराया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त समस्या निदान हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा की ग्राम सभा बोधी छपरा निवासी श्री बादू कुशवाहा, मृतक किसान के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दुबे–

ख्मान्यवर, जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा बोधी छपरा निवासी बादू कुशवाहा पुत्र जगेसर कुशवाहा कृषक का दिनांक 15–08–2014 को नारायणी नदी में डूबने से मृत्यु हुआ था। पी0एम0 आदि की सभी आवश्यक कागजात मृतक के परिजनों के द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा करने के बावजूद अभी तक मृतक बादू कुशवाहा पुत्र जगेसर कुशवाहा को किसान दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उक्त असहाय परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, जिनको उक्त सरकारी लाभ दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव में ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर ''मुन्ना''–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम किरांव, सिसई सिपाई एवं चक अफजल उर्फ पूरे लीला, ब्लाक बहरिया, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड सोरांव में स्वीकृत ओवरहैड टैंक का निर्माण कार्य लगभग 50 प्रतिशत करा दिया गया है जिसके उपरान्त उक्त कार्य को आधा–अधूरा छोड़कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं जनहित की उपेक्षा की जा रही है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया के तहसील फूलपुर में स्वीकृत ओवर हैड टैंक का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के वार्ड संख्या 23 व 3 को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत वार्ड नं0–23 में एन0एच0–24 से कमला सिनेमा होते हुए एक सड़क जो बिहारीपुरा सामुदायिक केन्द्र तक जाती है व वार्ड नं0–23 व 3 को जोड़ती है, पूर्णतयः क्षतिग्रस्त है, जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं। हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे सड़क अत्यन्त जर्जर हो गयी है। सदैव गन्दा पानी भरा रहता है जिससे बीमारी फैलने का भय रहता है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना भी दुर्भर हो रहा है, की मरम्मत/नवनिर्माण का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन अन्तर्गत पचनधा को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219 माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत रामपुरा ब्लाक में ग्राम कन्जोसा के समीप पचनधा (चम्बल सिन्ध, पहूज, कुवारी, यमुना नदी) संगम पर जिसे पचनधा बोलते हैं पर्यटक स्थल है। जिसे पर्यटक स्थल घोषित करने एवं पुरातत्व विभाग द्वारा रख–रखाव करने तथा यात्री विश्राम गृह बनवाने तथा पक्षी विहांर की स्थापना कराने हेतु मैंने समाचार एवं पत्राचार के माध्यम से एवं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। क्योंकि यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटकों का आना–जाना रहता है। जो कि सरकार के भी संज्ञान में है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त पचनधा को पर्यटक स्थल बनाये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत में नदियों के कारण हो रहे भूमि कटान की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नदी दियोहा, नदी खन्नौत, नदी कटना, नदी अमेडी एवं नदी रपटुआ में बाढ़ एवं भूमि कटान का अत्यधिक प्रभाव रहता है तथा वर्षात में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है इसलिये मांग की जाती रही है कि बीसलपुर, बरेली अंतर्जनपदीय मुख्य मार्ग पर गांव भौरूआ एवं कितनापुर के मध्य नदी दियोहा पर सेतु बीसलपुर–गोला बाया बिलसण्डा मार्ग पर गांव टेहरी के पास नदी कटना पर लघु सेतु बीसलपुर–पूरनपुर वाया रामलीला मैदान मार्ग पर गांव ढकिया रंजीत, गांव मकरंदपुर रोशन सिंह, गांव बुहिता के पास माला नदी पर तीन लघु सेतु तथा एल0वी0 मार्ग पर गांव गुलेंदा गौटिया खुदागंज मार्ग पर गांव बौनी के पास नदी रपटुआ पर लघु सेतु निर्माण किये जाने अपरिहार्य हैं जिनके प्राक्कलन भी लम्बित है। नियम–301 तथा योजित याचिका के अन्तर्गत भी निर्माण कराये जाने का आश्वासन दिया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का भी निर्माण अपरिहार्य है बेनीपुर अल्पिका पर गांव बढ़ेरा की पुलिया से गांव बुहिता की

पुलिया तक, भटपुरा रजवाह पर गांव मवैया से गांव फिरसाह चुर्राह तक, ईंटगांव–पुवाया मार्ग पर गांव चपरौआ कुईया से गांव खन्नौत नदी के सेतु तक बीसलपुर खुदागंज मार्ग पर गांव रसायखानपुर मार्ग से जनपद पीलीभीत की सीमा तक गांव बौनी से गांव मलूकापुर तक, गांव पैनियां हिम्मत से गांव जादोपुर पट्टी तक, गांव मीरपुर ढकरिया से गांव शहजादपुर मार्ग उल्लेखनीय हैं।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की कृपा की जाये तथा निर्माणार्थ कार्यवाही भी की जाये।,

शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर चन्दौली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद चन्दौली स्थित शहीद हीरा सिंह राजकीय महाविद्यालय, धानापुर जिसमें स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु विषय की मान्यता मिली हुई है जिसमें अर्थशास्त्र, अंग्रजी एवं विज्ञान विषयक हेतु प्रवक्ताओं की संख्या कम है। जिससे छात्र–छात्राओं को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है एवं उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व बी0एड0 प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व बी0एड0 प्रशिक्षण एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति की सरकार से मांग करता हूं।,

राज्य सम्पत्ति विभाग के जर्जर आवास संख्या 9/2, डालीबाग, लखनऊ की पूर्ण मरम्मत कराये जाने के के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

ख्मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि मैं जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 144, मोहम्मदी से विधायक निर्वाचित हुआ हूं मुझे लखनऊ में आवास हेतु 9/2, डालीबाग, लखनऊ आवंटित हुआ है। जिसमें मैं अपने परिवार के साथ निवास करता हूं। उक्त आवास अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। आधे आवास की फर्श टूटी हुई है। आवास की बाउन्ड्रीवाल की रंगाई–पुताई भी नहीं हुई है। मैंने अपने आवास को रहने लायक बनाने हेतु आवास में फर्श बनाने, रंगाई–पुताई किये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से लिखित एवं मौखिक अनुरोध भी किया है। मेरे आवास में मरम्मत के सभी कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को **मा0 मुख्यमंत्री जी के सचिव जी ने दिनांक 27–11–2012 को आदेश भी दिये थे तथा सदन में मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा भी निर्देश दिये जा चुके हैं, परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक मेरे आवास के मरम्मत एवं खराब सामान को बदले जाने का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।**

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

वर्तमान में विधान सभा सत्र भी चल रहा है क्षेत्रीय जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर आवास पर आती है, उक्त आवास में मरम्मत आदि के कार्य पूर्ण नहीं होने से मुझे मेरे परिवार एवं क्षेत्रीय जनता को उक्त आवास में रहने में अत्यधिक परेशानी हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख12.44 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 फरवरी, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनायें प्राप्त हुईं–

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 30–3–13 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की घोषणानुसार धन के प्राविधान का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मेरठ नगर निगम द्वारा गोला रोड पर बनाये जा रहे नाले को मानकानुसार न बनाये जाने की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने एवं ठेकेदार का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह तो इसमें आता नहीं है।

तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में नियुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहांर न किये जाने एवं उनके विभागों में सामन्जस्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह इसमें आता नहीं है।

चौथी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की विधान सभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होने एवं बैठक के निर्णयों को प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2013 को उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल की घोषणानुसार धन के प्राविधान का क्रियान्वयन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम देव राय चौधरी जी, बोलें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपकी कृपा से मुझे दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सभी सदस्यों की उपस्थिति में उनके कल्याण हेतु दिनांक 30 मार्च, 2013 को 05 घोषणायें की थीं और जैसा मुझे बताया गया बार काउंसिल द्वारा कि इसके लिये धन आवण्टन भी हो रहा है लेकिन यह जो अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत धन प्राप्त होता है, वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, लखनऊ के मार्फत प्राप्त होता है जिसके चेयरमैन अटॉर्नी

जनरल हैं और विधि परामर्शी, न्याय उसके सचिव होते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुये आपके माध्यम से सिर्फ इतनी मांग करता हूं कि अधिवक्ता इसका अनुपालन न होने से, उसका लाभ न मिलने से आंदोलित हैं और विभिन्न चरणों में वे आंदोलन कर रहे हैं। अभी मार्च महीने की 23 तारीख को उन्होंने विधान सभा घेरने की योजना बनाई है इसलिये आप कृपापूर्वक शासन को यह निर्देश दें कि अज्ञात कारणों से जो उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वह मिले। मान्यवर, एक विशेष बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणायें कोई एक नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से उत्पन्न शोर की स्थिति के मध्य)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, ये उनके घोषणा सेल में अंकित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुये पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि ये घोषणायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये की हैं जिनका अनुपालन किन्हीं कारणों से रुका हुआ है उसको गति मिल जाये ताकि जो अधिवक्ता आंदोलनरत हैं, वे आंदोलन से विरत हो जायें। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मान्यवर, यू0पी0 बार एसोसिएशन के द्वारा जो मांगें रखी गयीं, उन पर मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया और उन मांगों को स्वीकार कर लिया। वकीलों की मांग थी कि नये वकीलों को भत्ता दिया जाये। जो 60 की उम्र के हो गये हैं, उनको पेंशन दी जाये और जो वकील आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो जायें उनको 05 लाख का बीमा दिया जाये। मुख्य मंत्री जी ने तीनों मांगों पर बजट में 40 करोड़ रुपये भी एलॉट कर दिया। जो दो साल लगातार दिया लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह योजना लागू नहीं हो पाई, दो वर्ष हो रहे हैं। यह रुपया ट्रस्टी में चला गया वकीलों का ट्रस्टी अधिवक्ता संघ एवं बार एसोसिएशन का एक सम्मिलित ट्रस्टी होता है, रुपया उनके पास है जिसके चेयरमैन, ऑडिटर जनरल ऑफ उ0प्र0 हैं लेकिन यह रूपया रिलीज नहीं हो रहा है कोई–न–कोई टैक्निकल प्रॉब्लम होगी। मंशा सबकी साफ है लेकिन कोई टैक्निकल कारण ऐसा होगा जिसके कारण यह रिलीज नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से हम केवल यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी टैक्निकल कठिनाईयां हैं उन्हें दूर किया जाए। दूर करने के बाद उनका रूपया रिलीज हो और जिस प्रकार से वकील लोग आंदोलनरत हैं, वह आंदोलन समाप्ति की घोषणा हो। मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद कठिनाइयों को दूर करने के बाद ही यह होगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने वकीलों के सामने कहा था कि 200 करोड़ रूपया उपभोक्ता कल्याण निधि के बढ़ायेंगे। विगत दो वर्षों से 40–40 करोड़ रूपया नहीं दिया। इस वर्ष तो दे दिया है, लेकिन विगत वर्षों में नहीं दिया, जिससे कि जो रूपया आयेगा उसी के ब्याज से लोगों को पॉच हजार रूपया दिया जायेगा लेकिन मान्यवर, यह जो बैकलाग है यह पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए बार कौंसिल के लोग हड़ताल पर हैं और जो माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, उसकी भी आलोचना हो रही है कि पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर हमारा अनुरोध है चूंकि यह बजट सत्र है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी जो बैकलाग है उसे भी पूरा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्यमंत्री जी आप इस पर कुछ कहेंगे कि हम निर्णय कर दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप भी और हम भी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह आपका जो प्रश्न है यह ऐसा कोई औचित्य का सवाल नहीं है। औचित्य तो नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न औचित्य का तो है। माननीय अध्यक्ष जी बोलने तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलिए।

विधान सभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होने एवं बैठक के निर्णयों के प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं, क्योंकि संसदीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि 18 तारीख को महामहिम जी का अभिभाषण हुआ है और सरकार को यह पहले से मालूम था कि आज सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी। बजट एक प्रकार का वित्त विधेयक होता है। आज समाचार–पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुआ है। उसके बारे में कल हम इस बात को जानते भी थे।

श्री अध्यक्ष–

समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

नहीं, नहीं मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

तब फिर आप क्यों समाचार–पत्रों का उद्धरण दे रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आप आगे सुने ही नहीं। इसके बारे में ही तो मैं कहने जा रहा था आपसे। जिसके बारे में हम लोग कल जानते थे कि कैबिनेट की बैठक हुई थी। हमें कैबिनेट की बैठक से तो कोई एतराज नहीं हो सकता है, किन्तु अगर कैबिनेट की बैठक में अगर कुछ ऐसे निर्णय लिये जाएं, जिनका सीधा सम्बन्ध सरकार के पॉलिसी डिसीजन से है या सरकार की वित्त व्यवस्था से है, दोनों से है। तो यह एक बहुत मौलिक प्रश्न है कि यदि कैबिनेट में लिया गया तो कोई बात नहीं। आपके अभिभाषण में नहीं था, चलिए यह भी एक बार के लिए चल जायेगा, लेकिन कम से कम आज जो बजट प्रस्तुत किया गया था। वह कल कैबिनेट के निर्णय को समाचार–पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया। कम से कम उन व्यवस्थाओं को आज के बजट में होना चाहिए था, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न यहां खड़ा हो गया। अध्यक्ष जी, मैं तो साफ बात कर रहा हूं आप स्वयं निरपेक्ष आदमी हैं मैं जानता हूं मैं इनमें से जो प्रमुख तीन–चार निर्णय हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह हम समझ रहे हैं यह अखबारों में प्रकाशित हुए हैं निर्णय हैं न कैबिनेट ने देने की घोषणा तो नहीं की।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, बात सुनिये या तो अखबारों को आप अवमानना की नोटिस दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अखबारों का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कैबिनेट नोट के आधार पर बनायी गई यह खबर है। आखिर सरकार को यह बताना चाहिए कि इतने बड़े–बड़े निर्णय बजट के पहले क्यों घोषित कर दिये गए। यह कोई छोटे–मोटे निर्णय नहीं हैं। इन निर्णयों को आप देखिए मुगलसराय में एक नया तहसील बनाया जायेगा। मेडिकल कालेज में प्रदेश के बाहर के डॉक्टरों की नियुक्ति की जायेगी। इस प्रदेश के डॉक्टरों की तो हम नियुक्ति कर नहीं पा रहे हैं, अन्य प्रदेश के डाक्टरों को यहां नियुक्ति दी जायेगी। अध्यक्ष जी, यदि ऐसा कोई निणर्य हुआ है तो सरकार यह कह दे कि यह सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष–

यह अग्राह्य है। आप हमारी बात तो सुन लीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन की अवमानना नहीं होनी चाहिये। आपने साहित्य इकट्ठा कराये हैं, आपने आपके पहले के माननीय अध्यक्षों के निर्णयों को कलेक्ट कराया है तथा इस बारे में माननीय पीठासीन अधिकारियों के क्या निर्णय हैं, उनको भी कलेक्ट कराया है। आपने अध्ययन किया है, पढ़ा है और आप भली–भांति जानते हैं। समाचार–पत्रों में जैसा कि छपा है कि जो कैबिनेट ने अपनी घोषणा करके बजटीय प्राविधान किये हैं, उनको आज प्रस्तुत बजट में लाने का काम नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी आप पहले बैठ जाइये, आपकी बात आ चुकी है। आप इतनी देर बोले हैं, अब हमको भी सुनिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ठीक है मान्यवर। मैं बैठ जाता हूं

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, आप जानते हैं कि समाचार–पत्रों का संज्ञान यहां नहीं लिया जाता है। आपका कहना है कि अखबारों में छपा है कि कैबिनेट ने फलां–फलां निर्णय लिये हैं और वह निर्णय इस बजट में नहीं हैं, तो जब यहां समाचार–पत्रों में छपी खबरों का संज्ञान ही नहीं लिया जाता है, तो इस बारे में बोलने की क्या जरूरत है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, हमारे लायक साथी डाक्टर साहब ने जो प्रश्न उठाया था, वैसे तो आपने उसे अग्राह्य कर दिया है, लेकिन उसके लिए इनको मंत्री बनाया जाना चाहिये जिससे इन्हें जानकारी हो कि कैबिनेट के निर्णयों के बारे में और उसके क्रियान्वयन में कितना समय लगता है। उससे ज्यादा हैरत इस बात से हुई कि इन्होंने बात इससे शुरू की कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। संवैधानिक संकट दिन में कई बार यहां पर खड़ा होता है और इस संकट के बावजूद भी विधान भवन टिका हुआ है। बड़ी हैरत की बात है, इसमें कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। अगर यह सही है कि विधान सभा में समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन कैबिनेट के बाद खुद माननीय मुख्य मंत्री जी प्रेस को एड्रेस करते हैं और प्रेस को बताते हैं कि आज कौन–कौन सी खास बातें कैबिनेट में तय हुई हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं होती है, जो छपी हुई हो लेकिन यह चीजें कैबिनेट में पास होती हैं उसके बाद उसके लिए एक लम्बा प्रोसीजर है। अगर यह इस बजट में नहीं आया है, तो आगे सप्लीमेण्ट्री में आयेगा। बहुत सी चीजें हैं जिनके आने की जरूरत भी नहीं होती हैं। आपकी जिज्ञासा सही भी है और नहीं भी

है ? तो जो–जो आया है उस पर पहले काम हो जाये। हम समझ रहे हैं कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं मद संख्या–4 ले रहा हूं

ध्1.53 बजे, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–ए एवं खण्ड–बी वर्ष 2013–2014 व विनियोग लेखे वर्ष 2013–2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड–ए एवं खण्ड–बी वर्ष 2013–2014 व विनियोग लेखे वर्ष 2013–2014, उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1795/ग्यारह–9(86)–14–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(123)–2014††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1795/ग्यारह–9(86)–14–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(123)–2014, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1796/ग्यारह–9(114)–12–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(124)–2014 †† ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना

संख्या–क0नि0–2–1796/ग्यारह–9(114)–12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(124)–2014, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–1797/ग्यारह–9(14)–97–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(125)–2014 †† ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1797/ग्यारह–9(14)–97–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(125)–2014, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं

---

† Nkik ugha x;kA

†† Nkih ugha xbZA

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–136/ग्यारह–9(14)–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(125)–2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–136/ग्यारह–9(11)–14–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(127)–2015, दिनांक 28 जनवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हं।

समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) की अधिसूचना संख्या–1761/कनिप्र–26–3–2014–13(60)–2013

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) की अधिसूचना संख्या–1761/ कनिप्र–26–3–2014–13 (60)–2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के द्वारा प्रकाशित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2014 को, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा–36 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं

उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 (दिनांक 14–11–2014 से 25–11–2014 तक) नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2014 (दिनांक 14–11–2014 से 25–11–2014 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या– 14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11 में कुछ नहीं है।

ख्2.00, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में गुगॉवद एवं रिछोहा बन्धा को पक्का कराये जाने विषयक श्री राकेश गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[४ ४]

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में गुॅगावद एवं रिछोहा बन्धा को पक्का कराये जाने विषयक श्री राकेश गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

[†] Nkik ugha x;kA
[†] Nkik ugha x;kA
[††] Nkih ugha xbZA

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैया में जर्जर एवं टूटी व गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरारी लाल कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैया में जर्जर एवं टूटी व गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मुरारी लाल कुशवाहा व श्री शेलेन्द्र कंषाना निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं

जनपद आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर इण्टरलाक, सी0सी0 एवं नाला निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री अमरनाथ आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कालीचरन सुमन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर इण्टरलाक, सीसी एवं नाला निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री अमरनाथ व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[*]

श्री कालीचरन सुमन–

जनपद आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गो की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री बच्चू सिंह पाण्डेय व अन्य निवासीगण–जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सिंह जसावत व अन्य निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कालीचरन सुमन–

जनपद आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रघुवीर सिंह जसावत व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री राम किशन कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[†]

श्री कालीचरन सुमन–

---

[*] Nkik ugha x;kA

[†] Nkik ugha x;kA

जनपद आगरा के 90–ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गो की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री राम किशन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–आगरा के 90–आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना किनारे बसे कतिपय ग्रामों की कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) बनवाये जाने विषयक श्री चेतराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

श्री कालीचरन सुमन–

जनपद आगरा के 90 आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना किनारे बसे कतिपय ग्रामों की कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) बनवाये जाने विषयक श्री चेतराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं

जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा–खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 सेमरियावां से गुलरिहवां, छपिया माफी होते हुए ग्राम पंचायत सरसादपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मतीउलहक आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा–खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बीएमसीटी सेमरियावां से गुलरिहवां, छपिया माफी होते हुए ग्राम पंचायत सरसादपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री मतीउलहक व श्री लल्ला प्रधान निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 लोहरौली चौराहे से ग्राम पंचायत सिसवादखिली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री सहाबुद्दीन आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 लोहरौली चौराहे से ग्राम पंचायत सिसवादखिली तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री सहाबुद्दीन व श्री सैय्यद अली निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड बघौली में स्थित छाछापार से बधवा होते हुए नाऊडाड तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजेश चौधरी आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[†]

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड बघौली में स्थित छाछापार से बधवा होते हुए नाऊडाड तक सड़क की मरम्मत कराये

[†] Nkik ugha x;kA

जाने विषयक श्री राजेश चौधरी व श्री शम्भूनाथ निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 मुडाडीहा बेग से ग्राम पंचायत दरियाबाद सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री असगर अली आदि अहमद निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका४

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 मुडाडीहा बेग से ग्राम पंचायत दरियाबाद सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री असगर अली व श्री मुम्ताज अहमद निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद–संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास–खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां पिपरा मार्ग पर पेट्रोल पम्प से ग्राम पंचायत कड़जा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वसीर अहमद आदि निवासीगण जनपद–संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद संत कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां पिपरा मार्ग पर पेट्रोल पम्प से ग्राम पंचायत कड़जा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वसीर अहमद व श्री मुस्ताक अहमद निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–15, 16 एवं 17 इसमें कुछ नहीं है।

राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की

धारा–13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार, विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम–निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 24 फरवरी, 2015 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त राज्य समन्वय समिति में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (जी) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 24 फरवरी, 2015 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त राज्य समन्वय समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त राज्य समन्वय समिति में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख2.10, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[¥]

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, अपनी चर्चा प्रारम्भ करें ।

' श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये संशोधनों पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं मान्यवर, मैं दो हिस्सों में अपनी बात रखूंगा, एक तो मैं जिनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो उन्होंने कहा था, उसके बारे में कहूंगा और थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये कहा कि बोतल नई थी और शराब पुरानी थी, इसका तो मैं समर्थन कर रहा हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी मेरे समर्थन से सहमत होंगे कि अगर वही बोतल थी और वही शराब थी और मयखाना भी वही था, तो उसी के कारण जो इनकी दुर्दशा हुयी थी उसी रास्ते पर आप चलेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। मान्यवर, इन्होंने कहा कि हम जो चला रहे थे उसको चला रहे हैं, अगर इनका वही अच्छा होता तो फिर आप भी अपना हश्र समझ लीजिये। अगर वही आप भी चला रहे हैं तो फिर आलोचना करने की क्या जरूरत थी। जो यह चला रहे थे उसको आगे बढ़ाने का काम आपने जरूर किया है। भ्रष्टाचार को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, जो इनकी सरकार में चरम सीमा पर था। नोएडा के एक व्यक्ति का नाम आया पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपये उन्होंने कमाये। वह नीचे के स्तर पर था उसका प्रमोशन करके एक एथारिटी का चार्ज देने का काम इससे पूर्ववर्ती सरकार ने किया था और उसको आगे बढ़ाकर तीन एथारिटी के काम की जिम्मेवारी देने के लिये इस सरकार ने आदेश कर दिये। जिस समय यह सरकार थी, बहुत शोर मचता था खनन को लेकर। कि वहां पर अवैध वसूली की जाती है किस–किस नाम से की जाती है मुझे नहीं मालूम। कोई कहता था माया टैक्स है, कोई और टैक्स बताता था और यहां सामने बैठे हुये सदस्य उस समय बड़ा शोर मचाते थे। आज अगर कोई सबसे बड़े खनन् माफिया के रूप में किसी का नाम आया है तो इस सरकार के एक व्यक्ति का नाम आया है। उसको भी आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस व्यक्ति ने इस बात को रखा मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये भी मैं इनका समर्थन करता हूं कि पिछली सरकार में जिस प्रकार से अराजकता थी....

(इस समय 02 बजकर 09 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनूप सण्डा पीठासीन हुए)

कल ही इस विधान सभा में एक मामले के उत्तर के रूप में मिला कि अवैध वसूली की घटनायें विगत वर्षो में इस प्रदेश में बढ़ी हैं। अगर वसूली और रंगदारी की घटनायें बढ़ी हैं तो हम समझ सकते हैं कि इस सरकार का कितना इकबाल है और सरकार का

---

† fnukad 19 Qjojh] 2015 dh dk;Zokgh lsA

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

संरक्षण प्राप्त करके लोग किस प्रकार से वसूली कर रहे हैं। क्या यही है लोक जनकल्याण की सरकार की बॉतें। इन्होंने अपनी सरकार में पत्थर लगवाये, आप उस ओर आगे नहीं बढ़े, आपने नई योजना ला दी और वहां पर पैसे बहाये। मान्यवर, जब कार्य मंत्रणा की बैठक होती है उसमें जो भी तय होता है, उसको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। उसमें स्वीकार किया गया कि नियम–311 और नियम–56 की सूचनायें नहीं ली जायें, वह सूचनायें नहीं ली गयीं। लेकिन जो लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न है उनको अगर हम अपने अभिभाषण चर्चा में नहीं लेंगे और अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर कब कहेंगे।

सरकार को चलाने के लिये सरकार की धमक और सरकार की कार्यप्रणाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले तीन साल से इस सरकार की कार्यशैली इतनी बढ़िया है कि इस दौरान इन्होंने 6 डी0जी0पी0 बदल दिये जो पुलिस का सबसे बड़ा और सबसे सक्षम अधिकारी होता है वह अधिकारी जिसको पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान संभालनी होती है उसको पता नहीं रहता या तो उसके रिटायरमेंट की डेट तय होती है, एक महीने, दो महीने के बाद उसको रिटायर हो जाना है या उसको पता नहीं होता कि कब उसको हटा दिया जायेगा। इसके पहले हमने देखा कि डी0जी0पी0 अपने घर से मीटिंग के लिये चले, मीटिंग में पहुंचे और उनको वहां कहा गया कि अब तुम डी0जी0पी0 नहीं हो। वह तो बेचारे घर से चले तैयार होकर मीटिंग के लिये और वहां पहुॅचने पर उनका अपमान करने का काम किया गया और आपने तीन साल में 6 पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को हटा दिया, क्यों, क्या इस तरीके से सिस्टम चलेगा, क्या यह तरीका है। इससे एक तो जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनका मनोबल डाउन होता है और अगर समय–सीमा उनको पता होती है कि हमको इस तारीख को जाना है तो उनकी काम में रुचि नहीं रहती है। केवल यहीं तक आप नहीं रुके, आपने जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, गृह होते हैं उनमें से भी पांच–छः को हटा दिया। क्या ऐसे कारण थे कि आपने डी0जी0पी0 भी बदल दिये और प्रमुख सचिव, गृह भी बदल दिये। आप औद्योगिक विकास की बात करते हैं तथा आप एक औद्योगिक विकास की नींव नहीं रख पाये इतने समय के अन्तर्गत और औद्योगिक विकास की जिसकी जिम्मेवारी है उसको यह भी नहीं पता है कि औद्योगिक विकास करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। यह मान्यवर, आपकी कार्यशैली है और उस कार्यशैली के अन्तर्गत आप प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो प्रदेश का विकास इस तरीके से होने वाला नहीं है। अगर सख्ती है सरकार की तो वह दिखनी भी चाहिए केवल कागज पर लिखकर सौ पन्ने या डेढ़ सौ पन्ने दस्तावेज से इस प्रदेश में कानून–व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है, जैसा कि हमने बोला कि यही है सारा सिस्टम। घोड़ा भी वही होता है जिसमें उसके ऊपर चलाने वाला सही तरीके से उस पर बैठकर चलाता है तब वह रेस में आगे जाता है। मान्यवर, अपेक्षा थी, उम्मीद थी, जैसे लोग संसदीय कार्यमंत्री के रूप में सामने बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपेक्षा थी। इनके पास शक्ति आज भी है लेकिन जमीन के अन्तर्गत वह कहां चली जाती

है पता नहीं। योजनाएं बहुत सारी हैं, हम गरीबों के लिए आवास दे रहे हैं लेकिन पात्र और अपात्रों के बीच में चयन करने की जिम्मेवारी भी तो सरकार की ही है। एक बात मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि यदि 10 व्यक्ति हों और उसमें से 2 पात्र हों और उन दो पात्रों में से किसी एक को चुनना हो तो दूसरा भी नाराज नहीं होता है यार मैं भी पात्र था और यह भी पात्र था इसको मिल गया लेकिन अगर एक अपात्र को मिल गया तो 8 अपात्र समझते हैं कि अगर इसे मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। मान्यवर, क्योंकि हमारी यहां पर जिम्मेवारी होती है कि हम सरकार को सचेत करें और सचेत करने के लिहाज से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें जरूर सख्ती बरतिये।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी ने जो 10 मिनट तय किये थे उसमें अभी शुरूआत हुई है। मैंने कहा कि अपात्र को यदि आप देंगे तो 9 नाराज होंगे और यदि आप पात्र व्यक्ति को लाभ देंगे तो एक भी आदमी नाराज नहीं होगा। आप प्रदेश की प्रगति की बात करते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं मा0 महाना जी की बात से सहमत हूं महाना जी की बात से कोई सहमत हो या ना हो लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पात्र को मिलना चाहिए। अब जैसे केन्द्र सरकार किसी अपराधी को जेड–प्लस सिक्योरिटी दे दे तो और अपराधियों को भी देना चाहिए।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह यहां का विषय नहीं है। मैं उस पर नहीं जाऊॅगा कि किसने क्या दिया, किसने क्या दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यहीं का विषय है, इसी सदन के सदस्य हैं और अपराधी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा उसका यहां पर सन्दर्भ नहीं था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

एक अपराधी को देंगे तो सबको दीजिए, भारत सरकार दे सारे अपराधियों को जेड–प्लस सुरक्षा।

श्री धर्मपाल सिंह–

आप अपराधी कैसे कह सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपका कहना है कि अपराध साबित हो जाए, जब अपराध साबित हो जायेगा तो वह जेल में होंगे। ऐसे सभी अपराधी जो अभी जेल नहीं गये हैं अन्डर–ट्रायल हैं उन सबको जेड–प्लस सुरक्षा दे दें और मुजफ्फरनगर में जितने भी दंगा कराने वाले हैं सबको सिक्योरिटी दे, हम पर भी उंगली है हमें भी जेड–प्लस सुरक्षा दें क्योंकि यह इल्जाम हम पर भी है, मुझे भी दिलवाइये मगर हम पात्र नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माहौल तो देखिये। मान्यवर, पहली बात यह कि यह सन्दर्भ नहीं था इस तरह की बात कहने का।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अच्छा जो आप कहें वह सही और जो हम कहें वह गलत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, दूसरी बात वह आरोपी हो सकते हैं, अपराधी नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं भी तो आरोपी हूं

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

तीसरी बात, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में अदालतों में क्या हो रहा है। अदालतों में लोग मारे जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो उस मारने वाले को भी दिलवाईये, उस अपराधी को भी दिलवाईये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अरे, आप कहां की बात कर रहे हैं बात यहीं पर रखिये, यह अपने आप में सही नहीं है और जिसको सुरक्षा आवश्यक है उसको दी जानी चाहिए। सुरक्षा एक निजी मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अरे आपके पास तो वैसे सिपाही से लेकर डी.जी.पी. तक सब मौजूद है, जिसे चाहे आप बुला लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह आप सब ले लीजिए और भारत सरकार से जेड प्लस सिक्योरिटी दिलवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आप भी एप्लाई कर दीजिए, आपको तो वैसे ही मिल सकती है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जाने कब से एप्लाई किया हुआ है।

श्री धर्मपाल सिंह–

अब फिर कर दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सिपाही से लेकर डी.जी.पी. तक आपके हुक्म के गुलाम हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उसकी एक प्रति मान्यवर को दे दूँगा, आपको भी दे दूंगा।

श्री सतीश महाना–

अब मैं बोलूं?

श्री अधिष्ठाता–

आप बोलें परन्तु समय का कृपया ध्यान रखें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, अभी तो मैंने प्रारम्भ किया था कि यह वार्तालाप शुरू हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

महाना जी, मा0 अध्यक्ष जी ने आपके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया था और वह समय लगभग पूरा हो गया है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुरक्षा चाहिए तो यह उसका नियम है कि यह उसके लिए अप्लाई करें, यहां से सूचना भेजें। वह यह जाने और वह जाने, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी आप उद्योग की बात करते हैं, जब आप बिजली नहीं देंगे तो उद्योग कैसे चलेंगे? जो आप कहते हैं कि 16 घण्टे, 10 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, सितम्बर में आपके यू0पी0पी0सी0एल0 के आंकड़े निकलवा लीजिए आपने एक दिन में दो घण्टे बिजली दी है पूरे सितम्बर माह में, दो घण्टे, तीन घण्टे बिजली दी है। यह मैं नहीं कह रहा यह सरकारी रिकार्ड कह रहा है, मेरे पास यह रिकार्ड है, उससे मैंने आपको बताया। जब आप औद्योगिक वातावरण नहीं बनायेंगे, बिजली नहीं देंगे तो उद्योग की कल्पना कैसे कर सकते हैं और बिना उद्योग के आप प्रदेश की प्रगति सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ बिन्दुओं पर बात कहना चाहता हूं

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बीच में 10 मिनट और लोगों ने ले लिया।

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप बहुत अच्छे हैं। (हंसी) मान्यवर, दूसरी बात इण्डस्ट्री नहीं है, बिजली नहीं है। इस बार खाद तो सिर्फ ब्लैक में बिका है।

श्री राम लाल अकेला–

महाना जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कम से कम सही बात तो बोलिये।

श्री अधिष्ठाता–

जब आप बोलियेगा तो जवाब दे दीजिएगा। महाना जी, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मा0 नगर विकास मंत्री जी तक मैं अपने आप को सीमित रखूँगा, इनका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है और विधान सभा में लोग कहते हैं कि इन पर कृपा रहती है। महामहिम श्रीराज्यपाल जी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के आधार के ऊपर उन क्षेत्रों के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह नगर विकास मंत्री जी जो लिखते हैं महामहिम जी उसे विशेष रूप से पढ़ते हैं, जो यहां पर पढ़ा गया। बाहरी क्षेत्रों के लिए बढ़ती आबादी के लिए हमारे को इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो तीस–तीस, चालीस–चालीस सालों से बाहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको एक ओवर हेड टैंक नहीं मिल रहा है। (मा0 नगर विकास मंत्री जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि जो भी आप पत्र भेजते हैं उस पर काम होता है, आप बता दो कि नहीं होता है।) मैं यह नहीं कह सकता कि आपने मेरा काम नहीं किया। लेकिन मैं प्रदेश के लिए खड़ा हुआ हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम उद्योगों को ठीक करें, लॉ–एण्ड–आर्डर को ठीक करें, इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, बिजली को ठीक करें। आज बजट आया है बजट के ऊपर जिस समय विस्तार से चर्चा होगी तो एक–एक मद के ऊपर सारे सदस्य चर्चा करेंगे। आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि उस अपराधीकरण को बढ़ाने का काम जो इन्होंने शुरू किया था उसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक आरोप जो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी का जिसका अखबार में नाम आया, नोएडा में उसको आपने तीन–तीन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी दे दी। मैंने स्वयं वहां के मुख्य अधिशासी अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि दौरान इन्क्वायरी उनको प्रमोशन दे दी गयी। अगर पेंडिंग इन्क्वायरी के उनको प्रमोशन दे दी गयी अगर इन्क्वायरी के दौरान प्रमोशन दिया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। जॉच इसमें जब

तक सी0बी0आई0 से नहीं होगी तब तक उसके दाग उसके छीटे सरकार पर अनावश्यक रूप से पड़ते रहेंगे। इसलिए मैं सी0बी0आई0 इन्क्वायरी की मांग करता हूंइससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक आदमी भ्रष्टाचारी है तो दूसरा आदमी क्यों उसके लिए सुने मैं हमेशा विधान सभा में कहता आया हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार और बेईमानी करेगा तो इस सदन में बैठे हुए लोगों को उसका संरक्षण नहीं करना चाहिए। विद्युत उत्पादन को आगे बढ़ाने का सरकार काम करे इतना निवेदन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं

श्री सन्तराम कुशवाहा–

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय आपने श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया है मैं नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर अपने को जोड़ता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपना संशोधन प्रस्ताव सही रखा है क्योंकि श्री राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था वह कुछ ही हिस्से के लिए था पूरे प्रदेश के लिए नहीं था। वह कुछ इलाके जिले या जगहों के लिए था क्योंकि मैं आज ही नहीं वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना है। मान्यवर, जनपद जालौन की माधौगढ़ विधान सभा के लिए हम हमेशा दो–चार बिन्दुओं को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोड़ने की बात करते हैं। उस विधान सभा की तरफ आज भी नहीं देखा गया है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव को सही मानता हूं और अपने को उसमें जोड़ता हूं मान्यवर, माधौगढ़ विधान सभा लगभग 15–16 लाख आबादी का क्षेत्र है और जनपद जालौन की सबसे बड़ी विधान सभा है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि पूरी विधान सभा में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में माधौगढ़ विधान सभा के कस्बा कौंच में एक राजकीय महाविद्यालय एवं एक राजकीय कन्या विद्यालय तथा माधौगढ़ कस्बा जो टाउन एरिया नगर पालिका है उसमें एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया जाय। दूसरा माधौगढ़ विधान सभा में आज भी लगभग 40 ग्राम मजरे ऐसे हैं जिसमें विद्युतीकरण नहीं है मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे जितनी बड़ी ग्राम सभा हो या टाउन एरिया हो लेकिन विद्युतीकरण तो है लेकिन जो मलिन बस्तियॉ हैं जो गरीब लोगों के इलाके हैं उनमें आज भी बिजली तार खम्भे नहीं हैं लेकिन मुहल्ले के लोगों के यहां बिल जरूर पहुॅच जाता है। यह विधान सभा में दोहरी तरह से मार है इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि जो 40 मजरे गांव बचे हैं उनमें विद्युतीकरण कराया जाय और जिन टाउन एरिया बड़े गांवों में जो बस्ती की बस्ती मुहल्ले के मुहल्ले विद्युतीकरण से छूटे हैं उनमें तार और खम्भे गड़वाकर उस पूरे गांव में विद्युतीकरण पूरा कराया जाय तथा मान्यवर जनपद जालौन में विद्युतीकरण की बुरी हालत है किसान वहां का त्रस्त है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि जनपद जालौन में डकोर ब्लाक है। डकोर ब्लाक में एक दौलतपुरा गांव है। वहां पर मनीष द्विवेदी ने वर्ष 2001 में अपने निजी नलकूप के लिये रसीद और इस्टीमेट जमा करा दिया कई बार अधिशासी अभियंता महोदय से उन्होंने प्रार्थना की लेकिन आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ उस

निजी ट्यूबवैल का। उसके बाद जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने दो बार जिलाधिकारी से कहा। जिलाधिकारी ने तत्काल अधिशासी अभियंता को आदेश किया कि एक हफ्ते के अंदर निजी नलकूप में विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। उसके बाद दो बार या शायद तीन बार अधिशासी अभियंता ने आदेश किया लेकिन वहां का एस0डी0ओ0 और जे0ई निजी नलकूप में विद्युत व्यवस्था कराने के लिये तैयार नहीं हैं। उसका एक ही कारण है कि पूरे जनपद में विद्युतीकरण के नाम पर लूट मची हुई है और एक–एक ट्यूबवेल के कनेक्शन में कम से कम 25–25 हजार रुपये किसानों से लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार इसमें जॉच कराये और दोषी अधिकारियों को दंड दिलवाये तथा जिस तरह का हमने उदाहरण बताया उस तरह के वहां सैकड़ों किसान हैं उन्हें राहत मिले, उनको निजी टयूबवेल पर विद्युतीकरण मिले जिससे यह किसान अपनी खेती विधिवत् कर सकें।

मान्यवर, एक और उदाहरण में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माधोगढ़ विधान सभा में गोहन सहवाजपुर है, वहां पर 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वहां पर एक साल में कम से कम 10 ट्रांसफार्मर बदले गये। ट्रांसफार्मर नया रखा जाता है और जैसे ही उसमें लाइट प्रवाहित की जाती है तो एक बार तो वह ब्रस्ट हो गया उसमें पानी निकला। अध्यक्ष जी, उस गांव में गोहन सहवाजपुर में दो सवा दो सौ कनेक्शन हैं और बिजली विभाग एक कनेक्शन पर दो हार्स पावर मानक रखे है तो कम से कम 200 कनेक्शन पर 400 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए लेकिन वहां 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर रखा है। ऐसे ही जिले में कई जगह अव्यवस्था है। इसलिये हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जिन गांवों में बिजली कनेक्शन हैं और उनके मानक के अनुरूप ट्रांसफार्मर नहीं रखे गये हैं वहां पर मानक के अनुरूप ट्रांसफार्मर रखा जाय और गोहन में कम से कम 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर रखा जाय जिससे वहां पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से होगी।

श्री अधिष्ठाता–

समय का ख्याल रखें।

श्री संत राम कुशवाहा–

मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है वहां चीनी मिल लगी हुई थी और इसी सदन में समाजवादी पार्टी के माननीय नेता मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और जब गोहन पहुंचे उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि यह चीनी मिल पुरानी हो गई है इसको हटाकर हम बड़ी चीनी मिल लगवायेंगें माधोगढ़ विधान सभा में। चीनी मिल को नीलाम कर दिया गया लेकिन उस चीनी मिल की जगह आज भी चीनी मिल नहीं लगी है और किसानों को अपना गन्ना 100–110 रुपये में बेचना पड़ता है। मान्यवर, जनपद जालौन में भूसा तो महंगा है लेकिन गन्ना किसी भी गांव में नहीं बेचना पड़ता है। हो सकता है कि गर्मी में गन्ने में आग भी लगानी पड़ती है। मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोंच से कौलिया सनैया जो मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ता है उस रोड को यू0पी0 हाई रोड बनाया जाय जिससे कि जनपद और मध्यप्रदेश के लोगों

का आना जाना शुरू हो जाए। मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा यमुना, चम्बल, सिन्ध, क्वारी यमुना पहूज बहुत सी नदियों के बीच में फंसा हुआ है जिसकी वजह से वहां की अति उपजाऊ जमीन ऊंची–नीची हो गई है इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर वहां का समतलीकरण करा दिया जाए और कम से सौ राजकीय नलकूप लगा दिए जाएं तो माधोगढ़ की गरीब जनता भुखमरी से बच जाएगी और माधेगढ़ विधान सभा से उनका पलायन भी रुक जाएगा। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ऐसी ऊंची–नीची जगह का समतलीकरण कराकर सौ राजकीय नलकूप लगाए। जिससे आम गरीब जनता का भरण पोषण हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संतराम कुशवाहा–

मान्यवर, माधोगढ़ विधान सभा में पेयजल की समस्या गम्भीर है वहां पर कम से कम पांच सौ इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्प दिए जाएं। क्योंकि यहां टंकी और पाइप लाइन नहीं चल सकती है यहां ऊंची–नीची जगह है इसलिए यहां पर पांच सौ इण्डिया मार्का टू हैण्ड पम्प दिए जाएं। यही हमारा आपसे अनुरोध है। मान्यवर, एक विकराल समस्या है काफी समय से, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्य मंत्री जी हुए थे..

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी ने दस मिनट का समय दिया है अब आप समाप्त करें।

श्री संतराम कुशवाहा–

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री बने थे तो हमने एनेक्सी में देखा था कि एक बहुत अच्छा बोर्ड पचनदा बांध का लगा था। कई बार सदन में भी पचनदा बांध पर चर्चा हुई कि पचनदा बॉध बनेगा। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उस पचनदा बांध बनने के लिए सरकार इस पर कार्यवाही करे। मुझे पता है इसके पहले वाली सरकार में बी0पी0 प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्र को पहुंच चुकी है और आपके माध्यम से सरकार अगर पहल कर ले तो अगर पचनदा बांध बनेगा तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों प्रदेशों से नदियां आती हैं और उत्तर प्रदेश में इटावा के आसपास का इलाका औरैया के आसपास का इलाका, जालौन के आसपास का इलाका खुशहाल हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री संतराम कुशवाहा–

हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि यह भी मा0 राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाए साथ ही हम नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार मानती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपना मत रखने का मौका दिया। विपक्ष के हमारे कई मा0 साथियों ने अलग–अलग तरीके से संशोधनों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन सब बातों से मैं खुद को जोड़ते हुए कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। आज ही मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो भी हम प्रस्तुत करते हैं सदन में वह समाजवादी पार्टी के मूल्यों और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिद्धान्तों के आधार पर हमारी सोच के आधार पर हमारी प्रस्तुतियां होती हैं, हमारा विजन डाक्यूमेंट होता है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण विजन डाक्यूमेंट है और यह तीसरा विजन डाक्यूमेंट है इसमें तीन मुद्दों पर मैं विशेष रूप से बात करना चाहती हूं और उसमें सबसे पहला है महिला सशक्तिकरण जिसके बारे में कहना चाहूंगी। मान्यवर, मैं हर बार देखती हूं कि जब भी बजट प्रस्तुत होता है या अभिभाषण होता है तो महिलाओं के सन्दर्भ में उनके सशक्तीकरण के सन्दर्भ में बात नहीं होती है। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि हमनें हेल्पलाईन के द्वारा 2.5 लाख महिलाओं को लाभ दिया है उनको न्याय दिलाया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रतिष्ठानों में महिला शिकायत केन्द्र नहीं है। कामकाजी महिलाएं रोज कहीं न कहीं शोषण का शिकार होती हैं। सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं देती है। सरकार के द्वारा इतने बड़े स्तर पर व्यवस्था करने के बावजूद, पुलिस आधुनिकीकरण के दावों के बावजूद, हेल्पलाईन शुरू करने के बावजूद भी थानों के अन्दर लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, लड़कियों को खुलेआम काट कर फेंक दिया जा रहा हैं। सड़कों पर रोज उनका मोलेश्ट्रेशन होता है, रोज उनके साथ छेड़खानी होती है। इस वजह से महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में बिगड़ी हुई है। सिर्फ यह कह देना कि सरकार को बदनाम करने का प्रयास है यह गलत है। निश्चित रूप से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। 2014 में 3680 रेप की जो घटनाएं हुईं यह क्यों दृष्टि में नहीं आतीं सेंसेटाईजेशन ऑफ पुलिस अर्थात यह सरकार पुलिस फोर्स को संवेदनशील बनाने के लिये कब काम करेगी और कैसे करेगी ? महिलाओं की संख्या पुलिस फोर्स में कब बढ़ेगी और इन बातों पर मैं सोचती हूं कि पॉलिसी डिसीजन होने की जरूरत है इसमें नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। अभी प्रदेश में बड़ी संख्या में इतने सारे रोजगार के रास्ते खोले जाने हैं। महिलाओं का आरक्षण यहां क्यों नहीं हो सकता ? तमिलनाडु, हरियाणा एवं अन्य प्रदेशों में बहुत सी सेवाओं में आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में यदि आरक्षण हो तो हम जानें कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता महिलाओं के प्रति है। साथ ही साथ यदि आप एनआरएलएम की योजना देखें तो सरकार की एक बहुत बड़ी वेबसाईट है। जिसमें सात करोड़ गरीब परिवारों तक हम आठ से दस साल के अन्दर पहुंचने का लक्ष्य इस योजना को लागू हुए पॉच साल हो गए और मात्र 65 हजार समूह बन पाए हैं। कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कैसे उसको पूरा करेंगे ? सिर्फ घोषणाएं कर देने और वेबसाईट्स बना देने से बात नहीं बनती। मैं समझती हूं कि सरकार की मंशा उसकी पॉलिसी के क्रियान्वयन से परिलक्षित

होती है। एक साल से इस प्रदेश में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन नहीं बटी है और जो नये भरे हुए फार्म पड़े हैं उनका भी कोई पुरसाहाल नहीं है। पैसा कहां चला गया ? समाजवादी पेंशन में डाइवर्ट हो गया। पिछड़ी जाति की लड़कियों के विवाह हेतु जो धन मिलता था वह एक साल से बन्द है तो हमारे प्रदेश की जो गरीब महिलाएं हैं जो डेस्टिट्यूट वुमेन हैं जिनके पास आश्रय नहीं है वो महिलाएं और वो लड़कियां प्रभावित हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रति इनकी मंशा का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप यही ले लीजिये कि सबसे ज्यादा महिलाएं समाजवादी पार्टी की विधायक बनकर आई हैं, लेकिन आप इनका मंत्रि–मण्डल देखें जिसमें केवल एक महिला है मंत्रिमण्डल में 44–45 में मंत्री, महिला मंत्री केवल एक है। जिस मंत्रि–परिषद् में एक भी नहीं है। जिस कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है उस कैबिनेट की मीटिंग में मैं कैसे मानूं कि पचास फीसदी आबादी की आवाज पहुंच रही है। कहीं न कहीं इन मौलिक विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है और सरकार की कथनी और करनी में अन्तर न हो ऐसा मेरा प्रस्ताव है। सदन में भी शासकीय दल की महिलाओं की भागीदारी चाहे वह प्रश्न हो चाहे आपके मैं ट्रेजरी बेंच की तरफ से बोलने के लिये नामांकित करना हो, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी मुझे नजर नहीं आती। अब दूसरा विषय है शहरीकरण। मैं शहर की कांस्टीट्यून्सी को रिप्रेजेन्ट करती हूं मेरा जो क्षेत्र है वह लखनऊ शहर में है। मैं पहले महापौर भी रही हूं यह सारा हिन्दुस्तान जानता है विश्व जानता है कि 2030 तक विश्व की व हमारे देश की 50 फीसदी आबादी शहरों में निवास करेगी। यदि आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लीजिये तो यहां पर वर्ष 2008 में 4.1 करोड़ शहरी आबादी थी। और 2026 तक अनुमान है कि यह लगभग 7 करोड़ तक पहुंच जायेगी। यानी 40–45 फीसदी लोग शहरों में रहने लगेंगे। हालात क्या हैं, शहरीकरण होगा, होना भी चाहिए क्योंकि 1991 के बाद जब से उदारीकरण की नीति आयी, शहर चुम्बक की तरह ग्रामीण लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, पलायन हो रहा है शहरों में आना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिक्कतें क्या आ रही हैं ? सबसे बड़ी दिक्कत की बसें कहां ? सबसे 1991–2000 के बीच उदारीकरण की वजह से बडा पलायन हुआ पहले तो दबाव पुराने शहर पर पड़ा क्योंकि वहां पर रोजगार था। तो ओल्ड सिटी माने कि जो पुराना शहर उसकी आबादी इतनी बढ़ गयी कि न तो वहां पर सीवर, पानी की और न आवास की व्यवस्था, ध्वस्त होने लगी और जब यह इलाके पूरी तरह से सेचुरेट हो गये तब उसके बाद लोगों ने शहर के बाहरी इलाकों में रहना शुरू किया। दिक्कतें क्या आ रही है। अनाधिकृत कालोनी बढ़ती जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का दृष्टान्त देती हूं मैं सरकारी आंकड़े आपको दे रही हूं लखनऊ में 2012 में 112 अनाधिकृत कालोनियां थी, 2013 में 112 से बढ़कर 353, 2014 में 353 से बढ़कर 475 और 2015 में ऐसा अनुमान है कि 600 अनाधिकृत कालोनियां बन चुकी हैं। विकास प्राधिकरण क्या करता है?

अनाधिकृत कालोनी बनती हैं तो क्या होता है, नक्शा पास नहीं, लैण्ड यूज, का उल्लंघन हुआ कृषि भूमि पर घर बन गए, जो लोग बेचारे बाहर से आये उन्होंने अनजाने में जमीनें खरीद ली और अब उन्हें डर है कि हम निकाले जायेंगे। इसके अलावा वहां पर

न सीवर है, न पानी है, न बिजली है। मेरे क्षेत्र में न जाने कितनी ऐसी कालोनियॉ हैं जो 20–20 साल से बनी हुई हैं, आज तक वहां खडंजा भी नहीं लग पाया, बिजली का पोल भी नहीं है। जो शहरीकरण हो रहा है, इसमें क्या जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जे0एन0एन0यू0आ0रए0म में धन आया, क्या हुआ उस धन का, लखनऊ में मेरे ख्याल से सीवर निर्माण में ढाई–तीन हजार करोड़ रुपये लगे परन्तु एक भी सीवर लाइन फंग्शनल नहीं हुआ, चल नहीं पाया। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ को मेट्रो दिया लेकिन मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आना चाहिए कि शहरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जो बेसिक फैसीलिटीज हैं, सुविधायें हैं उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिबद्धता है प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से डिवेलसरी के जरिये बसाया लोगों को जाता है। प्राधिकरण खुद तो कालोनी को डेवलप नहीं करती न ही भूमाफियाओं पर इस पर भी प्रतिबन्ध लगाती है। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो लैण्ड माफिया हैं, और जो उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए हमारे यहां मलिन बस्तियों का कितना तेज विस्तार हुआ है। 09 प्रतिशत लोग लखनऊ में मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो मेरठ जैसे शहर में 44 प्रतिशत लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। यह मैं सरकारी आंकड़े दे रही हूं इसके अलावा एक दर्जन ऐसे शहर हैं, जिनमें ऐसे ही आंकड़े मैं दे सकती हूं आखिर मलिन बस्तियों की क्या हालत है। इन लोगों को न तो समाज अन्दर लेता है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, न इनके पास जमीन है ना रहने के लिए घर, न पानी है, न बिजली है, न जल निकासी की सुविधा है, कुछ नहीं है। यह लोग दिहाड़ी पर जीते हैं, प्रतिदिन श्रम पर जीते हैं कई बस्तियों का इतना बुरा हाल है कि अभी गर्मी आने दीजिए, इसी लखनऊ शहर में ही आप देखिए, महामारी की स्थिति बनती है और अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 'स्वाइन फ्लू' इसी लखनऊ हुआ में है। अगर राजधानी का यह है तो आप सोच सकते हैं कि अन्य शहरों में क्या हाल होगा इन समस्याओं की ओर मुझे कोई रुझान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं दिखा। अब मैं एक दूसरी बात करना चाहती हूं, जो लघु एवं मध्यम उद्योग से सम्बन्धित हैं। लघु और मध्यम उद्योग और साथ–साथ कुटीर उद्योग को भी जोड़ लीजिए, देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टर्स हैं और हमारी सरकार द्वारा पिछले 02 साल में, हर अभिभाषण में कहा कि हम इस सेक्टर को मजबूत करेंगे। उद्योगबंधु को मजबूत करेंगे। मजबूत कैसे किया ? उद्योगबंधु की सारी कमेटियां बना दी। जिले से लेकर प्रदेश तक। प्रदेश स्तर पर तीन कमेटी में उसमें एक में मुख्य सचिव है चेयरमेन हैं और एक में मा0 मुख्यमंत्री जी है। एक भी मीटिंग तीन साल में उद्योगबंधु की स्टेट लेवल पर नहीं हुई। वायदा था कि लीज़ लैण्ड का नियमितीकरण कर देंगे वह भी नहीं हुआ। इस विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तीन बार बदला जा चुका है और अब चौथे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ गए हैं। तो जब नीति को लागू करने के लिए मेकेनिज़्म ही नहीं है व्यवस्थाएं ही नहीं है तो एस0एम0एस0ई0 क्या काम करेंगी ? एस0एम0एस0ई0 हमारे प्रदेश में बुरे हाल में है। वह इंस्पेक्टर राज से ग्रस्त हैं। रोज पर्यावरण विभाग उन पर झूठे मुकदमे लगाता है। सबसे हास्यास्पद है कि मुकदमा लगा उसमें वह कोर्ट से जीत भी गए उसके बाद भी अधिकारी

के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती कि गलत मुकदमा क्यों लगाया ? यह शोषणवादी व्यवस्था है। कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस संदर्भ में आखिरी बात कहना चाहूंगी कि केन्द्र सरकार ने 2012 में एक जी0ओ0 निकाला था जिसके अन्तर्गत केन्द्र के सभी सारे मंत्रालयों को यह निर्देशित किया गया था कि 20 प्रतिशत सामान अपने मंत्रालय के लिए वह लघु और मध्यम कुटीर उद्योग से खरीदेंगे। प्रदेशों को भी सलाह, एडवाइजरी भेजी गई थी। उत्तर प्रदेश में इसको शायद अभी चार–पांच महीने पहले स्वीकार किया है। यह नियम लागू होना चाहिए। मुझे किसी भी डाक्यूमेंट में ऐसा संकल्प नहीं दिखाई दिया। मैं कहना चाहती हूं कि कुटीर उद्योगों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है तभी सशक्तीकरण हो सकेगा।

यह मैं जरूर कहूंगी कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी हो सकती है। युवा मुख्य मंत्री है हमारे प्रदेश के। इस प्रदेश की जनता को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। और यह सोच है कि इनमें वह ताकत होगी कि वह अपने नियमों को, अपनी 'पॉलिसीज' को लागू करा सकें। हम यह कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी कहें कि हमारी मंशा है और इसको करने के लिए हम व्यवस्थाओं को दुरूस्त करेंगे। तीन हजार ट्रांसफर तीन साल में नौकरशाहों के किए गए हैं। बहुत जरूरी है कि अगले दो सालों में प्रशासनिक स्थिरता दुरुस्त की जाय। हम नहीं चाहते हैं कि जनता के लिए जो योजनाएं हैं वह ध्वस्त हो जाएं। जो किसानों के लिए बिजली के लिए, गरीबों के लिए पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों के लिए जो भी घोषणाएँ सरकार ने की हैं जो राज्यपाल महोदय का डोक्यूमेंट है वह क्रियान्वित हों, वह लागू हों मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएँ जिनका निराकरण होना चाहिए वह मैंने लिखित रूप से प्रस्तुत किया है उनको पढ़ा हुआ मानें और संशोधन में सम्मिलित कर लें जिसमें मैंने विद्युतीकरण से लेकर, अस्पताल से लेकर नए ड्रेनेज सिस्टम सीवर सिस्टम आदि सबके बारे में निवेदन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया आपको मैं धन्यवाद देती हूं मैं विपक्ष ने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उन्हीं के साथ अपने संशोधन को भी प्रस्तावित करती हूं धन्यवाद।

श्री अब्दुल मशहूद खान–

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। डा0 संग्राम यादव द्वारा दिनांक 18 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय हमारे जो विपक्ष के सदस्य हैं उनको अच्छाई क्यों नहीं दिखती। इनको सिर्फ वहीं चीजे दिखती हैं जो इनकी सोच में शामिल हैं। श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जो बातें कहीं हैं उन्होंने जो महसूस किया पिछले तीन सालों में समाजवादी सरकार ने जो अच्छा काम किया उन्होंने जो महसूस किया उन्हीं बातों को अपने अभिभाषण में कहा है। उनको यह क्यों नहीं दिखता कि महिलाओं के प्रति हमारी सरकार कितनी सचेत है। हमारी महिला सदस्य बोल रही थीं। उनको यह सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की क्या सोच थी कि उन्होंने कन्या विद्या धन लागू किया। उन बच्चियों को दुनिया में आने से पहले मार दिया जाता था। यह समाज की ऐसी विडंबना

थी। कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाये, कैसे महिलाओं को मजबूत किया जाये यह समाजवादी सरकार की सोच थी। तो कन्या विद्या धन दिया। हमारी बेटी और उसका कल योजना लागू किया। ऐसी तमाम योजनायें लागू की गयी जिससे महिलाओं का सशक्तीकरण हो सके। और आजादी के बाद के वर्षों में अगर किसी ने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया है तो अधिष्ठाता महोदय समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनको अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखती। मैं मुसलमान हूं मुसलमान होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने बेहतर काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। कब्रिस्तान का बाउंड्रीवाल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे कब्रिस्तानों पर जानवर जाकर गंदगी फैलाते थे लेकिन उसको रोकने के लिए कब्रिस्तान का बाउंड्रीवाल जो हमारे आब और अजदा कब्रिस्तानों में हैं वह सुरक्षित रहें। सुरक्षित महसूस करें अपने आपको। कब्रिस्तान का बाउंड्रीवाल बहुत बड़ा कदम है। और किसी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बिजली, पानी ,सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य इन सारे मसलों पर अगर किसी ने बेहतर काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। पूरे भारत में किसी प्रदेश में किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं चलायी जो हमारी सरकार ने चलायी है लोहिया आवास योजना के रूप में।

पूरे देश में कोई सरकार तीन लाख पंद्रह हजार रुपये गरीबों को आवास बनाने के लिए नहीं दे रही है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन हमारे विपक्ष के सदस्यों को अच्छी चीजें नहीं दिखती। वहीं चीजें दिखती हैं। नुक्स निकालने की आदत हैं नुक्स निकलते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाजवादियों ने नारा दिया था कि–रोटी, कपड़ा सस्ती हो, दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो। उसको आगे बढ़ाते हुए इण्टर तक के बच्चों की शिक्षा की फीस माफ कर दिया। ड्रेस मुफ्त दिया। तमाम ऐसी योजनायें चलायीं जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाक्टरों की कमी को देखते हुए हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ा दीं। और सीटें इसलिए बढ़ायीं कि जब ज्यादा से ज्यादा डाक्टर आयेंगे तो अस्पतालों में जो डाक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कह सकता हूं कि पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को पानी मुफ्त दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी को। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात शुरू करूं तो सबसे पहले अगर सरकारी हेलीकाप्टर उतरा तो हमारे क्षेत्र में उतरा वहां कोडरीघाट का पुल बहुत बड़ी समस्या था। मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने वहां जाकर उसका मुआयना किया और दो साल के अंदर वह कोडरीघाट का पुल चालू हो गया। उस पर आवागमन है। और पिछले दिनों जो भयावह बाढ़ की स्थिति आयी थी उस पुल ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्य किये जा रहे हैं। जो विपक्ष के साथियों को दिखना चाहिए। खाली कमियॉ

निकालने से गलत इल्जाम लगाने से काम नहीं चलता है। जो अच्छी चीजें हों, उनकी तारीफ भी करिये। श्रमिकों के लिए मैं श्रम मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जब से चार्ज संभाला है, 26 सूत्रीय कार्यक्रम श्रमिकों के लिए लागू किया गया। कल एक सदस्य बोल रहे थे कि श्रमिकों को जो लाभ दिया जा रहा है, वह पैसा कहां से आता है। कम से कम तो इतना तय है अधिष्ठाता महोदय कि उनकी जेब से नहीं जाता है, यह सरकार व्यवस्था कर रही है, मा0 मंत्री जी व्यवस्था कर रहे हैं कि वह पैसा कहां से आता है, आपको तो बधाई देना चाहिए समाजवादी सरकार को कि कम से कम श्रमिकों के लिए उन्होंने सोंचा। जिन मलिन बस्तियों की बात अभी हो रही थी, उसमें रहने वाले श्रमिकों के लिए व्यवस्था है, उनके लिए पेन्शन की योजना, दवाई की योजना, पढ़ाई की योजना, अगर लड़का पैदा हो श्रमिकों के यहां तो कम पैसा दिया जाता है और अगर बेटी पैदा हो तो उससे ज्यादा दिया जाता है, यह महिला सशक्तीकरण का एक नमूना है समाजवादी सरकार का। बहुत सारी ऐसी योजनायें हैं जिनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा डाक्यूमेण्ट उठा कर के।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कृषक बीमा योजना है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे समाजवादी के नेता हमेशा इस विचारधारा के रहे हैं कि किसानों को आगे बढ़ाया जाय। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि गन्ना किसानों का बुरा हाल हो गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, अरे यह तो शुक्रिया कहिये, धन्यवाद दीजिए समाजवादी सरकार को कि फैक्ट्री वाले फैक्ट्री चला रहे हैं, मिल मालिक गन्ना की पिराई कर रहे हैं, अगर समाजवादी सरकार ने उनको सब्सिडी न दी होती, तमाम तरह के लाभ न दिये होते, तो गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता, ऐसी व्यवस्था केन्द्र में बैठी सरकारों ने कर दी थी। जो चीनी नीति उन्होंने बनाई, वह बहुत खराब बना दी, वह देश हित में नहीं थी। यह तो मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी सरकार को और अपने युवा मुख्य मंत्री को कि उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि गन्ने की पिराई आज हो रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनसे किसानों का, प्रदेश के नौजवानों का, गरीबों का बहुत लाभ हो रहा है। अभी बात हो रही थी, कानून व्यवस्था की, यह पूरा देश जानता है,

श्री अधिष्ठाता–

आप समय का ध्यान रखें, अभी कई मा0 सदस्यों को बोलना है।

श्री अब्दुल मसहूद खां–

मान्यवर, मुझे बोल लेने दीजिए, सिर्फ दो लाईनें बोलूंगा, अभी बात हो रही थी उत्तर प्रदेश को बद्नाम करने की साजिश हो रही है, बद्नाम करने की कोशिशें हो रही हैं। सबसे बड़ा जो रेप काण्ड हुआ, वह कहां हुआ ? वह दिल्ली में हुआ मा0 अधिष्ठाता महोदय और उस वक्त दिल्ली में किसकी सरकार थी, उसी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं सदस्या अभी बोल रही थीं कि थानों में बलात्कार होता है, जरा क्षेत्रफल उठाकर के देखो उत्तर प्रदेश का, आबादी उठाकर के देखिये उत्तर प्रदेश की कि कितनी बड़ी आबादी

वाला प्रदेश है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है और अगर आबादी के ऐतबार से क्षेत्रफल के ऐतबार से आप तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर प्रदेश है, इसलिए मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी एक हमारे मा0 वरिष्ठ सदस्यगण सत्तापक्ष की तरफ से कुछ योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, हम सभी विधान सभा के मा0 सदस्यगण, इस विधान सभा के अन्दर जो कानून बनाते हैं, उसी का क्रियान्वयन योजनाओं के माध्यम से किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, मजलूमों और नौजवानों के बीच में होता है। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने या मा0 राज्यपाल महोदय जी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अगर उसका 25 परसेण्ट भी क्रियान्वयन धरातल पर हो जाये तो निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनते हुये नजर आयेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम विधान सभा में घोषणायें करते हैं, योजनायें बनाते हैं। योजनायें यहां से चलती हैं लेकिन गांव तक जाते–जाते, गरीबों तक आते–आते उन योजनाओं का 15, 20 परसेण्ट भी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है इसलिये वह फाइल में दबकर के ही चेक और पैसे के रूप में तब्दील हो जाती है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मान्यवर, इस सदन में कानून–व्यवस्था की बात होती है। यदि हर एक आदमी अपना आत्म मंथन करे तो रात में सोते वक्त यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि हमने दिन भर में कितनी गलतियॉ कीं और कितने सही काम किये। पीठ थपथपाई जा रही है लेकिन कानून–व्यवस्था का आईना आपने कल भी देखा होगा, जब मुरादाबाद के अन्दर अण्डर कस्टडी एक मुलजिम को गोलियों से भून डाला गया। गाजीपुर के अन्दर दो–दो हत्यायें हुईं। मुजफ्फरनगर कोर्ट के अन्दर हत्या कर दी गई और कानून व्यवस्था का इससे जीता–जागता उदाहरण इस उत्तर प्रदेश के अन्दर, हिन्दुस्तान के मानचित्र पर और कुछ नहीं हो सकता। भाईयों, हमारे माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुये हैं। रेवती थाने के अन्दर 302 के मुलजिम को, जिसने हत्या की थी एक स्कॉर्पियो मालिक की, उस मुलजिम को पकड़ा गया और थाने से छोड़ दिया गया। जब पीड़ित थाने गये तो उनको बेरहमी के साथ मारा गया। इसी तरह से पुरा थाने में एक जिला पंचायत सदस्य को, कुछ पूछने गये कि मुकदमा कायम किया जाये। यहां पर नकल की बात हो रही थी।

कल चितबड़ा गांव में जहां के चतुरी चाचा रहने वाले हैं, जो साहित्यकार रहे हैं जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां पर 15 गुण्डे गये थे और प्रिंसिपल पर नकल कराने के लिये दबाव बना रहे थे लेकिन प्रिंसिपल की तहरीर उस थानाध्यक्ष ने नहीं नोट की। प्रिंसिपल को बैरंग वापस आना पड़ा। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तस्वीर है। हमारे रसड़ा के अन्दर कब्रिस्तान की बाउण्ड्री वॉल को लेकर के, वहां के सैकड़ों व्यापारी जो ग्राम सभा की पट्टे की जमीन पर आबाद थे उनको पुलिस के बल पर हटा दिया

गया और हवाई फायरिंग की गई। यही उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था का राज है। यहां पर प्रदेश के तमाम नेताओं द्वारा इस सदन में इस पर चर्चा हुई है। चूंकि हम लोग पूर्वांचल की धरती से आते हैं। पूर्वांचल की धरती से, बलिया की धरती से चलकर आते हैं और हमको बलिया की धरती पर पैदा होने का गौरव इसलिये है क्योंकि जब–जब हिन्दुस्तान में आवश्यकता पड़ी है, चाहे जब भी बदलाव होता है तो निश्चित रूप से हर आंदोलन में बलिया ने अग्रणी भूमिका अदा करने का काम किया है इसलिये हमको बलिया की धरती से होने का गौरव हासिल है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे पिछली बार का बजट हो, चाहे इस बार का बजट हो। इसमें निश्चित रूप से पूर्वांचल और बलिया बजट से बाहर है। मैं सड़क के मामले में कहना चाहता हूं कि माननीय लोक निर्माण मंत्री नहीं हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1100 करोड़ रुपये बलिया में गये हुये हैं और अगर वास्तव में 1100 करोड़ रुपये का सदुपयोग बलिया जनपद में हो जाये तो अधिष्ठाता महोदय मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे बलिया की सड़कें चमचमाती हुई नजर आतीं। 1100 करोड़ रुपये माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने अवश्य दिये हैं लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके 100 करोड़ रुपये का भी वहां पर क्रियान्वयन नहीं है। वहां पर चन्द लोग, मुट्टी भर लोग उस धन की बन्दर बांट करने में लगे हुये हैं और नतीजा यह है कि जो बलिया जनपद के मुख्यमार्ग हैं, रतसड़ से होकर गड़वार होते हुये जब बलिया आयेंगे तो थाने के ठीक सामने बरसात के दिनों में कमर भर के गड्ढे मिलते हैं। यह केवल एक सड़क का हाल नहीं है, फेफना विधान सभा क्षेत्र की दर्जनों सड़कों का हाल यही है।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्दर फेफना विधान सभा क्षेत्र वह विधान सभा क्षेत्र है जिसके अन्दर पक्ष भी बैठता है, विपक्ष भी बैठता है। दोनों प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वहीं के हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव को, माननीय मुलायम सिंह यादव को, माननीय शिवपाल सिंह यादव को कि ये सैफई में पैदा हुये हैं तो सैफई को आज उत्तर प्रदेश नहीं, हिन्दुस्तान नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर देखा जा रहा है लेकिन जो व्यक्ति जिस धरती पर पैदा हुआ है और उसकी मातृभूमि पर भी सड़क खराब हो गई। वे दूसरी बार भी मंत्री हैं और जब उनके गांव की सड़क बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो इस सदन में बैठा हुआ मैं विधायक सिर पर खॉची लेकर के समाज से एक–एक टुकड़ा मांग करके उनकी भी गांव की सड़क बनवाने का काम किया है तो फेफना विधान सभा में मैंने किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यही विकास की किरण है। अभी तक 8–8 सड़कें अपने फेफना विधान सभा की हैं, डी0एम0 कहता है कि टुकड़ा डालने के लिये मेरे पास पैसा नहीं है। वहां का एक्स0ई0एन0 कहता है कि ईंटे का टुकड़ा डालने के लिये मेरे पास पैसा नहीं है। हमारे लोक निर्माण मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढामुक्त हो जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन सड़कों की मैं चर्चा करता हूं चाहे अभाव से टुटुवादी मार्ग हो चाहे सागरपाली से थमनपुरा होते हुए बैरिया मार्ग हो, सुरही से लेकर के कोठिया सिन्दूरिया हो, रतसार से लेकर के गडवार हो पचखोरा से लेकर के रतसर

हो, और इस तरह की दर्जनों ऐसी सड़कें हैं, जो आज भी गड्ढे में तबदील हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के दावे का दम भरती है या तो उस सरकार का वक्तव्य सही है या वह सड़क खस्ताहाल गड्ढे में डूबी हुई हैं, इसका भी मूल्यांकन हमको और आपको और इस सदन के लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए कि यहां पर हम दो–दो प्रतिनिधि हैं। विधायक निधि से मैंने प्रस्ताव दिया, सी0डी0ओ0 के यहां से लिखकर आ गया कि पुरानी सड़कों पर गड्ढे में ईटा डालने का प्रॉपोजल नहीं है। गुनाह मात्र मेरा इतना है कि फेफना की जनता ने विधायक क्यों बनाया है? इस गुनाह को स्वीकार किया है इसलिए मैंने घोषणा की है कि यदि फेफना विधान सभा में किसी भी सड़क की अगर मरम्मत करनी होगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, निधि के पैसे से काम होगा नहीं, तो आम जनता के संसाधन से काम होगा। अगर धारा के विपरीत वहां की जनता ने एम0एल0ए0 बनाया है तो उन सड़कों को मैं चलने योग्य बनवाऊॅगा इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बिजली की बात करना चाहता हूं, जब पिछली बार नेता जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश की जनता से कि दो साल का वक्त दे दिया जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली दूंगा। साढ़े तीन साल का कार्यकाल उनका बीत गया और वर्तमान सरकार जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। यह सरकार भी अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अगर दोनों की अवधि जोड़ेंगे तो साढ़े छह साल होता है, फिर भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली मिलना तो दूर ग्रामीण इलाकों में चार–पॉच घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है और शहर मुख्यालय में हम लोग भी रहते हैं, वहां पर 10–12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में 24 घंटे बिजली मिलती है, और तब आज भी मैं फिर कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि बलिया की धरती होने के नाते कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी संसाधन पर पहला हक बनता है तो बलिया के नौजवानों का, बलिया के लोगों को बनता है। इसलिए यदि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली पाने का हक अगर किसी जनपद को है तो वह बलिया जनपद को है। इसलिए मैं इस सदन से बलिया जनपद को और विशेष रूप से फेफना विधान सभा को और पूरे बलिया जनपद को मैं 24 घंटे बिजली देने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, अभी दो मिनट का समय और दीजिए कुछ और तथ्य रखना चाहता हूं अभी अधिष्ठाता महोदय, बिजली के बजट में पिछली बार बहुत पैसा दिया गया। अगर वाकई में उस पैसे का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हुआ होता आज बिजली के ट्रान्सफार्मर और तार के लिए यहां बैठे हुए किसी भी विधायकगण को गिड़गिड़ना नहीं पड़ता। लेकिन, आज तक हम लोग विधायक होते हुए भी नहीं जान पाये कि वह पैसा कहां

गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले ढाई वर्षों से 89 ट्रान्सफार्मरों का प्रापोजल, जिसमें विधायक विकास निधि से मैंने 2 करोड़ रुपये से अधिक दिया है, लेकिन ढ़ाई साल बीतने के बाद भी अभी तक सभी ट्रान्सफार्मर और बिजली के तार नहीं लग पाये हैं। इसलिए इस सदन से मांग करता हूं कि बिजली विभाग के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि जो विधायक विकास निधि से हमने ट्रान्सफार्मर के तार और बिजली के खंभे लगवाने के लिए पैसे दिये हुए हैं, उस पैसे का निश्चित रूप से सदुपयोग किया जाए। अभी फेफना विधान सभा के दर्जनों ऐसे पुरवा हैं जो आज भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इसके लिए भी सदन से मैं मांग करना चाहता हूं कि उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। चिकित्सा की जहां तक बात है तो चिकित्सा के बारे में अभी माननीय मुख्य मंत्री ने भी विस्तार से कहा और पहले ही मैंने कहा कि उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए। बलिया जनपद से हम लोग आते हैं। बलिया जिले के जिला अस्पताल की स्थिति हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, आजादी के 68 साल बाद भी आज हम लोगों ने बलिया जनपद में पाया कि भारत सरकार द्वारा विकलांगों का शिविर मैंने लगवाया था, उसमें मैंने 650–700 ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर बांटी। मैंने उसमें महसूस किया कि 100 परसेन्ट भी जो विकलांग व्यक्ति थे, उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं हैं। सरकार का नियम है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो, उन विकलांगों के पास निःशक्त जनों का सर्टिफिकेट जब उनके पास रहेगा तभी उनको पेंशन मिलेगी, उनको आवास मिलेगा या उनको ट्राई साइकिल या व्हीलचेयर आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 68 साल बावजूद, आजादी की लड़ाई में जिस जिले ने अग्रणी भूमिका अदा की है, ऐसे जनपद में सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी मंदबुद्धि और ई0एन0टी0 के लोगों को बनारस और लखनऊ आना पड़ता है। इसकी सुविधा बलिया जनपद में नहीं है। वहां पर दवाई नहीं मिलती है, एक्सरे जो यहां मुफ्त हो गया है, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले दिनों से यह कर दिया गया है। आज वहां पर एक्सरे प्लेट तक नहीं है, लोग प्राइवेट में मजबूरी में जाते हैं। एक दिन हमारे बलिया के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने चिंता जतायी थी। हमारे दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने डॉक्टरों से बैठक करके उन्होंने चिंता जतायी थी, कि निश्चित रूप से डॉक्टर पैसा लेकर आपरेशन कर रहे हैं और दवाइयां नहीं मिल रही है। इस पर सख्ती से हम लोग निपटेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोनो अपने कैबिनेट मंत्रियों को कि उन्होने सुशासन का डण्डा चलाया, देर से चलाया, दुरूस्त चलाया लेकिन उस पर भी अमल कराने की कोशिश निश्चित रूप से करी जाय । जहां तक प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूं अभी समग्र गांव लोहिया की बात हुई, समग्र गांव यह तय है कि इसी सदन में पास हुआ, विधायकों की संस्तुति पर होता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं हमारे फेफना विधान सभा में एक ऐसा गांव है जो समग्र लोहिया गांव में चयनित हुआ है प्रस्ताव आज तक हमसे एक भी नहीं लिये गये। जिस गांव का अस्तित्व 1991 में ग्राम सभा कुल्हड़ियां गंगा में विलीन हो गया और 1991 से लेकर आज तक वह ग्राम सभा आज तक गंगा में है। वहां पर सरकार की योजनायें आती रहती हैं और सभी योजना में धन का बंदरबाट होता है। 2014–15 में ग्राम सभा कुल्हड़िया को लोहिया समग्र गांव की सूची में लिया गया इसलिए वहां पर जो धन का दुरूपयोग हुआ है वह किसकी संस्तुति पर हुआ है इसकी भी मैं सदन से जांच करने की मांग करता हूं। यह सरकार का पैसा है गरीबो के घर वहां के गंगा में विलीन हुए आज भी वहां से सड़क के किनारे 3 कि0मी0 की दूरी पर हैं उनका आवास आज तक बनकर नहीं आया इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।

जहां तक बात है समाजवादी पेंशन योजना की यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना में जो पात्र लोग हैं जो इसके हकदार लोग हैं उनको समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय और जो अपात्र लोग हैं उनको न दिया जाय। इसी तरह से जो समग्र लोहिया ग्राम में आवेदन करता है उससे 50–50 हजार रुपया घूस लिया जा रहा है तब समग्र लोहिया ग्राम दिये जा रहे हैं इसलिए इस सब पर जांच कराने की आवश्यकता है। बहुत– बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री काली चरण सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभार प्रकट करता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे दल के नेता और विपक्ष के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध रखते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं मान्यवर, राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण रखा है वह अभिभाषण वास्तव में दलित विरोधी है, पिछड़ों का विरोधी है, गरीबों का विरोधी है, किसानों का विरोधी अभिभाषण है इसलिए हम उसमें संशोधन करना चाहते हैं आपके माध्यम से यह मांग करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनी है तबसे केवल इसने नकल करने का काम किया है नकल करने का काम कैसे किया है 2007 में बहन कुमारी मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी की जो कल्याणकारी योजनायें थी जो सरकार को चलाने की योजनायें थी पूरे प्रदेश को चलाये जाने की योजनायें थी उत्तर प्रदेश को समग्र प्रदेश बनाने की योजना थी उसको खत्म करने या नकल करने का काम किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं मायावती जी के शासनकाल में डा0 अम्बेडकर समग्र विकास योजना लागू की गयी थी इस योजना के माध्यम से पूरे ग्राम का विकास हेाता था इस छोर से लेकर उस छोर तक विकास होता था परन्तु इस सरकार ने नकल करने की

कोशिश तो की लोहिया ग्रामीण आवास विकास योजना के माध्यम से समग्र योजना का नाम देकर के उसको नकल करने की कोशिश की लेकिन उस गांव का विकास नहीं हुआ। ऊॅट के मुॅह में जीरा, अनुदान देते नहीं हैं, धन देते नहीं है और समग्र ग्राम के विकास की बात करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो ग्राम लोहिया ग्राम चयनित किये गये थे उन गांवों का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ सड़के ही नहीं बनी और जो सड़क बनी वह भी टूट गयीं कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं गया कुआ खेड़ा गांव और नगला नाथू गांव यह दो ग्राम स्वीकृत हुए थे उसका विकास आज तक नहीं हआ। इस सरकार ने केवल नकल करने की कोशिश की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने विभिन्न योजनाओं में हमारी नकल करने की कोशिश की है। यह जो आज समाजवादी पेंशन योजना लागू करने जा रहे हैं, यही योजना बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में महामाया योजना के नाम से लागू की थी। इस योजना में शत प्रतिशत गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश इस योजना का नाम बदलकर पहले रानी लक्ष्मी बाई योजना कर दिया गया, फिर इसे बदलकर समाजवादी पेंशन योजना कर दिया गया। आज तीन साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी खाते में पैसा नहीं गया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक ताज एक्सप्रेस–वे की सड़क बनाने का काम किया था, उसी की नकल करके यह आज आगरा से लखनऊ के लिए आगरा एक्सप्रेस–वे बनाने का काम कर रहे हैं। यही इनका नकल का काम है। मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर बहन कुमारी मायावती की नकल नहीं कर पाये। नकल करने की कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन यह कुछ कर नहीं सके। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में गुण्डे–माफिया या तो जेल में थे या उन्हें प्रदेश के बाहर भेजने का काम किया गया था और जब से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार गई है और समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तो गुण्डे–माफिया जेल में नहीं हैं, गुण्डे–माफिया रेल में मौज कर रहे हैं, होटलों में मौज कर रहे हैं। यहां पर यह सरकार नकल करने का काम नहीं कर पाई। बहन कुमारी मायावती जी की हनक थी, उनके शासन काल में कानून का राज था। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब यहां पर कानून का राज था और कानून के राज के नाम से यह जाना जाता था। चाहे उसके सरकार के मंत्री हों, चाहें संगठन के पदाधिकारी हों, उनको जेल जाने का काम किया गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि प्रदेश में एक मुख्य मंत्री नहीं हैं, यहां पर साढ़े चार मुख्य मंत्री हैं। यदि एक मुख्य मंत्री होता तो शायद उत्तर प्रदेश में कानून का राज होता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ संशोधन करना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारे विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रमीण की उपेक्षा की गई है। इसमें समग्र ग्राम विकास योजना को छोड़ा गया है। जैसा कि यह सरकार आज पूरे गांव के विकास के लिए वादा करती है, सरकार

कहती है कि हम ग्राम हितैषी सरकार हैं, हम किसान हितैषी सरकार हैं, हम गरीबों की हितैषी सरकार हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारा विधान सभा क्षेत्र 90 आगरा जो आगरा शहर की सीमा से लगा हुआ है और शहर की सीमा से लगे होने के कारण हमारे क्षेत्र में पूरे शहर का पानी गिरता है और यहां पर भारी जलभराव होता है। माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आगरा शहर का पानी हमारे विधान सभा क्षेत्र के अजीजपुर, धनौली और नगला उदा आदि तमाम गांव, जहां पर मिलाकर लाखों की आबादी हैं और यह बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, यह सब जलमग्न हो जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शहर के पानी की निकासी के लिए अजीजपुर धनौली रोड से मनपुरा तक एक नाले का निर्माण किया जाये जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात मिल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बारे में बताना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कें टूटी हुई हैं, यहां पर सड़कों का कहीं अता–पता नहीं हैं। सड़क नाम की चीज नहीं है। इन सड़कों के दुरस्तीकरण के लिए और सड़कों के लेपन के लिए मैंने नियम–301 और नियम–51 के अंतर्गत तमाम कोशिश की कि किसी तरह इन सड़कों का निर्माण हो जाये, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका। जैसे अजीजपुर से लेकर अजीजपुर परिक्रमा मार्ग, नगला उदा, परिक्रमा मार्ग आदि तमाम सड़कों की हमने मांग की है। हर बार एक ही जवाब मिलता है कि धन की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण करा दिया जायेगा, तो हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि धन कब आयेगा और कब सरकार के पास धन की व्यवस्था होगी। प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री अपना दावा करते हैं और कहते हैं कि बेसिक शिक्षा का हम सुधार करेंगे। हमारे क्षेत्र में तमाम विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है, तमाम विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इसके लिये जब हम कहते हैं तो इनका जवाब आता है कि केन्द्र की सरकार से जब पैसा मिल जायेगा, तब इनका निर्माण हो जायेगा। हमारे बगल में बैठे हुये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की केन्द्र में सरकार है, इन्होंने भी वायदा किया था कि हम अच्छे दिन लायेंगे और अच्छे दिन तो ये ला नहीं पाये, इनके बुरे दिन आना शुरू हो गये। इसलिये माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जिन विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उसकी इस सरकार द्वारा व्यवस्था कराई जाये। मान्यवर, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में बहुत समय से मंडी परिषद् द्वारा सड़कें बनाई गयी हैं परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब से यह सड़कें बनी हैं, तब से मंडी परिषद् द्वारा किसी भी सड़क का काम नहीं हुआ है। इसलिये हम आपके माध्यम से मॉग करना चाहते हैं कि 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी मंडी परिषद् की सड़कें बनी हैं, उनका लेपन कराया जाय और उनका निर्माण कराया जाय, जिससे किसानों को खराब रास्तों से निजात मिल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब गर्मी का समय आ गया है और हमारे यहां पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहां तमाम टी0टी0एस0सी0 की टंकियां लगी हैं, यह टंकियॉ या तो अधूरी छूटी हैं या इनका निर्माण नहीं हुआ है

और मेरी आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 125 टी0टी0एस0सी0 की टंकियां अभी लगना है, इसके लिये हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पेयजल की समस्या को देखते हुये, इस समस्या का शीघ्र निस्तारण किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह समग्र ग्राम विकास योजना की बात करते हैं और अभी 3 फरवरी को अपने ग्राम की समस्याओं को लेकर वहां की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और सात्रिवी देवी नाम की महिला ने पानी की टंकी पर चढ़ करके अपनी समस्या के समाधान के लिये आवाज लगाई थी, इस पर आगरा के जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि नगला कोर जो पानी की समस्या है, जलभराव की समस्या है, परिक्रमा की समस्या है, उससे निजात दिला दी जायेगी। परन्तु बड़े खेद की बात है कि इसके लिये 8 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज तक उस गांव में विकास का कोई काम नहीं हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय सदस्य को बुलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले। अब आप अगर ऐसा बुलवायेंगे तो हम तो बैठ नहीं पायेंगे। अब देखिये हमारी सरकार में कहते हैं कि गुंडाराज और पूरे क्षेत्र में मान्यवर की वह दहशत है कि बस कुछ पूछो नहीं। अच्छा–अच्छा गुन्डा रास्ता छोड़कर चलता है और इतने बलवान हैं कि डाक्टर जेल में था तो वहां मरवा दिया। अब आप किसी को नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा बोले वरना मैं चला जाऊंगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, चूंकि हमारे माननीय सदस्य पहली बार अभिभाषण पर बोल रहे थे और हमारे माननीय सदस्य सुमन जी की क्षेत्र में दहशत हो या न हो लेकिन सुमन जी के बोलने से अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दहशत में आ गये हों तो स्वाभाविक रूप से हमारे सदस्य अच्छा बोले हैं, इसीलिये मैंने इनकी पीठ थपथपाया था।

'श्री राधेश्याम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डा0 संग्राम यादव जी के द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं महामहिम राज्यपाल जी की अभिभाषण पुस्तिका पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का आइना है। समाजवादी पार्टी ने पिछले तीन साल के अन्दर जो भी वायदे जनता से किये थे एक–एक करके सभी वायदों को समाजवादी पार्टी ने पूरा करने का काम किया। कल से ही हमारे विपक्ष के नेता और मा0 सदस्यों के द्वारा सरकार के कामों की आलोचना की जाती रही है, कानून–व्यवस्था

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

पर बातें कही जाती रही हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष खड़े हो करके हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी की बात का जवाब दे रहे थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 08 सितम्बर, 2008 में जहां से नेता प्रतिपक्ष विधायक हैं पडरौना विधान सभा, उसी के बगल में रामकोला थाना है जहां विजय बहादुर यादव सिपाही की हत्या थाने के अन्दर एक जाति विशेष के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा कर दी गई। मान्यवर, उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जहां भी कोई किसी भी तरह का अपराध हुआ है, सरकार ने कड़ी कार्यवाही करने का काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिलेगा, छात्रों को उम्मीद होती है कि हमें कुछ मिलेगा, व्यापारियों को उम्मीद जगती है कि हमें कुछ मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने किसानों, छात्रों, व्यापारियों और जनता से जो वायदे किये थे उन्हें एक–एक पूरा करने का काम किया है। हमारे विपक्ष के सम्मानित साथियों को सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए और अपना सुझाव देना चाहिए, उनका अच्छा सुझाव होगा तो सरकार उस पर ध्यान देगी। अभी हमारे सदस्य कह रहे थे कि कन्या विद्या धन हमने दिया ताकि बेटियां इन्टर के बाद भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमारी बेटी उसका कल योजना हमने दिया जिसे देश की आजादी के बाद शायद किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं दिया। इस पर विपक्षियों ने इतना हमला किया कि उस पर विराम लगा लेकिन पुनः इस बजट में 3 सौ करोड़ रुपया कन्या विद्या धन के नाम पर हमारी सरकार ने रखा है। दवा, पढ़ाई मुफ्त कर दिया हमारी सरकार ने। कब्रिस्तान की बाउन्ड्री हमारी सरकार ने कराने का काम किया क्योंकि आयेदिन साम्प्रदायिक बातें हो जाया करती थीं। मान्यवर, जहां हमने कब्रिस्तान की बाउन्ड्री कराने का काम किया वहीं हमने शमशान घाट पर अन्त्येष्टि स्थल बनवाने का प्रस्ताव किया है इसके लिए इन लोगों को सरकार की सराहना करनी चाहिए। अभी दुर्घटना बीमा की बात की गई है, वर्ष 2003 में आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा का लाभ कहीं जाति का बगैर भेदभाव किये लोगों को दिया, चाहे एक बिस्वा जमीन है और वह किसान है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे एक लाख रुपया दिया जाता है और यदि किसी बड़े आदमी की मृत्यु दुर्घटना में होती है तो उसे भी एक लाख रुपया दिया जाता है। वर्ष 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे एक लाख से बढ़ा करके पांच लाख रुपया करने का काम किया। हम कहना चाहते हैं, अभी हमारे मा0 सदस्य बोल रहे थे, हम लोग पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जीत करके आते हैं वहां मस्तिष्क ज्वर से सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं और उनकी मृत्यु होती है। दुर्घटना के साथ जो मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले बच्चे हैं उनको 50 हजार रुपया और जो विकलांग हैं उन्हें 25 हजार रुपया हमारी सरकार दे रही थी लेकिन जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उसे समाप्त कर दिया गया, उन्हें बच्चों की चिन्ता नहीं थी। देहात में कहा जाता है कि 'जिसके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर परायी,' उस योजना को भी 2012 में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने लागू करने का काम किया और कहा कि मस्तिष्क ज्वर से जो बच्चे मरेंगे उन्हें 01

लाख रुपया दिया जायेगा, जो विकलांग होंगे उन्हें 50 हजार रुपया दिया जायेगा, इस योजना की तारीफ हमारे विपक्ष के लोगों को करनी चाहिए। अभी पूर्वान्चल की बात की जा रही थी, पूर्वान्चल विकास निधि की स्थापना हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, आज पूर्वान्चल में अभी इन्जीनियरिंग कॉलेज को गोरखपुर में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, आखिर यह किसने किया। गोरखपुर मेडिकल कालेज में 500 बेड के अस्पताल का उच्चीकरण किया गया, आखिर में यह किसने किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को भी जनता ने मौका दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी लोगों ने मौका देने का काम किया।

अभी चीनी के सवाल पर तमाम लोगों ने अपने–अपने विचार रखे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1996 में बनी और तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे उसी दौर से चीनी मिलों के बंद होने का दौर शुरू हुआ और जब ब0स0पा0 की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल को बंद करते थे और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने चीनी मिल को औने–पौने दाम पर बेचने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार तीन साल रही पिछली सरकार में 28 नई चीनी मिल उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया। उद्योग के नाम पर चीनी उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान है। हम कहना चाहते हैं कि बिजली के सवाल पर भी साथियों ने कहा इसी लोक सभा के चुनाव में माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सभी सभाओं में कहा कि गुजरात की तरह चौबीस घंटे हम उत्तर प्रदेश को बिजली देने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे बिजली दे रही है तो ठीक है लेकिन केवल वायदे नहीं कर रही है। 24 घण्टा बिजली देने वाले लोगों के वायदे का क्या हुआ ? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमने डा0 राम मनोहर लोहिया गांव दे करके गांवों का विकास कराने का काम किया। अभी हमारे ब0स0पा0 के सदस्य कह रहे थे कि इनकी भी विधान सभा क्षेत्र में दो गांव लोहिया ग्राम में चयनित किये गये हैं। हम लोग भी एम0एल0ए0 बन करके आते थे और जब नेता सदन के रूप में मायावती जी वहां बैठा करती थी हम लोग तरस जाते थे कि हम लोगों के गांवों में भी 01 कि0मी0 की सड़क बन जाए, हम लोगों की विधान सभा में भी कोई अम्बेड़कर गांव हो जाए, हम लोगों के विधान सभा में भी कहीं बिजली, कहीं नल मिल जाए। यह तो दूर है पूरा सत्र चलने के बाद नेता सदन कहीं पांच मिनट के लिए भी अपने आसन पर नहीं बैठा करती थी। हमारे मुख्य मंत्री जी आते हैं विपक्ष के सभी सदस्यों की बात को सुनते हैं, जो सकारात्मक होता है उस पर विचार भी करते हैं उसे पूरा कराने का काम करते हैं। जो–जो सरकार ने वायदा किया हम लोगों ने उस वायदे को पूरा करने का काम किया। आज चीनी के सवाल पर गन्ना मूल्य जो 280 रुपया हमारी सरकार ने तय किया है। हम कहना चाहते हैं 14 फरवरी, 2014 को जब तत्कालीन समय में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी तो न्यूनतम गन्ना मूल्य 220 रुपया प्रति क्विंटल भारत सरकार ने तय किया और जब मार्च में वर्तमान सरकार बनी तो उसी 220 रुपये को ही अंतिम मोहर लगा देने का काम केन्द्र की सरकार ने किया। हम

कहना चाहते हैं कि 2014–15 में केन्द्र की सरकार ने 220 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम गन्ना मूल्य तय किया है, हम आपके माध्यम से, हम सदन के माध्यम से चाहते हैं कि एक प्रस्ताव पारित हो कि जो विदेश से चीनी हमारे देश में मंगायी जा रही है उस पर प्रतिबंध लगायी जाए ताकि हमारे उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में जो चीनी है उसका दाम बढ़े। जब चीनी का दाम बढ़ेगा तो हमें लाभकारी गन्ना मूल्य मिलेगा। आज किसान और उद्योग दोनों खतरे में हैं और केन्द्र की सरकार चीनी उद्योग और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हम कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने जो–जो वायदे किये थे उसे तीन साल के अंदर पूरा करने का काम किया है। आपने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

' श्री नदीम जावेद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया है। अधिष्ठाता महोदय यह जो 152 पेज का विजन डाकूमेंट है महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद लगभग 35 जो हमारे सम्मानित सदस्य जो सत्तापक्ष और विपक्ष के हैं सबके अभिभाषण पर दिए हुए भाषण के अंश पढ़े ।इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी अर्थशास्त्र नए सिरे से परिभाषित हो रहा है। ऐसा लगता है कि समाजवाद का जो अर्थशास्त्र है वह पूरी तरह से पूंजीवाद के इशारे पर काम कर रहा है और डेवलपमेंट का यूरोपियन माडल है इस अभिभाषण में दिखाई दे रहा है जिसमें विशेष रूप से आगरा और लखनऊ का 15000 करोड़ का हाई–वे है उसको डेवलपमेंट के माडल के रूप में प्रोजक्ट करने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार को जनादेश प्राप्त है समाजवादी पार्टी की सरकार किसी भी आधार पर किसी भी विजन पर अपने राजनैतिक दर्शन और चिन्तन के आधार पर अपना इकोनामिक एजेण्डा तय कर सकती है। लेकिन अगर आप यूरोपियन माडल को एडाप्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर आएगा बाहर की विदेशी कम्पनियां आएंगी पूंजीपति शरमाएदार आएंगे और प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा तो उसके लिए जो बुनियादी जरूरत है वह दो चीजों की है नम्बर एक इस राज्य के अन्दर सुरक्षा मिलनी चाहिए दो नम्बर बिजली और सड़क का बहुत बड़ा काम होना चाहिए। सुरक्षा का जहां तक सवाल है तमाम विपक्ष के विधायकों के भाषण पढ़े जो सवाल बार–बार उठाया जाता है और लगभग हर विधायक के द्वारा उठाया गया है वह सवाल पुलिस को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स हैं तमाम राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफार्म की सख्त आवश्यकता है चाहे वह बड़े पुलिस आफीसर हों या छोटे सिपाही हों चाहें उनके रहने का हो खाने का हो या उनके बच्चों के लिए स्कूल हों उनके बच्चों की

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

शिक्षा हो सबसे महत्वपूर्ण उनकी ट्रेनिंग हो विचारधारा के आधार पर वह सोचते कैसा हैं। उनका व्यवहार बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब लोगों के साथ किसानों के साथ, गांव के पिछड़े लोगों के साथ किस प्रकार का हो वी0एन0राय ने किताब लिखी है शहर में कर्फ्यू यह बहुत बड़े आफीसर हैं शहर में कर्फ्यू किताब में बड़ा स्पष्ट है आई0पी0एस0 आफीसर ने लिखा है कि जब शहर में दंगा होता है तो पुलिस किस प्रकार से बिहैव करती है उसका चरित्र कैसा होता है। इसलिए मैंने कई अभिभाषण पढ़े लेकिन मुझे लगा कि पुलिस रिफार्म के बारे में कहीं कोई गम्भीर चर्चा नहीं है। दूसरी बात बिजली का सवाल है अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने वायदा किया था 2013 में कहा गया था कि 2016 में बिजली मिल जाएगी अभी मैं विजन डाकूमेंट पढ़ रहा था इसमें कहा गया है कि 2019–20 में प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी आपको तो जनादेश 2017 तक ही प्राप्त हुआ है तो आप 2019–20 में बिजली पैदा करने की बात कैसे कर सकते हैं। जो आपके मैनीफैस्टो का एजेण्डा था उसके इम्प्लीमेंट की बात दूर–दूर तक दिखाई नहीं देती। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं इस राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द एक चुनौती के रूप में है पिछले दो वर्षों में ऐसा हुआ है पिछले दो वर्षों में इस राज्य के हालात बड़े अजीब हुए हैं । मुझे इस बात की खुशी है चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों या हमारे भाई संग्राम यादव जी रहे हों सबने भाषण में साम्प्रदायिक सौहाद्र की बात की साम्प्रदायिक सौहार्द हमारे मुल्क की तहजीब का हिस्सा है। यह किसी सियाती जमात की जागीर भी नहीं है।

शांहनशाह अकबर ने जब गालिबे मीर का हिन्दुस्तान, बाल्मीकि और तुलसी का भारत तानसेन का देश गंगा जमुना का हरा भरा हिस्सा जुल्मो सितम से कराह रहा था तब शहनशाह अकबर ने हिन्दू मुस्लिम भाईचारे व एकता का बीज बोया था जिसमें जहरीली खाद हिंसा और अलगाव की डाली जा रही थी उस समय भी हिन्दुस्तान के लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़े थे। हमें इस बात की खुशी है मौलाना आजाद ने जो कहा था उसे मैं बार–बार कहता हूं आज दुबारा कोड करता हूं मौलाना आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में 1947 में खड़े होकर कहा था ....

(इस समय 03 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलन्दी से उतरे और यह कहे कि हिन्दुस्तान का हिन्दू और मुसलमान अलग हो जायेगा और यह मुल्क आजाद हो जायेगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं। मुझे ऐसी आजादी तस्दीक नहीं। संग्राम भाई ने ठीक शेर सुनाया था– न तेरा है न मेरा है, यह हिन्दुस्तान सबका है, न समझी गई यह बात, तो नुकसान सबका है। लेकिन मैं अभिभाषण के भाषण पर जब समाजवादी पार्टी के विधायकों के भाषण पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि केवल माननीय मुख्य मंत्री का महिमा मंडल किया जा रहा था। मुझे किसी का शेर उसी वक्त आया कि रस्मे ताजीम न रुस्वा हो जाये इतना मत झुकिये कि सजदा हो जाये। जिनको दस्तार मिली है उनको सर भी मिल जाये तो अच्छा है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सौहार्द आने वाले समय में इस राज्य के अन्दर एक चुनौती है और समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह यह सुनिश्चित करे। हो सकता है कि आपका प्रयास रहा हो रोकने का। जिस तरह का हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए क्यों हर चुनाव से पहले एक खास तरह का माहौल इस राज्य में बनता है और क्यों जनता में यह सन्देश जाता है कि राज्य की सरकार और दक्षिणपंथी विचार के लोगों के बीच में कहीं न कहीं कुछ अंडरस्टेंडिंग। इसलिये इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बात और समाजवादी पार्टी का मेनीफेस्टो भी मैंने पढ़ा वर्ष 2012 के चुनाव का और इसमें यह कहा गया कि मुसलमानो को सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की कमेटी के रिकमेन्डेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा और जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 20 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी लेकिन आरक्षण का कहीं दूर–दूर तक जिक्र, जो वायदा था मेनीफेस्टो का, वह इसके अंदर कहीं दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन मैंने कानून निकाला तो केरला की सरकार, आन्ध्रा प्रदेश की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने, कर्पूरी ठाकुर कमीशन के आधार पर बिहार की सरकार ने अगर रिजर्वेशन दिया है तो अगर आपने चुनाव में वायदा किया था तो यह जिम्मेदारी इस सत्ता दल की बनती है कि इस अभिभाषण के इस हिस्से में उस बात का भी जिक्र होना चाहिए था जो वायदे आपने इस देश के अक्लियत के लोगों के साथ खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ किये थे। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में भी काम करने का काम यह लोग करेंगे। एक और अंतिम निवेदन, चूंकि समय का अभाव है, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं सोशल सेक्टर पर बहुत बात हुई और यह कहा गया कि समाजवादी पेंशन योजना लागू हुई, यह कहा गया कि लैपटाप बंटा, यह कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता बंटा। मैं केवल कुछ ऑकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ह्यूमन डेवलेपमेंट इन्डैक्स, जो तय करता है कि भारत में किस राज्य की सामाजिक आधार पर क्या स्थिति है, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश देश के अट्ठारहवें स्थान पर है। महिलाओं के अधिकार की बात, हमारे बहुत सारे मित्रों ने की। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि महिला उत्पीड़न में, महिलाओं के अधिकार पर, अगर हनन कहीं होता है सबसे अधिक तो आन्ध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां महिलाओं पर सबसे अधिक हमले होते हैं। बाल श्रम, सबसे ज्यादा आपके राज्य के अन्दर। 102 और 108 नम्बर की एम्बुलेंस गाड़ियों की चर्चा होती है लेकिन प्रसव के दौरान जो महिलाओं की मत्यु होती है उसकी सबसे अधिक दर उत्तर प्रदेश में है। जी0डी0पी0 में जो भारत का जी0डी0पी0 है उसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक कन्ट्रीब्यूट करता है दूसरे नम्बर पर उत्तर प्रदेश है लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पर–कैपिटा इनकम है वह देश में पच्चीसवें स्थान पर है। यह हमारी जमीन की सियासी सच्चाई को भी सत्ता दल के लोगों को समझने की आवश्यकता है। मैं महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

और इस उम्मीद के साथ अनवर साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मैं सुनाते हुए बात को समाप्त करता हूं कि अभी आंखों की शमें जल रही हैं प्यार जिन्दा है। चूंकि उम्मीद जिलाती हैं अभी आंखों की शमें जल रही हैं प्यार जिन्दा है, अभी मायूस मत होना अभी बीमार जिन्दा है। धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मैं जानकारी देता चलूं। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। समाजवादी पार्टी के मेनिफेस्टो में रिजर्वेशन की कोई परसेन्टेज नहीं दर्ज की गई है। अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे पुनः पढ़ लीजिये। दूसरे यह कि आप पढ़े लिखे सदस्य हैं, इस सदन में आये हैं चुनकर तो आपको यह मालूमात होना चाहिए कि जब तक खुद पार्लियामेंट संविधान में संशोधन नहीं लायेगी उस हद तक उस वक्त तक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। यह काम आप अच्छी तरह से कर सकते थे जब आप सत्ता में थे हमने यही कहा था आपके प्रधानमंत्री जी से कि हम जानते हैं कि यह बिल पास नहीं होगा तीन–चौथाई अक्सरियत इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो यह कहती है कि आज के दिन मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बद्तर है। हम जानते हैं कि यह संशोधन नहीं होगा लेकिन कांग्रेस यह साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि वह ऐसा चाहती थी लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा, तो अगर कुछ हो सकता था तो आपके स्तर से हो सकता था अगर आप यह समझते हैं कि विधान सभा इस कानून को पास करने में सक्षम है तो आप बता दीजिए हम तैयार हैं अगर यह लागू हो सकता है ? हम तैयार हैं क्योंकि यह हो नहीं सकता है, संवैधानिक बाध्यता है और सक्षम थे आप अगर वह बिल उस वक्त ले आए होते तो पूरे हिन्दुस्तान, खासतौर से उत्तर प्रदेश, और दिल्ली में जो अंजाम हुआ इससे बेहतर होता। कुछ तो भरोसा होता आप पर, और आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूं, हम पढ़ते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में जब माइनॉरिटी करेक्टर खत्म हुआ था, अली आवर जंग जब पीटे गए थे और आर्डिनेंस लाया गया था तो हमने एक बहुत लम्बी तहरीक चलाई थी जब हम पढ़ते थे, यूनीवर्सिटी से भी निकाले गए थे और अपने घर से भी निकाले गए थे उस वक्त इतना दबाव बना था पूरे देश के इंसाफ पसन्द लोगों का, कि मिसेज इन्दिरा गांधी को अमेन्डमेंट बिल लाना पड़ा था और माइनॉरिटी करेक्टर मेन्टेन हुआ था। उसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद के सिंगल बेंच ने यह रूलिंग दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और वह आज भी इग्जिस्ट करता है इस जजमेंट को भी तकरीबन सात बरस हो गए और दस साल आपकी सरकार वहां रही इस दौरान, वैसे तो बहुत लम्बा इतिहास है आपका, यह मांग होती रही, सारी अकलियतों की तरफ से, सभी पढ़े लिखे लोगों की तरफ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक्जीक्यूटिव काउन्सिल की तरफ से, कि एक बिल लाए केन्द्र सरकार, और जो लेकूना रह गया था कानून में, उस लेकूना को खत्म करे ताकि अलीगढ. यूनीवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सके। आज के दिन अगर मा0 हाईकोर्ट

के उस फैसले को देखा जाए तो अलीगढ़ यूनीवर्सिटी माइनर इंस्टीट्शन नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आप पर है इसके बाद भी आप चाहते हो कि मुसलमानों का वोट ख्रा ग ग, दो बार जाएंगी रामपुर, एक बार कहेंगी कि जौहर यूनीवर्सिटी को हम चलाएंगे, नीचे उतरने लगेंगी ख्रा ग ग, दुबारा वापस जाएंगी और दुबारा कहेंगी जौहर यूनीवर्सिटी को हम चलाएंगे, मात्र 12 बीघा जमीन, साढ़े तीन सौ एकड़ जमीन के अन्दर, उन मुसलमानों की है जो पाकिस्तान चले गए, कस्टोडियन लैन्ड, आपके राज्य मंत्री ने सिर्फ 12 बीघा जमीन जो यूनीवर्सिटी के अन्दर है ख्रा ग ग, यह है आपका चरित्र .....

(मेजें थपथपाई गईं)

आप रिजर्वेशन की मांग की 12 बीघा जमीन उन मुसलमानों की है जो पाकिस्तान चले गए उस कस्टोडियन लैन्ड को, जो जौहर यूनीवर्सिटी के दिल के अन्दर है वह ख्रा ग ग, फिर चाहते हैं वोट मिले आपको हमारा, क्या किया था आपने ताला खुलवाकर, किसने खुलवाया था ताला ? शाहबानो केस, मुसलमानों की शरीयत के कानून का केस था, किसी हिन्दू भाई के धर्म से मुताल्लिक नहीं था हम कैसे शादी करें, कैसे हम नमाज पढ़ें, कैसे हम रोजा रखें, कैसे हमारा मुर्दा दफन हो, यह है कानूनी शरीयत, हिन्दू लॉ से मुसलमानों का कोई लेना–देना नहीं। आपके यहां कैसे शादी होगी, कैसे मुर्दे जलायेंगे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ख्रा ग ग, इल्जाम इन पर कहां आता है आपने बनवाया है, बुरी लगी ना....

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री को भी चर्चा में भाग लेने का हक है और उन्होंने चर्चा में जवाब दे दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसके अंजाम तक रुक जाओ। अगला विधान सभा चुनाव आने दीजिये, ये गिनती भी नहीं रह जायेगी। ख्रा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

मंत्री को भी अभिभाषण की चर्चा में हस्तक्षेप करके बोलने का अधिकार है। वह संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने हस्तक्षेप करके बोल दिया। नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री तीनों को यह अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमनें बिल्कुल सही कहा है। हमनें कांग्रेस को आईना दिखाया है। आपने इस सदन में गलत तथ्य रखे हैं जिनका जवाब दिया जायेगा। जो चीज मैनिफेस्टो

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

में नहीं है उसे कहकर आप सारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शक्ल खराब करना चाहते हैं। आपको गलतबयानी नहीं करने दिया जायेगा। अगर मा0 सदस्य जवाब दे भी दें इसका मतलब यह नहीं हो गया कि बाहैसियत संसदीय कार्य मंत्री मैं आपकी गलतबयानी को बर्दाश्त करूंगा। अगर आपकी कही हुई बात छपेगी तो हमारी कही हुई बात भी छपनी चाहिये।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा।)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और पीठ के निर्देश के क्रम में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्य अपनी–अपनी बात रख रहे हैं। मान लीजिये कांग्रेस के मा0 विधायक नदीम जी ने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी बात रखी तो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को मिर्ची क्यों लगी ? मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं बहुत जिम्मेदार और वरिष्ठ मंत्री हैं। आपकी वरिष्ठता और नये सदस्य द्वारा अपनी बात रखने का जो कार्य है उसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं है। आपकी पीठ के निर्देश के क्रम में यह व्यवस्था चलनी चाहिये, चर्चा होनी चाहिये। बीच में किसी मा0 मंत्री को इस तरीके से दखल नहीं देना चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, क्योंकि मैनिफैस्टो का जिक्र आया है, तथ्यों से परे बात या तो आपने सुनी नहीं। मा0 सदस्य ने समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया और कहा कि मैनिफेस्टो में 20 प्रतिशत मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गयी है। यह चूंकि तथ्यों से परे है और एकतरफा बात है इसलिये सदन के बाहर नहीं जानी चाहिये।

'श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, हमारी विधान सभा के इतने वरिष्ठ मंत्री जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टिर भी हैं। नदीम जो हमारे फर्स्ट टर्म के एम0एल0ए0 हैं तो उन्होंने जो भी बात कही उसको इतना फसाद बनाने की आवश्यकता नहीं है और यदि उन्होंने बात कही भी है तो आप तो बड़े हैं आपको जूनियर एम0एल0ए0 को संरक्षण देना चाहिये। जो नये एम0एल0ए0 आए हैं उनको संरक्षण देना चाहिये।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यदि उन्होंने कोई ऐसी बात कही भी है, आप तो बड़े है, आपको जूनियर सदस्यों को संरक्षण देना चाहिए, अगर कोई बात मेनीफोस्टो में नहीं है और वह कही गयी है। कांग्रेस पार्टी, वह पार्टी है, जिसने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी का बलिदान सभी जानते हैं, जब आप सत्ता में आए थे तो कांग्रेस के समर्थन से आए थे। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के लिए जो बातें अभी कही गई हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी बात कहते हुए वेल में आ गए)

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कही, मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। आपने जो कहा उन्होंने सुना, आप भी सुनिए, आपकी बात को उन्होंने सुना। उसमें अगर कोई असंसदीय बात हो तो बताओ, मैं उस पर विचार करूँगा। आपने अपना भाषण दिया, आपने अपनी पूरी बात कही और मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके आपकी बात का जवाब दे दिया तो क्यों परेशान है ? आप जब बोलते रहे तो वह कुछ नहीं बोले। जब आप बोलते रहे तो संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ नहीं कहा, जब उनका मौका आया तो उन्होंने अपनी बात कही। आप लोग अब बैठिए। पहाड़िया जी, अपनी सीट पर चलिए।

(वेल में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपनी बात कहते रहे लेकिन व्यवधान के कारण कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष–

बहुगुणा जी, आप अपनी सीट पर चलिए। पहाड़िया जी, इतना हल्ला न करिए, अपनी सीट पर चलिए।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, जो बातें कांग्रेस पार्टी के लिए अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहीं है, उनको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष–

हम देख लेंगे, अगर उसमें कोई असंसदीय बात होगी तो हम हटा देंगे लेकिन कोई बात असंसदीय नहीं होगी तो क्यों हटाया जायेगा। अब चलिए।

(वेल में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य लगातार बोलने का प्रयास करते रहे और वेल में बैठ गए)

श्री अध्यक्ष–

यदि बैठे रहेंगे तो हम भी बैठे हैं। पांच बचे तक बैठे रहिए, कल सुबह तक बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सच कह दिया, एक सच्चाई है, ऐतिहासिक सच्चाई है, उससे कौन इन्कार कर सकता है, 06 दिसम्बर, 1992 को आपके ख्ा ग ग, उस सच्चाई से कौन इन्कार कर सकता है ? जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आपके ख्ा ग ग, थे, ख्ा ग ग, आप रोक सकते थे, 09 दिसम्बर, 92 को उत्तर प्रदेश सरकार भंग की गई, यह एक सच है। ख्ा ग ग, अपने इस पाप से नहीं बच सकती है। ख्ा ग ग, में बाबरी मस्जिद टूटी है।

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, इसको कार्यवाही से निकला जाए। हम लोग अपने अधिकार के लिए यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, निकाली वह बात जाती है, जो असंसदीय हो। हम इसको देखेंगे, यदि कुछ असंसदीय होगा तो निकाल देंगे। लेकिन अगर असंसदीय नहीं होगा तो कैसे निकाल देंगे ? पहाड़िया जी, अब आप लोग चलिए, आप लोगों ने बहुत प्रदर्शन कर लिया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने कहा अगर कोई असंसदीय बात होगी तो हम उसे देख लेंगे निकाल देंगे। लेकिन अगर संसदीय है तो कैसे निकाला जाएगा। पहाड़िया जी बहुत हो गया आप लोगों ने बहुत प्रदर्शन कर लिया। मान जाइये। बैठिये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में एक साथ जोर–जोर से बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा कि अगर कोई असंसदीय बात होगी तो देख लेंगे निकाल देंगे। आप लोग कह रहे हैं कि पूरी कार्यवाही निकालो यह सब नहीं होगा। आप अपनी सीटों पर जाएं। आखिर आप अपनी बात बोले तो यह कुछ नहीं बोले और जब संसदीय कार्य मंत्री जी बोले तो आप लोग वेल में चले आए। जब आप हमलावर थे तब तो संसदीय कार्य मंत्री जी और पूरा सत्तारूढ़ दल कुछ नहीं बोल रहा था। अब आप चले। आप अपनी सीट पर चलें।

श्री योगेश प्रताप सिंह–

आपके मुखिया बाहर खड़े हैं आप जाइये। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने टिप्पणी नहीं की है उन्होंने कहा है कि मा0 प्रधानमंत्री जी थीं और उसका रूप बदल दिया गया था बाद में उन्होंने वापस लिया। वह उन्होंने टिप्पणी तो की नहीं। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो रूप था अल्पसंख्यक स्वरूप बदला था जनआंदोलन हुआ मा0 प्रधानमंत्री जी ने फिर उसे बहाल कर दिया। तो इससे क्यों चिढ़ते हो भई। उन्होंने तो उन्हीं की बात कही। उस आंदोलन में हम लोग भी दौड़ रहे थे जब वह आंदोलन चला था बहाली के लिए। आप उसमें नहीं थे। बंशी सिंह पहाड़िया उसमें नहीं थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल कराने में हम लोग

भी आंदोलन में रहे। आप बैठिए। आपकी बात आ गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री मा0 इंदिरा गांधी पर उन्होंने कोई टिप्पणी की ही नहीं तो मैं क्या कहूं।

(वेल में आये हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के अपनी सीट पर वापस न जाने पर और उनके एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ऐसे ही बैठे रहो। चलिए अब हो गया। नदीम साहब आपने जिस तरह से हमला किया था जिस तरह से आप बोल रहे थे अगर उन्होंने उसी का जवाब दिया तो क्यों चिढ़ रहे हो। वह आपसे बहुत सीनियर हैं। आपसे मैंने कह दिया कि असंसदीय शब्द होता है तो निकाल देंगे। जब आप और नदीम बोल रहे थे तो सारी विधान सभा सुन रही थी और अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप कर दिया तो आप वेल में आकर बैठ गए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी क्या यह सत्य नहीं है कि 6 दिसम्बर 92 को केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। उनके रहते हुए बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। इसमें क्या गलत बात कह दी मैंने? ताला आपने खुलवाया शिलान्यास आपने करवाया बाबरी मस्जिद आपने गिरवाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने खत्म करवाई। क्या गलत कह दिया ? इतिहास बता रहा हूं जिन नौजवानों को इतिहास न मालूम हो सुन लें। कांग्रेस का इतिहास। देश को सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में सौंपने वाली कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी को चांदी की थाल में सजाकर देश देने वाली कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चांदी के थाल में सजाकर देश भाजपा को दिया है। मान्यवर, बर्बाद कर दिया इन्होंने देश को। रिश्ते खत्म करा दिए। सौहार्द खत्म कर दिया। लूट कर खा गए पूरे देश को।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर एक साथ बोलते रहे जिससे सदन में शोर शराबा उत्पन्न हो गया)

(शोर शराबे के मध्य)

मो0 आजम खां–

दस साल तक पता ही नहीं चला कि देश में कोई प्रधानमंत्री है।

'श्री अम्बिका चौधरी–

माथुर साहब, आप इन लोगों को बुलवाइये। माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी सवाल पर किसी को अपना विरोध प्रदर्शन करना है तो उसका भी एक तरीका है। और उसकी एक सीमा भी है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है। अंततः आप हमारे संरक्षक है और इस सदन को कैसे चलाना है यह आप तय करेंगे। विरोध प्रदर्शन के लिए वेल में आना कोई पहली बार नहीं हो रहा है और हम उस पर कोई उपदेश नहीं देना चाहते। लेकिन श्रीमन्, जब तक मा0 सदस्य कांग्रेस ने अपनी पूरी बात कही और स्वयं जब तक अपनी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

पूरी बात कहकर बैठ नहीं गये। या आपने कहा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप भी नहीं किया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जब तक सदस्य कांग्रेस बोल रहे थे तब तक एक शब्द भी नहीं बोला और हम लोग सब शांतिपूर्वक उनकी बात सुन रहे थे। जो चाहा उन्होंने बोला और अपनी बात कह दी। अगर इतिहास का जिक्र आएगा और अगर उन घटनाओं का सदन में उल्लेख होगा। तो उस इतिहास के उस अमुक कालखण्ड में अगर अकबर का नाम लेने से अकबर की बेइज्जती नहीं हुयी, अगर रहीम का नाम लेने से रहीम की बेइज्जती नहीं हुयी तो जिसके कालखण्ड में बाबरी मस्जिद गिरी तो उसका नाम लेने से उसकी बेइज्जती नहीं होती। आप सुन लीजिए।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

बिलकुल नहीं सुनूंगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर आप नही सुनेंगी तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इस भ्रम में कोई न रहे। ख्या ग ग, (घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अम्बिका चौधरी–

इस भ्रम में मत रहिये। ख्या ग ग, आप क्या सुनेंगी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने आसन से कह रहा हूं और ख्या ग ग, मेरा यह कहना है कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी ही नहीं इस सदन में कभी कोई सदस्य कभी कोई असंसदीय बात कहता है तो मान्यवर, पीठ पर आपको अधिकार है इसको निकाल देने का। आपने अपनी ओर से कहा भी है और मैं इसके आगे और कहना चाहता हूं कि अगर कोई प्रमाण–पत्र देना चाहता है इस स्थान पर कि कोई ख्या ग ग, के यहां सर्टिफिकेट पहुंचाना चाहता है कि आपके सवाल पर हम बहुत जोर से उछले। तो उसका प्रमाण भी हो गया और प्रमाण– पत्र देने के लिए इतिहास को नकार नहीं सकते। इतिहास का उल्लेख होगा और बार–बार आएगा कि बाबरी मस्जिद गिरी तो कांग्रेस की हुकुमत थी। और ख्या ग ग, ने फोन तक नहीं उठाया। यह इतिहास कैसे माफ करेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चलें। इतनी देर तक आपका विरोध भी हो गया। अब अपनी सीटों पर चलें। चलिये नदीम जी आप चलिये। अब जितना रौ में आप बोल रहे थे उसी रौ में सुनने का भी साहस रखना चाहिए। चलिये सीटों पर चलिये। जाइये, जाइये अपनी सीटों पर जाइये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गये)

श्री प्रदीप माथुर–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

माननीय अध्यक्ष जी, इसको दिखवा लीजिए। जो भी मामला असंसदीय हो। दिखवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हां।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, यदि इसी तरह की बात थी तो स्वयं कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया था। इस बात का जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। इस पर बहस हो गयी आगे चला जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है, जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, कांग्रेस को दो चीजों का जवाब चाहिए। एक इसका जवाब चाहिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने जवाब मांगा है मैं जवाब दे रहा हूं

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता कांग्रेस ने यह कहा है कि जब बाबरी मस्जिद गिरी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह थे, यह सही बात है। 04 दिसम्बर, 1992 को एक प्रतिनिधि मण्डल नेता जी की अगुवाई में भारत के प्रधानमंत्री से मिला।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, हम इनके दृष्टांत नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए इसके विरोध मे, मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कांग्रेस ने जवाब मांगा है, रिकार्ड में यह बात आनी चाहिए। 04 दिसम्बर, 1992 को इसमें ज्यादातर विधायक अभी मौजूद हैं, जो उस डेलीगेशन में शामिल थे, आप भी थे। 04 दिसम्बर, 1992 को भारत के राष्ट्रपति जी से नेता जी की अगुवाई में एक डेलीगेशन प्रधान मंत्री जी से मिला और 02 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी का डेलीगेशन मिला और दोनो डेलीगेशन ने एक बात कही कि इस बात का पूरा अन्देशा है कि 06 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिरा दी जायेगी, इसलिए अगर समय रहते हुए आप कार्रवाई कर देंगें और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देंगे तो बाबरी मस्जिद बचाई जा सकती है। 06 दिसम्बर, 1992 को बाबरी

मस्जिद गिर गई, शहीद हो गई और 06 दिसम्बर, 1992 को ही कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को दे दिया। महामहिम राज्यपाल को चाहिए था कि राष्ट्रपति जी को भेजकर या स्वयं उस इस्तीफे को मंजूर कर लेते और राष्ट्रपति शासन लगा देते। 06 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, 07 दिसम्बर को नहीं लगा, 08 दिसम्बर को नहीं लगा और 09 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जब बाबरी मस्जिद की जगह पर तीन दिन में पूरा चबूतरा बन गया। यह श्रेय कांग्रेस को जाता है, आपको नहीं जाता। आपने नहीं बनवाया, यह चबूतरा जो आज राम मन्दिर कहलाता है, ख्ा ग ग, अब अगर यह सच मैंने कह दिया तो क्या बुरा कह दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जिक्र किया मा0 सदस्य ने, वह नए हैं, उन्होंने सिर्फ मौलाना की जिन्दगी को हम जैसे लोगों के बीच में आप जैसे लोगों के बीच में बैठकर सुना होगा, वही कहा हुआ किस्सा सुना दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो किताब लिखी थी, उसमें 42 पेज बाकी रह गये थे, जो पब्लिश नहीं हुए थे इण्डिया विंग्स फ्रीडम के और वसीयत की थी कि मेरे इन्तकाल के 25 वर्ष के बाद इन पेजेज को खोला जाय, जब वह पेजेज खोले गये तो उसमें यह लिखा था कि मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैं काग्रेस पार्टी का सदस्य था और कांग्रेस से ज्यादा साम्प्रदायिक पार्टी देश में कोई नहीं है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन 25 पेजेज में लिखा हुआ है जो मा0 सदस्य को नहीं मालूम है। मान्यवर, गलत इतिहास कैसे सदन में आने देंगे। गलत इतिहास लिखा जायेगा और जवाब नहीं आयेगा, माथुर साहब ने सवाल रखा और कहा कि जवाब दें, दे तो दिया मैंने जवाब। ताला खोला आपने, शिलान्यास कराया आपने, बाबरी मस्जिद गिरवाई आपने, राम मन्दिर बनवाया आपने। इसका श्रेय हम देते हैं कांग्रेस को, देते हैं श्रेय।

श्री अध्यक्ष–

बस अब खत्म करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

धन्यवाद।

' श्री नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव''–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर भाई संग्राम सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं मान्यवर, काफी देर से चर्चा चल रही है, हमारे बहुत से साथी इस सदन में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ इस तरीके की हरकतें करने का काम करते हैं जिनसे हम लोगों को भी बाहर जाकर के शर्म से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। मान्यवर, जिसमें सच्चाई सुनने का साहस न हो, अपने द्वारा किये गये गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाय, ऐसे लोग जब अपनी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, मान्यवर, कोई भी पार्टी हो, पार्टियां नीतियों और कार्यक्रमों से चलती हैं, जिन पार्टियों के पास नीतियां और

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कार्यक्रम होते हैं वह पार्टियां जनता के बीच में जाकर के अपने द्वारा घोषित काम और अपने वायदों को पूरा करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी और डा0 राम मनोहर लोहिया की कोख से निकली हुई पार्टी है जिसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी हैं, जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। हम लोग एक लम्बे समय से मा0 नेता जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं जो उसूलों पर चलने वाले लोग हैं, सिद्धान्तों पर चलने वाले लोग हैं इसीलिये जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो अपना घोषणा पत्र लेकर के जाते हैं। जब हमारी सरकार बनती है तो घोषणा–पत्र के अनुरूप किये गये वादों को पूरा करने का काम करते हैं। मान्यवर, महात्मा गांधी का नाम लेकर के, कौन नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री इन्दिरा जी जिनके नाम के मामले में आगे गांधी जोड़ा गया है। नेहरू खानदान की बेटी थीं उनके नाम के आगे गांधी कैसे लगाया गया। यह भी चर्चा का विषय था। जो लोग उस जमाने के हैं, जो लोग उनके इतिहास, भूगोल को जानते हैं कि गांधी का नाम लेकर के, नाम के आगे गांधी जोड़ करके गांधी की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिये आज सवाल खड़ा होता है और सदन के अन्दर जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात कहते हैं तो सही बात सुनने की आदत उनकी नहीं है और इसीलिये सच्चाई पर पर्दा डालने के लिये वेल में आकर के अपनी बात कहने का काम करते हैं। आज मैं यहां पर प्रतापगढ़ की सदर विधान सभा से पहली बार सदन में चुनकर आया हूं प्रतापगढ़ जनपद इस सदन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रतापगढ़ की धरती से आती हैं। मा0 प्रमोद तिवारी जी इस सदन के आदर्श विधायक रहे हैं। ये तमाम लोग प्रतापगढ़ की धरती से आते हैं। प्रतापगढ़ की धरती का इतिहास रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर के तमाम आंदोलनों में जवाहर लाल नेहरू को भी हमारे यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे यहां जो झउवा होता है उस झउवे पर खड़े होकर के भाषण सुनाने का काम किया था। मा0 अध्यक्ष जी, बात नीतियों और कार्यक्रमों की होती है। जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महात्मा गांधी और लोहिया के सिद्धान्तों को मानने वाले लोग जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है, जब सरकार बनती है तो उसके अनुरूप कार्य करने का काम किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, सन् 89 में जब पहली बार नेता जी मुख्य मंत्री बने थे तो अपनी उपज का सामान ले जाकर, मौर्य जी भी उसी समाज से आते हैं। खासकर सब्जी व्यापारी जो अपनी उपज की सब्जी को लेकर के जाते थे तो चुंगी लगती थी और चुंगी का बैरियर गिर जाता था। जब गरीब किसान के पास पैसा नहीं होता था तो वहां पर वसूली करने वाला आदमी उसकी साइकिल पकड़कर खींच लेता था और वह बूढ़ा गिर जाता था और उसकी सब्जी भी सड़क पर गिर जाती थी। वह कहता था कि मैं लौटकर के सब्जी का पैसा दे दूंगा तो वह आदमी, सरकारी कर्मचारी उसकी सब्जी रख लेता था और इतना ज्यादा ले लेता था कि वह चुंगी से ज्यादा होता था। इस दर्द को महसूस किया मा0 नेता जी ने और जब सन 89 में पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उस चुंगी को माफ करने का काम हमारे

नेता जी ने किया था। आज गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों के हित की बात, दलितों के हित की बात, मुसलमानों के हित की बात अगर कोई देश के अन्दर करने वाला है तो वह समाजवादी पार्टी है और उसके नेता अखिलेश यादव जी हैं।

हमारे प्रदेश में जो आबादी मुसलमानों की है तो 20 परसेण्ट बजट का पैसा मुसलमानों की आबादी में खर्च करने का काम हमारी पार्टी की सरकार करती है। तहबाजारी लगती थी, किसानों के हित के जितने भी काम किये गये हैं, अगर किसी ने किये हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किये हैं। केजरीवाल का नाम आता है तो आप 5 हजार लीटर मुफ्त पानी की बात करते हैं। हमारी सरकार ने नहरों का, ट्यूबवेल का जितना भी पानी है उसे किसानों को मुफ्त देने का काम किया है। हम अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नहरों में पानी न पहुंचता हो तो उसकी जिम्मेदारी लेकर के आप हम लोगों को बताने का काम करें। अगर किसानों से कहीं सिंचाई वसूली जाती हो तो उसको बताने का काम करें। हमारी वृद्धावस्था पेंशन में या विधवा पेंशन में विधवायें हैं, जो किसान हैं, मजलूम हैं, लाचार हैं। हमारी जो पेंशन योजना है। उसमें अगर कहीं धांधली होती है आपके पड़ोस में कहीं ऐसा मामला मिलता है तो हमें बताने का काम करिये। यूं तो बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किये हैं, जिनका उल्लेख हमारे बहुत से साथियों ने किया है। नौकरी में कोई भी आदमी रहता है तो उसको पेंशन मिलती है, उसके मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है। मगर हमारे नेता ने इस बात को महसूस किया कि अगर किसान किसी दुर्घटना में मर जाता है, तो उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को किसी तरह का सहारा नहीं मिलता है इसीलिए हमारी सरकार ने किसी भी किसान कि आकस्मिक मृत्यु होने पर उसे 5 लाख रुपये की राशि देने का काम किया। यह है महात्मा गांधी की सोच, यह है डाक्टर लोहिया की सोच जो गरीब और किसान के बारे में सोचते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए।

श्री नागेन्द्र सिंह उर्फ ''मुन्ना यादव''–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताती है कि बहुत स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हमारी सरकार ने समस्त गांवों के लिए समग्र विकास करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी कानून व्यवस्था की बात आती है। कानून–व्यवस्था के बारे में बहुत ढेर सारी चर्चा होती है। कानून को तोड़ने वाले लोग कौन हैं। बाबरी मस्जिद ध्वस्त करायी गई, सबसे बड़ा देश का कानून कहां तोड़ा गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले जो लोग है, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का काम हमारी सरकार करेगी। जनता में भय पैदा करने वाले लोग, मूर्ति को दूध पिलाने वाले लोग, समाज में झूठ फैलाने वाले लोगों को, अफवाह फैलाने वाले लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री नागेन्द्र सिंह उर्फ ''मुन्ना यादव'' –

माननीय अध्यक्ष जी, बातें और भी कहनी थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां प्रतापगढ़ में तमाम नदियॉ हैं, नदियों पर पुलों की आवश्यकता है। हमारे यहां गरीबी बहुत है, हमारे यहां कोई ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां जब कोई एक्सीडेन्ट होता है तो उस व्यक्ति को लेकर के हमें इलाहाबाद या लखनऊ आना पड़ता है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक ट्रामा सेन्टर की स्थापना की जानी चाहिए। और भी तमाम समस्यायें हैं आंवला किसान हैं। हमारे यहां एक आंवला फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जानी चाहिए, जिससे हमारे यहां के जो आंवला उत्पादनकर्ता हैं उनको अपनी उपज का सही और वास्तविक मूल्य मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन के रूप में प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करते हुये अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट सत्र में भी सरकार द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की प्रतिबद्धता दोहरायी गई थी कि मेरी सरकार जो वायदा करती है वह करती है और हमारी कथनी और करनी में कोई फक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी इसी सरकार का वायदा है एक वित्तीय वर्ष नहीं दो वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी वे तमाम गरीब, बूढ़े और माताएं बड़ी बेसब्ररी के साथ इंतजार तो कर ही रही थी, उत्तर प्रदेश के प्रधानों द्वारा एक बार नही दो बार नहीं, कभी कम्प्यूटर से सूची बनायी जाती, कभी हाथ से सूची बनायी जाती थी। पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान लोगों ने लगभग 5–5 हजार खर्च करने का काम किया और उन बूढ़े जनों से गाली भी खाने का काम किया और उनको कम्बल और साड़ी आज तक नहीं मिली। आखिर वह किसका वायदा था, वह कोई विपक्ष का वायदा नहीं था। अगर वादा था तो उस पक्ष के सरकार के लोगों का वायदा ही नहीं था बल्कि बजटीय प्राविधान भी किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा तमाम पूववर्ती सरकार की ऐसी योजनाओं को बंद करने का काम किया गया। इनके समझ में नहीं आया महामाया पेंशन बंद करने का काम किया, महामाया आवास योजना को बंद करने का काम किया। उनको नहीं पता रहा होगा कि महामाया किसका नाम है, लेकिन इनको इस बात की जानकारी है। वह पिछड़ों की हितैषी हैं। यह पिछड़ों के हितैषी हैं महिलाओं के भी हितैषी हैं और महिलाओं को आगे ले जाने का काम करते है आखिर में ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि पिछड़े समाज में जब महात्मा ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी सावित्री बाई फुले के नाम से एक योजना चली तो आपने उसको भी बन्द करने का काम किया जबकि सावित्री बाई फुले देश की एक ऐसी नारी थी कि जब पूरे देश की नारियों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिलता था उस समय उनको

शिक्षा जगत में शिक्षित करने का काम किया आपने उनके नाम से चल रही योजनाओं को भी बन्द करने का काम किया।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे विपक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि यह क्या कह रहे हैं। चूंकि सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात नहीं रख पाते तो कम से कम हम लोग उनको जगाने का काम करते हैं। उनके मन में इस बात की गुदगुदी है कि आखिर में हमारी सरकार ने कितना वायदा किया, रिक्शा चालक की भी बात करते है आज भी रिक्शा चालक को स्वचालित रिक्शा वितरण का प्राविधान है परन्तु मुझे नहीं लगता कि 3 वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी कहीं स्वचालिक रिक्शा का वितरण हुआ हो। यह किसका कहना था मालुम होता है कि हमारे नेता सदन के अन्दर जो बात कहते हैं वह भी नहीं जानते हैं तो सदन के बाहर जो कुछ कहते रहते हैं वह भी भूल जाते हैं। हमारे विधायक जो उधर से बोल रहे थे वह कह रहे थे कि नेता सदन ने इस सदन के अन्दर कहा था कि जब लोहिया ग्राम का चयन होगा तो माननीय विधायक की संस्तुति से होगा आखिर क्या मजबूरी थी नेता सदन को यहां से कहना पड़ा और कौन सी मजबूरी है कि पूरे प्रदेश में किसी भी माननीय सदस्य से राय नहीं लिया गया पूछा नहीं गया। अभी हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायक कह रहे थे कि डा0 अम्बेडकर समग्र गांव योजना थी हम लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता था लेकिन इस बात को पता कर लीजिएगा डा0 अम्बेडकर समग्र विकास ग्राम योजना जिन जिन विकास खण्डों में चयनित होता था वह केवल सत्ता पक्ष की विधायक की संस्तुति पर नहीं बल्कि हर विकास खण्डों पर होता था और होता वही था उसका जो मानक था, जो विकास का तरीका था उससे पूरा गांव लाभान्वित होता था और पूरा गांव समग्र रूप से लाभान्वित होने का काम किया करता था। लेकिन आज लोहिया ग्राम समग्र विकास योजना जहां आवश्यकता है वहां पर उस ब्लाक का चयन नहीं होता है चलिये ठीक है जहां चयन नहीं होता है लेकिन जहां डा0 लोहिया समग्र विकास गांव के नाम से चयन होता है उस ग्राम का तो समग्र विकास हो जाना चाहिए आप सोचते हैं जब 30 लाख में 40 लाख से सीसी रोड बनवाकर के पूरे गांव का समग्र विकास कर लेंगे यह सम्भव नहीं है अगर आपने डा0 अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास की तर्ज पर चुनने का काम किया है तो उसमे आपको काम करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उधर माननीय मंत्री लोक निर्माण नहीं है लेकिन वह जब यहां बैठते हैं तो कहते हैं कि सारी सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने का काम करेंगे लेकिन आज पूरे प्रदेश में यह सड़के सबसे ज्यादा गड्ढ़ायुक्त हैं। छोड़ दीजिए दूसरी जगह की लखनऊ से इलाहाबाद जाते समय आप देखते होंगे तो सारी सड़कें गड्ढ़ायुक्त हैं।

अभी हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे कि पानी जहां न पहुंचा हो तो बता दीजिए एक जगह नहीं पूरे पूरे प्रदेश की बात छोड़ दीजिए हमारे सत्ता पक्ष के सम्मानित साथी पाण्डेय जी बैठे हैं गामा भाई जिनको कहते हैं आप इनसे पूछ लीजिए हमारे गांव के पास बेलन नहर रजबहा है वहां कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुॅचा है। आप पहुॅचवा दीजिये तो हम लोग यही समझ लेंगे कि जो आपने यहां कहा वह करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी अब हम समाजवादी पेंशन पर आते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार

को याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो समाजवादी पेंशन योजना का नाम रखा वह पहले महामाया पेंशन योजना थी, आपने उसको बंद कर दिया। यह अच्छी बात है कि आपने इस योजना का नाम रानी लक्ष्मी बाई के नाम से रखा लेकिन आपने रानी लक्ष्मी बाई के नाम से कहीं भी एक भी पेंशन स्वीकृत करने का काम नहीं किया। आपने अब उस नाम को बदलकर समाजवादी पेंशन योजना कर दिया। आपने कौन सा नया काम कर दिया है। आप 108 एम्बुलेन्स सेवा की बात करते हैं, यह भी आपकी योजना नहीं है, यह योजना पहले से वर्ष 2011–12 में स्वीकृत थी और आपकी सरकार बनने के बाद आपने केवल उसको संचालित करने का काम किया है। बस इतना ही आपने किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि तमाम पूर्वांचल के हमारे सम्मानित साथी, जिसमें सत्ता पक्ष के भी साथी हैं, शायद इनको इस बात का पता नहीं है कि पिछले वर्ष जितनी पूर्वान्चल विकास निधि मिली थी उसको आज आधा कर दिया गया है। कौन सी ऐसी आफत है कि आपने इसको कम कर दिया। आखिर पूर्वान्चल विकास निधि में कटौती करने की क्या आवश्यकता थी? आज पूर्वान्चल विकास निधि पहुची नहीं है, आप पता कर लीजिये। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी पूर्वान्चल के हैं और आपको भी जानकारी होगी। उसको अगर आप बढ़ाते नही तो कम से इतनी जरूर रखते जितनी पिछले वर्ष मिली थी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे सम्मानित सत्ता पक्ष के साथी भाई पाण्डेय जी बाण सागर परियोजना की बात कर रहे थे तो बहुत ज्यादा दहाड़ लगा रहे थे। बाण सागर परियोजना विगत 06 वर्षों से संचालित है और इस पर काम चल रहा था, अब कम से कम यह बनकर तैयार होगा, तो इसमें पानी अपने आप आयेगा। इसमें कहीं आपकी सरकार का सहयोग नहीं है। सत्तापक्ष का इसमें कहीं सहयोग नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम माननीय सत्तापक्ष के लोगों और सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम जो वायदा करिये उसको पूरा तो करिये। यह न सदन में वायदा पूरा करते हैं न सड़क पर पूरा करते हैं। आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां है। भाई लोग कहते हैं कि कई मुख्य मंत्री हैं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। हम जानते हैं कि मुख्य मंत्री जी कराना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी हैं कि वह कह तो देते हैं, लेकिन पता नहीं कितने ब्रेकर आ जाते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी वह कर नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय अब समाप्त हुआ।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अभिभाषण पर रखे गये संसोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं

'श्री जियाउद्दीन रिजवी–

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संग्राम सिंह यादव के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और हमारी सरकार जब से बनी है, तबसे समाज के हर वर्ग के लिए जो गांव में रहता है, झोपड़ी में रहता है उसके लिए और विद्यार्थी और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और जो काम हो रहा है जनता में इसका प्रचार हो रहा है और जनता खुश है। तो स्वाभाविक है कि हमारे नेता विरोधी दल नाराज हो जायेंगे और उनको लग रहा है कि अभिभाषण पुलिन्दा है। यह कहा जाता है कि आप दूसरे की तरफ अंगुली दिखाईये तो दो अंगुलिया अपनी तरफ भी उठती है, हम उसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में व्यापक काम किया है। 1090 नम्बर महिला हेल्प लाइन जारी किया है, 102 नम्बर की एम्बुलेन्स महिलाओं के लिए और 40 लाख एकमुश्त पेंशन देकर यह साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का काम कर रही है.....

(इस समय 04 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए)

इतना ही नहीं, खाद्य सुरक्षा में भी महिला मेम्बर को, जो घर का मुखिया है खाद्य सुरक्षा में भी उसके सशक्तीकरण का प्रयास किया गया है। पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने अब तक इस काम को नही किया है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम लोगों ने समाजवादी पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजना चालू करके प्रदेश के गरीब लोगों को राहत की सॉस दिलवाई है। मान्यवर, हम लोग गांव में जाते हैं, तमाम ऐसे लोग मिलते हैं, जिनका बी0पी0एल0 में नाम नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं हम लोग चाहकर भी जनप्रतिनिधि चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, चाहे वह विपक्ष के हों, उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग डी0एम0 के यहां जाते हैं या सी0डी0ओ0 के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि इसका आवास नहीं बन पायेगा, इसका राशन कार्ड नहीं बन पायेगा, इसका पेंशन नहीं बन पायेगा क्योंकि इसका नाम बी0पी0एल0 की सूची में नहीं है। यह बी0पी0एल0 की सूची 15 साल पहले बनी थी और उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा इसका संशोधन नहीं कराया गया। आज उसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। इस दिशा में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने समाजवादी आवास योजना, समाजवादी पेंशन योजना लागू करके बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों को विशेष तरजीह देने का काम किया है, जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है। इससे आज उन लोगों को एक घर नसीब हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी ठीक कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की जनता भिखारी होगी। आज जो दिल्ली में सरकार है, डाक्टर साहब की, वह कारपोरेट घरानों की सरकार है। आज केवल सूट नीलाम करने से इस देश में मैसेज नहीं जायेगा कि हमारा ढाई करोड़ का सूट बिक गया। दिल्ली की जनता ने देखा कि आपने वायदा किया था कि 15 लाख रूपया हम हर गरीब के खाते में भिजवा देंगे और जब दिल्ली की प्रबुद्व जनता ने देखा कि 15 लाख रूपया यह नहीं भिजवाये और 15 लाख का कोट पहनकर प्रधानमंत्री जी दिन भर में चार बार ड्रेस बदल करके अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने आ गये और अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति एक कोट पैंट पहनकर चार दिन हिन्दुस्तान में

रहा। उसकी सेहत पर कोई फक्र नहीं पड़ा और जाते–जाते उसने उपदेश दे दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां पर सभी धर्मो का सम्मान होना चाहिये और धर्म के नाम पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, इस बात को लेकर आर0एस0एस0 में मंथन भी हुआ और इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान भी आया कि भारतीय जनता पार्टी अब खुद अपना रास्ता तय करे, मोहन भागवत का बयान भी इस पर आया। आपने सोचा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर हम दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली की जनता ने आप ही की झाड़ू से आप ही को झाड़ू लगा दिया। इसलिये हमारी सरकार ने किसानों के हित में व्यापक काम किया है लेकिन इस देश की सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है। अभी जो धान का रेट तय करना था, इसी तरह गेहूं का रेट तय करने में केन्द्र सरकार ने केवल अठन्नी बढ़ाने का काम किया है, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश का किसान केवल अठन्नी के लायक है। जहां इस देश का किसान गर्मी में, जाड़े में खेतों में पसीना बहाता है और जब किसान की बात आती है तो भारत के प्रधानमंत्री केवल फेंक रहे हैं, यह फेंकू प्रधानमंत्री हैं, लोग उब चुके हैं, जब इनका भाषण आता है तो लोग कान में ऊगली लगा लेते हैं कभी भी कोई योजना आज तक धरातल पर नहीं चली। किसान को आठ आने पैसा बढ़ाया गया, किसानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। कोई भी आप योजना बता दीजिए जो आम जनता के लिए केन्द्र सरकार ने चलाई हो। मा0 राम गोविन्द चौधरी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, 20 परसेंट कटौती केन्द्र सरकार ने बेसिक शिक्षा के बजट में की। आज कोई भी विद्यालय नहीं आ रहे हैं गांव में कोई भी विद्यालय बेसिक स्तर पर नहीं बनाये जा रहे हैं। 20 परसेंट कटौती के बाद भी हमारे मंत्री जी ने प्राथमिक विद्यालयों को सजाने संवारने का काम गांव में किया है। आपने इतनी नौकरी दे दिया जबकि इतनी बाधाएं थीं, आपने भी वायदा किया था कि हम सत्ता में आयेंगे तो नौकरी दे देंगे, 15 लाख, 50 लाख। जाते हैं अमेरिका में उद्योगपतियों से बात करते हैं और वहीं अमेरिका से डॉक्टर साहब जानते हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर साहब।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, कृपया अपनी बात करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

25 परसेंट कैंसर की दवाओं का दाम अमेरिका से बढ़ गया। अभी प्रधानमंत्री अमेरिका में थे और जीवन रक्षक दवाओं का दाम हिन्दुस्तान में बढ़ा दिया गया। किसके दबाव में बढ़ा दिया गया, आज जासूसी हो रही है पेट्रोलियम मंत्रालय में, कौन है वह, जिस अम्बानी को लेकर आप घूम रहे हैं उन्हीं के लोग आज 15 साल से जासूसी करा रहे हैं। है हिम्मत, हम जानते हैं कि हिम्मत तब होती जब आप अम्बानी और अडानी का कुछ करते।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। मा0 असीजा जी, आप अपनी बात रखें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें। हमारी सरकार ने हर दिशा में काम किया। अभी पेट्रोल डीजल का दाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटा लेकिन उस लिहाज से हिन्दुस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम नहीं घटा, ना तो रेल का भाड़ा घटा और ना ही और कोई सुविधाएं मिलीं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोहिया बस सुविधा गांवों में कम कीमत में चलाने का काम किया। हमारी सरकार कैंसर इन्स्टीट्यूट खोलने का काम इसी लखनऊ में करने जा रही है। वेदान्ता हास्पिटल जो गुड़गांव में है उसके निदेशक यहां आये थे। इसके अतिरिक्त तमाम बुनियादी सुविधाएं हमारी सरकार देने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, पूरे भारत में कोई ऐसी सरकार नहीं है जहां दवाएं फ्री हों, और पढ़ाई फ्री हो लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है, अब कृपया आप समाप्त करें। मा0 असीजा जी को बोलने के लिए बुला लिया गया है।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, आप बात करते हैं धर्मनिर्पेक्षता की मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के साथ अकेले आजम खॉ जी ही नहीं हैं, हिन्दुस्तान में करोड़ों–करोड़ों मुसलमान आजम खां के इशारे पर जान देने के लिए तैयार हैं। जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को किरकिरी होने लगती है, बहुजन समाज पार्टी को किरकिरी होने लगती है, कॉग्रेस को किरकिरी लगती है क्योंकि आजम खां सच्चाई बोलते हैं। आजम खां उस सख्सियत का नाम है जो इंसानियत और मुसलमानों के रहबर हैं और वह मुसलमानों की जायज मांग को हर प्वाइन्ट पर रखते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी लोकप्रियता कम हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी लोकप्रियता कम हो रही है तो घर वापसी, लव जिहाद और तमाम नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब तो नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगने जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब बैठ जाईये, मा0 असीजा जी को बुला लिया है वह खड़े हुए हैं। अब आसन ग्रहण करिये।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

अब यह नाथू राम गोडसे को महिमामंडित कर रहे हैं एक तरफ गांधी के हत्यारे की मूर्ति लगाने की परमीशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी जी के स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत कर रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में अंतर है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।..

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता जी, इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर है। इसी के साथ मैं डा0 संग्राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं

'श्री मनीष असीजा–

मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण में संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं मैं आपके माध्यम से इस वक्त के दौर में जब सदन तूफानी तरीके से आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहा है, मैं विपक्ष के विधायक के रूप में यह सकारात्मक प्रयास करूंगा कि चाहे वह सत्तापक्ष हो, चाहे समय–समय पर सत्ता से विपक्ष में आकर बैठने वाला पक्ष हो। हम सभी लोग कहीं न कहीं अपने–अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह सदन अपने क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए सर्वोच्च मंच है तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद की कुछ समस्यायें जो कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं आ सकी हैं उसके लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं महोदय, नगर फिरोजाबाद, जनपद फिरोजाबाद एक औद्योगिक नगर है, कांच का परम्परागत रूप से पिछले 100 वर्षों से काम होता है, मिलीजुली आबादी है, वहां हिन्दू भाई, मुस्लिम भाई, अनुसूचित समाज के लोग, सभी लोग मिलजुल कर एक हाथ से हाथ लगाकर अपने शहर की जो बुनियादी चीज है कांच का उत्पाद उसमें योगदान देते हैं। हमें लम्बे–लम्बे भाषण, शेरो–शायरी और दृष्टान्त से ऊपर एक साथ की साझा संस्कृति और मिल–जुलकर काम करने का एक प्रभाव देखने को मिलेगा। महोदय, नगर फिरोजाबाद में लाखों की संख्या में गरीब, मेहनतकश, मजदूर काम करता है यह सभी धर्मों से, सभी वर्गों से आता है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, अनुसूचित

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं। पर इन चारों या सभी वर्गों में समानता देखी जाए तो वह यह है कि दिन–रात मेहनत करने के बावजूद, एक कुशल उत्पाद बनाने के बावजूद उनकी जो खुद की माली स्थिति है, जो अवस्थापना की स्थिति है वह बहुत खराब है, जिसे हम स्लम कहते हैं वह फिरोजाबाद में भरपूर है। विधान सभा में मैं जबसे सदस्य के रूप में आया हूं, मैंने लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि वहां फिरोजाबाद में ऐसी आवासीय योजना की महती आवश्यकता है जो वीकर सेक्शन के लिए और लघु आय वाले लोगों के लिए एक आवासीय योजना खोली जाए। मैं साथ में आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहता हूं कि जो कांच की चूड़ी है, जैसे हम बहुत सारे कलस्टर खोल रहे हैं, आई0टी0पार्क खोल रहे हैं, विदेशों से उद्योग को आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक स्वाभाविक और नैसर्गिक उद्योग है जिसकी रग–रग में काम है। इस चूड़ी की ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी या कोई भी सरकार के प्रमुख लोग अगर बड़े स्तर पर कांच की चूड़ी को जो सुहाग का प्रतीक चिन्ह है ब्रांडिंग करते हैं तो उसका जो सबसे आखिरी प्रभाव है वह उस काम को करने वाले गरीब मजदूर के ऊपर पड़ेगा। लाखों लोगों का जो रोजी–रोजगार है उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि कांच की चूडी का व्यापक स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ब्रांडिंग करे। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम फिरोजाबाद को 4 अगस्त 2010 में उच्चीकृत करके नगर निगम का दर्जा दिया गया है। और यह नगर निगम के दर्जे के बाद की वस्तु स्थिति है उसमें निगम के मानकों के अनुसार अभी स्टाफ नहीं है वह काम नहीं है लेकिन हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की ऐसी मार पड़ रही है कि नगर में जगह–जगह आन्दोलन हो रहे हैं। टैक्स की दरों को 100–100, 50–50 गुना बढ़ा दिया गया है। जो दरें हजरतगंज में नहीं हैं जो कानपुर गाजियाबाद जैसे पुराने महानगरों में नहीं हैं वह दरें लगाई जा रही हैं। कारण मात्र एक है नगर निगम इस वक्त बिना चुने हुए बोर्ड के चल रहा है। यहां पर प्रशासनिक अधिकारी इस बोर्ड को चला रहे हैं। आप समझते हैं कि अधिकारी का दृष्टिकोण लखनऊ से टैक्स की समीक्षा उसमें स्थानीय लोगों की हालत यह हो गई है कि वह अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो हम किराएदार होते घर का मकान होना मुसीबत बन गया है। उनके घर पर पचास–पचास हजार और एक–एक लाख रुपया टैक्स लगा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सदन के माध्यम से इसकी भी चिन्ता करी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

असीजा जी अपनी बात समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा–

अधिष्ठाता जी आपका बड़ा सहयोग है लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हूं पूर्व के वक्ताओं के समय और अपने समय को देखते हुए मैं समझ नहीं पाया आपने सबको दस मिनट का समय दिया। आपने वहां तो 25 मिनट का समय दे दिया मैं तो ठीक–ठाक बात रखने का प्रयास कर रहा हूं महोदय मैं अपने जनपद अस्पताल में जो विशाल

निष्प्रयोज्य भूमि है उस पर केन्द्र के द्वारा जो स्कीम है जिसमें 75 प्रतिशत केंद्रांश और 25 प्रतिशत राज्यांश के आधार पर मेडिकल कालेज की स्थापना की योजना है। उसमें फिरोजाबाद भी आ गया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह अपेक्षा करता हूं कि जिस बड़ी योजना को हम लगातार उठा रहे थे पिछली केन्द्र सरकार में उसकी मंजूरी नहीं हुई वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार में न केवल योजना की मंजूरी हुई अपितु यह अपेक्षा करी गई है कि मेडिकल कालेज के लिए तत्काल डी0पी0आर0 भेज दी जाए। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह बयान भी दिया था तो मैं चाहता हूं कि मेडिकल कालेज की डी0पी0आर0 तत्काल प्रभाव से बनवाकर भेजी जाए जिससे पूरे जनपद फिरोजाबाद के लिए मेडिकल कालेज जो सभी के लिए काम आने वाला होगा वह बने। महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है वह राजा के ताल से मक्खनपुर लगभग 16 कि0मी0 का एक टुकड़ा है वह घनी आबादी के बीच में से गुजरता है आप कभी भी कानपुर से या लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो आप बीच शहर से जाएंगे और उस राजमार्ग के दोनों तरफ स्कूल हैं कारखाने हैं अन्य व्यवसायिक और आवासीय गतिविधियां संचालित हैं परिणाम इसका यह होता है कि एन0एच0–2 पर बाहर से जो भारी वाहन आता है और घनी आबादी में जैसे घुसता है तो वह दुर्घटना का इतना बड़ा सबब बनता है कि कोई दिन नहीं जाता कि इस पैच के बीच में कोई जनहानि की घटना न हो। मैं चाहता हूं कि राजा के ताल से मक्खनपुर तक एक आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाय जिससे हमारे शहर को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। मैं यह प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं कि नगर निगम बने हुए 6–7 महीने के ऊपर होने जा रहे हैं हमको तत्काल परिसीमन कराकर आरक्षण कराकर चुना हुआ बोर्ड वहां पर भेजना चाहिए जिससे हमारे संविधान के 73वें 74वें संशोधन की जो भावना है वह पूरी हो अधिकारियों के हाथ से अगर हम कोई संस्था चलवाते हैं तो अधिकारी आने जाने वाले लोग हैं वह स्थानीय समस्याओं को न तो समझते हैं न इतने लम्बे समय तक इस धन का सदुपयोग हो पाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

माननीय सदस्य अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आप दस मिनट दे देंगे।

श्री अधिष्ठाता– ?

दस मिनट पूरे हो गये हैं।

श्री मनीष असीजा–

मैं आपसे यह भी बात कहना चाहता हूं कि हमारे नगर फिरोजाबाद में चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, इन सभी में बजट की

आवश्यकता है। हम जहां अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं वहां हमें सोचना चाहिए कि पात्रता रखने वाली विधवा बहिनें, विकलांग भाई, और वृद्धजन, उनको अगर पेंशन नहीं मिलती तो उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। मैं आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि यह बजट भी बढ़ाने का काम किया जाय। मैं आपके माध्यम से फिरोजाबाद में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में जो विद्युतीकरण का काम हो रहा है वह अपेक्षा करता हूं कि नगर की जो बाहरी आबादी है, जहां पर न बिजली के खम्बे हैं, न केबिल है, न ट्रांसफार्मर्स हैं उनको भी जोड़ा जाय। मैंने अपने अन्य प्रस्ताव लिखित रूप से दिये हैं उनको जोड़ा हुआ शामिल किया जाय। धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो अपनी बात रखी गई है, उसके समर्थन में बोलने के लिये आमंत्रित किया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिये कि एक माननीय सदस्य वहां अपनी सीट से बोल रहे थे तो उसके बाद उनको यहां वेल तक आना पड़ा और एक सदस्य आप हैं जो यहां बोल रहे थे और वहां अधिष्ठाता की कुर्सी तक पहुंच गये। (हंसी) माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह सरकार के कार्यों का एक आइना होता है। सरकार जो करना चाहती है, राज्यपाल के माध्यम से, अभिभाषण के माध्यम से, एक आइना दिखाया जाता है। यह अलग बात है कि कभी–कभी आइना भी टेढ़ा–मेढ़ा हो जाता है। जो चेहरा होता है वह नहीं दिखता है। या यूं कह लीजिये कि कुछ आइने ऐसे होते हैं कि आंखें छोटी होती हैं तो उसमें बड़ा दिखाई देता है या आंखे बड़ी होती हैं छोटी दिखाई दे जाती है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण को जब मैंने फिर दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ध्यान से पढ़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि अगर यह सरकार का आइना है तो सरकार को ये अधिकारीगण किस तरफ ले करके जा रहे हैं ? मैं यह बात अवगत कराना चाहता हूं कि एक विभाग है चिकित्सा शिक्षा विभाग। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगर ऐलोपैथ है तो भारी भरकम वहां पर आयुर्वेद विभाग है, वहां पर होम्योपैथ विभाग है, और यूनानी विभाग भी उसी में है। लेकिन पिछले तीन बार से मैं देख रहा हूं यह चौथा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश हुआ है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है। चार बार अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी का आया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की जब भी चर्चा होती है अभिभाषण में तो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ की चर्चा होती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट भी अगर आता है।

आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया हालांकि उस बजट की बात बाद में होगी। उसमें भी होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी का एक शब्द तक भी जिक्र नहीं है। वाक्य नहीं, मैं शब्द की बात कर रहा हूं। जबकि अगर यूनानी, आयुर्वेद और

होम्योपैथ मेडिकल कालेजों की संख्या बताई जाय तो वह संख्या बीस के ऊपर जाती है। जिस विभाग के बीस–बीस मेडिकल कालेज हों, जिस विभाग के हजारों हॉस्पिटल चलते हों, कई हजार जिसके डॉक्टर हों, करोड़ों रुपये में वेतन जाता हो, उस विभाग का अभिभाषण में जिक्र भी न करना माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह खतरनाक संकेत जा रहा है। मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकार इन पैथियों को बन्द करने जा रही हो ? चाहे वह यू0पी0ए0 की गवर्नमेंट रही हो सेन्ट्रल में चाहे एन0डी0ए0 की गवर्नमेंट चल रही है ये दोनों गवर्नमेंट लगातार यह कहती रहीं हैं भारत सरकार कहती रही है कि आयुष को बढ़ावा देना है और यहां आयुष का गला घोंटा जा रहा है। मुझे इस बात की आशंका है कि सरकार कहीं जान बूझकर इस बड़ी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय पद्धतियों को जो भारत की इस मूल पद्धति को जो आयुर्वेद है या यूनानी है या होम्योपैथ है इसे खत्म करने की साजिश में तो नहीं है ? या यूनानी है इसे खत्म करने की साजिश तो नहीं है या अधिकारीगण ऐसा कर रहे हैं,या सरकार के संज्ञान में नहीं है सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इतनी बड़ी पैथी का जिक्र इसमें क्यों नहीं है।दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि डीजल और पेट्रोल का दाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटा है। इस नाते देश का भी डीजल और पेट्रोल का दाम घटा है जब भी डीजल पेट्रोल का दाम एक रुपया, दो रुपया बढ़ा है, तो मान्यवर, जो सरकारी बसें हैं या जो निजी मालिक हैं या जो टैक्सी चलाते हैं, या अपनी प्राइवेट बसें चलवाते हैं तो ज्यों ही डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब तो वह अपना दाम दो रुपया तीन रुपया पांच रुपया बढ़ा देते है लेकिन मान्यवर, मैं सरकार के माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि आज जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें घटी हैं तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि राजकीय परिवहन विभाग की जो बसें हैं उनका जो किराया है उसको क्या सरकार कम करने पर विचार करेगी ? मुझे लगता है इनको करना चाहिए। अगर परिवहन निगम की बसों का किराया घटे डीजल के दाम के अनुरूप करते हैं तो प्राइवेट बस चालक जो हैं उन पर भी दबाव बनेगा जोकि वह जनता का शोषण कर रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा कि 16 किलोमीटर का बड़हलगंज गोला तहसील तक किराया 30–30 रुपये वसूला जा रहा है। सरकार अपने निगम की बसों का किराया घटाएगी तो घटे हुए तेल के दाम को देखते हुए जो प्राइवेट बस मालिक हैं वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मान्यवर, कई सदस्यों ने पूर्वांचल का जिक्र किया, 152 पेज की पुस्तिका को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा पूर्वांचल का जिक्र तक नहीं है, पूर्वांचल की पूरी उपेक्षा इसमें है। पूर्वांचल निधि को आधी से भी कम कर दिया गया पूर्वांचल निधि का जो जिलों को जिलांश जाता था विधायकों को, जो वह अपने हिसाब से काम कराते थे वह पैसा जो 52 लाख 60 लाख या 65 लाख के करीब जाता था वह आज पच्चीस से बीस लाख तक पहुंच गया है। इसका मतलब सरकार पूरी तरह से पूर्वांचल के लोगों की उपेक्षा कर रही है। इस बार के अभिभाषण में भी यह तय हो गया है कि पिछली बार से तो आपने आधा कर ही दिया जैसे विकास के लिए निधि जा रही थी ।

आपने इस अभिभाषण में भी पूर्वाचल के विकास का कोई जिक्र नहीं किया है। पूर्वांचल में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज चल रहा है आपने उसका भी जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब पूर्वांचल के साथ यह सरकार पूरी तरह से छल कर रही है। मैं यह बात कहना चाहता हूं जहां तक सड़कों का सवाल है प्रधानमंत्री सड़क का अभिभाषण में जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री सड़कों के तहत निर्माण कराये जाएंगे। आप करायेंगे या नहीं करायेंगे यह बात तो अलग है क्योंकि वायदे जो आप कर रहे हैं वह कहीं से पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन जो प्रधानमंत्री सड़क पहले से बन रही हैं दो साल से वे सड़कें ऐसे अधूरी पड़ी है इसके हालात यह हैं कि बड़ी–बड़ी गिट्टियां डालकर प्रधानमंत्री सड़कों पर छोड़ दिया गया। सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। जिसके कारण विधायक को आमरण अनशन करना पड़ा है। वैसे भी माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक विधायक सदन में अपनी बात कहता है तो अधिकारीगण वैसे ही संज्ञान ले लेते हैं मान्यवर, सदन में आवाज उठाने वाले की आवाज निचले स्तर तक सुनी जानी चाहिए लेकिन आज सदन के विधायक को सदन के सदस्य को सड़कों की मांग को लेकर आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यह कार्यप्रणाली सरकार और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल की जो सड़कें है विशेषकर विधान सभा गोरखपुर जनपद के चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं जो चारों तरफ से नदियों से घिरा है। पूर्व की तरफ उसको राप्ती ने घेर रखा है तो पश्चिम की तरफ कुआनों नदी है दक्षिण की तरफ सरयू नदी है उत्तर की तरफ तरैना नाला है चारों तरफ से नदियों से घिरी यह विधान सभा क्षेत्र है बाढ़ के दिनों में अक्सर वहां की सड़कें पानी में डूबी रहती हैं इसका नतीजा यह है कि वहां पर सत्तर से अस्सी सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह से डेमेज हो चुकी हैं। उन सड़कों के निर्माण के लिए बार–बार विधान सभा में आवाज उठाई जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

आप दस मिनट दिए हैं। मैं दस मिनट से पहले खत्म कर दूंगा।

मान्यवर, आपने मुझे दस मिनट का समय दिया है तो उससे पहले ही मैं समाप्त कर दूंगा। मैं यह बात कह रहा था कि आप सरकार सड़कों का जिक्र करती है कि उसे ठीक करा लेगी । मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का वायदा आप पूरा करेंगे नई सड़कें तो बनवाएंगे। मगर एक वायदा जो आप जनता से बार–बार करते आए हैं कि सड़कों की मरम्मत होगी, सड़कें चलने योग्य होंगी, सड़कें गढ्ढा मुक्त होंगी, वह वायदा आप पूरा कराइये। श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा के माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूं मैं सरकार की इस बात के लिये तारीफ करूंगा कि इन्होंने एक काम बेहतर काम किया कि किसानों का दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये कर दिया इसके लिये सरकार को साधुवाद। मगर कई ऐसे किसान हैं जिनकी उम्र 80 साल है 90 साल है वह घर के

मुखिया हैं। किसान बही में नाम तो उनका है, लेकिन उनके घर का सारा कार्य उसके बेटे करते हैं नौजवान करता है। सारे लोग उसे ही किसान के रूप में जानते हैं मगर कागज में मुखिया बुजुर्ग का नाम चल रहा है। हम यह मांग करते हैं कि जो आपने कृषक दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये किया है इसमें संशोधन लाएं और यह सुझाव है कि किसान परिवार का सदस्य उसमें शामिल करें ताकि उस परिवार का जो मुखिया है जिसके चलते पूरा का पूरा परिवार चलता है वह मूल किसान जिसका खतौनी में नाम है वह तो चारपाई पर पड़ा है। अब जो किसान है वह अगर दुर्घटना में चल बसा और आप यह कहते हैं कि चूंकि जो चल बसा उसे हम नहीं दे सकते, क्योंकि खतौनी में उसका नाम नहीं है। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि वह उसमें परिवार का सदस्य शब्द अगर जोड़ते हैं तो किसानों का काफी भला होगा।

मान्यवर, मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पिछले वर्ष का जब अभिभाषण पढ़ा और बजट पर भी चर्चा हुई उसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिये सरकार ने बजट दिया था और 2013–14 का जब मैंने बजट देखा तो उसमें भी राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के लिये सरकार ने 200 करोड़ रुपये दिया था। इस बार भी आपने ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की है। दो बार से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पैसा देने के बावजूद धरातल पर किसी भी गांव का उस योजना के तहत विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। जब भी अधिकारी से बात करिये तो वह कहते हैं कि सर्वे चल रहा है। पांच साल में से तीन साल सर्वे में तो निकल गये तो बाकी काम कब होगा हम यह जानना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं केवल बिजली के मुद्दे पर ही बात करूंगा इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं उठाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जो ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं वह लगाने के दूसरे ही दिन जल जा रहे हैं। हमें यह बताया गया कि गोरखपुर जनपद के ट्रांसफार्मर्स गीडा में रिपेयर होता हैं। वहां पर इतनी धांधली है उसमें खराब तेल का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें इतने खराब तार लगाए जा रहे हैं कि ट्रान्सफार्मर आज लगाए और कल ही जल जा रहा है। एक महीने में चार–चार ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ट्रांसफार्मर्स की क्वालिटी बेहतर की जाए और तारों की क्वालिटी बेहतर की जाए ताकि किसान परेशान न हों। मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन चूंकि आपने मुझे समय सीमा में बांध दिया है तो आपकी इस पीठ का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि गर्मी आ रही है और पुनः जनता त्राहि–त्राहि करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि यह सरकार इस गर्मी के महीने में पूर्वांचल और संपूर्ण प्रदेश की जनता को बिजली के लिये हाहाकार नहीं मचाने देगी। आपने मुझे बोलने के लिये अनुमति दी इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री गयादीन अनुरागी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बालू का खनन होता है तो पूरे क्षेत्र की सड़कें गढ्ढों से भरी हुई हैं और राठ से हमीरपुर श्यामना देवी मंदिर होते हुए मैंने एक काम दिया था वह भी इसमें शामिल किया जाए। मान्यवर, जनपद हमीरपुर ग्राम कुमरी के अन्तर्गत अस्पताल के पास से दो हजार मीटर पक्के नाले का निर्माण कराया जाए। बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को देखते हुए बन्द पड़े हुए उद्योगों को चालू कराया जाए और जनपद हमीरपुर के राठ में बन्द पड़ी चीनी मिल को चालू कराने की भी कृपा की जाए। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में पानी की विकराल समस्या है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड में पांच–पांच सौ हैण्डपम्प वहां के सभी विधायकों को दिए जायें। हमारे बुन्देलखण्ड में प्रदेश की सरकार ने बुन्देलखण्ड पैकेज दिया था, उसमें बहुत बन्दरबांट हुआ है, उसकी जांच के लिए मैं मांग करता हूं और रही कानून–व्यवस्था की बात, 27 जुलाई, 2014 को मेरे क्षेत्र में एक लड़की का अपहरण हुआ था, अपहरण होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जा रही थी। जब मैंने कोतवाली का घेराव किया तो एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो उसमें गवाह हैं, मुद्दई हैं, जिन लोगों ने एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई, अभी 15 फरवरी, 2015 को उनके ऊपर फर्जी गैंगरेप का मुकदमा लिखाया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून की हमारे क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और प्रशासन ध्यान नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि फर्जी गैंगरेप की जो घटना हुई है, उसकी सतर्कता से जांच करा के उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां की जनता आक्रोश में आती है और आक्रोश में आने के बाद मेरा घेराव करती है, फिर मजबूरी में मुझे थाने में जाकर घेराव करना पड़ता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

'श्री राम लाल अकेला–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे साथी डा0 संग्राम यादव ने यहां रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं बहुत सारे साथियों ने इस सम्बन्ध में अपनी बातें रखी हैं, कानून–व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, हमारे वायदों को लेकर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव की यह पहली सरकार है, जिसने तीन साल में चुनाव के समय जो वायदे किए थे, अपने सारे वायदों को पूरा करने का काम किया है। जहां तक गरीबों का सवाल है, हमारे श्रम विभाग ने गरीबों का पंजीयन करा करके उनको साइकिल, आवास, सोलर लाइट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित करने का काम किा है, इतिहास में पहली बार यह

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

काम हो रहा है, हमारी सरकार ने इसे करने की कोशिश की है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पेन्शन योजना हमारी सरकार ने शुरू किया और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि समाजवादी पेन्शन योजना का एक पैसा किसी उपभोक्ता के खाते में नहीं गया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, सारे जनपदों में समाजवादी पेन्शन योजना में चयनित जो पात्र हैं, उनके खातों में सीधे पांच सौ रुपया महीने हमारी सरकार ने भेजने का काम किया है। चाहे समाजवादी पेन्शन योजना का सवाल हो, चाहे समग्र विकास योजना का सवाल हो, जो गरीब कभी अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते थे, इन्दिरा आवास के नाम पर कहीं 50, 60, 70 हजार रुपया मिलता था, पहली बार हमारी सरकार ने उन गरीबों को 3 लाख 15 हजार रुपया देकर उनके घर के सपने को साकार करने का काम किया है। वह किसी जाति–बिरादरी के नाम पर नहीं, बल्कि समग्र समाज के विकास के लिए यह शानदार योजना हमारी सरकार ने चालू करने का काम किया है। मान्यवर, पहली बार यह उत्तर प्रदेश के अन्दर हुआ कि किसानों की सिंचाई चाहे नहर की हो, चाहे ट्यूबवेल की हो, उस सारी सिंचाई को हमारी सरकार ने माफ करने का काम किया है।

मान्यवर अभी हमारे कांग्रेस की सदस्या रीता बहुगुणा जोशी जी महिला सम्मान की बात कर रही थी अच्छा होता यदि वह मौके पर होती मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लखनऊ में आपका घर जलाया गया और उस समय दिल्ली में आपकी सरकार थी जब आप अपने सम्मान की हिफाजत कर नहीं सकी तो दूसरी महिलाओं के सम्मान की चिन्ता कैसे करती हैं ? महिलाओं के सम्मान का सवाल माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने महिला सशक्तीकरण की ओर जो कदम उठाए हैं चाहे कन्या विद्याधन योजना रही हो चाहे लैपटॉप देने का सवाल रहा हो चाहे मुफ्त शिक्षा देने का सवाल रहा हो चाहे 1090 का सवाल हो चाहे 102 एम्बुलेंस का सवाल हो यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी सरकार ने भरसक कदम उठाने का प्रयास किया है। यही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जितने असेवित ब्लॉक उत्तर प्रदेश के अंदर हैं उन सब में विकास करने में कन्या महाविद्यालय खोलने का हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है जो आज तक कोई सरकार नहीं उठा सकी। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है हमारे सामने के साथी जिनकी सरकार रही है मैं कहना चाहता हूं कि कहां गई थी उस समय वह कानून व्यवस्था जब जेल में सी0एम0ओ0 की हत्या होती है जब इंजीनियर की हत्या होती है थाने में कॉस्टेबल की हत्या होती है उस समय कानून व्यवस्था कहां थी ? और तो और आप बताते हो कि आपकी बेहतर कानून–व्यवस्था थी इसी कानून व्यवस्था के आधार पर 2012 के चुनाव में जनता ने अपना फैसला दिया और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अंदर चौतरफा विकास की बात रखी है और आज जब चारों तरफ विकास हो रहा है चाहे सड़कों का क्षेत्र हो चाहे बिजली का क्षेत्र हो हमारे एक साथी उपेन्द्र तिवारी जी कह रहे थे कि नेता जी ने वायदा किया था कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि नेता जी ने वायदा किया था कि

2016 तक हम उत्तर प्रदेश को 16 और 24 घण्टे बिजली देने का काम करेंगे। कांग्रेस के मित्रों अगर उत्तर प्रदेश को 16 और 24 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। याद करो दादरी में 10 हजार मेगावाट का गैस आधारित पावर संयत्र जब हमारी सरकार लगा रही थी तो आपने गैस देने का काम नहीं किया और इन्हीं कारणों से आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अगर आपने उत्तर प्रदेश को गैस दे दी होती तो आज उत्तर प्रदेश पावर के क्षेत्र में अग्रणी हो गया होता और 16 से 24 घण्टे बिजली देने का जो वायदा हमारे नेता ने किया था वो आज निश्चित रूप से पूरा हो गया होता। उत्तर प्रदेश का सत्यानाश किया आपने। उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में बांटने का काम किया है आपने। उत्तर प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है आपने। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको हाशिए पर भी लाने का काम कर दिया है। हमारी पार्टी केवल घोषणाओं पर विश्वास नहीं करती हमारी पार्टी हमारी सरकार जो घोषणा करती है उनको पूरा करती है। बैट्री चालित रिक्शा देने का वायदा हमारी सरकार ने किया बजट में प्रावधान हो गया। आने वाले समय में पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कि हम गरीबों को बैट्री चालित रिक्शा देने का काम करेंगे। इसलिए मैं मान्यवर ज्यादा समय न लेते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र बछरांवां की एक बात रखना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में जब दिल्ली में सरकार थी एक फलाई ओवर बना है अधिष्ठाता महोदय आप इलाहाबाद जाते होंगे बछरांवा का फ्लाईओवर देखते होंगे। लेकिन अब जाइयेगा तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको बछरांवां से फतेहपुर जाना पड़ेगा तो आप उस पर कहां से चढ़ेंगे। आपको जब इलाहाबाद से आना होगा और अगर आपको बाराबंकी फैजाबाद जाना होगा तो वहां पर कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता इन्होंने नहीं बनाया है। जल्दी–जल्दी में पूरे बछरांवा को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे बछरांवा के विकास को बढ़ाने के लिए चारों तरफ बाईपास बनाने का काम किया जाए। अगर वह बाईपास नहीं बनाया जाता तो हमारे बछरांवा के व्यापारी नौजवान और किसान उनको तबाही का रास्ता देखना पड़ेगा और उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। मैं अनुशासन में रहते हुए और समय सीमा का अनुपालन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आखिर में संग्राम सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है उस पर पुरजोर बल देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत–बहुत आभार प्रकट करती हूं सर्वप्रथम मैं सत्तापक्ष से कहना चाहती हूं कि आपने जो राज्यपाल के अभिभाषण की कापी दी है उसमें आपने जो योजनायें दिखायी हैं। वह योजनायें धरातल पर कितनी चल रही हैं उन योजनाओं को विपक्ष के जो विधायक हैं वही आपको बता सकते हैं। क्योंकि आप सत्तापक्ष के हैं अधिकारी सत्तापक्ष का सम्मान करते हुए आपको सच्चाई जानने का मौका नहीं देते। हम

जो विपक्ष के विधायक हैं सही मायने में धरातल पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम ही लोग दे सकते हैं। इसलिए विपक्ष के जो विधायक आलोचना करते हैं उसको नकारात्मक रूप में न लेकर उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यह मुझे तीसरी बार राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं देख रही हूं कि जब वर्ष 2012 में मा0 बहन मायावती जी की सरकार गयी उस सरकार में काननू–व्यवस्था ध्वस्त थी। उसके बाद जब आपकी सरकार आयी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाओं के साथ आपको सत्ता का सिंहासन दिया और यह उम्मीद बंधी कि जो बहन मायावती जी की सरकार में लुंजपुंज प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन आज भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रशासनिक अधिकारी खुलेआम लूट मचा रहे हैं। भ्रष्टाचार का भयंकर ताण्डव है। गन्ना किसानों को दो वर्षों के बकाये का भुगतान नहीं मिला है। बिजली के लिए हाहाकार है। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। उद्योग धन्धे खत्म होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवायें चरमरा गयी हैं। जब मैं कानून–व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात करती हूं मैं कहना चाहती हूं कि आज जब समाचार–पत्र पढ़ रही थी तो उसमें प्रथम पृष्ठ पर पढ़ा कि एक डाक्टर दम्पत्ति को उसके घर में रात में दरवाजा तोड़कर उनको बंधक बनाकर उनको लूटा गया। सहारनपुर में दस करोड़ की लूट हो गयी। सत्तापक्ष के विधायकों ने कई बार कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है। जब आप सशक्तीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस्माइलपुर में एक बच्ची प्रिया यादव बी0काम की छात्रा है सुबह साढ़े सात बजे विद्यालय जा रही थी। लेकिन वहां के दबंग लोगों ने उसका अपहरण किया और चार लोगों ने जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया। चूंकि उन लोगों को दूर से लगा कि एक ट्रेक्टर आ रहा है तो उन्होंने उसे फेंक दिया। बार–बार शिकायत के बाद भी वहां की पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया तो उसके बाद दो लोग गिरफ्तार किये गये। वहां हापुड़ में जाकर 151 की धारा में चालान कराकर अपने आप जेल चले गये। उसके बाद बार–बार पुलिस को कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो यह आपकी कानून व्यवस्था की ध्वस्त की बात है। अब उदाहरण देती हूं भ्रष्टाचार का। प्रदेश की सरकार बार–बार कहती है। खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त खाद है। यूरिया है। मैं बताना चाहती हूं मुझे लगा कि जब प्रदेश की सरकार बार–बार कह रही है कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो हमने यह पता किया कि यह ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक में 60–70 रुपये में जो कट्टा मिल रहा है यह क्यों मिल रहा है।

(इस समय 05 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पता करने पर पता चला कि यहां से जो रैक जाती है, सबसे पहले उप कृषि निदेशक को पता होता है कि रैक पहुॅचने वाली है, वहीं पर खड़े–खड़े जब रैक पहुॅचती है तो उप कृषि निदेशक 10–20 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से उससे वहीं पर ब्लैक मेलिंग कर लेते हैं, वहीं पर रिश्वत ले ली जाती है, इसीलिए बाजार में वह कट्टा 60–70 रुपये

ब्लैक में मिल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो खुलेआम लूट कर रहे हैं इन पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों से जुड़े रहते हैं, नेताओं से जुड़े रहते हैं, इनकी चाहे कितनी भी शिकायतें की जाय, लेकिन इन लोगों को हटाया नहीं जाता है। हमारे यहां एक चीनी मिल है, बहन मायावती जी के कार्यकाल में वह निगम की चीनी मिल थी, उस समय उसे 29 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जबकि आज की डेट में वह कम से 500 करोड़ की है, उसमें 40 लाख का तो सामान मौजूद था, जब वह बिकी है और उन लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको मुश्किल से डेढ़ महीना चलाया, वह भी जब हम लोगों ने जिलाधिकारी के ऊपर बड़ा दबाव बनाया, तो डेढ़ महीने वह चीनी मिल चली और उसके बाद उसे बन्द कर दिया गया। आज बेचारा किसान मिडसेशन में बरबाद, बेहाल खड़ा है, उसके बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों का गन्ना बाहर पड़े–पड़े सूख गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी बात का संज्ञान लें और हमारे यहां की चीनी मिल को तुरन्त चलाया जाय। मान्यवर, बार–बार यह कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त सड़के की जायेंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में तीन साल से मैं लगातार कह रही हूं कि मेरे क्षेत्र में सड़कों में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, उनको कम से कम गड्ढा मुक्त करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

सोलंकी जी दस मिनट से ज्यादा हो गया है, अब आप समाप्त करें, अभी कल भी इस पर चर्चा है और तीन को भी है। कल फिर पूरा बैठा जायेगा। इसी नम्बर पर कल बुलायेंगे, दूसरा नम्बर नहीं लेंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, बुलन्दशहर की जिन सड़कों का सुधार किया जाना चाहिए उनमें सिकन्द्राबाद ककोड़ मार्ग से हसनपुर बकसुवा संपर्क मार्ग, सिकन्द्राबाद ककोड़ से भौखेड़ा होकर महेपा संपर्क मार्ग, सिकन्द्राबाद खुर्जा मार्ग से नगला बड़ौदा संपर्क मार्ग, चांगौली मोड़ हुसैनपुर संपक्र मार्ग से वैलाना संपर्क मार्ग, गुलावठी से बरमदनगर समकौला होकर बागवाला संपर्क मार्ग, सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर मार्ग से अमीनगर संपर्क मार्ग इनका निर्माण किया जाना चाहिए। मान्यवर, विधान सभा सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर सड़कों की नदियों व नालों के ऊपर के पुल बहुत ही टूटे हुए हैं, मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि विकास खण्ड सिकन्द्राबाद में गांव आढ़ा सरायघासी के मध्य करवन नदी के टूटे हुए पुल का निर्माण करवा दें, विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के गांव सैदमपुर के नजदीक नाले पर पुल का निर्माण करवा दें और इसके साथ ही विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के गांव बहोरावास तथा चोला के मध्य नाले पर पुल का निर्माण करवा दें। मा0 अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र की दो–तीन सड़कों की मैं तीन साल से बार–बार मांग करती रही हूं कि उन सड़कों का निर्माण करवा दें, वहां पर लोगों का चलना भी दुरूह हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना

चाहती हूं कि सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग से हिरनौटी सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग (शून्य से लेपन तक) लम्बाई 1.5 कि0मी0, सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग से आलीयाबाद सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग (शून्य से लेपर स्तर तक) लम्बाई लगभग 500 मी0 एवं सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग से अजय नगर हो करके जैतपुर सम्पर्क मार्ग (शून्य से लेपन स्तर तक) लम्बाई 2.0 कि0मी0, विकास खण्ड सिकन्दराबाद का निर्माण करा दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर चर्चा कल भी जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–02–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

प्रथम सूचना श्री संजय कपूर की जनपद–रामपुर की तहसील–बिलासपुर में जहरीले पानी से बढ़ रही हिपेटाइटिस सी से हो रही मृत्यु व अन्य बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद–बहराइच विकास खण्ड–जरवल के अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल पर लगभग 25–30 वर्षों से अधिक समय से वसूले जा रहे टोल–टैक्स के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद–शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के ग्राम करनापुर के श्रवण कुमार पुत्र कल्लू की दिनांक 12–2–2015 को हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन के संविदा कर्मियों की संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों द्वारा शक्ति भवन, लखनऊ के समक्ष किये गये धरना–प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा किए जाने तथा उनकी मांगों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

प्रथम सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद–गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कालोनियों में पक्के नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री गुटियारी लाल दुबेश की विधान सभा क्षेत्र आगरा के अन्तर्गत प्राइवेट कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा के ग्राम मड़ेवरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन व उनकी आदमकद प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद–शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में विद्युत विभाग द्वारा ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में है,

पांचवीं सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना की धर्मवीर मार्ग सुलेम सराय इलाहाबाद से अवैध निर्माण हटाये जाने एवं मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है तथा

छठीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद–लखीमपुर खीरी के नगर क्षेत्र लखीमपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0सं0	नाम
1	श्री अनिल कुमार,
2	श्री कालीचरन सुमन,
3	पं0 सुदेश शर्मा,
4	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,
5	श्री बैजनाथ पासवान,
6	श्री जगन प्रसाद गर्ग,
7	श्री राम चन्द्र यादव,
8	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
9	श्री धर्मपाल सिंह,
10	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
11	श्री सलिल विश्नोई,
12	श्री रविदास मेहरोत्रा,
13	श्री सन्तराम कुशवाहा,
14	श्री कमाल युसुफ मलिक,
15	डा0 अरूण कुमार,
16	श्री ममतेश शाक्य,
17	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
18	चौधरी गजेन्द्र सिंह,
19	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

20	श्री मदन चौहान,
21	श्री अजय कुमार 'लल्लू',
22	श्री ललितेश पति त्रिपाठी,
23	श्री प्रदीप माथुर,
24	श्रीमती अराधना मिश्र 'मोना',
25	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
26	श्री उमेश पाण्डेय,
27	श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
28	श्री रामहेत भारती,
29	श्री रोशन लाल वर्मा,
30	श्री जय प्रकाश निषाद,
31	डा0 धर्मपाल सिंह,
32	श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह,
33	श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
34	श्री दलवीर सिंह,
35	श्री भीम प्रसार सोनकर,
36	श्री गुलाब चन्द्र सरोज,
37	श्री अगयश रामसरन वर्मा,
38	श्री विजय बहादुर यादव,
39	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
40	श्री मनीष असीजा,
41	श्री रविन्द्र भडाना,
42	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
43	श्री सुशील सिंह,
44	श्री सिनोद कुमार शाक्य,
45	श्री गेंदालाल चौधरी,

46	श्री दलजीत सिंह तथा
47	श्री राजीव गुम्बर।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र स्थित पिपराइच चीनी मिल के बन्द हो जाने के कारण मजदूरों/किसानों में व्याप्त असंतोष के निदान हेतु चीनी मिल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजमती निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र की पिपराइच चीनी मिल.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्पूर्व सरकार ने चलती हालत में बन्द कर दिया, जबकि मिल के नवीनीकरण के लिये जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया था और उसकी चहारदीवारी भी बना दी गई। चीनी मिल बन्द होने से सैकड़ों मजदूर एवं हजारों किसान परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मिल बन्द होने से जनता में काफी असन्तोष एवं निराशा है। अतः उनकी मांग है कि पिपराइच चीनी मिल को तत्काल चालू कराया जाय।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पिपराइच चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा इस चीनी मिल को सार्वजनिक नीलामी में जून, 1974 में क्रय किया गया था। इस चीनी मिल की पेराई क्षमता मात्र 800 टी0सी0डी0 थी। उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों का वर्ष 2007 में विक्रय/निजीकरण का निर्णय लिया गया था जिसमें यह चीनी मिल भी सम्मिलित थी। यह चीनी मिल अत्यधिक घाटे एवं इसके यंत्र एवं संयंत्र अत्यन्त जर्जर स्थिति में थे। दिनांक 31 मार्च, 2008 तक चीनी मिल को रु0 10,8454.93 लाख का संचित घाटा हो चुका था। चीनी मिल को पेराई सत्र 2003–04 से पेराई सत्र 2007–08 तक क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाया। चीनी मिल की क्षमता कम होने एवं यंत्र–संयंत्र जीर्ण–शीर्ण होने एवं चीनी मिल के अत्यधिक घाटे को देखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2007–08 में इसके संचालन न करने का निर्णय लिया गया। अतः चीनी मिल पेराई सत्र 2007–08 के पश्चात् बन्द है। मिल बन्द होने के उपरान्त मिल के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जा चुका है। चीनी मिल

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

के यंत्र एवं संयंत्र अत्यन्त जर्जर होने के कारण स्क्रैप के रूप में प्लान्ट बिक्रीत कर दिया गया।

3–अवगत कराना है कि वर्ष 1989 में पिपराइच चीनी मिल के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु एक परियोजना तैयार की गई थी। परियोजना के मद में शासन से रु0 370 लाख की शासकीय अंशपूंजी प्राप्त हुई थी। जिसमें से रु0 357.35 लाख भूमि अर्जन, चहारदीवारी निर्माण, आपूर्तिकर्ता को अग्रिम भुगतान के मद में व्यय किया गया तथा अवशेष धनराशि रु0 12.65 लाख को अन्य चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये व्यवर्तित कर दिया गया। शासकीय अंशपूंजी के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण परियोजना को पूर्ण नहीं कराया जा सका। वर्तमान में परियोजना हेतु निगम के पास कोई वित्तीय स्रोत नहीं है। सम्प्रति पिपराइच चीनी मिल को चलाये जाने की कोई योजना नहीं है।,

जनपद इलाहाबाद में मेजा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित दुग्ध संघ के समितियों के बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दुग्ध विकास मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में दुग्ध संघ लगभग.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्25–30 वर्ष से स्थापित है। जिसके तमाम किसान सदस्य हैं और इनके समितियों पर दूध देते हैं जिनका नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। इलाहाबाद जनपद के मेजा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित संघ के समितियों व जनपद के समस्त समितियों के सदस्य किसानों का लगभग 2 करोड़ रुपया वर्ष 2013–14 से बकाया है। क्या सरकार किसानों को ब्याज सहित भुगतान करायेगी नहीं करायेगी तो क्यों ?

अतः अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों का भुगतान कराने की अपेक्षा करता हूं।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दुग्ध संघ, इलाहाबाद की वर्तमान वित्तीय स्थिति अत्यन्त ही प्रतिकूल है और वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कुल रु0 24,13,28,429.81 के घाटे में है। इलाहाबाद के मेजा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित दुग्ध संघ की समितियों

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

व जनपद के समस्त समितियों के सदस्य किसानों का दिनांक 17–12–2013 से दिनांक 31–03–2014 तक कुल रु0 3,50,00,000.00 दुग्ध मूल्य के सापेक्ष बकाया है जिसका भुगतान संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

किसानों को उक्त लम्बित भुगतान के समक्ष ब्याज दिये जाने का कोई भी प्राविधान दुग्ध संघ में नहीं है और न ही कभी पूर्व में ब्याज दिया गया है।,

सिम्भावली शुगर मिल द्वारा पूर्व एवं वर्तमान पेराई सत्र का गन्ना कृषकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में स्थित सिम्भावली शुगर मिल.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्शुगर मिल सिम्भावली के द्वारा पूर्व पेराई सत्र 2014 का गन्ना किसानों का भुगतान न किये जाने से कृषकों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। जैसे विद्युत भुगतान, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा व अन्य ब्याह शादी न किये जाने से आर्थिक संकट से घिरे होने से किसानों में भारी असंतोष है जबकि सीमा से सटे अनामिका शुगर मिल बुलन्दशहर के द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान तीब्र गति से किया जा रहा है। यह सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण व जनहित से जुड़ी अविलम्बनीय होने से मैं सरकार से आंकड़ों सहित सूचना भुगतान लम्बित है तुरन्त भुगतान करने हेतु सरकार से वक्तव्य/आख्या की मांग करता हूं।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद हापुड़ में सिम्भावली समूह की 02 चीनी मिलें हैं। दिनांक 20–02–2015 की स्थिति के अनुसार सिम्भावली चीनी मिल, सिम्भावली द्वारा गत पेराई सत्र 2013–14 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 309.81 करोड़ के सापेक्ष रु0 251.66 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, जो कुल देय गन्ना मूल्य का 81.23 प्रतिशत है और चीनी मिल पर गत पेराई सत्र का 58.15 करोड़ भुगतान अवशेष है। सिम्भावली चीनी मिल, बृजनाथपुर द्वारा पेराई सत्र 2013–14 में देय कुल गन्ना मूल्य रु0 128.70 करोड़ के सापेक्ष रु0 102.04 करोड़ का भुगतान, जो कुल देय का 79.28 प्रतिशत है तथा चीनी

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मिल पर रु0 26.66 करोड़ अवशेष है। उल्लेखनीय है कि सिम्भावली समूह की चीनी मिलों के विरुद्ध गत पेराई सत्र के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा संबंधित चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान अपने स्रोतों से नहीं किये जाने के कारण उनकी चीनी की विक्रय से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चीनी मिलों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु दैनिक रूप से गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल को नोटिसें निर्गत की गई हैं। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय–समय पर चीनी मिल के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें करके सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिला अधिकारियों व मण्डलायुक्त को भी अवशेष गन्ना मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य सरकार किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।,

जनपद मिर्जापुर के थाना मड़िहान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर बेलस्पन एनर्जी कम्पनी लि0 द्वारा बिना अनुमति के क्रय विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में डा0 रमेश चन्द बिन्द द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद मिर्जापुर के थाना–मड़िहान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्व्यक्तियों के लिये स्थापना की गई थी परन्तु बेलस्पन एनर्जी कम्पनी लि0 के प्रतिनिधि कुक्कु टेक्कर व उनके भू–माफिया साथियों द्वारा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये क्रय–विक्रय करते हैं। स्थानीय पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से उक्त अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि बेलस्पन एनर्जी कम्पनी को बैनामा कर दिया गया। बेलस्पन एनर्जी कम्पनी लि0 के प्रतिनिधि कुक्कु टेक्कर व उनके भू–माफिया स्थानीय

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

पुलिस की मिली भगत द्वारा अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि क्रय–विक्रय करने एवं अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि अपने नाम कराने की शिकायत सीताराम सिंह पुत्र स्व0 राजनरायन सिंह, निवासी–स्टेशन रोड, थाना कोतवाली कटरा, मिर्जापुर आदि लोगों द्वारा करने पर स्थानीय पुलिस से मिलकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करवा दिये और धमकी दी जा रही है कि अगर तुम लोगों ने अपनी शिकायतें वापस नहीं लीं तो तुम्हें एवं तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया जायेगा। जिसकी शिकायतें उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी की गईं परन्तु अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग की गई है।

2–उक्त नियम–51 की सूचना पर पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर से प्राप्त आख्या दिनांक 19–2–2015 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवेदक के पुत्र कुलदीप सिंह पुत्र सीताराम सिंह, निवासी–स्टेशन रोड, थाना कोतवाली कटरा, स्थाई पता–ग्राम अकोढ़ी, थाना–विन्ध्याचल, मिर्जापुर के विरुद्ध धोखाधड़ी करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनाम कराने व पैसा मांगने पर गाली–गलौज करना व जान–माल की धमकी देने के आरोप में वादी श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह, निवासी–विशुनपुरा, थाना–जमालपुर, मिर्जापुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा अ0सं0–278/13 धारा–219/420/467/468/471/504/506 भादवि, दिनांक 12–6–2013 को पंजीकृत हुआ है, जिसमें विवेचना उपरान्त आरोप–पत्र संख्या–ए–3, दिनांक 19–1–2014 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

3–यह भी अवगत कराया गया है कि श्री सीतापुर (आवेदक) के पुत्र श्री कुलदीप सिंह पत्नी श्रीमती बिन्दु सिंह एवं बहू श्रीमती नीलू सिंह पत्नी प्रदीप सिंह, निवासी–स्टेशन रोड, थाना कोतवाली कटरा, स्थाई पता–ग्राम अकोढ़ी, थाना–विन्ध्याचल, मिर्जापुर के विरुद्ध वादी श्री सुभाष पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी–बेनीपुर, परगना, काशीराज राजा तालाब जिला–वाराणसी की तहरीर पर मु0अ0सं0– अ0सं0–413/13 धारा–219/420/467/ 468/471/504/506 भादवि, दिनांक 3–5–2013 को पंजीकृत हुआ है, जिसमें विवेचना उपरान्त आरोप पत्र संख्या–ए–94, दिनांक 24–6–2013 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।,

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में क्षेत्रीय विकास निधि के प्रस्तावों पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्मैंने बहुत से प्रस्ताव 2 माह से लेकर लगभग ढाई माह पहले दिये थे, जिन पर मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा न तो स्वीकृति प्रदान की जा रही है और न ही पत्रावली आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसी सूरत में निधि से होने वाले कार्य बाधित हैं। मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी से स्वयं मिलकर कार्य स्वीकृत करने व शीघ्र कार्य निपटाने का भी अनुरोध किया परन्तु मुख्य विकास अधिकारी कार्यदायी संस्था अपने अनुसार खोज रहे हैं। कार्य होने में देरी से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।,

2–कृत कार्यवाही

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा, कानपुर देहात के विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2012–2013 से 2014–15 तक कुल प्राप्त रु0 450.00 लाख की धनराशि के विरुद्ध मा0 सदस्य, विधान सभा से प्राप्त 67 प्रस्तावों के सापेक्ष रु0 388.451 लाख की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है एवं रु0 61.549 लाख स्वीकृति हेतु अवशेष है, जिसके सापेक्ष कोई प्रस्ताव शेष नहीं है। स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष मा0 सदस्य से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा पत्र संख्या–8630, दिनांक 19–02–2015 उन्हें प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में किसी संस्था को नामित नहीं किया गया था। जहां तक प्रस्तावों की स्वीकृति में विलम्ब का प्रश्न है, जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु दिनांक 05–03–2014 से 16–05–2014 तक एवं सदस्य, विधान परिषद् स्नातक क्षेत्र–कानपुर उपनिर्वाचन 2015 हेतु दिनांक 19–12–2014 से 25–01–2015 तक जनपद कानपुर देहात में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कतिपय प्रस्तावों की स्वीकृति में विलम्ब हुआ है।

वर्तमान में मा0 सदस्य, विधान सभा का कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शेष नहीं है।,

जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी में भारी बाढ़ के कटान से नूरगंज मजरे कैथी के 13 लोगों के मुआवजा वितरित न कराये जाने के कारण किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के तहसील रूदौली के अन्तर्गत घाघरा नदी में.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्भारी बाढ़ से नूरगंज मजरे कैंथी के 13 लोगों के आवासीय मकान नदी के कटान में समाहित हो गये तथा कैंथी, माझा, सरायनास, सल्लापुर, मुजैहना, अल्लूपुर, बरई, मंहगू का पुरवा सहित दर्जनों गांवों के 586 परिवारों को गांव से निकाल कर बंधे पर बने राहत केन्द्रों पर आवासित करना पड़ा। उक्त सभी परिवारों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं जिसके कारण सभी पीड़ित परिवार भुखमरी के कगार पर तथा जिनके मकान नदी में कट गये हैं वो आवासहीन हो गये। इस तरह की विभीषिका पूर्व में भी आ चुकी है जिसके चलते हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नदी में समाहित हो चुकी है। गांव छोड़कर सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे बिना खेती–बाड़ी के मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। घाघरा नदी के किनारे सभी बसावटों में कटानें होती रहती हैं जिसे रोकने के लिये ठोस कार्यक्रम बाढ़ खण्ड बाराबंकी/फैजाबाद द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया न ही प्रभावित लोगों को आवासीय खेती योग्य भूमि का पट्टा दिया गया जबकि शासनादेश के अनुसार सभी दैवीय आपदा पीड़ित परिवारों को मुआवजा खेती/मकान के लिये जमीन की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिये। अभी तक नष्ट हुई फसलों का मुआवजा वितरित नहीं किया गया जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसील रुदौली जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी में बाढ़ आने से नूरगंज मजरे कैंथी में 13 लोगों के आवासीय छप्पर फूस के मकान कट गये थे। इन प्रभावित व्यक्तियों के मकान अन्यत्र पहले से बने हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को शासनादेश के अनुसार अनुमन्य निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की गई है :–

क्र0सं0	प्रभावित का नाम	पिता/पति का नाम	अन्यत्र जहां मकान पहले से बना हुआ है	शासनादेश के अनुसार दी गई सहायता (धनराशि रुपये में)

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

1	चेतराम	कामता	गढ़हरा मजरे सण्डरी	3000.00
2	लाला	कामता	गढ़हरा मजरे सण्डरी	3000.00
3	प्रवेश कुमार उर्फ मुटटुर	जगदम्बा	गढ़हरा मजरे सण्डरी	3000.00
4	पिन्टू	प्रवेश कुमार उर्फ मुटटुर	गढ़हरा मजरे सण्डरी	3000.00
5	नसीम	शेखावत	जहांगीराबाद	3000.00
6	तसलीमुन निशा	निहाल अहमद	जहांगीराबाद	3000.00
7	राम प्रसाद	सितई	सल्लाहपुर मजरे कैंथी	3000.00
8	धनीराम	राम प्रसाद	सल्लाहपुर मजरे कैंथी	3000.00
9	श्रीमती मीरा देवी	राजित राम	सल्लाहपुर मजरे कैंथी	3000.00
10	माता प्रसाद	राम प्यारे	उधरौरा	3000.00
11	राम कुमार	बासदेव	शंकरगढ़ मजरे फेलसण्डा	3000.00
12	काली प्रसाद	राम यज्ञ	शंकरगढ़ मजरे फेलसण्डा	3000.00
13	देवी प्रसाद	राम यज्ञ	शंकरगढ़ मजरे फेलसण्डा	3000.00

3–उपरोक्त के अतिरिक्त घाघरा नदी के किनारे बसी बसावटों कैंथी, माझा, मंहगू का पुरवा, मजरे सण्डरी, मंहगू का पुरवा मजरे पसैय्या, सल्लापुर मजरे कैंथी, अब्बूपुर मजरे बरई, सुलेमपुर मजरे उधरौरा, मुजहेना मजरे सरायनासिर, सरायनासिर इत्यादि ग्रामों के 586 परिवारों में 350 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तहसील स्तर से बनाये गये 03 बाढ़ राहत शिविरों में आवासित किया गया था, जिनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई थी तथा निवास हेतु त्रिपाल एवं प्रति परिवार को मिट्टी का तेल निःशुल्क वितरित किया गया था। बाढ़ से फसलों का नुकसान नहीं हुआ है और न ही कृषिक भूमि का कटान हुआ है। घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से तहसील रूदौली के क्षेत्रान्तर्गत रौनाही बांध के कटने का कोई खतरा नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जानवरों के चारे की कोई समस्या नहीं है। तहसील प्रशासन द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों का ससमय पर्याप्त सुरक्षा एवं जीवन निर्वाह हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराई गई थीं। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। जनमानस में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।,

जनपद आगरा में सुल्तानगंज में लगी पुलिया पर मीडियम मास्ट बन्द पड़े होने के कारण जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद आगरा में सुल्तानगंज में लगी पुलिया पर मीडियम मास्ट.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्लगाये गये थे जो कि बन्द पड़े हैं। सुल्तानगंज पुलिया चौराहा आगरा का बहुत ही व्यस्त चौराहा है। लाइटें बन्द होने के कारण यहां अंधेरा रहता है। आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, इस कारण राहगीरों में रोष व्याप्त है। जनहित में इन लाइटों की मरम्मत होना नितान्त आवश्यक है।'' अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गई है।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि सुल्तानगंज चौराहे पर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 04 नग मिनी मास्ट तथा 01 नग सेमी हाई मास्ट लगाये गये हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा मिनी मास्ट एवं सेमी हाई मास्ट अनुरक्षण कार्य हेतु नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा ही इनका रख–रखाव किया जा रहा है।,

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा के 48 घण्टे पूर्व तक केन्द्रों का परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, प्रदेश में आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत इण्टर.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्हाई स्कूल की परीक्षा प्रारम्भ हुई है।

परीक्षा के 48 घण्टे पूर्व 119 केन्द्रों का परिवर्तन कर दिया गया है। अधिसंख्य केन्द्र ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं, जहां आवागमन के साधन नहीं हैं। मा0 शिक्षा मंत्री का कथन कि सारे अधिकार मा0 शिक्षा सचिव में निहित हैं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अनिश्चितता व अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, परीक्षा मानक के अनुरूप व नकल मुक्त होगी, इसमें सन्देह उत्पन्न हो गया है, छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

मैं तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 द्वारा आयोजित वर्ष 2015 की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाएं दिनांक 19 फरवरी, 2015 से प्रारम्भ हो चुकी हैं। परिषदीय परीक्षाओं हेतु जनपदीय/मण्डलीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाते हैं। परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में प्राप्त उच्च स्तरीय संदर्भ एवं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बालिकाओं की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मात्र बालिकाओं हेतु 116 नवीन परीक्षा केन्द्र बनाये गये। उक्त बनाये गये परीक्षा केन्द्रों में 105 परीक्षा केन्द्र (मात्र बालिकाओं हेतु) परीक्षा प्रारम्भ होने से 21 दिन पूर्व दिनांक 28–01–2015 को तथा 08 परीक्षा केन्द्र मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 06–01–2015 के अनुपालन में जनपदीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा किये गये निस्तारण प्रस्ताव दिनांक 14–01–2015 की संस्तुति पर एवं 02 परीक्षा केन्द्र (मात्र बालिकाओं हेतु) जनपदीय एवं मण्डलीय समिति की संस्तुति पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 04 दिन पूर्व निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रारम्भ होने के 48 घण्टे पूर्व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या–63997/2014 में पारित आदेश दिनांक 27–11–2014 एवं अवमानना याचिका संख्या–144/2015 में पारित आदेश दिनांक 17–01–2015 के अनुपालन में जनपदीय एवं मण्डलीय समिति द्वारा किये गये निस्तारण दिनांक 11 फरवरी, 2015 के क्रम में 01 परीक्षा केन्द्र (मात्र बालिकाओं हेतु) निर्धारित किया गया। बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा मात्र उन्हीं विद्यालयों में ही छात्राओं को प्रदान की गयी, जहां वे नियमित रूप से अध्ययन कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि जो भी नवीन परीक्षा केन्द्र बनाये गये वे मात्र बालिकाओं को सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ही ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा बनाये गये हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बोर्ड परीक्षा दिनांक 19–02–2015 से 21–2–2015 तक अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों की जो परीक्षाएं सम्पन्न हुई हैं उनमें इन परीक्षा केन्द्रों पर समस्त बालिकाओं ने बहुत ही सामान्य वातावरण में निश्चिन्त होकर परीक्षा दी है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

उक्त स्थिति में यह कहना कि अनिश्चितता एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, निराधार एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मात्र बालिकाओं को ही स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परीक्षा में अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया।,

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत मंगापुर–उदयपुर के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

सुश्री अराधना मिश्रा 'मोना' सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खदिनांक 19–02–2015 को उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी मध्य से गुजरती है, जिसके कारण विकास खण्ड लालगंज का जो क्षेत्र दूसरी तरफ पड़ता है वहां के लोगों को ब्लाक मुख्यालय आने–जाने में पुल के अभाव में परेशानी होती है। वर्षाकाल के दौरान यह स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाती है और लोगों का विकास खण्ड लालगंज मुख्यालय पहुंचना पूरी तरह असम्भव हो जाता है, जिसके कारण जहां जनहित का कार्य प्रभावित होते हैं और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है वहीं लोगों को भी अपना कार्य कराने में दिक्कतें आती हैं। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जनहित में जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मंगापुर उदयपुर के नाम से एक नये विकास खण्ड की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिसका प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। विकास खण्ड का सृजन न होने से जहां लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं क्षेत्रीय जनता में रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

2–उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नये ब्लाक के गठन के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मानक निर्धारित होने के उपरान्त जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में प्रस्तावित विकास खण्ड

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

''मंगापुर उदयपुर'' को नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।,

जनपद आगरा के एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में घरेलू बिजली, पंखा उपभोक्ताओं को नगरीय क्षेत्र के हिसाब से बिल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

यह स्थगित है।

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 25–02–2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 24 फरवरी, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30–31 पर)

कामधेनु/मिनी कामधेनु डेयरी योजना का प्रगति विवरण

दिनांक 31–01–2015

क्र0सं0	जनपद का नाम	कामधेनु योजना				मिनी कामधेनु योजना			
		वार्षिक लक्ष्य	ऋण स्वीकृत	क्रय पशु	क्रियाशील इकाइयों की सं0	वार्षिक लक्ष्य	ऋण स्वीकृत	क्रय पशु	क्रियाशील इकाइयों की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेरठ	6	3	110	2	40	10	93	3
2	बागपत	6	3	58	2	40	10	86	3
3	गाजियाबाद	5	1	29	1	30	4	60	2
4	हापुड़	6	2	100	1	30	18	110	3
5	जी0बी0 नगर	5	1	100	1	30	4	8	1
6	बुलन्दशहर	6	2	100	1	60	12	243	12
7	सहारनपुर	6	1	13	1	30	10	45	4
8	शामली	6	1	100	1	40	11	93	4
9	मुजफ्फर नगर	6	2	58	2	40	7	71	3
10	मुरादाबाद	6	3	87	2	40	13	150	8
11	अमरोहा	6	2	57	1	65	16	166	6
12	सम्भल	6	1	80	1	40	18	100	6
13	रामपुर	6	2	120	2	40	14	47	2
14	बिजनौर	6	2	70	2	40	15	158	9
15	बरेली	6	6	100	1	40	6	50	1
16	बदायूं	5	3	86	2	30	5	47	1
17	शाहजहांपुर	8	3	60	2	40	14	69	3
18	पीलीभीत	6	4	79	2	30	2	20	2
19	फैजाबाद	6	1	0	0	30	7	32	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

20	अम्बेडकर नगर	5	1	40	1	30	2	0	0
21	अमेठी	6	1	62	1	30	12	0	0
22	सुल्तानपुर	6	1	49	1	30	4	0	0
23	बाराबंकी	6	2	100	1	30	12	31	2
24	गोण्डा	5	1	90	1	30	0	0	0
25	बलरामपुर	5	0	0	0	30	1	0	0
26	बहराइच	3	1	22	1	30	8	30	1
27	श्रावस्ती	2	0	0	0	30	1	25	1
28	बस्ती	6	1	70	1	30	5	100	4
29	संतकबीर नगर	6	1	50	1	30	1	0	0
30	सिद्धार्थ नगर	5	1	50	1	30	2	25	1
31	गोरखपुर	6	1	51	1	30	3	25	1
32	महराजगंज	5	1	50	1	30	0	0	0
33	देवरिया	2	1	50	1	30	1	0	0
34	कुशीनगर	5	1	52	1	30	7	61	6
35	इलाहाबाद	5	2	25	1	30	6	65	3
36	कौशाम्बी	6	2	100	1	30	6	0	0
37	फतेहपुर	6	2	92	2	30	14	185	7
38	प्रतापगढ़	5	1	31	1	30	7	0	0
39	झांसी	5	1	30	1	30	8	100	2
40	ललितपुर	6	1	30	1	30	5	0	0
41	जालौन	5	3	20	1	30	4	0	0
42	बांदा	5	2	26	1	30	2	20	1
43	चित्रकूट	6	3	68	1	30	6	15	1
44	हमीरपुर	4	0	0	0	30	2	0	0
45	महोबा	5	2	20	1	30	1	0	0
46	लखनऊ	6	4	67	2	30	11	81	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	उन्नाव	6	2	47	1	30	14	54	2

48	रायबरेली	6	1	30	1	30	8	65	2
49	हरदोई	6	2	50	1	30	10	104	7
50	सीतापुर	6	3	39	2	30	7	43	3
51	खीरी	5	2	18	1	30	15	10	1
52	आजमगढ़	5	1	0	0	30	9	0	0
53	मऊ	6	2	0	0	30	4	0	0
54	बलिया	6	2	90	1	30	1	0	0
55	वाराणसी	6	1	27	1	30	0	0	0
56	जौनपुर	6	1	0	0	30	3	0	0
57	गाजीपुर	9	3	104	2	30	7	28	3
58	चन्दौली	6	0	0	0	30	2	0	0
59	मिर्जापुर	5	2	60	1	30	10	93	3
60	सोनभद्र	5	1	75	1	30	5	20	1
61	संतरविदास नगर	6	1	50	1	30	5	0	0
62	कानपुर नगर	6	2	60	1	30	15	99	6
63	कानपुर देहात	6	3	0	0	30	9	0	0
64	फर्रुखाबाद	5	1	22	1	30	7	91	4
65	इटावा	6	4	34	1	40	14	90	5
66	कन्नौज	6	1	0	0	30	7	0	0
67	औरैया	6	4	0	0	30	9	0	0
68	आगरा	6	3	215	3	40	11	68	3
69	मथुरा	6	3	83	1	40	8	34	2
70	मैनपुरी	6	3	100	1	30	8	39	2
71	फिरोजाबाद	10	7	174	3	55	44	170	6
72	अलीगढ़	5	3	90	1	40	19	129	7
73	कासगंज	6	2	24	1	30	7	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	एटा	6	4	50	1	40	20	172	6

75	हाथरस	6	3	50	1	40	12	50	2
	योग :	**425**	**147**	**4144**	**81**	**2500**	**617**	**3770**	**174**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

जनपदवार प्रवेषित/प्रशिक्षित लाभार्थियों का विवरण

क्रमांक	जनपद	विवरण
1	2	3
1	आगरा	2924
2	अलीगढ़	2791
3	इलाहाबाद	3078
4	अम्बेडकर नगर	519
5	अमेठी	939
6	अमरोहा	2401
7	औरैया	1857
8	आजमगढ़	2735
9	बदायूं	1677
10	बागपत	389
11	बहराइच	1309
12	बलिया	2989
13	बलरामपुर	749
14	बांदा	1424
15	बाराबंकी	2928
16	बरेली	3776
17	बस्ती	1751
18	बिजनौर	2333
19	बुलन्दशहर	1663
20	चन्दौली	1631
21	चित्रकूट	149
22	देवरिया	631
23	एटा	1488
24	इटावा	1549
25	फैजाबाद	1544
26	फर्रुखाबाद	868

1	2	3
27	फतेहपुर	2547
28	फिरोजाबाद	980
29	गौतमबुद्ध नगर	875
30	गाजियाबाद	2155
31	गाजीपुर	1871
32	गोण्डा	170
33	गोरखपुर	1965
34	हमीरपुर	235
35	हापुड़	1649
36	हरदोई	1977
37	हाथरस	2038
38	जालौन	1077
39	जौनपुर	2851
40	झांसी	1765
41	कन्नौज	822
42	कानपुर देहात	1382
43	कानपुर नगर	4241
44	कासगंज	1277
45	कौशाम्बी	716
46	लखीमपुर खीरी	2136
47	कुशीनगर	615
48	ललितपुर	387
49	लखनऊ	3827
50	महराजगंज	875
51	महोबा	618
52	मैनपुरी	274
53	मथुरा	962
54	मऊ	1431
55	मेरठ	1335
1	2	3

56	मिर्जापुर	2306
57	मुरादाबाद	3219
58	मुजफ्फरनगर	3694
59	पीलीभीत	1443
60	प्रतापगढ़	1526
61	रायबरेली	1859
62	रामपुर	3904
63	सहारनपुर	2964
64	सम्भल	1053
65	संत कबीर नगर	383
66	संत रविदास नगर	1673
67	शाहजहांपुर	3163
68	शामली	710
69	श्रावस्ती	735
70	सिद्धार्थ नगर	530
71	सीतापुर	2686
72	सोनभद्र	899
73	सुल्तानपुर	4037
74	उन्नाव	2355
75	वाराणसी	1921
	कुल योग :	**130205**

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में जनपद बलिया के विकास खण्डवार की गई बोरिंग का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14			वित्तीय वर्ष 2014–15 (माह जनवरी, 2015 तक)		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	योग	सामान्य	अनुसूचित जाति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रसड़ा	48	34	82	36	20	56
2	नगरा	30	26	56	26	16	42
3	सीयर	22	20	42	27	11	38
4	चिलकहर	45	48	93	25	9	34
5	हनुमानगंज	0	1	1	7	0	7
6	गड़वार	18	0	18	18	1	19
7	बेलहरी	35	5	40	14	4	18
8	बैरिया	32	14	46	22	12	34
9	मुरली छपरा	35	5	40	25	5	30
10	बांसडीह	75	25	100	38	11	49
11	मनियर	46	5	51	30	10	40
12	बेरुआरबारी	49	4	53	16	2	18
13	पन्दह	0	7	7	22	2	24
14	नवानगर	24	10	34	37	7	44
15	रेवती	23	3	26	34	12	46
16	सोहांव	12	0	12	21	5	26
17	दुबहड	23	0	23	21	0	21
	योग :	**517**	**207**	**724**	**419**	**127**	**546**

पी0एस0यू0पी0–एल0 39 विधान सभा (67)–15–6–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।